खण्ड-290, अंक-9
गुरूवार, 14 श्रावण, शक संवत् 1893
(5 अगस्त, 1971 ई0)

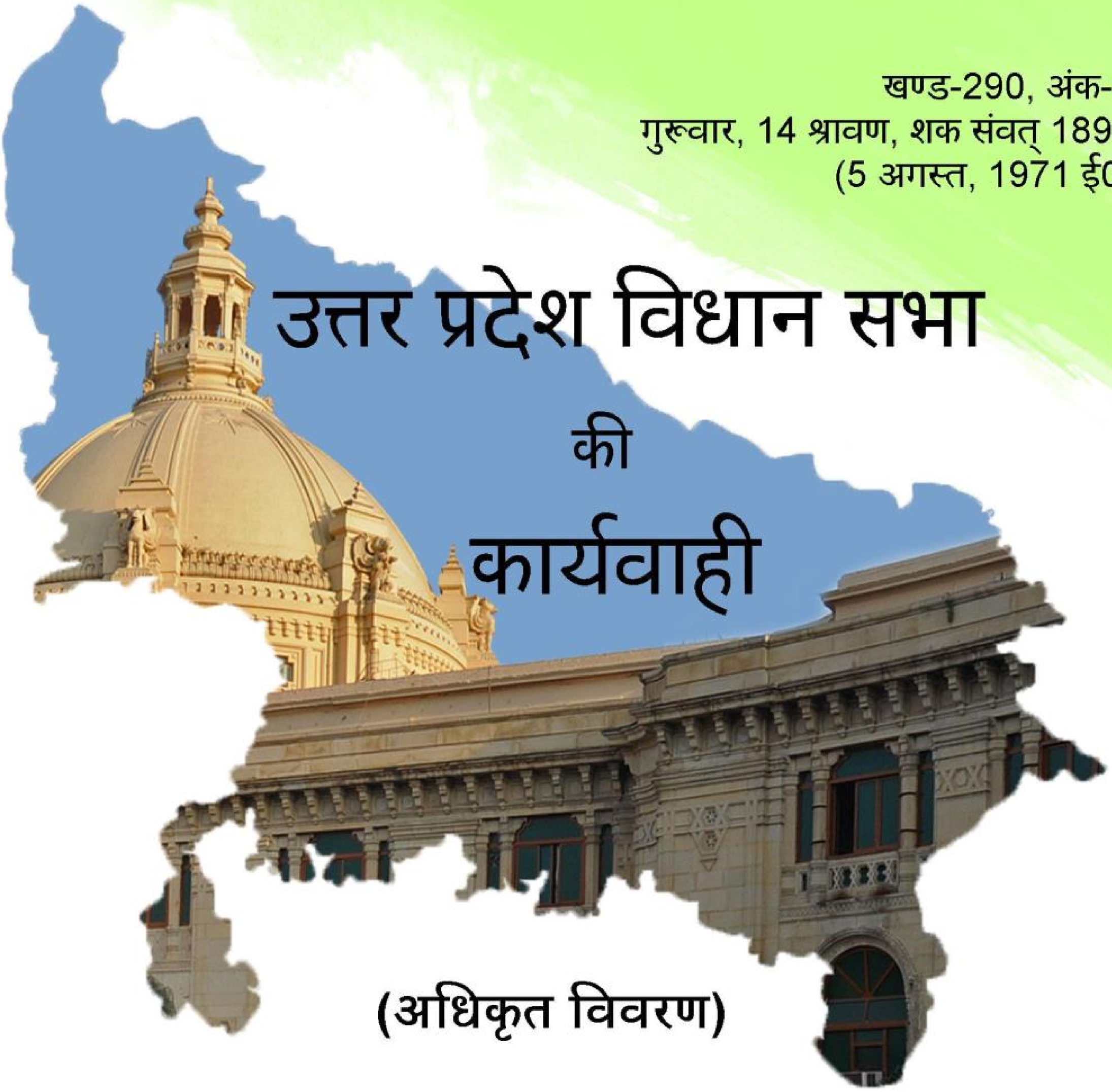

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 290 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९७२

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	१०१३–१०१७
प्रश्नोत्तर	१०१७–१०४४
गिरफ्तारियों की सूचनायें	१०४४
बंगला देश की मान्यता के सम्बन्ध में हुए प्रदर्शनों में जनसंघ और कांग्रेस दलों के सदस्यों के साथ दिल्ली के अधिकारियों द्वारा भेद भाव के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न	१०४५–१०४९
गिरफ्तारी की सूचना हिन्दी भाषा में न होने की शिकायत	१०४९–१०५१
बंगला देश को मान्यता देने के सम्बन्ध में वक्तव्य की प्रार्थना	१०५१
विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्नों की सूचनाएं	१०५२–१०५३
श्री शिवराज सिंह द्वारा व्यवस्था का प्रश्न	१०५३–१०६०
श्री शम्भूनाथ चौधरी द्वारा उनके प्रश्नों को निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	१०६०–१०६२
१९७१-७२ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या ३७–परिवहन तथा अनुदान संख्या ५१—सड़क परिवहन तथा अन्य योजनाओं पर पूंजी परिव्यय (स्वीकृत)	१०६२–११०२
कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	११०२
उत्तर प्रदेश चीनी उपक्रम (अर्जन) विधेयक, १९७१ (पुरःस्थापित किया गया)	११०३
उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७१ (पुरः स्थापित किया गया)	११०३
प्रदेश के किसानों से व्यापारियों द्वारा कम मूल्य पर गेंहूं क्रय किये जाने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत चर्चा	११०३–११२७
नत्थियां	११२८–११६६

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, ५ अगस्त, १९७१

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बज दिन में, उपाध्यक्ष, श्री वासुदेव की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३५९

अजबसिंह, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अनन्त राम जायसवाल, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनीसुर्रहमान शेरवानी, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अब्दुल सलाम शाह, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमरनाथ, दुबे श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेश कुमार, श्री
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अहमदलूत खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आबिद अली, श्री
आशाराम, श्री
आशासिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणि, श्री
इन्द्रमोहनी, श्रीमती
इम्तियाज हुसेन, श्री
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री
उदय नाथ, श्री
उदित नारायण शर्मा, श्री
उपेन्द्रनाथ दीक्षित, श्री
उमाशंकर शुक्ला, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकि, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
करनसिंह, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनार्थसिंह, श्री
कल्याणसिंह, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
काजी मसूद, श्री
किशन लाल, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम ऐजाज रसूल)
कृपा दयाल, श्री
कृष्णकान्त अवस्थी, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ वालराज)
कृष्ण मगन सिंह, श्री
कृष्णस्वरूप वैश्य, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
के० एस० मोहरिया, श्री
केदारनाथ, श्री
केशव चन्द्र सिंह, श्री
केशवराम, श्री (जिला बरेली)
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गंगा सिंह यादव, श्री
गणेशदत्त बाजपेयी, श्री
गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती

गिरजा शंकर तिवारी, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गोपालदत्त ओझा, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोस्वामी राधा कृष्ण, श्री
घासीराम जटाव, श्री
चंचल सिंह गिल, सरदार, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रनारायण सिंह, श्री
चन्द्रपाल आजाद, श्री
चन्द्र प्रताप नारायण सिंह, कुंवर
चन्द्रभान शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तर सिंह, राजा
चिरंजीलाल, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छांगुरराम, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर यादव, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर (उर्फ डा० मन्ना)
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगरनाथ, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराम यादव, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
डूंगर सिंह विष्ट, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेज नारायण त्रिवेदी, श्री
तेजपाल सिंह "कृष्ण", श्री
तेज बहादुर गंगवार, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोक चन्द, श्री
त्रिवेणी राय, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री (जिला गोंडा)
दल सिंगार यादव, श्री
दीपनारायण बन, श्री
दीपनारायण मणि त्रिपाठी, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
नत्था राम रावत, श्री
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीम उद्दीन सिद्दीकी, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निहाला सिंह, श्री
नैनसिंह, श्री
नैपाल सिंह, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्नालाल गुप्त, श्री
परमाईलाल, श्री
पारसनाथ सिंह, श्री
पूरनचन्द श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारेलाल, श्री
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण तिवारी, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेमनारायण अहेरवार, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंश गोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बदन सिंह यादव, श्री

बद्री प्रसाद, श्री
बनारसी राम, श्री
बब्बन सिंह श्री
बलराम सिंह यादव, श्री
बलबीर सिंह, श्री
बसन्त लाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्तलाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्त लाल शर्मा, श्री
बांकेलाल श्री
बिशन लाल यादव, श्री
बिहारीलाल, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
ब्रजराज सिंह, श्री
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगवती प्रसाद, शुक्ल, श्री
भगवती सिंह, श्री
भगौती, श्री
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)
भाभी यादव, श्री
भारतसिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मदन मोहन मिश्र, श्री
मनफूलसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मनोहरलाल, श्री
मन्जूर अहमद, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद अली खां, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महराम सिंह, श्री
महातम प्रसाद तिवारी, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महावीर सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
महावीर सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महीरज ध्वज सिंह, श्री
(उर्फ बाबू भैया)
महीलाल, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महेश्वरदत्त सिंह, श्री
माखन लाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
मानवती देवी, श्रीमती
मुन्शीलाल चमार, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुस्तफा कामिल किदवई, श्री
मुहम्मद नबी खां, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोतीलाल यादव, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला आगरा)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुवीर सिंह यादव, श्री
रणंजय सिंह, राजा
राजनाथ सिंह, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजाराम, श्री
राजितराम पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री
रामकरन यादव, श्री (जिला गाजीपुर)
रामकरन सिंह, श्री (जिला गोरखपुर)
राम किंकर, श्री
रामकिशोर शुक्ल, श्री
राम कुंवर सिंह, श्री
रामकुमार दीक्षित, श्री
राम कुमार शास्त्री, श्री
राम कृष्ण द्विवेदी, श्री
रामगोपाल संड, श्री
रामचरण, श्री (जिला आगरा)
रामचरण त्रिपाठी, श्री (जिला इलाहाबाद)
रामजियावन, श्री
रामजी लाल सहायक, डाक्टर
राम दुलारे, श्री
रामदेव, श्री

रामधारी शास्त्री, श्री
रामनिहोर, श्री
राम निहोर राय, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
रामप्यारे, श्री
रामप्यारे शुक्ला, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री (जिला आजमगढ़, रानी की सराय)
रामबचन यादव, श्री (जिला आजमगढ़, फूलपुर)
राममूर्ति 'अचल', श्री
राम रतन पाण्डेय, श्री
राम रतन, श्री
रामलखन सिंह, श्री
राम लगन दूबे, श्री
रामलाल, चतुर्वेदी, श्री
रामलाल भाई, श्री
राम विलास पाण्डेय, श्री
रामशिरोमणि दुबे, श्री
रामसिंह, श्री
राम सिंह खन्ना, श्री
रामसूरत सिंह, श्री
राम सेवक, श्री
राम हर्ष, श्री
राव अब्दुर्राफे खां, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूपराम, श्री
लक्ष्मणस्वरूप, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालसा, श्री
लालसा प्रसाद, श्री
लालू राम, श्री
लीलाधर, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेव सिंह वैद्य, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजयकुमार त्रिपाठी, राजा
विजयबहादुर सिंह, श्री
विजय शंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप भटनागर, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शफीक अहमद खां, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भू नाथ चौधरी, श्री
शम्भूनारायण सिंह, श्री
शान्ती चरन पिड़ारा, श्री
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिव कुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कुमार पांडेय, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिवदास, श्री
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिवबचन, श्री
शिव महेन्द्रसिंह, कुंवर (उर्फ शेरसिंह)
शिव राज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिव शंकर, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरूलाल, श्री
शेर अली खां, श्री
शेरसिंह दानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह, चौधरी
श्याम किशोर, डाक्टर
श्यामलाल कनौजिया, श्री
श्यामलाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छन्नू बाबू)
श्रीकृष्ण बाजपेयी, श्री
श्रीराम सिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
श्री सईद मुर्तजा, श्री

उत्तर प्रदेश विधानसभा

सच्चिदानन्द, श्री
सजीवन लाल, श्री
शतार अहमद अंसारी, श्री
सन्तराम, श्री
सरदार सिंह, श्री
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सूखबीर, श्री
सुखपाल पांडेय, श्री
सुखलाल कोरी, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूबेदार सिंह, श्री
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहन लाल धुसिया, श्री
सौभाग्यवती, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हसराज उर्फ हसा, श्री
हबीब अहमद, श्री
हबीबुर्रहमान, श्री
हमीदा हबीबुल्ला, बेगम
हरनारायण, श्री
हरबंश प्रसाद, श्री
हरि प्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश सहाय, श्री
हरिहर बख्श सिंह, राजा
हरीदत्त कान्डपाल श्री
हरी सिंह विष्ट, श्री
हलीमुद्दीन राहत मौलाई, श्री
हिम्मत सिंह श्री
हुक्म सिंह, श्री (जिला आगरा, पश्चिम)
हुकुम सिंह परिहार, श्री (जिला—आगरा) फतेहाबाद)
होती लाल अग्रवाल, श्री

नोट—सामुदायिक विकास मंत्री श्री बलदेव सिंह आर्य भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, ५ अगस्त, १९७१

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

[] क्रेश प्रोग्राम के अन्तर्गत स्याना, जिला बुलन्दशहर में सड़क निर्माण

**१—श्री मुमताज मोहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सामुदायिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र स्याना (जिला बुलन्दशहर) में बेरोजगारी दूर करने की योजना के अन्तर्गत क्रेश प्रोग्राम में वर्ष सन् १९७१-७२ में किसी सड़क का निर्माण नहीं किया जा रहा है जब कि उक्त क्षेत्र में सड़कों का अत्यन्त अभाव है और बेरोजगारी की भी गम्भीर समस्या है ? यदि यह सत्य है, तो एसा क्यों किया गया है ?

सामुदायिक विकास राज्य मंत्री (श्री गोपीनाथ दीक्षित)—

जी नहीं ।

जिला बुलन्दशहर के विकास क्षेत्र स्याना में स्याना बेरा फिरोजपुर मार्ग के १९७१-७२ में निर्माण का प्रस्ताव क्रैश प्रोग्राम के अन्तर्गत जिले से प्राप्त हो चुका है ।

श्री मुमताज मोहम्मद खां--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र स्याना में दो विकास खण्ड के हिस्से हैं। एक स्याना और दूसरा गंज डुंडवारा। गंज डुडवारा विकास खण्ड में कोई माग पक्का बनाया जा रहा है ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित---

मान्यवर, प्रश्न से संबंधित ब्लाक में दो किलोमीटर सड़क बनेगी और दूसरे किसी ब्लाक में जायगी या नहीं इसकी सूचना उपलब्ध नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष--

कल हो चुका है। एक प्रश्न और कर लें।

श्री मुमताज मोहम्मद खां--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो सड़क बनाई जा रही है उसकी किस आधार पर योजना बनाई गई है ?

श्री उपाध्यक्ष--

इस पर कल बात हो चुकी है। अब हम आगे चलते हैं।

श्री किशन लाल गुप्ता, पी० ए० ब्लाक सिद्धपुरा, जिला एटा की पुलिस द्वारा खोज

**२--श्री बदन सिंह यादव (जिला एटा), श्री गंगासिंह यादव (जिला एटा) तथा श्री तिरमल सिंह (जिला एटा)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि किशन लाल गुप्ता पी० ए० ब्लाक सिद्धपुरा, जिला एटा को सरकारी आदेशानुसार सर्वे करने के लिये तारीख १५ जून, १९७१ के लिये भेजा गया तथा तारीख १९ जून, १९७१ वापिसी की अंकित कर गये थे, लेकिन आज तक लौट कर वापिस नहीं आये और इस सम्बन्ध की रिपोर्ट स्थानीय क्षेत्र विकास अधिकारी द्वारा जिला अधिकारी को भेज दी गई है ? उस रिपोर्ट के आधार पर क्या कार्यवाही की गई अगर नहीं तो क्यों ?

नियोजन राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)--

जी हां।

रवानगी रजिस्टर में श्री किशनलाल गुप्ता ने दिनांक १८-६-७१ को १९ बजे लौटना अंकित किया था।

क्षेत्र विकास अधिकारी सिद्धपुरा की रिपोर्ट के आधार पर जिला अधिकारी, एटा स्थानीय पुलिस से सम्भावित छानबीन करा रहे हैं, लेकिन किसी परिणाम पर नहीं पहुंचे हैं। जिला अधिकारी ने उत्तर प्रदेश शासन, गृह विभाग से अनुरोध किया है कि श्री किशनलाल गुप्ता के खोज निकालने का कार्य स्थानीय पुलिस के अतिरिक्त राज्य के अपराध अनुसंधान विभाग, अपराध शाखा से करा दें।

श्री बदन सिंह यादव---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि १५ तारीख को वह किस समय ब्लाक से गये और उनको किन किन ग्रामों का निरीक्षण करने का आदेश दिया गया था ?

श्री ओम प्रकाश सिंह---

मान्यवर, रजिस्टर के अनुसार उनकी रवानगी १५-६-७१ को १२ बजे हुई है और पता चला है ग्राम सभा हिम्मत नगर बझड़ा, नगला बझेड़ा, नगला वाले, नगला पट तथा अन्य छोटे नगलों इत्यादि के सर्वेक्षण के लिये गये थे।

श्री बदन सिंह यादव—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि पुलिस इन गांवों में भी जांच पड़ताल के लिये गई ?

श्री उपाध्यक्ष—

फिस से प्रश्न दुहरा दें ।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—

उनका आशय है कि क्या पुलिस उन गांवों में जांच पड़ताल के लिये गई थी ?

श्री ओमप्रकाश सिंह—

जैसे ही पुलिस को रिपोर्ट की गई वह बराबर छानबीन कर रही है ।

श्री बदन सिंह यादव—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि पुलिस को सूचना कितने समय के बाद दी गई है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

बी० डी० ओ० ने पुलिस को लिखित रिपोर्ट २५-६-७१ को दी है ।

सिकन्दराबाद, जिला बुलन्दशहर में छोटी कार का कारखाना

**३—श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सिकन्दराबाद, जिला बुलन्दशहर में छोटी कार के कारखाने की योजना चल रही है ? यदि हां, तो क्या ३०० एकड़ जमीन इस कारखाने के लिये एक्वायर की जा रही है और किस रेट पर ?

उद्योग राज्य मंत्री (श्री देवकी नन्दन विभव)—

जी नहीं ।

श्री हिम्मत सिंह—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि बुलन्दशहर के सिकन्दराबाद आदि गांवों के आस पास ३०० एकड़ भूमि एक्वायर किये जाने के लिये बड़े जोरों से कागजात तैयार किये जा रहे हैं और बताया जाता है कि यहां पर छोटी कार का कारखाना लगेगा ? क्या यह सही है ?

श्री देवकीनन्दन विभव—

जी हां, पहले यह विचार किया गया था और उसके लिये स्थान की खोजबीन भी हुई थी, लेकिन अभी पूरी तरह से उनका निश्चय हमारे पास नहीं आया है अतः हमने आगे कोई कार्यवाही नहीं की ।

श्री राजबहादुर चन्द (जिला बस्ती)—

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि इस कारखाने के लिये, जिसके लिये अभी किसी जमीन के बारे में निश्चय नहीं हुआ है, क्या उस कारखाने को माननीय मंत्री जी पूर्वी जिलों में लगवाने की कृपा करेंगे ?

श्री देवकीनन्दन विभव—

यह तो एक कारखाना प्राइवेट सेक्टर में लगाना चाहते थे । अगर वे पूर्वी जिलों में लगायेंगे तो उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं होगी बल्कि बड़ी खुशी होगी ।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

क्या उद्योग मंत्री जी यह बतायेंगे कि इस कारखाने को कौन सी पार्टी लगाने जा रही थी, जिसके लिये जमीन की खोजबीन की जा रही थी ?

श्री देवकी नन्दन विभव—

मेसर्स आटोमोबाइल्स प्रोडक्ट्स ने ऐसी इच्छा जाहिर की थी कि दिल्ली के आस-पास किसी भूमि में वह ऐसा कारखाना लगा सकते हैं।

श्री कृष्णानन्द राय—

श्रीमन्, मैंने स्पेसिफिक सवाल पूछा है कि उस पार्टी का नाम बताया जाय जो छोटी कार का कारखाना लगाने जा रही थी ?

श्री देवकीनन्दन विभव—

जी हां, आटोमोबाइल्स प्रोडक्ट्स कंपनी और छोटी कार प्रोजेक्ट जिसका लेटर आफ इन्डेन्ट श्री संजीव गांधी को मिला था, उन दोनों ने मिल कर इस प्रोजेक्ट को लगाने की इच्छा प्रकट की थी।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि उपरोक्त भूमि को इस आधार पर बुलन्दशहर में नहीं लिया जा रहा है क्योंकि मोहन ऐन्ड को०, ने गाजियाबाद में जमीन लेकर संजीव गांधी के कार के कारखाने को बनाने की सोची है ?

श्री देवकीनन्दन विभव—

यह तो कोई ऐसी बात नहीं है और छोड़ने का प्रश्न जहां तक है उसके बारे में यह है कि हमने कोई जमीन ली तो नहीं थी। हम तो सिर्फ यह देख रहे थे कि उस कारखाने को कहां लगाया जा सकता है।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—

क्या माननीय मंत्री जी को यह निश्चित रूप से जानकारी है कि यह कारखाना सिकन्दराबाद, जिला बुलन्दशहर में ही स्थापित किया जायगा ?

श्री देवकीनन्दन विभव—

ऐसा अभी तो कोई निश्चित नहीं हुआ।

श्री कृष्णानन्द राय—

हमको इस बात की दिलचस्पी है कि संजय गांधी जो कि प्राइम मिनिस्टर साहब के लड़के हैं और काफी क्षमता और योग्यता रखते हैं, हमारे प्रदेश में इंडस्ट्रीज नहीं हैं तो हम चाहते हैं कि संजय गांधी उस इंडस्ट्री को लगायें, तो जो लेटर आफ इन्डेन्ट उनको मिला था वह अभी एग्जिस्ट करता है या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष—

इसका जवाब वह नहीं दे सकते।

श्री हिम्मत सिंह—

बुलन्दशहर एक पिछड़ा हुआ जिला है। तो क्या माननीय मंत्री जी अपनी ओर से संजय गांधी को कोई चिट्ठी लिखेंगे कि वहीं यह कारखाना खोला जाय और ३०० एकड़ के करीब जमीन वहां उपलब्ध है ?

श्री देवकीनन्दन विभव—

कोशिश तो हमारी यही थी और अब भी है कि अगर वह कारखाना यहां लगायें तो हम जो भी सुविधायें उन्हें दे सकते हैं वह देने का प्रयत्न करेंगे परन्तु और भी बहुत से प्रदेश कोशिश कर रहे हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

यह जो जमीन का निरीक्षण करने के लिये तहसील के कर्मचारियों को लगाया गया यह भारत सरकार का कोई पत्र प्रदेशीय सरकार को प्राप्त हुआ था उसके बाद यह कार्यवाही शुरू हुई और फिर यह कार्यवाही समाप्त क्यों हुई ?

श्री देवकीनन्दन विभव—

भारत सरकार के पत्र का तो कोई प्रश्न है नहीं। वह तो जो भी कारखाना लगाता है हम कोशिश यह करते हैं कि हमारे प्रदेश में लगाये।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

इस बात को देखते हुये कि उद्योग मंत्रियों ने कई बार लिखा कि उद्योगपति इस ओर आकर्षित हों और पूंजीपतियों को एक ओर तो अच्छी जमीन नहीं मिलती और दूसरी सुविधायें नहीं मिलतीं और इस कारखाने के लिये संजय गांधी के साथ बहुत दिलचस्पी से सरकार ने कार्यक्रम बनाया तो क्या सरकार भविष्य में संजय गांधी के अनुरूप ही अगर कोई भी पूंजीपति कारखाना लगाने की बात करेगा तो उसको वही सुविधा दिया करेंगे ?

मुख्य मन्त्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

बहुत से उद्योगपतियों ने जिन्होंने दरख्वास्त दे रखी है भारत सरकार के पास लाइसेन्स के लिये और ऐसे जिन्होंने हमारे यहां दरख्वास्त दी है उद्योग लगाने के लिय तो हम इस बात की कोशिश करते रहे हैं कि वह उद्योग यहां लगायें और उसमें अपनी नीति के अनुसार जो भी सुविधा हम दे सकते हैं वह दें ताकि उत्तर प्रदेश का औद्योगीकरण हो सके और उद्योगों की संख्या बढ़ सके।

राष्ट्रीय सेना संचालक द्वारा कर्मचारियों का स्थानान्तरण

**४—श्री रामगोपाल सण्ड (जिला इलाहाबाद) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बतलाने का कष्ट करेगी कि राष्ट्रीय सेना संचालक (एन० सी० सी० डायरेक्टोरेट) महोदय ने किस आधार पर राज्य सरकार के तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के लगभग ५०० कर्मचारियों को अकारण ही उनके जिले अथवा डिवीजनों से बाहर हाल ही में स्थानान्तरित किया है ? क्या सरकार उन्हें शासनादेश संख्या १९८४/२—नियुक्ति (क) विभाग, दिनांक २३ फरवरी, १९७० के अनुसार उनके जिलों अथवा डिवीजनों में वापस भेजने का विचार कर रही है ?

शिक्षा मंत्री (डाक्टर रामजी लाल सहायक)—

जी नहीं। केवल २६९ कर्मचारियों का स्थानान्तरण किया गया है। उनमें से २० कर्मचारी ऐसे भी हैं जो इस प्रदेश के रहने वाले नहीं हैं। शेष कर्मचारियों का स्थानान्तरण नियुक्ति (क) विभाग के प्रश्नगत शासनादेश के अनुपालनार्थ ही किया गया है।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३८ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

हरनारायण इन्टर कालेज गंजडुंडवारा, जिला एटा के छात्रवृति के सरकारी धन का गबन

*१—श्री श्रीकृष्ण बाजपेयी (जिला कानपुर)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या हरनारायण इन्टर कालेज, गंजडुंडवारा, जिला एटा को जो सरकारी धन छात्रवृत्ति के रूप में दिया गया था उसमें करीब पन्द्रह हजार रुपया किसी गलत व्यक्ति ने प्रधानाचार्य की जगह हस्ताक्षर करके १९६६–६७ में निकाला है और छात्र-वृत्ति का २,५७६.४४ रुपया तथा छात्रधन का ५,०२४.५५ रुपया और बोर्ड सर्टीफिकेट कोष का २,०७६.०० जो फरवरी, १९६७ की रोकड़ बहियों में नगद रोकड़ बाकी के रूप में जमा था नये प्रधानाचार्य को चार्ज में नहीं दिया गया? यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या कार्य-वाही की है?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

जी हां, इन्टरमीडिएट एजूकेशन ऐक्ट की धारा १६-डी के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है।

श्री श्रीकृष्ण बाजपेयी—

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि इस प्रश्न में अंकित गड़बड़ियों के अतिरिक्त कोई और भी गड़बड़ियां और अनियमिततायें वहां पायी गयी हैं?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

रुपये पैसे की कई गड़बड़ियां हैं और एक यह कि जो पुराने प्रधानाचार्य चले गये और दूसरी जगह नौकरी कर ली उनको भी प्रधानाचार्य मानते रहे जो उससे रुपया निकलवाते रहे।

श्री लक्ष्मण स्वरूप (जिला मेरठ)—

जिस शख्स ने यह रुपये का गबन किया था उसको किस तारीख में अरेस्ट किया गया और शिक्षा विभाग ने उसके खिलाफ क्या कार्यवाही करने के लिये जिलाधिकारी को लिखा?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

इनके अरेस्ट करने की तिथि के लिये तो सूचना की आवश्यकता होगी। विभाग की ओर से जो जिला विद्यालय निरीक्षक हैं उन्होंने कार्यवाही की है और अभी यह कार्यवाही जारी है। आगे कुछ और पाया जाता है जो हमारे यहां प्रशासक नियुक्त करने का प्राविधान है वह किया जायगा।

श्री श्रीकृष्ण बाजपेयी—

क्या शिक्षा मन्त्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि वहां पर जिला विद्यालय निरीक्षक ने यह संस्तुति की थी कि वहां जो अनियमिततायें पाई गई हैं उनको देखते हुये वहां पर प्रशा-सक नियुक्त किया जाय तो क्या वहां पर प्रशासक नियुक्त किया जायगा?

श्री उपाध्यक्ष—

इसका उत्तर दे दिया गया।

श्री लक्ष्मण स्वरूप—

क्या शिक्षा मंत्री जी बतायेंगे कि जिन विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति का रुपया गबन हुआ है उन विद्यार्थियों को सरकार अपनी तरफ से या प्रबन्धक की तरफ से रुपया दिलाया जायगा?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

जब प्रशासक नियुक्त हो जायगा तो उसके बाद वह सब कार्यवाही करेगा।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि जिन्होंने प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर करके रुपया लिया उनका क्या नाम है और क्या वे मैनेजिंग कमेटी के सदस्य हैं और प्रधानाचार्य के नोटिस में यह बात कब आई ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

इस समय जो प्रधानाचार्य थे उनका नाम भगवती प्रसाद गुप्त है और यह उनकी नालिज में २८-२-१९६७ को आया लेकिन उन्होंने कोई शिकायत नहीं की। यह आश्चर्य की बात है।

*२-३—श्री इन्द्र लाल—

[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर ५वें बृहस्पतिवार के लिये स्थगित]

फर्रुखाबाद जिला परिषद् के अध्यापकों की वेतनवृद्धि का बकाया

*४—श्री महराम सिंह (जिला फर्रुखाबाद) (अनुपस्थित)—

क्या शिक्षा मंत्री को यह जानकारी है कि फर्रुखाबाद जिला परिषद् के अध्यापकों की वेतन वृद्धि ,आदि का एरियर दो वर्ष से अधिक का बकाया है ? यदि हां, तो कितने अध्यापकों का और क्यों ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

अधीनस्थ अध्यापकों को जुलाई, १९६९ में वाजिब समस्त वेतन वृद्धियां स्वीकार करके भुगतान कर दी हैं। जून, १९७० में वाजिब वेतन वृद्धियों को भी शीघ्र स्वीकार कर के भुगतान किये जाने का प्रयत्न हो रहा है।

कितने अध्यापकों के मामले हैं, इसकी जानकारी के लिये आंकड़े तैयार किये जा रहे हैं।

स्थानीय निकायों के अन्तर्गत संचालित शिक्षण संस्थाओं के अध्यापकों के वेतन वितरण का काम

*५—श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़) (अनुपस्थित)—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या अतिरिक्त शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के पत्र संख्या १७४३८/५००/१४-६-(८३), दिनांक ३० मार्च, १९७१ द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षकों को यह निर्देश प्रेषित किये गये हैं कि स्थानीय निकायों द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं के अध्यापकों के वेतन वितरण का क्रम पूर्ववत् ही रहेगा और संस्थाओं के प्रबन्धाधिकरण को उत्तर प्रदेश हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट कालेज (अध्यापक तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन क्रम का भुगतान) अध्यादेश, १९७१ की धारा ५(१) के अन्तर्गत किसी अनुसूचित बैंक में सहखाता को खोलने की अनुमति नहीं दी जायेगी ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

जी हां।

स्थानीय निकाय अर्द्ध-राजकीय संस्थायें हैं अतः उन पर अध्यादेश के प्राविधानों को लागू करना आवश्यक नहीं समझा गया।

*६—श्री कल्याण सिंह (अनुपस्थित)—

क्या सरकार अतिरिक्त शिक्षा निदेशक के उपरोक्त पत्र के निर्देश को निरस्त करके स्थानीय संस्थाओं द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं के अध्यापकों तथा कर्मचारियों को बैंक द्वारा वेतन प्रदान करने की प्रणाली लागू करने हेतु उक्त संस्थाओं के प्रबन्धाधिकरण को अनुसूचित बैंक में खाता खोलने की अनुमति देने के प्रश्न पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो अनुमति कब तक दे दी जायेगी और यदि नहीं तो क्यों ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

जी नहीं।

अर्द्ध राजकीय प्रबन्धाधिकरणों पर अध्यादेश के प्राविधान लागू करना अपेक्षित नहीं है।

मुरादाबाद जिले को औद्योगिक ऋण

*७—श्री नौनिहाल सिंह (जिला मुरादाबाद)—

क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मुरादाबाद जिले में १ जनवरी, १९६८ से ३१ मार्च, १९७१ तक उद्योगों के लिये कितने लोगों को कितना धन किस-किस उद्योग के लिये कर्जा दिया गया ?

श्री देवकी नन्दन विभव—

मुरादाबाद जिले में १ जनवरी, १९६८ से ३१ मार्च, १९७१ तक १५ इकाइयों को कुल ४,५१,५०० रुपये औद्योगिक ऋण दिया गया था जिसका विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ११२८ पर)

श्री नौनिहाल सिंह—

क्या उद्योग मन्त्री जी बतायेंगे कि यह जो ऋण दिया गया था इसकी विभाग से जांच करा ली गई थी या नहीं कि इसका पूर्ण रूप से प्रयोग कर लिया गया है या दूसरे काम में लगा दिया गया ?

श्री देवकीनन्दन विभव—

जी हां, यह जांच करा ली गई थी और इसमें केवल एक को छोड़कर बाकी सभी का काम चालू हो गया है।

श्री नौनिहाल सिंह—

वह कौन हैं जिन्होंने अपना उद्योग चालू नहीं किया है ?

श्री देवकीनन्दन विभव—

मेसर्स जरी उद्योग समिति है।

श्री रामकुमार शास्त्री—

क्या मन्त्री महोदय बतलायेंगे कि वे कौन-कौन उद्योग हैं जिनको यह सहायता दी जाती है ?

श्री देवकीनन्दन विभव—

उनमें एक हैं श्रीमती उर्मिला देवी माहेश्वरी जिनको आर० सी० सी० फैक्टरी के लिये ४० हजार रुपया दिया गया है। एक हैं मनहार इनसेक्टीसाइड जिनको ७३ हजार रुपया दिया गया है। एक हैं जौहर सर्जिकल उद्योग जिनको २६ हजार रुपया दिया गया है। एक हैं हिन्द ब्रदर्स इंडस्ट्रीज जिनको ४२ हजार रुपया दिया गया है। इसी तरह से ये हैं।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो रुपया इनको दिया गया उसकी जांच कर ली गई थी परन्तु यह यूटिलाइज हो गया है इसकी जांच किस तारीख को की गई थी ?

श्री देवकी नन्दन विभव—

अलग-अलग तारीखों पर उनकी जांच की गई है और यह तो विस्तार का प्रश्न है।

श्री नौनिहाल सिंह—

प्रश्न तो पूरी जानकारी के लिये किया जा रहा है, उत्तर में केवल नाम तो दिये गये लेकिन उनके बारे में पता कुछ नहीं है ताकि जानकारी हो सके कि उनके द्वारा उद्योग लगाये गये या नहीं।

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो आप जिले में पता लगा सकते हैं।

श्री महीलाल—

क्या प्रश्नकर्ता की शंका को दूर करने के लिये मन्त्री जी पुनः जानकारी करायेंगे कि यह रुपया जिन उद्योगों के लिये लिया गया था उसमें से अधिकतर कर्ज लेने वालों ने उस को ठीक से खर्च नहीं किया ?

श्री देवकी नन्दन विभव—

ऐसी सूचना मेरे पास नहीं है, हमारी सूचना यह है कि एक के सिवा अन्य सब की स्थापना हो गई है और कारखाने लग गये हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह था कि क्या माननीय सदस्य के पुनः आग्रह करने पर फिर से जांच कराई जायगी अथवा नहीं ?

श्री देवकी नन्दन विभव—

किसी विशेष उद्योग के विषय में यदि शंका है तो अवश्य जांच, लिख कर देंगे तो करा लेंगे।

श्री रियासत हुसैन—

मेरी निश्चित सूचना है कि मौके पर कोई जांच हुई ही नहीं और मन्त्री जी के पास जो कुछ भी यह सूचना है वह जिला इंडस्ट्रीज आफिस से फर्जी भेजी गई है, मेरी इस बात को सही मानकर मन्त्री जी इसकी क्या पुनः जांच करायेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

इसका उत्तर दिया तो गया कि करायेंगे।

श्री नौनिहाल सिंह—

इनमें से कुछ यूनिट्स ऐसे भी हैं कि जो पहले से लगे हुये थे और उनको लगाने के नाम पर कर्जा लिया गया और उसको घर रख लिया गया, क्या इस की जानकारी मन्त्री जी को है ?

श्री देवकी नन्दन विभव—

अगर ऐसी कोई सूचना है तो सब की जांच करा लेंगे।

श्री महीलाल—

यदि मन्त्री जी से माननीय सदस्य अपनी जानकारी देकर दोबारा जांच कराने को कहते हैं तो मन्त्री जी कहते हैं कि लिखकर देंगे तो जांच करा ली जायगी। तो क्या यहां माननीय सदस्य जो कहते हैं उस पर उन का विश्वास नहीं है ?

श्री उपाध्यक्ष—

यहां जो सूचना दी जाती है उसके आधार पर भी पुनः जांच की बात हो सकती है।

श्री महीलाल—

मन्त्री जी ने कहा कि लिखकर देंगे तो जांच करा लेंगे लेकिन वह उनकी सहायता के लिये होगा लेकिन यहां जो कहा जा रहा है क्या उस पर कोई कार्यवाही हो सकती है ?

श्री देवकी नन्दन विभव—

माननीय सदस्य चाहते हैं तो सभी की जांच करा लेंगे।

श्री हबीबुर्रहमान (जिला आजमगढ़)—

क्या उद्योग मन्त्री जी को मालूम है कि प्रदेश में छोटे उद्योग लगाने के लिये जहां भी कर्जा लिया गया उसमें से ७५ प्रतिशत कर्जा इन उद्योगों में लगाने के लिये इस्तेमाल नहीं हुआ और न वह कर्ज ठीक से वसूल हो रहा है, इसी वजह से प्रदेश छोटे उद्योगों में पीछे जा रहा है तो क्या मन्त्री जी इस के लिये कोई जांच कमेटी बिठायेंगे या किसी और जरिये से जांच करायेंगे कि सूबे में जो कर्जा दिया गया है छोटे उद्योगों के लिये उसका सही इस्तेमाल हुआ है या नहीं ?

श्री देवकी नन्दन विभव—

इतने प्रतिशत की बात तो मैं नहीं कह सकता लेकिन यह सही है कि कुछ लोगों ने कर्ज लिया है और उस काम में वह नहीं लगाया गया है। जैसे ही इस तरह के गलत इस्तेमाल का पता लगता है उस रकम को एकमुश्त वसूल करने का प्रयत्न किया जाता है।

श्री ए० सी० ग्राइस (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)—

मैं मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि कानपुर में जो छोटे उद्योग खोले गये थे उनमें से १०० में से ९९ बोगस थे तो क्या वह कोई कमेटी बिठायेंगे और उसमें जो लोग उद्योग में दिलचस्पी लेते हैं उनको रखेंगे ताकि वह देख सकें कि जो रुपया दिया जाता है वह ठीक से खर्च हो ?

श्री देवकी नन्दन विभव—

जांच कराने से तो लाभ होगा लेकिन कमेटी सारे सूबे की जांच कैसे कर सकेगी ?

श्री शिवराज सिंह (जिला बदायूं)—

क्या मन्त्री जी यह आश्वासन सदन को दे सकेंगे कि अब तक जिन इकाइयों की स्थापना हो गई है क्या उनमें उत्पादन आरम्भ हो गया है ?

श्री देवकी नन्दन विभव--

यह तो है कि वह कारखाने लग गए हैं और उत्पादन भी हो रहा है, लेकिन अब उसकी और विस्तार की सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)--

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्न का नोटिस देने के बाद क्या उन्होंने जिलों से यह जानकारी कराई कि जिनको ऋण दिया गया है उनकी फैक्टरी पहले से बनी हुई थी और यूटीलाइजेशन सर्टीफिकेट वैसे ही दे दिया गया है पिछली फैक्टरियों के आधार पर ?

श्री देवकी नन्दन विभव--

श्रीमन्, ऐसी तो कोई सूचना मेरे पास नहीं है कि पहले से फैक्ट्री लगी हुई थी।

श्री हिम्मत सिंह--

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन लोगों को कर्जा दिया गया है मुरादाबाद में, क्या आपने तीन महीने के अन्दर उनका यूटीलाइजेशन सर्टीफिकेट मंगा लिया है ?

श्री देवकी नन्दन विभव--

यूटीलाइजेशन हुआ है उसकी तो सूचना है, एक को छोड़कर और सब में रुपये का उपयोग हुआ है।

श्री नौनिहाल सिंह--

जैसा कि अभी मन्त्री जी ने बताया कि जरी उद्योग सहकारी समिति के ऋण का उपयोग नहीं हुआ है, तो क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने उसको वापस लेने की कार्यवाही की या नहीं ?

श्री देवकी नन्दन विभव--

उनसे कहा गया है कि जल्दी उपयोग करें। अगर जल्दी नहीं हुआ तो जरूर उनसे वापस लिया जायगा।

उत्तर प्रदेश में कान्स्टेबिल पद से पदोन्नत अनुसूचित जाति के डी० वाई० एस० पी०

*८--श्री मुंशी लाल चमार (जिला मैनपुरी)--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में कितने डी० वाई० एस० पी० हैं उनमें से कितने कान्स्टेबिल पद से पदोन्नति करके आये हैं उनमें अनुसूचित जाति और सामान्य अलग-अलग कितने हैं ?

नियोजन उप मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा)--

उत्तर प्रदेश में कुल ४७५ पुलिस उपाधीक्षक हैं। इनमें से १८ कांस्टेबिल के पद से प्रोन्नत होकर आये हैं जिनमें एक भी अनुसूचित जाति का नहीं है। वैसे कुल संख्या २० पुलिस उपाधीक्षक अनुसूचित जाति के हैं तथा बाकी ४५५ सामान्य।

श्री मुंशी लाल चमार--

श्रीमन्, मन्त्री जी ने बताया कि १८ कांस्टेबिलों से पदोन्नति होकर आये हैं तो क्या वह बताने की कृपा करेंगे कि क्या कोई भी ऐसा शेड्यूल्ड कास्ट का नहीं था जिसे पदोन्नत करके डी० वाई० एस० पी० बनाया जा सकता ?

श्री ओम प्रकाश सिंह---

श्रीमन्, यह जो सरविसेज हैं इसमें जो काम्पीटीटिव एक्जामीनेशन से डायरेक्ट भरती होती है उसमें तो रिजरवेशन है लेकिन जो इंडायरेक्ट प्रोमोशन्स होते हैं उनमें रिजरवेशन का प्रश्न नहीं है।

श्री मही लाल---

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे और क्या इस बात की जांच करायेंगे कि अनुसूचित जाति के पुलिस विभाग में ऐसे अनेक कर्मचारी हैं जिन्हें वीरता पदक और राष्ट्रपति पदक दो-दो तीन-तीन बार मिले हैं और २०-२० वर्ष की सर्विस है, लेकिन फिर भी उनकी पदोन्नति नहीं की गई है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

यदि ऐसी कोई सूचना हो तो आप दे दें, मैं जांच करा लूंगा कि कौन से ऐसे आदमी हैं जिन्हें राष्ट्रपति पदक मिला और योग्य थे और जिनकी पदोन्नति हो सकती थी फिर भी नहीं की गई।

श्री जगदम्बा प्रसाद (जिला फैजाबाद)---

श्रीमन्, मन्त्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि जो डायरेक्ट चुनाव होता है उसमें रिजर्वेशन होता है और जो कांस्टेबिल से पदोन्नति की जाती है उसमें रिजर्वेशन नहीं होता बल्कि व्यक्तिगत कार्य के आधार पर किया जाता है, तो क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ये पदोन्नति इसी आधार पर की गई हैं या इसमें जाति का भी कोई आधार रहा है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

माननीय सदस्य का प्रश्न समझ में नहीं आया। अगर माननीय सदस्य का मतलब यह है कि हरिजनों के अलावा जो ४४० जातियां हैं उन सभी की पदोन्नति उस आधार पर की जाये तो वह तो सम्भव नहीं हो सकता है।

श्री कल्याण सिंह---

क्या मुख्य मन्त्री जी यह देखते हुये कि शेड्यूल्ड कास्ट्स का जो १८ प्रतिशत कोटा सरकारी नौकरियों में निर्धारित किया गया है वह भी पूरा नहीं हो पाता है, पदोन्नति के लिए भी कोटा निर्धारित करेंगे ?

श्री ओम प्रकाश सिंह---

डायरेक्ट सर्विसेज के लिए जो हरिजनों का कोटा निर्धारित है उसको सन् १९६९ से पूरा करने के लिए सरकार बराबर प्रयत्नशील है और वह पूरा हो जायेगा।

श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)---

जब डायरेक्टर रेक्रूटमेंट के लिए अनुसूचित जातियों के लिए कोटा निर्धारित किया गया है तब फिर प्रोमोशन्स के लिए क्यों नहीं निर्धारित किया जाता है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

डायरेक्ट रेक्रूटमेंट चुनाव से होता है और योग्यता और अयोग्यता का निर्णय चुनाव के समय में हो जाता है। प्रतियोगितात्मक परीक्षा होती है और उसमें अनुसूचित जातियों के लिए रिजर्वेशन होता है। अगर कोई योग्य व्यक्ति नहीं मिलता है तो उस जगह को खाली रखते हैं। जहां तक डिपार्टमेंटल प्रोमोशन्स का ताल्लुक है उसके लिए नियम बने हुए हैं।

प्रोमोशन्स सीनियारिटी के हिसाब से, योग्यता के हिसाब से और चरित्र पंजिका के हिसाब से होते हैं। ऐसी स्थिति में प्रोमोशन के लिए कोई रिजर्वेशन करना मुमकिन नहीं है।

श्री रियासत हुसैन--

क्या उन १८ आदमियों में शेड्यूल्ड कास्ट्स के लोग भी हैं जो कि सिपाही के पद से प्रोमोशन पा कर डी० एस० पी० हो गये हैं? क्या शेड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों को कम्पीटीशन में शामिल किया गया था और अगर शामिल किया गया था तो उनमें से कोई योग्य पाया गया था या नहीं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी। पब्लिक सर्विस कमीशन से भी सूचना मंगाई जायेगी कि कितने आदमियों ने एप्लीकेशन दी और उनमें से कितने शेड्यूल्ड कास्ट्स के थे। तभी कुछ बताया जा सकता है।

श्री मुंशी लाल चमार--

सर्वश्री किशनलाल मगन, चन्द्र भान सिंह और परवेंद्र सिंह, सब इंसपेक्टर्स राष्ट्रपति पदक प्राप्त किये हुए हैं। राष्ट्रपति पदक प्राप्त होने से यह जाहिर होता है कि उनकी चरित्र पंजिका भी अच्छी होगी। क्या मुख्य मन्त्री जी उनको डी० एस० पी० बनाने की कृपा करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष--

इस प्रश्न का उत्तर दिया जा चुका है।

श्री मही लाल--

गृह मन्त्री, भारत सरकार, स्वर्गीय पन्त जी ने यह निर्णय लिया था कि सर्विसेज में प्रोमोशन के लिए भी रिजर्वेशन किया जा सकता है और माननीय जगजीवन राम, रेलवे मिनिस्टर ने रेलवेज में प्रोमोशन के लिए भी रिजर्वेशन कर दिया और वह आज भी है। उस प्रोमोशन को कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में चेलेंज किया और सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार का वह निर्णय वैध करार दिया।

श्री उपाध्यक्ष--

यह तो केन्द्र से सम्बन्धित है, यह प्रश्न यहां नहीं उठ सकता है।

श्री मही लाल--

क्या मुख्य मन्त्री जी इस बात की जानकारी प्राप्त करने का कष्ट करेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

इसमें कष्ट करने की जरूरत नहीं है, इसकी जानकारी मुझको है। मैं जानता हूं और मैं आपको यह भी बता दूं कि हमारी सरकार की यह नीति है कि जिस प्रकार से अनुसूचित जातियों के लिए डायरेक्ट रेक्रूटमेंट के लिए रिजर्वेशन है वैसे ही प्रोमोशन में भी रिजर्वेशन क्यों न कर दिया जाये। इस पर हम विचार कर रहे हैं और शीघ्र ही फैसला हो जायेगा।

राजकीय कन्या दीक्षा विद्यालय, सीतापुर की अध्यापिकाओं की सेवा पंजिकायें अपूर्ण

*९—श्री रामलाल राही (जिला सीतापुर)—

क्या शिक्षा मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि राजकीय कन्या दीक्षा विद्यालय, सीतापुर की कुछ अध्यापिकाओं की सेवा पंजिकायें गायब हैं अथवा अपूर्ण पड़ी हैं और इसकी वजह से उन्हें नियमित तौर से वेतन भत्ता व अन्य मुनासिब सुविधायें नहीं दी जा रही हैं ? यदि हां, तो सरकार इस कार्य को पूरा करने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

जी हां। केवल ३ अध्यापिकाओं की सेवा पंजिकायें अपूर्ण हैं। सम्बन्धित अधिकारियों के पास पूर्ण कराने हेतु सेवा पंजिकायें भेजी गई हैं।

श्री रामलाल राही—

शिक्षा मंत्रीजी बतलायेंगे कि वह कौन-कौन सी अध्यापिकायें हैं जिनकी सेवा पंजिकायें अपूर्ण हैं और उसके क्या कारण है ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

तीन अध्यापिकाओं की सेवा पंजिकायें अपूर्ण हैं। जिनके नाम निम्नलिखित हैं :—

(१) श्रीमती गायत्री मित्रा, सहायक अध्यापिका, (एच० टी० सी० ग्रेड)।
(२) श्रीमती गुलदेवी, सहायक अध्यापिका, (एच० टी० सी० ग्रेड)।
(३) श्रीमती एस० डी० पाठक, सहायक अध्यापिका, (जे० टी० सी० ग्रेड)।

इन अध्यापिकाओं के कई जगह ट्रान्सफर्स हुए। उन सभी जगह सेवा पंजिकायें भेजी गईं। इस कारण देरी हो गई है।

श्री रामलाल राही—

मैंने अभी एक ही प्रश्न किया है।

श्री उपाध्यक्ष—

फिर पूछ लीजियेगा।

श्री रामलाल राही—

मेरे साथ यह ज्यादती होती है कि केवल एक ही सप्लीमेन्ट्री करने की इजाजत दी जाती है।

श्री उपाध्यक्ष—

ऐसी बात नहीं है।

श्री विश्वनाथ कपूर—

व्यवस्था का प्रश्न है। कल भी शासक दल के लोग ही उठ रहे थे और आज भी वैसा ही कर रहे हैं।

जौनपुर जनपद के इन्टर कालेजों के अध्यापकों का बकाया वेतन

*१०—श्री राम देव (जिला प्रतापगढ़)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जौनपुर जनपद के अन्तर्गत सार्वजनिक इन्टर कालेज हिन्दू इन्टर कालेज, मुगराबाद शाहपुर तथा राष्ट्रीय इन्टर कालेज, सुजानगंज के अध्यापकों का वेतन १९६० ई० से आज तक कितना बाकी है ? क्या इन अध्यापकों के वेतन के लिये सरकार कोई अनुदान तत्काल देने की व्यवस्था करेगी ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

लगभग ५९,००० रु० बकाया है । तत्काल कोई अनुदान देना संभव नहीं है ।

श्री राम देव—

क्या शिक्षा मंत्री जी बतलायेंगे कि तीन विद्यालयों में जो अवशेष वेतन है अध्यापकों के, तो वह अलग-अलग कौन से सत्रों के हैं और कौन महीनों के हैं ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

इस जनपद के अन्तर्गत सार्वजनिक इंटर कालेज, मुगराबादशाहपुर, जौनपुर, हिन्दू इन्टर कालेज, मुगराबादशाहपुर तथा राष्ट्रीय इंटर कालेज, सुजानगंज के अध्यापकों का वेतन सन् १९६० से आजतक निम्नवत बाकी है :

१—सार्वजनिक इंटर कालेज, मुगराबादशाहपुर, जौनपुर—

इस विद्यालय के अध्यापकों का वेतन अप्रैल १९६१ से अक्टूबर, १९७० तक प्रत्येक अध्यापक का कुछ न कुछ शेष है । इस प्रकार कुल बाकी वेतन ४०,४१५ रु० है ।

२—हिन्दू इंटर कालेज, मुगराबादशाहपुर, जौनपुर—

इस विद्यालय का फरवरी, १९७१ का अध्यापकों का वेतन देना बाकी है जो धनाभाव के कारण नहीं दिया गया । कुल धन १०,१८०.५४ रु० ।

३—राष्ट्रीय इंटर कालेज, सुजानगंज, जौनपुर—

इस विद्यालय के अध्यापकों का कुल ८,३३० रु० १९६० से आजतक का अवशेष है ।

श्री रामदेव—

क्या सरकार इन विद्यालयों को कोई अनुदान देगी जिससे यह अवशेष वेतन अध्यापकों को दे सकें ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

मान्यवर, अवशेष वेतन जिनको देना बाकी है उनको देने की जिम्मेदारी सरकार की नहीं है । हम इसके लिये अनुदान नहीं देंगे । यदि संस्था मांगेगी तो नियमानुसार देखा जायगा ।

श्री इन्द्रमणि (जिला टेहरी गढ़वाल)—

मंत्री जी ने कहा कि सरकार की यह जिम्मेदारी नहीं है तो अगर अध्यापक पर अन्याय हो रहा है तो क्या यह तर्कसंगत है कि सरकार कहे कि उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

इसमें अन्याय की बात नहीं आती है नियम का सवाल है । हम अनुदान नियमों के अनुसार ही देते हैं ।

श्री रामलाल राही—

व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष—

अभी नहीं ।

श्री रामलाल राही—

दूसरे सदस्यों के जो प्रश्न आते हैं तो आप कई-कई सप्लीमेन्ट्री करने की आज्ञा देते हैं। मैं बराबर ऐसा देखता चला आ रहा हूं परन्तु मुझे आज्ञा नहीं देते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

आपका सवाल ही ऐसा है कि जिसे स्वीकार नहीं करना चाहिये . . . (व्यवधान)

श्री रामलाल राही—

यह मेरे साथ ज्यादती हो रही है

श्री उपाध्यक्ष—

अगर आप यह कहेंगे तो मुझे सख्त कार्यवाही करनी पड़ेगी।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—

जौनपुर के जिन विद्यालयों के शिक्षकों का वेतन बाकी है उसे दिलाने के लिये सरकार की क्या नीति है ?

श्री उपाध्यक्ष—

उसका उत्तर मंत्री जी ने दे दिया है।

श्री लक्ष्मण स्वरूप—

जिन स्कूलों ने वेतन नहीं दिया है क्या सरकार वहां पर कोई प्रबन्धक की नियुक्ति करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

कुछ संस्थाओं द्वारा वेतन देना अवशेष रह गया है, इसमें प्रबन्धक की नियुक्ति का प्रश्न कहां आता है।

श्री त्रिवेणी सहाय—

यह देखते हुए कि सन् ६० से ५९ हजार रुपया बाकी है, तो क्या सरकार भविष्य में जो ग्रान्ट वह उन विद्यालयों को देगी उससे पहले अवशेष वेतन को दिलाने के आदेश देगी ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

मान्यवर, यह तो कठिन हो जायेगा। इसकी जिम्मेदारी हम कहां ले सकेंगे, हम तो अनुदान उनको दे देंगे।

श्री रामदेव—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि यह अनुदान क्यों अवशेष रह गया, इसके क्या कारण थे ? क्या अर्थ-व्यवस्था में गड़बड़ी थी ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

इसमें कुछ अनियमितताओं का जिक्र है। विद्यालयों को जो अनुदान दिया गया वह उन्होंने दूसरे कार्यों में खर्च कर लिया तथा कुछ शिक्षक आदि भी ज्यादा भर्ती कर लिये।

*११-१२—श्री सूरज लाल—

[निरस्त]

[दिनांक ५ अगस्त, १९७१ के लिय निर्धारित तारांकित प्रश्न]

सूती वस्त्र उद्योग के लिये नियुक्त बेज बोर्ड की सिफारिशें

*१—श्री राम गोपाल सण्ड (अनुपस्थित)—

क्या श्री मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सूती वस्त्र उद्योग के लिये नियुक्त दूसरे वेज बोर्ड की अधिकृत रिपोर्ट सरकार को मिल गई है ? सरकार ने उन सूती मिलों के विरुद्ध कौन-सा पग उठाया, जिन्होंने इस रिपोर्ट की शिफारिशें लागू नहीं की हैं ?

श्रम राज्य मंत्री (श्री गणेश दत्त बाजपेयी)—

जी हां ।

दो सूती मिलों ने वेतन मंडल की सिफारिशों के विरुद्ध रिट दायर करके स्थगन आदेश प्राप्त कर लिए हैं ।

सात सूती मिलें एक-एक सदस्यीय समिति द्वारा अशक्त मिलें घोषित की गई हैं । उस समिति की रिपोर्ट की शासन द्वारा समीक्षा की जा रही है ।

दो सूती मिलें बन्द पड़ी है ।

सात सूती मिलों को वेतन मंडल की सिफारिशों का पालन न करने पर 'कारण दिखाओ' नोटिस जारी किया गया है ।

शेष सूती मिलों ने अधिकांश सिफारिशें लागू कर दी हैं ।

*२—श्री राम गोपाल सण्ड—

[६ ठे मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या १६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

कानपुर की इकनामिक इन्टेलीजेन्स द्वारा छापे एवं गिरफ्तारियां

*३—श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की अनुकम्पा करेंगे कि १ जनवरी, १९७१ से २० अप्रैल, १९७१ तक प्रदेश सी ० आई ० डी ० की इकनामिक इन्टेलीजेन्स शाखा ने कानपुर के कितने उद्योगपति गिरफ्तार किये ?

गृह उप-मंत्री (श्री रामकृष्ण द्विवेदी)—

अपराध अनुसंधान विभाग की अर्थ विषयक अभिसूचना तथा अनुसंधान इकाई द्वारा कानपुर में उक्त अवधि में कोई भी उद्योगपति गिरफ्तार नहीं किया गया है ।

*४—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या मुख्य मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश सी ० आई ० डी ० की इकनामिक इन्टेलीजेन्स शाखा ने १ जनवरी, १९७१ से लेकर २ ० अप्रैल, १९७१ तक कितनी जगहों पर छापे मारे ?

श्री रामकृष्ण द्विवेदी—

इस इकाई द्वारा उक्त अवधि में लखनऊ, कानपुर तथा हाथरस में २७ व्यवसायिक अधिष्ठानों पर छापे मारे गये हैं ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर के किन उद्योगपतियों के यहां छापे मारे गये तथा उनके यहां से कौन-कौन से कागजात बरामद किये गये ?

श्री रामकृष्ण द्विवेदी—

छापे मारे गये लेकिन कोई गिरफ्तार नहीं हुआ । जो गिरफ्तार किये गये हैं वे भी जमानत पर छूट गये हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि कितने उद्योगपतियों के घरों पर छापे मारे गये ।

श्री रामकृष्ण द्विवेदी—

अधिष्ठानों की एक बड़ी सूची है । कहें तो पढ़ दूं ।

श्री कृष्णानन्द राय—

कानपुर में कितने स्थानों पर छापे मारे गये ?

श्री रामकृष्ण द्विवेदी—

१८ जगह पर ।

श्री ओम प्रकाश सिंह—

कानपुर के जो अधिष्ठान हैं उनके नाम इस प्रकार है: (१) राम लखन राठौर, बादशाही नाका, कानपुर । सरकारी ठेका आबकारी, बादशाही नाका, थाना कलेक्टरगंज, कानपुर । (२) श्री प्रकाशचन्द्र, पुत्र सीतला प्रसाद ११७/४०६ सी० ५ सर्वोदय नगर, कानपुर । मैसर्स प्रकाशचन्द्र आदि ११७/४०६ सी० ५ सर्वोदय नगर, कानपुर । (३) देवी प्रसाद, आर्यनगर, कानपुर । सरकारी ठेका आबकारी, आर्य नगर, कानपुर । (४) रामकुमार, सरकारी ठेका आबकारी, विजय नगर, कानपुर । सरकारी ठेका आबकारी, विजय नगर, कानपुर । (५) श्री हरस्वरूप, पुत्र माखन लाल, नि० ११९/५३ नसीराबाद, पु० स० सीसामऊ, कानपुर । मैसर्स हर स्वरूप पदम कुमार, बागला बिल्डिंग, नयागंज, कानपुर । (६) श्री गोविन्द राम, पुत्र लाला लक्ष्मनदास, निवासी साहूकारा, बरेली, पार्टनर गोविन्द राम राम लाल वर्मा । मैसर्स गोविन्द राम श्यामलाल, कमला बिल्डिंग, कानपुर, नयागंज, कानपुर । (७) रामस्वरूप, पुत्र शिवनारायन निवासी १६/३८, सिविल लाइंस, कानपुर । मैसर्स रामस्वरूप रघुवर दयाल, बागला बिल्डिंग, नयागंज जि०, कानपुर । (८) राधाकृष्ण खंडेलवाल, बागला बिल्डिंग, नयागंज, कानपुर । मैसर्स राधाकृष्ण खंडेलवाल, बागला बिल्डिंग, कानपुर । (९) सत्यनारायण भागचन्द्र, बागला बिल्डिंग, नयागंज, कानपुर । मेसर्स सत्य नारायण भागचन्द्र, बागला बिल्डिंग, नयागंज, कानपुर । (१०) छोटेलाल कत्थावाला फाटक, नयागंज, कानपुर । मैसर्स आनन्देश्वर, एन्ड कंपनी, कत्था वाला फाटक, नयागंज, कानपुर । (११) मोहन लाल आदि, कत्था वाला फाटक, नयागंज, कानपुर । मैसर्स मोहन लाल आदि, कत्था वाला फाटक, नयागंज, कानपुर । (१२) मैसर्स लक्ष्मी-नारायण बंशीधर, कत्थावाला फाटक, नयागंज, कानपुर । इनकी फर्म का भी यही पता है ।

श्री कृष्णानन्द राय—

बहुत हो गया । और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री ओम प्रकाश सिंह—

चार-पांच नाम रह गये हैं । कहिये उनको भी पढ़ दूं ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)---

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि छापा मारने के पेश्तर कोई प्रीलीमीनरी जांच करवाते हैं और जिन आदमियों के यहां छापे मारे उनके खिलाफ किस प्रकार की शिकायत थी ? दो प्रश्न अलग-अलग हैं ।

श्री ओम प्रकाश सिंह---

एक स्पेशल विंग सी ० आई ० डी ० में इस काम के लिए होता है । गवर्नमेंट को जो सूचना मिलती है उस सूचना को इस विंग को पास ओन कर देते हैं और उन्हीं तथ्यों पर वे छापा मारते हैं ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

मेरा प्रश्न यह था कि छापा मारने के पहले कोई प्राथमिक जांच करवाई जाती है और यदि हां, तो किस प्रकार से ?

श्री रामकृष्ण द्विवेदी---

जहां इस प्रकार की सूचनाएं मिलती हैं कि अफीम, गांजा या धोखे से टैक्स की चोरी या चोरबाजारी हो रही हो या कहीं नकली दवाइयों की बात हुई तो इस प्रकार से यदि विभिन्न प्रकार के अपराधों की जानकारी मिलती है तो हम छापे मारते हैं और छापे में कहीं गांजा प्राप्त हुआ है या कहीं जाली कागजात प्राप्त हुये हैं । जो बरामद हुये हैं उनकी गहराई से जांच हम करा रहे हैं । क्या-क्या बरामद हुये हैं, इसे यदि माननीय सदस्य जानना चाहेंगे तो उसकी भी सूचना हम दे देंगे ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम---

जो २७ छापे मारे गये हैं, उनमें से कितनों का चालान किया गया है ?

श्री ओमप्रकाश सिंह---

दो केसेज कोर्ट में लखनऊ के चले गये हैं, बाकी सबकी जांच हो रही है ।

श्री कल्पनाथ सिंह---

कानपुर में जो छापे मारे गये और जहां पर गांजा भी बरामद हुआ है तो उन लोगों को गिरफ्तार न करने का क्या कारण है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह---

मान्यवर, उन्हें गिरफ्तार किया गया है, किसी के साथ रियायत नहीं की गयी है, किन्तु वे अब जमानत पर रिहा हैं ।

श्री कल्पनाथ सिंह---

एक व्यवस्था का सवाल है । जब मैंने सवाल पूछा कि गिरफ्तार किया गया है, तो जो मूल उत्तर मिला---जितना मैंने समझा, उसमें कहा गया है कि नहीं किया गया है...

श्री उपाध्यक्ष---

कानपुर में नहीं किया गया है, लखनऊ वगैरह में किया गया है ।

श्री कल्पनाथ सिंह---

और जब अब व हयह पूछा गया कि कानपुर में गांजा या दूसरी चीजें बरामद हुई हैं, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है तो उसका क्या कारण है ? तो इसका जवाब आया कि गिरफ्तार किया गया था, लेकिन जमानत पर छूटे हुये हैं, तो आप देखें कि दोनों उत्तरों में से सरकार का कौन सा उत्तर सही है ?

श्री रामकृष्ण द्विवेदी---

दोनों उत्तर सही हैं। तथ्य की बात यह है कि जिन व्यक्तियों को यहां गिरफ्तार किया गया है, वे उद्योगपति की सीमा में नहीं आते हैं, उद्योगपति की परिभाषा में नहीं आते हैं। दो छोटी-छोटी दाल मिले हैं। मूल प्रश्न जो था उसमें उद्योगपति की गिरफ्तारी की बात की गयी है।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

उत्तर से सम्बन्धित, जितने छापे मारे गये हैं, वे सब साधारण व्यवसाइयों पर मारे गये हैं, तो वह उद्योगपतियों पर मारेंगे या नहीं ?

श्री रामकृष्ण द्विवेदी---

बड़े-बड़े उद्योगपतियों को भी यदि सूचना मिलेगी तो नहीं छोड़ा जायगा और छापे मारे जायेंगे और गिरफ्तारियां होंगी।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

मैंने पूछा था कि उद्योगपतियों के यहां भी मारेंगे और कब तक मारेंगे इसका जवाब नहीं आया है।

(उत्तर नहीं दिया गया)

श्री लक्ष्मण स्वरूप---

मन्त्री जी क्या बताने की कृपा करेंगे कि जो छापे मारे गये हैं, उनमें से कितने जनता के लोगों की शिकायतों के आधार पर और विभाग की जानकारी के आधार पर मारे गये ?

श्री रामकृष्ण द्विवेदी---

अभी बड़े उद्योगपति हमारी गिरफ्त में नहीं आये हैं।

श्री लक्ष्मण स्वरूप---

मान्यवर, मन्त्री जी ने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, दूसरे रूप में जवाब दे रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष---

जैसा केस होगा, उसके हिसाब से जवाब देंगे। आप यह नहीं कह सकते हैं कि इस तरह से जवाब दिया जाये।

श्री ओम प्रकाश सिंह---

इसके लिए तो बड़े डिटेल्ड रिपोर्ट की जरूरत होगी। यदि आप कहेंगे तो हम आगे बता सकेंगे।

श्री बंशीधर पांडेय---

उद्योगपति की परिभाषा क्या है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

उद्योगपति और व्यवसाय दो शब्द हैं। जवाब दिया गया है कि उद्योगपति पर नहीं व्यवसायी पर छापा मारा गया। व्यवसायी वह है जो दुकान वगरह करता है या इस तरह

की चीजें करता है, ठेका वगैरह का काम करता है। उद्योगपति वह हैं जिनकी बड़ी-बड़ी फैक्टरियां हैं, मिल ओनर्स हैं। उद्योग और व्यवसाय दो शब्द हैं ही। उद्योगपति वह होता है जो बड़े-बड़े मैन्युफैक्चर के काम में लगा हुआ है, व्यवसाय वह है जो कामर्शल डीलिंग से लगा हुआ है।

श्री बंशीधर पांडेय--

जैसा पंडित जी ने जवाब दिया कि यह परिभाषा है, तो क्या आपका अनुसंधान विभाग इस परिभाषा के अन्तर्गत अपनी कार्यवाही करता है, उद्योगपतियों के साथ कुछ दूसरा व्यवहार और व्यवसाइयों के साथ कुछ दूसरा व्यवहार ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

मान्यवर, यह व्यवहार की बात नहीं है जो यह विंग काम करता है उसके पास जो सूचना आती है उस के हिसाब से जांच-पड़ताल करता है। उसके लिए सरकार से भी आदेश होता है। जो सूचना उनके पास आयी, उसके हिसाब से काम किया है। व्यवसायियों के यहां की सूचना थी उस पर छापा मारा। जो कुछ काम हो सकता था उन्होंने किया।

श्री रियासत हुसैन--

जैसा मन्त्री जी ने बताया कि उद्योगपतियों पर कोई छापा नहीं लगाया, क्या उद्योगपतियों पर छापा लगाने से पहले माननीय मुख्य मंत्री इस इकनामिक इंटेलिजेंस शाखा को इस बात की पावर्स देंगे कि वह छापा मार कर स्वयं गिरफ्तार कर सकें और खुद उसके खिलाफ मुकदमा अदालत में भेज सकें ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

मान्यवर, उनको बहुत से अधिकार हैं ही। और जो और अधिकार चाहें दे दिया जाय, उस पर सरकार विचार करेगी।

श्री सुरेन्द्र विक्रम--

क्या माननीय मुख्य मन्त्री बतायेंगे कि जो इसमें पकड़े गये किस अवधि में व्यवसायियों के यहां छापा मारा और इस अवधि में उद्योगपतियों की अनियमितताओं की सूचना इकनामिक इन्टेलिजेंस डिपार्टमेंट को नहीं प्राप्त हुई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

कुछ समझ में बात आयी नहीं। फिर से कह दें।

श्री सुरेन्द्र विक्रम--

व्यवसायी उद्योगपति नहीं हैं क्या निश्चित कर दिया है सरकार ने ?

(उत्तर के लिए मुख्य मन्त्री जी को नहीं बुलाया गया।)

श्री हिम्मत सिंह--

माननीय मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिन २७ स्थानों पर छापा मारा गया कितने फैक्टरी वाले पकड़े गये, कितनों के खिलाफ फाइनल रिपोर्ट लगाने जा रहें हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

मान्यवर, गिरफ्तारियां सभी में हुई हैं। लेकिन कुछ तो कोर्ट में चले गये एक या दो। कितनों को छोड़ने जा रहे हैं, कितनों का फैसला करने वाले हैं, कितनों की क्या कार्यवाही करने वाले हैं इन सबकी न सूचना है न सूचना बतायी जा सकती है।

नोट--तारांकित प्रश्न संख्या ४ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

*५-६---श्री शम्भूनाथ चौधरी---

[निरस्त किये गये।]

संस्कृत विद्यालयों के अध्यापकों के लिये लाभत्रयी योजना

*७---श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लाभत्रयी योजना सहायता प्राप्त संस्कृत विद्यालयों के अध्यापकों के लिए लागू नहीं की गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

डाक्टर रामजी लाल सहायक---

जी हां, क्योंकि अधिकांश संस्कृत पाठशालाओं में कोई वेतन-क्रम निर्धारित नहीं है ।

*८---श्री शिवानन्द नौटियाल---

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उक्त शिक्षकों के सम्बन्ध में अभी तक वेतन-क्रम के निर्धारण के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी है ? यदि हां, तो क्यों ?

डाक्टर रामजी लाल सहायक---

इन शिक्षकों के वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में कार्यवाही जारी है ।

"प्रीवेन्शन आफ करप्शन ऐक्ट" के अधीन सरकारी कर्मचारियों के लिये अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति

*९---श्री दलसिंगार यादव (जिला आजमगढ़)---

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन को कोई आवेदन-पत्र १५ विधायकों के हस्ताक्षर से माह मार्च, सन् १९७१ में प्राप्त हुआ था, जिसमें यह निवेदन किया गया था कि सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मुकदमों की सुनवाई में अनावश्यक विलम्ब होने के आधार पर स्पेशल जज के अधिकार कानपुर जनपद की भांति लखनऊ जनपद में भी जिला सेशन जज, लखनऊ से स्थानान्तरित कर के किसी व कनिष्ट सेशन जज, लखनऊ को दे दिया जाय यदि हां, तो इसमें क्या कार्यवाही की गयी ?

न्याय राज्य मन्त्री (श्री यादवेन्द्र सिंह)---

जी हां, यह आवेदन पत्र शासन को फरवरी, १९७१ में प्राप्त हुआ था । इसके प्राप्त होने पर उच्च न्यायालय से अनुरोध किया गया था कि वह "प्रिवेन्शन आफ करप्शन ऐक्ट" के अन्तर्गत चलने वाले मुकदमों को करने के लिए लखनऊ में एक अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति करने पर विचार कर ले । उनका उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुआ है ।

*१०-११---श्री सुखपाल पाण्डेय, श्री राम करन सिंह तथा श्री सुरेन्द्र विक्रम---

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

*१२-१३---श्री महराम सिंह---

[६ठे मंगलवार में तारांकित प्रश्न सं० १४-१५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

अलीगढ़ में हुये दंगे से क्षति तथा सरकार द्वारा वितरित धनराशि

*१४---श्री कल्याण सिंह तथा श्री जगदीश गांधी (जिला अलीगढ़)---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मार्च, १९७१ में अलीगढ़ में हुये दंगे में कितने दंगा पीड़ितों ने कितनी-कितनी सम्पत्ति की क्षति का विवरण शासन को प्रस्तुत किया तथा उनमें से कितनों को कितनी धनराशि सरकार ने प्रदान की ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

मार्च, १९७१ में अलीगढ़ मे हुये दंगों के सम्बन्ध में ५१५ व्यक्तियों ने ६७,९८,१७८ रुपये की क्षति का विवरण प्रस्तुत किया जिनमें से ३४२ व्यक्तियों को ५,५५,०३८ रुपये की धनराशि वितरित की जा चुकी है।

आजमगढ़ के कन्धरापुर थाने के श्री अच्छे लाल गुप्ता की मृत्यु की जांच

*१५--श्री दल सिंगार यादव--

क्या मुख्य मन्त्री यह बतलायेंगे कि आजमगढ़ जिलान्तर्गत कन्धरापुर थाने के श्री अच्छे लाल गुप्ता को थानेदार साहब ने ता० २०-५-७१ को को प्रातः नौ बजे पुलिस भेजकर बुलाया। वहां से अच्छे लाल गुप्ता को गायब कर दिया गया? उनकी लाश दूसरे दिन २१-५-७१ को फैजाबाद जिलान्तर्गत बसखारी थाना के अन्तर्गत एक कुयें के अन्दर से प्राप्त हुई? यदि हां, तो क्या उसकी जांच तत्काल सी० आई० डी० द्वारा करायेंगे तथा पोस्ट मार्टम रिपोर्ट की एक प्रति सदन की मेज पर रखेंगे?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार आजमगढ़ जिला अन्तर्गत कन्धरापुर थाने के श्री अच्छे लाल गुप्ता को थानेदार द्वारा २०-५-७१ को बुलाकर गायब करने की बात निराधार है। यह सही है कि श्री अच्छे लाल गुप्ता की लाश दिनांक २१-५-७१ को फैजाबाद जिलान्तर्गत बसखारी थाना अन्तर्गत एक कुएं से प्राप्त हुई। इस मामले की जांच सी० आई० डी० को सौंप दी गयी है।

चूंकि जांच सी० आई० डी० को सौंप दी गयी है, अतः पोस्ट मार्टम रिपोर्ट की प्रति जन हित में सदन की मेज पर रखना उचित न होगा।

मन्त्री श्रमिक संघ, चीनी मिल, तुलसीपुर का प्रबन्धकों के विरुद्ध प्रार्थना-पत्र

*१६--श्री डी० पी० बोरा (जिला लखनऊ)--

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मन्त्री श्रमिक संघ चीनी मिल, तुलसीपुर द्वारा जिला अधिकारी गोंडा को तुलसीपुर चीनी मिल के प्रबन्धकों के विरुद्ध इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट ऐक्ट की धारा १४ तथा १५ के अन्तर्गत कोई प्रार्थना-पत्र कोई स्टैम्प सहित दिनांक १ जनवरी, १९७१ से १५ मार्च, १९७१ के तिथियों के बीच प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उक्त प्रार्थना-पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री गणेशदत्त बाजपेयी--

जी हां, २ मार्च, १९७१ को प्राप्त हुआ था।

शासकीय अधिसूचना दिनांक २७ नवम्बर, १९७० के अनुसार बढ़े हुये वेतन दर की भुगतान मिल ने दिसम्बर, १९७० से करना प्रारम्भ कर दिया था। वह वेतन दर १ नवम्बर, १९६९ से देय था। इसलिए मिल को १ नवम्बर, १९६९ से अक्टूबर, १९७०, तक का बकाया दो किस्तों में अर्थात् पहली किस्त दिसम्बर, १९७० तथा दूसरी किस्त फरवरी, १९७१ में देना था। किस्तों का भुगतान समय से न किये जाने पर मिल के नाम एक "कारण दिखाओ" नोटिस सहायक श्रम आयुक्त, गोरखपुर ने दिनांक १८ फरवरी, १९७१ को भेजा था। मिल ने मार्च के अन्तिम सप्ताह में दोनों किस्तों का भुगतान कर दिया। ऐसी अवस्था में मुकदमा चलाने की आवश्यकता नहीं समझी गयी।

गोंडा के तुलसीपुर थाने में पुलिस दस्तन्दाजी अपराधों की सूचना

*१७—श्री डी० पी० बोरा—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतलायेंगे कि जनपद गोंडा के तुलसीपुर थाने में १ मार्च, १९७० से ३० अप्रैल, १९७१ तक पुलिस दस्तन्दाजी अपराधों की कुल कितनी सूचनायें प्राप्त हुई हैं और उन पर अभी तक क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

गोंडा जिले के तुलसीपुर थाने में १ मार्च, १९७० से ३० अप्रैल, १९७१ तक पुलिस दस्तन्दाजी अपराधों की कुल ४६२ सूचनायें प्राप्त हुयीं। इन में से ३३७ अपराधों से सम्बन्धित मुकदमों की जांच की गयी। इन ३३७ मुकदमों में से जांच के बाद ६२ में चालान किया गया, १७७ में अन्तिम रिपोर्ट लगायी गयी, २९ खारिज हुए और ६९ में अभी जांच जारी है।

माध्यमिक शिक्षकों को हड़ताल की अवधि का वेतन भुगतान

*१८—श्री कल्याण सिंह—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायगे कि माध्यमिक शिक्षक संघ, उत्तर प्रदेश के आवाहन पर दिनांक २७ जनवरी, १९७१ से १८ फरवरी, १९७१ तक माध्यमिक शिक्षकों द्वारा हड़ताल की अवधि के वेतन का भुगतान दिनांक २५ मई, १९७१ तक अलीगढ़ जिले के किस-किस विद्यालय के अध्यापकों को नहीं किया गया है ? वेतन के भुगतान न करने के क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में सरकार क्या कर रही है ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

सूचना एकत्र की जा रही है।

उन्नाव में राजनीतिक पीड़ितों के पेंशन के लिये प्रार्थना-पत्र

*१९—श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव)—

क्या सरकार बतायेगी कि ४ जून, १९७१ को जिला अधिकारी उन्नाव के कार्यालय में राजनीतिक पीड़ितों के पेंशन प्राप्त करने हेतु कुल कितने प्रार्थना-पत्र विचाराधीन थे ? जिनमें जिलाधिकारी की रिपोर्ट अपेक्षित थी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

३१ प्रार्थना पत्र विचाराधीन थे।

जिला परिषद्, उन्नाव में संस्कृत तथा प्रशिक्षण मुक्त अध्यापकों के वेतन में कमी

*२०—श्री भगवती सिंह विशारद—

क्या सरकार बतायेगी कि जिला परिषद् उन्नाव के संस्कृत शिक्षकों तथा प्रशिक्षण से मुक्त किये गये अध्यापकों को दिये जाने वाले वेतन में मार्च, १९७१ से ५ रुपये प्रति मास की कमी करने के क्या कारण हैं ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

प्रदनगत अध्यापकों के वेतन में कोई कमी नहीं की गयी है।

जिला कानपुर के रसूलाबाद थाने की खाली जमीन में कंजर जाति के लिये मकान

*२१—चौधरी रामपालसिंह यादव (जिला कानपुर)—

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर जिले में रसूलाबाद पुलिस थाने के भवन एवं इस्तेमाल के अतिरिक्त कुल कितनी भूमि खाली एवं बेकार पड़ी है और क्या यह सही है कि उस बेकार पड़ी भूमि में कंजर जाति के लोग मुद्दतों से अपने झोपड़े बना कर रह रहे हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त भूमि पर कंजर जाति के लोगों को मकान बनाने के लिये आज्ञा प्रदान करेगी? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जिला कानपुर के थाना रसूलाबाद में इस समय थाने के भवन एवं इस्तेमाल के अतिरिक्त लगभग १२.२५ एकड़ भूमि खाली है तथा इस्तेमाल में नहीं है। यह सत्य है कि इस भूमि के कुछ भाग पर कंजर जाति के लोग अनधिकृत रूप से झोपड़ियां बनाकर रहे हैं। इस भूमि को देने के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचार किया जायेगा।

केरू शुगर मिल, शाहजहांपुर पर काश्तकारों का बकाया

*२२—श्री उमाशंकर शुक्ल (जिला शाहजहांपुर)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि केरू शुगर फैक्टरी, शाहजहांपुर पर काश्तकारों का चालीस लाख रुपया बकाया है? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त फैक्टरी के खिलाफ कोई सख्त कार्यवाही करेगी, जिससे कि काश्तकारों का रुपया शीघ्र वसूल हो सके?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

सर्वश्री केरू ऐंड कम्पनी, रोजा (जिला शाहजहांपुर) पर काश्तकारों का ३० जून, १९७१ तक का गन्ना मूल्य का बकाया सीजन १९६९-७० का रु० ५.७५ लाख तथा सीजन १९७०-७१ का रु० ३५.९३ लाख अर्थात् कुल रु० ४१.६८ लाख अवशेष था। उपरोक्त बकाया की वसूली के लिये वसूली प्रमाण-पत्र जारी किया गया था, किन्तु उच्च न्यायालय द्वारा भुगतान हेतु मासिक किश्त निर्धारित हो गई है।

उदयपुर गोलीकांड के लिये बेरी आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश की पी०ए०सी० को दोषी ठहराना

*२३—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या सरकार को यह रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि जयपुर (राजस्थान) में दिनांक ७ मार्च, १९६७ को हुई गोली काण्ड में उत्तर प्रदेश की पी० ए० सी० को बेरी आयोग ने दोषी ठहराया था? यदि हां, तो सरकार ने दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

राजस्थान सरकार द्वारा नियुक्त बेरी आयोग की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश पी० ए० सी० को जयपुर में ७ मार्च, १९६७ के गोली काण्ड में दोषी पाया गया था सरकार को यह रिपोर्ट प्राप्त हुई थी किन्तु इसकी जिन संस्तुतियों से इस सरकार का सम्बन्ध था उन पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने के उपरान्त किसी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं समझी गई।

थाना मुरादनगर, जिला मेरठ में रेवती प्रसाद की मोदी मिल की गाड़ी से मृत्यु की रिपोर्ट

*२४—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या सरकार को विदित है कि २७-२८ अप्रैल, १९७१ की रात को टैक्सी नं० २६९९ यू० एस० बी० से देहली के लिये जाते हुये रेवती प्रसाद का एक्सीडेंट हो जाने से सड़क पर आकर मोदीनगर के पास सड़क के किनारे खड़े होकर जब सड़क पर चलती हुई किसी गाड़ी को रोककर अस्पताल जाना चाहते थे, तो मोदी मिल की प्राइवेट गाड़ी डी० एल० जे० ६०८७ द्वारा देहली से मोदीनगर जाते हुये श्री रेवती प्रसाद को रौंदती हुई चली गई और रेवती प्रसाद की मृत्यु के बाद मोदीनगर की पुलिस ने मिल वालों से मिल कर लाश को छुपाकर जला दिया और मामले को दबा दिया गया? यदि हां, तो सरकार इस विषय में क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

प्राप्त सूचनाओं के अनुसार थाना मुरादनगर, जिला मेरठ में दिनांक २८ अप्रैल, १९७० को एक रिपोर्ट लिखाई गई कि दिनांक २७ अप्रैल, १९७० को करीब ११ बजे रात श्री रेवतीप्रसाद टैक्सी नं० २६९९ यू० एस० पी० में अन्य सवारियों सहित देहली की ओर जा रहे थे। मार्ग में ग्राम अब्बूपुर, कस्बा मुरादनगर के पास उक्त टैक्सी एक भैंसा बुग्गी के साथ भिड़ गई और उसमें बैठे सवारियों को चोटें आयीं। श्री रेवती प्रसाद ने टैक्सी से उतर कर मुरादनगर से आने वाली एक कार नं० डी० एल० जे० ६०८७ को रोकना चाहा ताकि उसमें बैठकर इलाज के लिये अस्पताल जा सकें। इस कार ने श्री रेवती प्रसाद को टक्कर मारी और उन्हें घसीटते हुए २०.२२ कदम ले गई जिससे उनकी मृत्यु हो गई।

इस रिपोर्ट के आधार पर धारा २७९/३०४-ए/३३७/ ४२७ भा० द० वि० के अन्तर्गत एक मुकदमा कायम हुआ। श्री रेवती प्रसाद के शव का पोस्ट मार्टम कराया गया और सम्बन्धित अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। विवेचना के उपरान्त इस मुकदमे में चार्जशीट लगाई गई और यह न्यायालय के विचाराधीन है।

कालविन कालेज, महमूदाबाद, सीतापुर के प्रधानाचार्य के कार्यकाल में छात्रवृत्ति परीक्षा आदि धन की चोरी

*२५—श्री रामलाल राही—

क्या शिक्षा मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि कालबिन कालिज, महमूदाबाद जिला सीतापुर के वर्तमान प्रधानाचार्य (प्रिंसिपल) के समय में इसी विद्यालय में सन् १९६७-६८ ई में तिजोरी का ताला तोड़कर चोरी की कथित घटना घटी थी जिसमें लगभग आठ-नौ हजार रुपया छात्रवृत्ति, मेंटीनेंस आदि का धन चोरी हुआ था तथा मुरादाबाद के जिला के बिलारी हायर सेकेन्डरी स्कूल में सन् ६४-६५ में आग लगने की कथित घटना घटी थी जिसमें काफी धन बरबाद हुआ था और महत्वपूर्ण कागजात जल गये थे। उस समय उपरोक्त कालेज के प्रधानाचार्य वहां पर कार्य कर रहे थे? यदि हां, तो सम्बन्धित मामलों की जांच कराने से सरकार किस नतीजे पर पहुंच पाई है?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

जी हां, कालविन कालेज, महमूदाबाद, जिला सीतापुर के वर्तमान प्रधानाचार्य के समय इस विद्यालय में १४–१५ अप्रैल, १९६८ की रात्रि में कथित घटना घटी थी जिसमें चोर रु० ५६०२.४५ जो छात्रवृत्ति, परीक्षा आदि का धन था ले गये थे। बिलारी हायर सेकेन्डरी स्कूल में वर्ष १९६४-६५ में उक्त प्रधानाचार्य के समय में कोई अग्निकांड की कथित

घटना नहीं घटी। अतः महत्वपूर्ण कागजात के जलने अथवा काफी धन बरबाद होने और सरकार द्वारा कोई कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता। कालविन कालेज, महमूदाबाद (सीतापुर) की चोरी की रिपोर्ट पुलिस में लिखाई गई परन्तु पुलिस द्वारा अन्तिम रिपोर्ट लगा दी गई।

*२६—श्री रामलाल राही—

क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि उक्त प्रधानाचार्य कृषक इण्टर कालेज, महौली में इससे पूर्व वाइस प्रिंसिपल थे और ट्रेंड नहीं थे और बाद में उन्नाव जिले से जिस समय प्रशिक्षण प्राप्त किये उस समय का वेतन कृषक इण्टर कालेज, महौली से नियम विरुद्ध प्राप्त करते रहे? यदि हां, तो सरकार क्या इस मामले की जांच कराकर उचित कार्यवाही करेगी?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

कालविन इण्टर कालेज, महमूदाबाद के वर्तमान उक्त प्रधानाचार्य इससे पूर्व कृषक इण्टर कालेज, महौली में प्रवक्ता थे और वे प्रशिक्षित नहीं थे। बाद में उन्होंने प्रशिक्षण डी० वी० एस० कालेज, कानपुर से वर्ष १९६३ में प्राप्त किया। प्रशिक्षण काल में उस समय का नियमानुसार उनको विद्यालय कमेटी ने अर्ध वेतन पर अवकाश स्वीकार किया और तदनसार वेतन का नियमानुसार भुगतान किया गया। अतः सरकार द्वारा किसी कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

बेरोजगारी उन्मूलन के लिये ग्रामीण निर्माण-कार्य एवं त्वरित योजना

*२७—श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बेरोजगारी हटाने के लिये केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार को कोई योजना भेजी है? यदि हां, तो वह क्या है?

श्री गणेशदत्त बाजपेयी—

जी हां। इस वर्ष बेरोजगारी हटाने के लिए केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार के पास ग्रामीण निर्माण-कार्य योजना तथा ग्रामीण रोजगार के लिए त्वरित योजना भेजी है। इन योजनाओं के बारे में आवश्यक सूचनाएं सामुदायिक विकास मन्त्री जी द्वारा विधान सभा की १६ जलाई, १९७१ की बैठक के लिए निर्धारित श्री मुहम्मद असरार अहमद द्वारा पूछे गये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या १६९ के उत्तर में दी जा चुकी है। इसके अतिरिक्त विधान सभा के वर्तमान सत्र के तीसरे शुक्रवार के लिए निर्धारित श्री मुहम्मद असरार अहमद द्वारा पूछे गये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या १ के उत्तर में वांछित शासनादेशों की प्रतियां भी ३० जुलाई, १९७१ को माननीय सदस्यों को दी जा चुकी हैं।

*२८—श्री महराम सिंह—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

*२९—श्री शरसिंह दानू—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

बरेली में हाईकोर्ट की बेंच खोलने की मांग

*३०—श्री रियासत हुसैन—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कार्य की अधिकता को देखते हुए जनहित में हाई कोर्ट की एक बेंच बरेली में स्थापित करने की कृपा करेंगे?

श्री यादवेन्द्र सिंह---

बरेली में बेंच स्थापित करने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है।

अतारांकित प्रश्न

नवयुग डिग्री कालेज, राजेन्द्रनगर, लखनऊ के उत्तीर्ण विद्यार्थियों के प्रमाण-पत्र

१---श्री धर्मवीर सिंह---

क्या शिक्षा मन्त्री को ज्ञात है कि नवयुग डिग्री कालेज, राजेंद्र नगर, लखनऊ से सन् १९६८ में जो विद्यार्थी इण्टर की परीक्षा उत्तीर्ण किये थे उनको प्रमाण-पत्र अभी तक नहीं मिला है? यदि हां, तो क्यों? और ये प्रमाण-पत्र कब तक दिये जायेंगे?

डाक्टर रामजीलाल सहायक---

केवल एक छात्रा के प्रमाण-पत्र के जिसके सम्बन्ध में कुछ आवश्यक जांच की जा रही थी, अन्य सभी परीक्षार्थियों के प्रमाण-पत्र मार्च, १९७० में ही प्रधानाचार्य को माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा भेज दिये गये थे। उक्त छात्रा का भी प्रमाण-पत्र ३ अगस्त, १९७१ को भेज दिया गया है।

गिरफ्तारियों की सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष---

सब-डिवीजनल मैजिस्ट्रेट नयी दिल्ली, ने सूचना भेजी है कि माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी, और माननीय सन्तूराम, एम० एल० ए० आज पकड़े गये यानी कल सवा बजे और दो बजे के बीच में। और माननीय हरिनाथ तिवारी, माननीय धूमप्रसाद और विधायक २-१० अपराह्न में पकड़े गये, रफी मार्ग, नयी दिल्ली में, ४ अगस्त, १९७१ को, भारतीय दंड विधान की दफा, १८८ के अन्तर्गत, १४४ धारा का उल्लंघन करने के अपराध में। ये जूडीशल मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किये जा रहे हैं ट्रायल के लिए।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)---

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। रोज आप विधान सभा में हम लोगों को सूचना देते हैं कि दिल्ली में हमारे माननीय सदस्य...

श्री उपाध्यक्ष---

मैं सब सूचना दे दूं तब आप कहें।

सर्वश्री माधव प्रसाद त्रिपाठी, सन्तूराम, हरिनाथ तिवारी, धूम प्रसाद विधान सभा के सदस्य ये तिहार जेल में भरती हुए ४ अगस्त, १९७१ को और १८७ दफा के अन्तर्गत उनको एक दिन की सादी कैद हुई है। यह सुपरिन्टेन्डेन्ट जेल की तरफ से है। यह प्रतिरोधात्मक कानून १४४ के उल्लंघन में दंड विधान प्रक्रिया के अन्तर्गत जो दिल्ली के मजिस्ट्रेट ने प्रसारित किये थे उनके विरोध में इन्होंने नारे लगाये और प्रदर्शन किया बंगला देश की मान्यता के लिये। ये लोग जेल भेज दिये गये।

बंगला देश की मान्यता के सम्बन्ध में हुए प्रदर्शनों में जनसंघ और कांग्रेस दलों के सदस्यों के साथ दिल्ली के अधिकारियों द्वारा भेद-भाव के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलनाका प्रश्न

*श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)--

श्रीमन्, यह जो नित्य हम लोगों को सूचना दे रहे हैं कि हमारे सदन के आदरणीय सदस्य दिल्ली में गिरफ्तार हो रहे हैं। यह सूचना देने का जो नियम है और सदन को जो एक अधिकार दिया गया है कि जब यह विधान सभा चलती रहे और कोई हमारी विधानसभा का सदस्य गिरफ्तार किया जाय तो उस अधिकारी की जिम्मेदारी हो जाती है कि वह इस आदरणीय सदन को सूचना दे। लेकिन श्रीमन्, यह जो प्राविजन है यह निगेटिव प्राविजन नहीं है। वह सूचना दे दे और उसके बाद इस सदन का कर्तव्य या आपका कर्तव्य समाप्त हो जाता है सूचना देना। श्रीमन्, सदन को सूचना प्राप्त करना यह सदन का विशेषाधिकार है। इसमें इम्प्लाइड है। यह सदन इस बात के लिये सक्षम हो जाता है कि इस बात पर विचार करे कि जो हमारे सदन के आदरणीय सदस्य गिरफ्तार किये जा रहे हैं उनकी उचित गिरफ्तारी हो रही है या अनुचित गिरफ्तारी हो रही हैं। यदि अनुचित गिरफ्तारी हो रही है और सदन में आने के लिये विवश किया जा रहा है तो सदन का यह अधिकार होता है कि उन पर कोई न कोई हस्तक्षेप इस मामले में कर सकते हैं। इस सूचना का कोई मतलब नहीं है। इन केसेज को देख लें।

माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी या जो आदरणीय सदस्य दिल्ली में गिरफ्तार किये गये हैं, अभी हम लोगों को सूचना दी गई है कि वे नारे लगा रहे थे कि बंगला देश को मान्यता दी जाय। माननीय कमलापति त्रिपाठी स्वयं दिल्ली जा रहे हैं बंगला देश को मान्यता दिलवान के लिये क्या ये गिरफ्तार किये जायेंगे? यदि माननीय कमलापति त्रिपाठी और उनका सारा दल बंगला देश को मान्यता दी जाय यह कहने के लिये गिरफ्तार न किया जाय तो हमारे जनसंघ के आदरणीय सदस्य बंगला देश को मान्यता दी जाय इसके लिये क्यों गिरफ्तार किये गये। हमारे दल के लोग भी इस ९ अगस्त को सारे जिलों के कलेक्टर का घेराव करने जा रहे हैं। हम गिरफ्तार किये जायं, जनसंघ गिरफ्तार किया जाय। सोशलिस्ट पार्टी और नारायण दत्त तिवारी बांगला देश की मान्यता के लिये भाषण दें तो उनको गिरफ्तार न किया जाय। यह बांगला देश की मान्यता के सम्बन्ध में कोई फर्क नहीं है। जो माननीय कमलापति त्रिपाठी चाहते ह वही जनसंघ चाहता है, वही सोशलिस्ट पार्टी चाहती है, वही पी० एस० पी० चाहती है, हिन्दुस्तान की सारी पोलीटिकल पार्टीज चाहती हैं।

(श्री रामकुमार शास्त्री के खड़े होकर कुछ कहने पर।)

श्री कृष्णानन्द राय--

आपकी समझ में नहीं आयेगा।

(व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

श्रीमन्, मैं एक व्यवस्था चाहता हूं.....

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रियासत हुसन]

मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि माननीय राय साहब जिस इश्यू पर बोल रहे हैं वह एक ऐसा इश्यू है जिसके बारे में इस सदन ने एक दफा फसला ले लिया है । आल इंडिया लेबिल पर हर पार्टी की अपनी-अपनी जो नीतियां हैं उसी के अनुसार बंगला देश को मान्यता देने के सम्बन्ध में वे प्रदर्शन आदि कर रही हैं । तो मेरी समझ में नहीं आता है कि जिस इश्यू के बारे में हर पार्टी की अलग-अलग विचारधारायें हैं उसक बारे में कृष्णानन्द राय जी इस सदन में किस आधार पर टीका-टिप्पणी कर रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि व्यवस्था के प्रश्न पर बोलने के लिये माननीय सदस्य उठे और उसमें वे अपनी बात भी कह रहे हैं तो इस सम्बन्ध में व्यवस्था देने का काम तो मेरा है कि क्या यह व्यवस्था का प्रश्न व्यवस्थित है अथवा अव्यवस्थित . . . (घोर व्यवधान)

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---

एक भ्रम दूर करना चाहता हूं । अभी माननीय कृष्णानन्द राय जी मे माननीय राम कुमार शास्त्री के लिए कहा कि आप एक वेतन भोगी कर्मचारी हैं. आप बैठ जायं . . . . .

श्री कृष्णानन्द राय---

वेतन भोगी कर्मचारी नहीं कहा, वेतन भोगी कहा . .

श्री कमलापति त्रिपाठी---

मान्यवर, मैं उस शब्द को वापस लता हूं । तो उन्होंने उनके लिये एक वतन भोगी कहा । यदि उनका तात्पर्य विधान सभा के सदस्य होने के नाते जो कुछ उन्हें वेतन स्वरूप मिलता है, उससे है तो उसमें माननीय राय साहब भी आते हैं और यदि उनका मतलब नागरिक परिषद् के अध्यक्ष होने के नाते है, तो मैं उनको यह बता देना चाहता हूं कि उन्हें इस पोस्ट का एक भी पैसा नहीं दिया जाता है, वे इस में आनरेरी पोस्ट पर कार्य कर रहे हैं . . . . .

श्री कृष्णानन्द राय---

श्रीमन्, अभी माननीय मुख्य मंत्री ने कहा कि माननीय शास्त्री जी नागरिक परिषद् के अध्यक्ष होने के नाते कोई वेतन नहीं पाते हैं तो मैं अपनी बात को वापस लेता हूं । श्रीमन्, मैं यह निवेदन कर रहा था कि आप इन माननीय सदस्यों को यह बता दें कि जब कोई व्यवस्था का प्रश्न चल रहा हो तो उस पर दूसरा व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है . . . . . (व्यवधान) ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)---

मान्यवर, आप भाषण करवा रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष---

यह सही है कि व्यवस्था के प्रश्न में भाषण नहीं दें ।

श्री कृष्णानन्द राय---

मान्यवर, आप अपने विवेक से जो भी आज्ञा देंगे वह हम शिरोधार्य होगी, किन्तु माननीय शास्त्री जी और नेगी जी चाहेंगे कि मैं बैठ जाऊं तो मैं नहीं बैठूंगा . . . (व्यवधान)

(श्री रामकुमार शास्त्री के खड़े होने पर)

आप चिल्लायें...

श्री रामकुमार शास्त्री—

आप बोलिये तो पहले.....

श्री कृष्णानन्द राय—

श्रीमन्, मैं निवेदन कर रहा था कि इस सदन म जो माननीय सदस्यों के बारे में सूचनाय देने का प्रावीजन है हमारे नियमों में और मान्यवर, आप जानते हैं कि पार्लियामेन्टरी पद्धति में हर सदन के हर मेम्बर को यह अधिकार है कि जब सदन चलता हो और अगर उसका कोई सदस्य कहीं गिरफ्तार किया जाता है तो उसका मतलब यह हो जाता है कि उस माननीय सदस्य को विधान सभा के सदन में उपस्थित होने में बाधा उत्पन्न हो जाती है। यह सदन को विशेषाधिकार मिला हुआ है कि उसकी सूचना संबन्धित स्पीकर को दे दी जाया करे कि वह सदस्य क्यों गिरफ्तार किया गया। मान्यवर, यह नेगेटिव प्रावीजन नहीं है कि कहीं कोई सदस्य गिरफ्तार हो जाय और सदन चलता रहे और हम लोग चुप बैठे रहें। तो मेरा यह कहना है कि ऐसे प्रश्नों पर यह पूरा सदन और आप सक्षम हो जाते हैं कि इस बात का पता लगावें कि माननीय सदस्य क्यों गिरफ्तार किये गये और क्या वह गिरफ्तारी उचित हुई है अथवा नहीं।

मान्यवर, अभी आपन पढ़कर सुनाया कि वहां के मजिस्ट्रट न लिखा है कि माननीय सदस्य दिल्ली की सड़कों पर बांगला देश को मान्यता देने के विषय में हल्ला मचा रहे थे। मान्यवर, रूलिंग कांग्रेस बंगला देश को मान्यता देने के पक्ष में है, माननीय मुख्य मंत्री और माननीय नारायणदत्त तिवारी ९ अगस्त को बंगला देश को मान्यता दिये जाने के प्रश्न पर दिल्ली में प्रदर्शन करने हेतु जा रहे हैं और हमारा संगठन कांग्रेस भी ९ तारीख को ही सारे प्रदेश में इसी हेतु प्रदर्शन करने वाला है। यही नहीं, एस० एस० पी०, पी० एस० पी आदि भी उसे मान्यता देने के प्रश्न पर प्रदर्शन करने वाले हैं। तो मेरा कहना है कि उस काम के लिये जिसे कि सारा राष्ट्र मानता है, उसके सम्बन्ध में जब वे प्रदर्शन करें तो उनको गिरफ्तार किया जा रहा है और उनको सदन में आने से रोका जा रहा है। और श्रीमन्, इस सदन का प्रस्ताव भी है कि बंगला देश के मामले को लाया जाय। तो हमारा कहना है कि यह विशेषाधिकार की अवहेलना हुई है और दिल्ली के उस मैजिस्ट्रेट को—सदन के प्रस्ताव के पक्ष में, समर्थन में जो सदस्य बाहर गिरफ्तार हुए हैं—तो दिल्ली के उस मजिस्ट्रेट को विधान सभा के फोरम पर गिरफ्तार करके बुलाइये और जेल भिजवाइये विशेषाधिकार की अवहेलना में।

श्री उपाध्यक्ष—

विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न यह है कि जो घटनाएं घटित हों और किसी कानून के उल्लंघन के प्रत्यक्षतः दोषी जो पाये जायं, उनको जो मजिस्ट्रेट या जेल अधिकारी उनको गिरफ्तार करायें या अपनी जेल में रखें और जो सूचना वह अध्यक्ष को दे उस सूचना को मैं आपके समक्ष रख देता हूं। उस सूचना से कोई अवहेलना का और विशेषाधिकार का सवाल नहीं निर्गत होता, क्योंकि यह सूचना मात्र है।

दूसरा प्रश्न यह है कि क्या इस विषय पर चर्चा हो सकती है। तो सामान्यतः चर्चा हुई है, बंगला देश के बारे में आपने चर्चा भी की थी। इस तरह दो प्रश्न हो जाते हैं। एक काल्पनिक

[श्री उपाध्यक्ष]

है, जब तक ९ अगस्त नहीं होता तब तक यह काल्पनिक है कि शासक दल के जायंगे वे गिरफ्तार होते हैं अथवा नहीं होते हैं। इसलिये नियम से आप उठा सकते हैं। इस सूचना पर जो अध्यक्ष सूचना सदन को दे, उस सूचना के ऊपर यह सवाल नहीं उठ सकता। यह तो एक जाब्ते की कार्यवाही और विधान सम्मत है। मैं नियम ८० की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं—

"८०-दंडाधिकारी द्वारा सदस्यों क बन्दीकरण, निरोध, आदि की अध्यक्ष को सूचना—जब कोई सदस्य किसी दोषारोप या किसी दंड्य अपराध के लिए बन्दी किये जायं या उन्हें किसी न्यायालय द्वारा कारावास का दंण्डादेश दिया जाय या किसी कार्यपालिका के आदेश के अन्तर्गत निरुद्ध किया जाय, तो यथास्थिति, न्यायाधीश या दन्डाधिकारी या कार्यपालिका प्राधिकारी अनुसूची में दिये गये समुचित प्रपत्र में यथास्थिति, बन्दीकरण, निरोध या दोषसिद्धि के कारण तथा सदस्य के निरोध या कारावास का स्थान भी दर्शाते हुए ऐसे तथ्य की सूचना शीघ्रता के साथ अध्यक्ष को देगा।" एक शर्त है—"शीघ्रता के साथ"। यदि शीघ्रता के साथ नहीं हो तब आप उसकी सूचना मात्र पर विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न नहीं उठा सकते। उन्होंने सूचना दी आपको.....

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

एक बात सुन लीजिये उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय कृष्णानन्द राय ने जो सवाल उठाये हैं मैं अपना जो दृष्टिकोण है नियम संबंधी...

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

एक इन्फार्मेशन आपको दे दूं, व्यवस्था तो आप दे दिये...अभी नहीं दिये तो यह इन्फार्मेशन आपके काम लायक आ जायगी।

श्री उपाध्यक्ष—

इस व्यवस्था के प्रश्न पर आप व्यवस्था उठा रहे हैं? अभी जवाब पूरा करने दीजिये।

श्री बंशीधर पांडेय—

यह आपके व्यवस्था देने में काम दे जाय शायद। मैं एक शब्द कहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं अभी कोई व्यवस्था नहीं दे रहा हूं। मैं कानून की स्थिति और अपने नियम की स्थिति और जो पुस्तकों का हवाला है.....

श्री बंशीधर पांडेय—

यह एक व्यवहार की स्थिति है श्रीमन्। उत्तर प्रदेश शासक दल के दो सदस्य थे, वह दिल्ली में जाकर गिरफ्तार कर लिये गये—राम स्वरूप वर्मा और प्रभुनारायण सिंह।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

श्रीमन्, जरा इसको सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष—

अभी आप कृपया न पढ़ें। पहले मैं माननीय कृष्णानन्द राय जी ने जो सवाल उठाया है उसके संबंध में स्थिति बता दूं। इस पुस्तक में विशेषाधिकार की परिधि, पृष्ठ १६९

पर लिखी हुयी है । उसको मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूं बल्कि उसका रूपांतर कर रहा हूं । यह जो पार्लियामेंट में होता, है, लोक सभा में होता है, वह हाउस आफ कामंस की जो पद्धति है उसी से संगत है जैसा कि हाउस आफ लार्डस में १६४१ में यह सवाल उठा था तो पार्लियामेंट ने तय किया था जो उस समय राष्ट्रकुल कामनवेल्थ का सदस्य है और सेवा में है और वह कोई काम करता है, वह राष्ट्रकुल और कामनवेल्थ के हित में काम करता है तो वह विशेषाधिकार की अवहेलना का पात्र नहीं है । यह नियम की स्थिति है । अभी मैंने सूचना दी और उसके बारे में जो सूचना आई है उसमें यह भी हैं और बंगला देश के बारे में भी है । जब वह प्रश्न आ जायेगा तब आप इसको उठा सकते हैं ।

गिरफ्तारी की सूचना हिन्दी भाषा में न होने की शिकायत

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)---

उपाध्यक्ष जी, एक और सूचना चाहता हूं कि जो सूचना आपको प्राप्त हुई है वह क्या अंग्रेजी भाषा में है ?

श्री उपाध्यक्ष---

जी हां । अंग्रेजी में मैंने नहीं पढ़ा है ।

श्री कल्पनाथ सिंह---

आपने उसका अनुवाद करके पढ़ा है । मैं आपका ध्यान प्रक्रिया नियमावली के नियम ८० की ओर दिलाना चाहता हूं । वह इस प्रकार है कि "दंडाधिकारी द्वारा सदस्यों के बन्दीकरण, निरोध, आदि की अध्यक्ष को सूचना-जब कोई सदस्य किसी दोषारोपण या किसी दंड अपराध के लिये बंदी किये जायं या उन्हें किसी न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया जाय या किसी कार्यपालिका का आदेश के अन्तर्गत निरुद्ध किया जाय, तो यथास्थिति न्यायाधीश या दंडाधिकारी या कार्यपालिका प्राधिकारी अनुसूची में दिये गये समुचित प्रपत्र में यथास्थिति, बन्दी करण, निरोध, दोषसिद्धि के कारण तथा सदस्य के निरोध या कारावास का स्थान भी दर्शाते हुये ऐसे तथ्य की सूचना शीघ्रता के साथ अध्यक्ष को देगा" । इसमें जो प्रपत्र है वह पृष्ठ ८५ पर है उसके अनुसार आपको यह सूचना मिलनी चाहिये क्योंकि नियम ८० में यह प्रपत्र दिया हुआ है उसमें सूचना दी जायेगी । इसकी भाषा हिन्दी और लिपि देव नागरी है । इसलिये जो सूचना आपने सुनाई है, मैं जानना चाहता हूं कि क्या वह उस प्रपत्र के अनुसार उस भाषा और लिपि में दी गई है । अगर नहीं दी गई है तो वह दंडाधिकारी नियम ८० को तोड़ने के भागी हैं । यह मेरा निवेदन है । आप व्यवस्था दें ।

श्री उपाध्यक्ष---

इस राज्य के अन्तर्गत यह मामला नहीं है ।

श्री कल्पनाथ सिंह---

श्रीमन्, इसमें यह कहीं नहीं लिखा है कि यह नियमावली इस प्रदेश के अन्तर्गत लागू होगी ।

श्री उपाध्यक्ष---

यह विधान सभा के लिये है ।

श्री कल्पनाथ सिंह---

श्रीमन्, मैं आपसे निवेदन करता चाहता हूं कि मेरे व्यवस्था के प्रश्न पर आप थोड़ा और विचार कर लें । यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है । अगर ऐसा नहीं है तो यह सूचना देना भी कहां तक उचित है।

श्री उपाध्यक्ष---

अभी मैं इस बात पर अपनी रूलिंग नहीं दे रहा हूं, इस पर विचार करूंगा ।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)---

मेरा निवेदन यह है....

श्री शिव कुमार पांडेय (जिला सुल्तानपुर)---

हमारा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि यह सदन किसी नियमावली के अनुसार चला है । इसके लिये एक कार्यमंत्रणा समिति भी बनी हुई उसमें किसी भी दिन का ऐजेंडा तय होता है । कार्यमंत्रणा समिति में, जो भी माननीय सदस्य उसके मेंबर हैं, उनको हक है कि वहां वे कोई भी कार्यक्रम समिति के सामने विचार के लिये रख सकते हैं । अन्त में जब कार्यमंत्रणा समिति में जब कोई बात तय हो जाती है तो उसके अनुसार इस सदन का कार्य होता है । केवल एक छूट यह है कि जब जीरो आवर होता तो कुछ बातें आ जाती हैं । लेकिन इस प्रकार से जो यह हो रहा है यह ज्यादती है । बंगला देश को मान्यता देने के बारे में यह सदन कुछ निर्णय नहीं ले सकता । जहां तक प्रस्ताव पास करेंगे करने की बात है, वैसा प्रस्ताव पास पहले ही कर चुका है।

श्री उपाध्यक्ष---

मैं आपसे कहूंगा कि आप कृपा करके बैठ जायें । अभी आप जो कह रहे थे....

(व्यवधान)

श्री शिवकुमार पांडेय---

पहले आप मेरी पूरी बात तो सुन लें ।

श्री उपाध्यक्ष---

बात तो सुन ली । आप आसन ग्रहण करें।

श्री शिवकुमार पांडेय---

पहले आप सुन तो लें। अगर मेरी बात गैर जरूरी होगी तो उसको आप कार्यवाही से निकाल देंगे। मैं यह कह रहा था कि यह विषय सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकार का है कि वह बंगला देश को मान्यता दे या न दे ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---

एक तो बंगला देश के बारे में सदस्यों की गिरफ्तारी का सवाल था और दूसरा प्रश्न संख्या ३ पर विशेषाधिकार का प्रश्न है उसके बारे में यह देखना है कि उसको लिया जाय या न लिया जाय ।

श्री शिवकुमार पांडेय---

आप तो बिला वजह गुस्सा दिखा रहे हैं। अगर ऐसा गुस्सा माननीय उग्रसेन जी को दिखाये होते तो बहुत समय बच जाता। आप मुझे सुन लें ।

श्री उपाध्यक्ष—

पहले आप सुन लें । आप इतने गुस्से में क्यों हो रहे हैं ।

माननीय सदस्य एक भ्रामक दृष्टिकोण उपस्थित कर रहे हैं। एक तो नंबर २ पर माननीय सदस्यों की गिरफ्तारी की सूचना थी । वह दी गयी यह हो सकता है कि उसके संबंध में कोई बात अधिक कह दी गयी हो या कम कही गयी हो। अब तीसरे नम्बर पर विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की बात है। उसके सिलसिले में सरकारी बेन्चों में यह भ्रम हो सकता है कि जो कार्य यहां हो रहा है वह कुछ असामान्य कार्य हो रहा है और असामान्य प्रक्रिया का अनुसरण हो रहा है। यह बात सही है कि मैं विरोधी पक्ष से भी कहूंगा कि वे भी युक्ति-युक्त और संक्षेप में ही अपनी बात कहें। (व्यवधान) प्रश्न यह है कि बंगला देश के संबंध में किसी दल के सदस्य दिल्ली गये और वहां वे गिरफ्तार हुए, उनके बारे में सदन में उत्तेजना होना स्वाभाविक है।

बंगला देश को मान्यता देने के सम्बन्ध में वक्तव्य की प्रार्थना

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

आपने बहुत अच्छा कहा, युक्ति-युक्त बात कहेंगे, वे लोग इस बात को समझते नहीं है । इसलिये आपत्ति करते हैं । माननीय कृष्णानन्द राय जी ने जो बात उठायी, मैं उससे थोड़ी भिन्न बात कह रहा हूं । उन्होंने कहा है कि कमलापति जी ९ तारीख को यह नारा लगायेंगे लेकिन मेरा कहना यह है कि माननीय कमलापति जी अपनी बात से पीछे हट गये हैं। इस सदन में जो प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था उसको उन्होंने प्रेस नहीं किया । (व्यवधान) और अब हालत यह हो गयी है. . . .

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो आपकी राय है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

श्रीमन्, आप तो बड़ी गहराई से सुनते हैं, मेरी बात सुन लीजिए। मैंने आज एक प्रस्ताव दिया है कि इस सरकार की लापरवाही की वजह से मुजीबुर्रहमान का जीवन संकट में है और क्योंकि वह प्रस्ताव सदन के नेता की ही तरफ से आना चाहिये इसलिये वह सदन के नेता के पास भेज दिया गया है। बंगला देश को अगर जल्दी से मान्यता नहीं दी गई, अगर माननीय कमलापति की सरकार ने इन्दिरा जी की सरकार पर दबाव नहीं डाला, इस सदन की भावनाओं को व्यक्त नहीं किया, सदस्यों की गिरफ्तारी इसी प्रकार होती रही, सारे संसार में इतना बड़ा नरसंहार पहले कभी नहीं हुआ और फिर भी हमारी सरकार जो इस सदन की भावनायें हैं उनको व्यक्त नहीं करती तो क्या यह प्रिविलेज का सवाल नहीं बनता? इस सदन ने एक प्रस्ताव पास किया। यह बड़ा गम्भीर प्रश्न है। आज सारे संसार के अन्दर तहलका मचा हुआ है। हमारे सदस्यों की गिरफ्तारी होती रही और यह अन्याय होता रहा तो आपके इस कुर्सी पर बैठने से क्या लाभ होगा। इसलिये माननीय कमलापति त्रिपाठी जी से आप कहें कि वह इसके ऊपर कुछ वक्तव्य दें।

(व्यवधान)

(कुछ सदस्य एक साथ बोलने का प्रयत्न करते रहे।)

विशेषाधिकार की अवहेलन के प्रश्नों की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय नित्यानन्द स्वामी ने एक विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न दिया जिसको मुख्य मन्त्री जी के पास भेज दिया गया है इसके बाद जब वह आयेगा तब निर्णय होगा।

(व्यवधान)

विशेषाधिकार की अवहेलना की जो सूचनायें मिली हैं उनको मैं सुना रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—

(व्यवधान के मध्य) आपने बड़ी कृपा करके अभी एक प्रश्न पर अपना फैसला स्थगित कर दिया।

श्री उपाध्यक्ष—

अब उस पर नहीं, हम आगे बढ़ गये।

श्री दीपनारायण मणित्रिपाठी—

मैं नियमों की ओर ध्यान दिला रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

उसको मैं नहीं सुन रहा हूं। हम आगे चल रहे हैं।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी—

आप इसको नोटिस मान लें कि ब्रीच आफ प्रिविलेज है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

मुझे जो सूचना देनी है वह दे रहा हूं। विशेषाधिकार अवहेलना के प्रश्न जैसे-जैसे आये हैं वैसे-वैसे मैं सूचना दे दूं फिर समय दूंगा।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

वह विषय जिस पर आप व्यवस्था दे रहे थे और कहा था कि युक्ति-युक्त बात आप सुनेंगे उसके बारे में एक मिनट में बात कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

उस पर तो मैंने कहा कि कोई व्यवस्था अभी नहीं दे रहा हूं। अभी तो विशेषाधिकार की अवहेलना की जो सूचनायें मिली हैं उन्हें बता रहा हूं। एक तो माननीय डूंगर सिंह विष्ट की है जिसको मैंने अस्वीकृत किया है। एक माननीय त्रिवेणी सहाय की है बाढ़ वगैरह के बारे में, उसको भी अस्वीकृत किया है।

श्री शिवराज सिंह (जिला बदायूं)—

इस सम्बन्ध में मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। जो कार्यवाही चल रही है उस सम्बन्ध में मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। आपको वह सुनना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने उनको बैठा दिया तो आप क्यों फिर इस बहस को चलाना चाहते हैं?

श्री शिवराज सिंह—

जो कार्यवाही चल रही है उसके सम्बन्ध में उसी क्षण व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहिये और उसी क्षण आपको सुनना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—

यह प्रश्न उठता है कि जब विशेषाधिकार की अवहेलना के ३—३ नोटिस आते हैं तो उनको देखना पड़ता है और उनके ऊपर अपना निर्णय देना होता है निर्णय के सम्बन्ध में अपनी-अपनी बात कभी ज्यादा कह देते हैं। वे आग्रह करने का अपना हक इस्तेमाल करते हैं। तो मैं उन माननीय सदस्यों को कैसे रोकूं?

श्री शिवराज सिंह—

आप मेरा व्यवस्था का प्रश्न सुन लें चाहे आप उसको खारिज कर दें।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय नित्यानन्द स्वामी का मैंने प्रश्न मुख्य मन्त्री जी के पास भेज दिया है। यह सूचना मैं देता हूं।

माननीय अनन्तराम जायसवाल का अभी मिला है। अभी मैंने उसको देखा नहीं है इस पर मैं कल कहूंगा। चौधरी साहब का भी नहीं बनता है और उसको भी अस्वीकृत कर दिया है। अब हम आगे चलते हैं।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

एक सप्ताह हो गया जो हमने अपना विशेषाधिकार का प्रश्न अनन्तराम जी जायसवाल के सम्बन्ध में दिया था। आपने कहा था कि नेताओं की मीटिंग बुलाकर उसको तय करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

आज शाम को नेताओं की मीटिंग में उस सवाल को उठाया जायगा। कोई रास्ता निकाला जायगा। यह स्थगित है। कोई तिथि निश्चित नहीं की है।

श्री शिवराज सिंह द्वारा व्यवस्था का प्रश्न

श्री शिवराज सिंह (जिला बदायूं)—

मैं बड़े अदब से श्रीमन्, आप से यह व्यवस्था चाहूंगा कि आप जरा सुन लें, मेरा औचित्य प्रश्न यह है कि व्यवस्था का प्रश्न प्रस्तुत करने का इस माननीय सदन के हर माननीय सदस्य का अधिकार है उसको आप नहीं रोक सकते। हमारी नियमावली के अनुसार आप उस प्रश्न को खारिज कर सकते हैं या उस पर अपना निर्णय दे सकते हैं लेकिन किसी समय यदि कोई सदस्य खड़ा होकर अपना व्यवस्था का प्रश्न उठाने की इच्छा प्रकट करता है तो क्या आपको उसे सुनना अनिवार्य है या नहीं? इस पर आप अपनी व्यवस्था दें। दूसरी आपत्ति मेरी यह है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद २०८ के अनुसार सदन के कार्य-संचालन हेतु नियमावली का निर्माण सदन ने किया है और हम सब ने भारतीय संविधान के प्रति सच्चे रहने की शपथ ली है और यदि उक्त नियमावली के नियमों का यहां रोज खण्डन होता है और उस की अवहेलना होती रहे तो क्या हम अपने संविधान की उस शपथ के प्रति झूठे साबित नहीं होते। इस पर आप अपनी व्यवस्था कृपया दें।

नियमावली में स्पष्ट रूप से नियम ३१४ में दिया हुआ है कि 'अध्यक्ष के विनिश्चय पर आपत्ति नहीं की जायगी—किसी संकल्प या प्रश्न की अनुज्ञा के बारे में या किसी अन्य विषय में अध्यक्ष का जो विनिश्चय हो, उस पर कोई आपत्ति नहीं की जायगी।"

[श्री शिवराजसिंह]

इसमें कहीं भी यह जो डायलाग रोज सदन में आपके और सदस्यगणों के बीच होता है उसका कहीं प्राविधान नहीं है लेकिन सदन में रोज की प्रथा बन गई है कि यहां डायलाग शुरू हो जाता है और उस के उत्तर में आप भी उधर से कुछ कहते हैं इस तरह से यहां नियमों का रोज ही उल्लंघन होता है। जो विषय काय-सूची पर आते हैं उन के विषय में व्यवस्था के प्रश्न पर विवाद हो सकता है लेकिन कार्य-सूची के अतिरिक्त किसी भी प्रश्न पर वाद-विवाद नहीं हो सकता। परिपाटी यह हो गई है कि कार्य-सूची के अतिरिक्त आप नये प्रश्न की आज्ञा दे देते हैं और यह नियमावली के नितान्त विरुद्ध है और हमने संविधान के प्रति जो शपथ ली है उसके प्रति भी हम सच्चे नहीं उतरते।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)--

माननीय शिवराज सिंह ने जो प्रश्न उठाया है.....

श्री उपाध्यक्ष--

जो प्रश्न माननीय शिवराज सिंह ने उठाया है उस पर विचार करने का समय देना पड़ेगा।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)--

माननीय शिवराज सिंह ने जो.....

श्री उपाध्यक्ष--

जो नेताओं की बैठक आज शाम को बुलाई गई है उसमें इस पर विचार हो जायगा और भी वहां बहुत सी बातें तय होनी हैं।

*श्री कृष्णानन्द राय--

श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न श्री शिव राज सिंह ने उठाया है उस पर आप बहुत अच्छी तरह से विचार करके ही निर्णय दें क्योंकि रोज यह प्रश्न उठेंगे, हमारी यह धारणा है कि सारी जो संसदीय परम्परा है लोकसभा की और हाउस आफ कामन्स की और अन्य सदनों की और यहां पर अध्यक्ष आसन से जो निर्णय हुये है उनके अनुसार किसी भी माननीय सदस्य का यह अधिकार है कि वह जब चाहे कोई औचित्य का प्रश्न या व्यवस्था का प्रश्न उठा सकता है। उसके बाद अध्यक्ष का यह जरूर अधिकार है कि अध्यक्ष उस औचित्य के प्रश्न को व्यवस्था के प्रश्न को कह सकते है कि वह नहीं बनता और वह अपनी रूलिंग दे सकते हैं कि वह व्यवस्था का या औचित्य का प्रश्न नहीं बनता। नियमों में स्पष्ट है कि जब कार्यसूची का एक काम समाप्त हो जाय और दूसरा आरभ न हो तो उस बीच के बैकुम पीरियड में हम ऐसे प्रश्न उठा सकते हैं जो हमारी छोटी बुद्धि के अनुसार सदन में व्यवस्था स्थापित करने के लिये आवश्यक हैं। कानूनी परिस्थिति यह है और हमारी छोटी बुद्धि के अनुसार सदन में व्यवस्था स्थापति रखने के लिये भी यह आवश्यक है। हम यह भी आवश्यक समझते हैं कि जब गिरफ्तारी की सूचना दी जाय तो हम औचित्य के प्रश्न पर उठकर गिरफ्तारी के मामले में कोई मेलाफाइडी बात हो तो उठा सकें यह हमारा न्याय सिद्ध अधिकार है और उस के अन्तर्गत हम इस तरह के प्रश्न उठा सकते हैं। यदि हमें इस अधिकार से वंचित किया जाता है तो हम केवल ग्रान्ट को पास कराने के लिये यहां नहीं बठे हैं। सरकार को यदि अपनी नीति घोषित करने का अधिकार है तो विरोधी दल के लोगों को भी औचित्य के और व्यवस्था के प्रश्न के द्वारा किसी विषय पर ध्यान सदन का आकृष्ट करने का अधिकार है। यह एक संसदीय प्रणाली की मान्य परम्परा है और आप जैसे पार्लियामेंटेरियन हमें वंचित न करें।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री दीपनारायण मणि पिठी (जिला देवरिया)—

मान्यवर, आपने यहां नियम ८०, ८१, व ८२ नियम का हवाला दिया और आपने इस विषय में अपना फैसला भी स्थगित कर दिया, यह आप ने बड़ी कृपा की। मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस में और सारा जितना संविधान ब्रिटिश पार्लियामेंट का है उसके मुताबिक यदि इस तरह से सदन के सदस्यों के प्रश्न उठाने के अधिकार को रोका जायगा तो अवमान का प्रश्न बनता है। आपने यहां सूचन दी कि अमुक सदस्य वहां गिरफ्तार हुये हैं तो इसमें यह निहित है कि उस पर उठे विशषाधिकार की अवदेलना के प्रश्न पर विचार किया जा सकता है और औचित्य का प्रश्न भी आयेगा। इसीलिये मैंने कहा कि नोटिस मांगकर आपको सूचना दे दें और फिर पूरा विचार करने के बाद आप निर्णय दें। यह मुझे कहना है।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन्, आप यह देखें। नियम ८१ में जो प्रोफार्मा छपा हुआ है। मैंने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया और मैंने यह कहा कि आप अपनी व्यवस्था स्थगित कर दें क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा इसका एक बड़ा व्यापक प्रभाव इस सदन के सदस्यों पर और इस नियमावली के कार्यान्वियन के सिलसिले में पड़ने वाला है और उस बात को उसी नियमावली का हवाला देकर मैं माननीय सदस्य का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा उस बात पर माननीय सदस्य ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया वे स्वयं अगर इन नियमों का ध्यान किये होते और देखें होतें तो हमारी राय से सहमत होते और आपकी इस बात से भी सहमत होते। आपने जो व्यवस्था पेंडिंग रक्खी है कि इन सदस्यों को दूसरे दिन सुनेंगे। लेकिन माननीय सदस्य ने बीच में ही उसी प्रक्रिया नियमावली का हवाला देकर ३१४ में कह दिया कि आपके विनिश्चय पर आपत्ति नहीं की जायगी। जब आपत्ति नहीं की जायेगी और इस समय यह विनिश्चय किया कि इस सवाल का निश्चय नहीं किया गया आपने पेंडिंग कर दिया। इस पर मैं यह जानना चाहता हूं कि यह व्यवस्था का प्रश्न किस बात पर उठाया गया है। उनका यह प्रश्न उठाना क्या नियमानुकूल है ?

श्री उपाध्यक्ष—

श्री शिवराज सिंह के प्रति आपके व्यवस्था के प्रश्न पर एक प्रश्न किया गया है। कभी-कभी इसमें भी प्रश्न कर सकते हैं। आपने किसी चीज को अव्यवस्थित समझकर यह व्यवस्था का प्रश्न स्वयं उठाना उचित समझा ?

श्री शिवराज सिंह—

मान्यवर, जिस समय माननीय सदस्य, देहरादून बोल रहे थे उन्होंने ऐसी विषय की चर्चा शुरू कर दी जो न कार्य-सूची पर है और न जिसका नियम ३०० से सम्बन्ध है। एक नया विषय शुरू कर दिया। कोई ऐसा विषय जो कार्य-सूची पर न हो और व्यवस्था के प्रश्न पर नहीं उठाया गया हो उसके सम्बन्ध में चर्चा नहीं हो सकती। मान्यवर, इस प्रकार की व्यवस्था आपकी नियमावली में है।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। आम तौर से हम व्यवस्था के प्रश्न का गलत अर्थ समझते हैं। अगर सम्बन्धित विषयों को ठीक से देखें तो उसमें लिखा है कि व्यवस्था या औचित्य का मतलब यह होगा कि जो हमारी असेम्बली के नियम है या संविधान के ऐसे अनुच्छेद हैं जिनके अधीन हमारे सदन की कार्यवाही चलती है उनका प्रवर्तन या निर्वचन या उनका

[श्री अनन्तराम जायसवाल]

इन्फोर्समेंट और इन्टरप्रेटेशन के बारे में व्यवस्था का प्रश्न होगा और किसी भी समय आप व्यवस्था का प्रश्न उठाने की इजाजत देंगे यह आपकी शक्ति है। नियमों के इन्टरप्रेटेशन या उसके एन्फोर्समेंट के बारे में। लेकिन उसके लिए साथ एक और शर्त यह लगा दी गई है कि जो कार्य आपके सन्मुख विचाराधीन है, उसके सम्बन्ध में ही किसी नियम का इन्टरप्रेटेशन या इन्फोर्समेंट का प्रश्न उपस्थित किया जा सकता है। यह नियम है। अगर श्री शिवराज सिंह की बात मान ली जाय तो यहां कोई व्यवस्था का सवाल नहीं उठाया जा सकता। कहा गया कि व्यवस्था के प्रश्न पर विवाद नहीं होना चाहिये। विवाद इसलिये जरूरी होता है कि एक ही नियम के इन्टरप्रेटेशन के बारे में अलग-अलग सदस्यों के अलग-अलग मत हो सकते हैं इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता कि एक नियम विशेष कर एक भाष्य आपके सकते हैं हमारे मुताबिक उसका एक दूसरा सही हो सकता है और तीसरा किसी अन्य माननीय सदस्य की राय के मुताबिक सही हो सकता है। फिर उससे जुड़े हुये तथ्य भी होते हैं। आपके सामने व्यवस्था के किसी प्रश्न से सम्बन्धित सारे तथ्य और सारी परिस्थिति रक्खी जाय और किसी नियम के इन्टरप्रेटेशन का सवाल रखा जाय तो उसके लिये विवाद जायज है, व्यवस्था का प्रश्न भी उठाना जायज है। इसलिये मैं बहुत अदब के साथ कहना चाहूंगा कि माननीय सदस्य उसको फिर पढ़ लें। उसके बाद वे जो निवेदन करेंगे या राय देंगे उस से हम रोशनी ग्रहण करेंगे।

श्री शिवराज सिंह—

श्रीमन्, नियम ३०० देखें जो इस प्रकार है—"किसी औचित्य प्रश्न पर वाद-विवाद की अनुज्ञा नहीं होगी, किन्तु अध्यक्ष यदि वे ठीक समझे, अपना विनिश्चय देने से पहले सदस्यों की बात सुन सकेंगे।" तो मान्यवर, यदि आपको कोई भ्रान्ति हो और आप विनिश्चय पर पहुंचने में कोई मदद चाहें तो सुन सकेंगे। लेकिन इसका किसी को अधिकार प्राप्त नहीं है।

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

श्रीमन्, जो प्रश्न इस समय उपस्थित है, मेरे विचार से वह यह प्रश्न नहीं है कि सदस्यों को व्यवस्था का या औचित्य का प्रश्न उठाने का अधिकार है या नहीं। श्रीमन्, यह तो सर्वमान्य है कि अगर कहीं भी नियमों का उल्लंघन होता है या विषयान्तर होता है तो किसी भी माननीय सदस्य को औचित्य का प्रश्न उठाने का अधिकार है। अगर आज माननीय सदस्य गाजीपुर ने गिरफ्तारी के प्रश्न के संदर्भ में कोई औचित्य का प्रश्न उठाया तो वह उचित माना जा सकता है।

श्री कल्पनाथ सिंह—

वह मेरा प्रश्न था कि अधिकारियों ने नियमों का सही पालन नहीं किया है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, इस समय प्रश्न यह है कि साधारणतः कार्यसूची में जो विषय है उनके बाहर बिना आपकी अनुमति के औचित्य के नाम पर जब कोई दूसरा प्रश्न आ जाता है तो उसमें चला जाता है और कार्यसूची के अन्य महत्वपूर्ण विषय रह जाते हैं। तो श्रीमन्, आप और माननीय सदस्य इस दृष्टिकोण से विचार करें कि क्या औचित्य के प्रश्न के नाम पर ऐसे विषय, जिनका कार्यसूची से कोई सम्बन्ध नहीं है और जो नियमों के अनुसार अन्य तरीकों से उठाये जा सकते हैं, उठाना ठीक है और क्या सदन का समय उसमें लगाना उचित है। श्रीमन्, मेज पार्लियामेन्टरी प्रैक्टिस के पृष्ठ ४६७ की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यद्यपि नियमों में हमारे यहां व्यवस्था है लेकिन उसको मैं मेज पार्लियामेन्टरी प्रैक्टिस से सप्लीमेन्ट करना चाहता हूं....

श्री अनन्तराम जायसवाल--

श्रीमन्, यह व्यवस्था दी जा चुकी है कि जिन मामलों में हमारे अपने नियम और हमारा अपना संविधान स्पष्ट कोई व्यवस्था रखते हैं तो वहां जो हवाला माननीय मंत्री जी दे रहे हैं वह लागू नहीं होता।

श्री नारायणदत्त तिवारी--

श्रीमन्, मैं तो सप्लीमेंन्ट करने की बात कह रहा हूं और हमारी यह प्रथा रही है कि नियमों को सप्लीमेन्ट करने के लिये हम मेज पार्लियामेन्टरी प्रैक्टिस देखते हैं। श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से इसे पढ़े देता हूं:--

" Right of Members to direct the attention of the Chair to support breaches of order.

* * * *

On 1st July, 1952, the Deputy Speaker deprecated a growing practice of interruptions of debate by Members who "when the Hon. Member, who is speaking refuses to give way, think that the only way that they can get their word in, is by raising a point of order". He stated that in his opinion such interruptions constituted fraudulent points of order, and should be stopped."

तो श्रीमन्, मेरा निवेदन यह है कि.....

श्री कल्पनाथ सिंह--

इसकी हिन्दी करवा दीजिये, नहीं तो नियमों का ब्रीच हो जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष--

उद्धरण तो दे सकते हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--

तो श्रीमन्, जो कार्य-सूची में विषय है और उसमें अगर यह लगे कि कहीं नियमों का उल्लंघन हो रहा है तो उस समय यह प्रश्न उठाया जाय अन्यथा सदन की कार्य-सूची के अनुसार जो निर्धारित समय है उसका सदुपयोग नहीं हो पाएगा।

श्री उपाध्यक्ष--

आज मैं इस पर व्यवस्था नहीं दे रहा हूं लेकिन सोचने के लिए आपके समक्ष एक विचार है।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

मैं भी निवेदन कर दूं। व्यवस्था के प्रश्न में तो आपको शक्ति हमेशा है। कोई माननीय सदस्य अगर व्यवस्था का प्रश्न या औचित्य का प्रश्न उठाता है तो उसमें आप तुरन्त रूलिंग दे देंगे कि यह व्यवस्था का प्रश्न है या नहीं। अगर कोई माननीय सदस्य तुच्छ मामले पर व्यवस्था का प्रश्न उठाते हैं तो उसे आप उठाने नहीं देंगे। यह स्थिति साफ है और कानून भी यही है।

श्री उपाध्यक्ष--

अभी इस विषय पर बहस नहीं छिड़ रही है। किसी दिन इस मामले पर भी बहस हो जायेगी।

श्री कृष्णानन्द राय--

कल १ घन्टे का समय दे दें--जब एसेम्बली हो तब इस पर विचार हो जाये।

श्री उपाध्यक्ष—

कल नहीं हो पायेगी।

श्री मही लाल (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन् मैं नियम ६३ (१) की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं। श्री रामकरन, सदस्य जिला गाजीपुर ने एक भी स्कूटर नहीं लिया है और माननीय यातायात मन्त्री ने कल जो उत्तर दिया उसमें उनके नाम २ स्कूटर लिखे हुये हैं। यह निराधार सूचना दी गयी है। मैं उनके और उनके विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध सदन को निराधार सूचना देने के आधार पर, विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने की अनुमति चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

आप किसी ढंग से कार्यवाही करने के लिए तैयार हैं या नहीं।

श्री मलिखान सिंह (जिला मैनपुरी)—

मैं एक जानकारी चाहता हूं।

श्री महीलाल—

नियम ६३(१) इस प्रकार है....

श्री उपाध्यक्ष—

किताब दिखाने से कोई स्पष्टता नहीं होगी, नियम जीवन नहीं होते हैं बल्कि जीवन के लिये हैं।

श्री मलिखान सिंह—

मैं एक जानकारी चाहता हूं। आपके पास ऐसे कितने माननीय सदस्यों के पत्र आये हैं जिन्होंने यह लिख कर दिया है कि उन्होंने एक स्कूटर लिया है या एक भी नहीं लिया है?

श्री उपाध्यक्ष—

कुछ पत्र आये हैं और उनके बारे में मैं कह दूंगा। जैसे कल भूल-चूक का सवाल उठा वैसे ही और मामले भी भूल-चूक में हो सकते हैं। उन पत्रों को हम भेज देंगे ताकि वे आपके समक्ष सही स्थिति रख दें।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

भूल-चूक का प्रश्न नहीं है बल्कि सरकार की पूरी समझदारी के साथ और जानबूझ कर ऐसा हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष—

जब मुख्य मन्त्री जी ने खेद प्रकट कर दिया है तब इसका कौन सा औचित्य है, यह मेरी समझ में नहीं आता है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर, जिस आदमी ने प्रश्न करवाया और जानकारी चाही उसी के विरुद्ध लांछन लगा दिया गया है। उस लांछनको आप देखें कितना गहरा है। आप यह भी देखें कि इस एसेम्बली का कोई महत्व है या नहीं?

श्री उपाध्यक्ष---

एक चर्चा चल रही थी और बीच में खड़े होकर महीलाल जी ने कह दिया। ऐसे कैसे काम चलेगा, यह मैं आपसे पूछता हूं।

श्री महीलाल---

यह मेरी गलती हुयी है।

श्री उपाध्यक्ष---

एक प्रश्न पर इतनी देर तक चर्चा चली और उस प्रश्न के बारे में मैं कह रहा था कि इस बीच में खड़े होकर आप कहने लगे। यह कोई ढंग नहीं है बात कहने का। आप आसन ग्रहण करें अभी दूसरा प्रश्न उठाया हुआ है और उसी सवाल के बीच में आप अपनी बात कह रहे हैं। यह तो विधान सभा की मर्यादा के विपरीत हुआ।

(श्री शम्भूनाथ चौधरी के खड़े होने पर)

आप क्यों खड़े हुये हैं, आसन ग्रहण करें, दूसरा प्रश्न हो।

श्री शम्भू नाथ चौधरी (जिला बलिया)---

आपने बात समाप्त कर दी है।

श्री उपाध्यक्ष---

आप और आपका दल मुझे मौका नहीं दे रहा है कि बात कर सकूं।

श्री शम्भूनाथ चौधरी---

ऐसी बात नहीं है। आपकी बुद्धि पर मुझे तरस है।

श्री उपाध्यक्ष---

यह तो सुनने वाले बतलायेंगे। अगर आप किसी काम को नहीं करने देना चाहते हैं तो कुछ बात उठायी जाती है आगे बढ़ती है तो लंगड़ी लगा देते हैं, फिर दूसरी, तीसरी या चौथी लंगड़ी लगा देते हैं तो व्यवस्था के बारे में क्या करूं।

श्री महीलाल---

व्यवस्था की बात समाप्त हो गई है, तो अब क्यों कह रहे हैं? आप क्षमा करेंगे, आपकी ताड़ना का उपयोग यथास्थान नहीं होता है जो आपकी आज्ञा के बगैर उठते नहीं हैं उनको आप ताड़ना देते हैं।

श्री उपाध्यक्ष---

एक जो बहस चल रही थी उस पर मैं कह रहा था।

श्री महीलाल---

वह तो समाप्त हो गई थी।

श्री उपाध्यक्ष---

मुझे भी तो कुछ कहने का हक है। निमय जीवन नहीं हैं वह नियम विहीन भी हो सकता है। आपको किताबों को दिखाने की जरूरत नहीं पड़े अगर सदस्य नियमानुकूल चलें। मैं जब पढ़ता था तो मेरे एक अध्यापक थे। वह स्कूल में छाता लगाकर आते थे। जब पानी बरसता था और हम लोग देखते थे कि वह भीग रहे थे तो बौछार की तरफ छाते को नहीं करते

[श्री उपाध्यक्ष]

थे। वैसा करने के लिये किसी के कहने पर कह देते थे छाता लगाने का कायदा यही है तो कायदे के अनुसार चलें तो व्यवहार की बात नहीं आती है। कुछ माननीय सदस्य किसी बात को लेकर उत्तेजित हो जाते हैं और आप किताब ले कर कहें कि ऐसा व्यवहार करना चाहिये तो मैं उत्तेजित सदस्य को शान्त करूं या आपकी किताब के नियमों का परिपालन करूं। आप किसी दिन इस पर बहस चाहेंगे तो मैं चाहूंगा कि यह हो जाय और उसमें सभी दलों के नेता रहें। जैसे नियम ५६ या ५१ में कोई सवाल उठे तो एक उठना चाहिये। कई दफा एक ही दल के अनेक लोग एक ही बात कहने लगते हैं।

श्री शम्भूनाथ चौधरी द्वारा उनके प्रश्नों को निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

मेरे प्रश्न ५ और ६ निरस्त कर दिये गये गये हैं। इस सम्बन्ध में मैं नियमावली का नियम ४५ पढ़ना चाहता हूं।

अध्यक्ष प्रश्नों की ग्राह्यता का विनिश्चय करेंगे—

अध्यक्ष प्रश्न की ग्राह्यता का विनिश्चय करेंगे और वे किसी प्रश्न को अथवा उसके किसी भाग को अस्वीकार कर सकेंगे जो उनकी राय में इन नियमों के प्रतिकूल है अथवा प्रश्न पूछने के अधिकार का दुरुपयोग है। अध्यक्ष सम्बद्ध सदस्य को संक्षेप में प्रश्न को अग्राह्य करने के कारणों की सूचना देंगे। वे किसी प्रश्न को नियमानुकूल बनाने के लिये उसमें संशोधन कर सकेंगे अथवा प्रश्न को सुधार के निमित्त वापस कर सकेंगे।

श्रीमन्, इसके अनुसार मेरे प्रश्न थे कि (५) क्या सरकार कृपा कर के बतलायेगी कि सरकारी कर्मचारियों को बहाल किया गया है? यदि हां, तो किस-किस पद पर? (६) क्या सरकार बतलायेगी कि इन लोगों पर क्या-क्या आरोप थे और क्या-क्या दंड दिये गये थे? यह तो महत्वपूर्ण प्रश्न थे। मुझे मालूम हुआ है कि विभाग ने कुछ लिखा दिया और आपने इनको निरस्त कर दिया। क्योंकि सरकार भागना चाहती है, अनुशासन को बढ़ाना चाहती है, अपनी बुराई को छिपाना चाहती है। यह प्रश्न बहुत ही महत्व का है।

श्री उपाध्यक्ष—

जब ऐसे सवाल उठाये जाते हैं तो क्या उन पर सदन का वोट लिया जाय। ऐसे सवाल पर आप मुझसे बात कर सकते हैं। हर सवाल के बारे में यही कहा जायेगा कि इसको स्वीकार किया जाय। इस को जो निरस्त किया गया है वह इसलिए कि सदन में ब्योरे के सवाल आ रहे हैं। वह उचित नहीं है। लेकिन फिर भी अगर कोई ब्योरा चाहते ही हैं तो हम उसको रोकते नहीं हैं। आप यदि कहते कि इतने ब्योरे की सूचना दिलायी जाय, बाहर यदि कहते, तो हम अस्वीकार नहीं करते। औचित्य का प्रश्न आपने उठाया है। औचित्य का प्रश्न कोई सदस्य जानकारी मांगने के लिये या अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिये या जब प्रस्ताव पर कोई प्रश्न सदन के सामने रखा जा रहा हो या काल्पनिक या विभाजन की घंटियां नहीं बजीं या सुनाई नहीं पड़ी, नहीं उठायेंगे। जो सदस्य सदन की जानकारी में कोई ऐसा विषय लाना चाहे जो औचित्य का प्रश्न न हो तो वह सचिव को लिखित रूप में सूचना देंगे जिसमें संक्षेप में उस विषय को बतायेंगे जिसे वह सदन में उठाना चाहते हों तथा साथ में कारण भी बतायेंगे कि वे उसे क्यों उठाना चाहते हैं और उन्हें ऐसा प्रश्न उठाने की अनुज्ञा अध्यक्ष द्वारा सम्मति दिये जाने के बाद ही तथा ऐसे समय और तिथि के लिये दी जायेगी जो अध्यक्ष निश्चित करें।

आपने औचित्य का प्रश्न ५ अगस्त, ७१ को लिखकर दिया। किन कारणों से निरस्त किया गया उसकी पूछतांछ कर रहें हैं। हमारा विभाग कारण बतलायेगा। तुरन्त यदि आप चाहेंगे तो हम कैसे जवाब देंगे। सचिव ने सहायक सचिव को लिखा है कि किन कारणों से निरस्त किया गया"। मैं नहीं समझता कि इससे ज्यादा क्या हो सकता है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी---

जब प्रश्न ग्राह्य हो गया तो निरस्त नहीं हो सकता। नियमावली में भी उसकी कोई प्रक्रिया नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष---

जब स्वीकार करनें का अधिकार होता है तो उसे निरस्त करने का भी अधिकार है। अपने औचित्य का प्रश्न लिखकर दिया है तो उस पर कार्यवाही कर रहे हैं। आपको क्या आपत्ति है। आप यह सवाल उठाना चाहते हैं कि निरस्त नहीं कर सकते तो स्वीकृत भी नहीं कर सकते।

श्री शम्भूनाथ चौधरी---

आपको सुधार करने और संशोधन करने का अधिकार है। वह आप कर लें।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)---

मान्यवर, मैं पुनः विनम्रतापूर्वक निवेदन करता हूं कि आपने मुझे जो ताड़ना दी वह समयानकूल नहीं थी। आप विशेषाधिकार की सूचना दे रहे थे। कुछ माननीय सदस्यों ने विशेषाधिकार के प्रश्न आपके पास भेजे। माननीय कृष्णानन्द राय ने मौखिक रूप से बंगला देश पर विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया।

श्री उपाध्यक्ष---

आपके उठने पर मुझे आपत्ति नहीं है। लेकिन एक क्रम चला तो उसकी परिणित हो जाय। उसके बाद दूसरा और फिर तीसरा क्रम चले। अगर आप बोलने लगेंगे तो दूसरा खड़ा हो जायगा, फिर तीसरा खड़ा हो जायगा।

श्री महीलाल---

विशेषाधिकार का प्रश्न अन्य माननीय सदस्यों ने भी उठाया, विरोधी पक्ष से माननीय जायसवाल जी भी बोले, उसके बाद माननीय वित्त मंत्री को आपने सुना और आपने निर्णय उस प्रश्न पर सुरक्षित रख लिया, बात समाप्त हो गयी। अब विशेषाधिकार के संबंध में एक कार्य चल रहा था, उसी बीच २० बार मैं उठा हूंगा, आपने मुझे अवसर नहीं दिया और मुझे ताड़ना भी दे दी जब कि मैं उन सदस्यों में से हूं जो सदैव ही आपकी आज्ञा का पालन करते हैं। मने कभी आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। इसलिये आपने मुझे जो ताड़ना दी उस पर कृपया आप पुनः विचार करें। माननीय सदस्य के बारे में सदन को निराधार सूचना दी गयी, अतः नियम ६३(१) के अन्तर्गत उस पर प्रश्न यहां उठाया जा सकता है।

श्री उपाध्यक्ष---

मैं ने ताड़ना नहीं दी, मैंने केवल यह कहा कि जो क्रम चल रहा है उसे समाप्त हो जाना चाहिये। अगर एक चीज खत्म न हो और दूसरी उठाई जाय तो व्यवस्था कैसे रहेगी।

श्री महीलाल---

मगर ताड़ना मुझे नहीं देनी चाहिये थी चूंकि मैं कभी नियमों का उल्लंघन नहीं करता हूं, सदैव आपकी आज्ञा का पालन करता हूं।

श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव)---

(व्यवधान) श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब इस पर विवाद समाप्त किया जाय ।

श्री रियासत हुसेन---

मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूं··· (हंसी)---

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)---

श्रीमन्, २ मिनट मुझे दे दें, मैंने यह प्रस्ताव भेजा है ।

श्री उपाध्यक्ष---

उसके लिये साढ़े ४ से ५ बजे का समय है, उस समय आप उठा सकते हैं, अभी नहीं ।

१९७१-७२ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या ३७---परिवहन तथा अनुदान संख्या ५१---सड़क परिवहन तथा अन्य योजनाओं पर पूंजी परिव्यय

परिवहन मंत्री (श्री बलरामसिंह यादव)---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७२ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ३७--परिवहन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त २३,७६,५५,६०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(व्यवधान)

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)---

एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । जिन माननीय सदस्यों को स्कूटर या कार नहीं मिली है और जिन्होंने आज तक दरख्वास्त नहीं दी है, क्या उनको भी मंत्री जी स्कूटर दिलायेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष---

जिन्हें जरूरत होगी वे स्वयं लिखेंगे ।

श्री बलराम सिंह यादव---*

उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७२ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ५१--सड़क, परिवहन तथा अन्य योजाओं पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ३,९६,५४,४०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग में दो शाखायें हैं । एक शाखा रोडवेज की है जिसके मातहत में प्रदेश के अन्दर जनता की सुख-सुविधा के लिए और यातायात के लिये बस व्यवस्था कायम की गई है । दूसरी शाखा, जो निजी आपरेटर्स हैं मोटरों आदि के उनसे संबंधित है, उन पर वह नियंत्रण करती है । उसे आर० टी० ओ० शाखा कहते हैं । इन दोनों शाखाओं का आपस में घनिष्ठ संबंध है और ये दोनों शाखायें एक दूसरे की पूरक हैं और दोनों से ही यह आशा की जाती है कि ये जन-साधारण की सुख-सुविधा के लिये विशेष ध्यान रखें । हमारे राजकीय रोडवेज के बेड़े में ३१ मार्च, ७१ को ४,०५८ बसें

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

थीं और ये सारी प्रदेश की १९,९०० किलोमीटर लम्बी सड़कों पर चलती हैं, विभाग का उद्देश्य यह रहा है कि जो राष्ट्रीयकृत हमारे मार्ग हैं उन पर अधिकाधिक बस सेवायें चालू रखे और जहां पर बस सेवायें चालू हैं किन्तु वहां का ट्राफिक बढ़ गया है, वहां पर हम अतिरिक्त बसें सप्लाई करके उस बढ़ी हुई मांग को पूरा करें । सरकार इस पर भी विचार कर रही है कि जो हमारे बेड़े में बसें पुरानी हो गई हैं उनको रिप्लेस किया जाये । एक बस यदि १०० मास तक चल लेती है और साथ ही वह ९ लाख ८० हजार किलोमीटर्स की अपनी यात्रा पूरी कर लेती है तो वह बस अभिमूलित समझी जाती है और वह उस बेड़े से अलग कर दी जाती है । इस तरह से हमारा यह भी प्रयत्न है कि जो हमारी पुरानी बसें हैं उनको हम नई बसों के रूप में रिप्लेस करें। १९७०-७१ में ७१० नई गाड़ियों के चेसेज खरीदे गये और पिछले ५ महीने में २३८ चेसेज में बाडी बन कर आ गई हैं। ये २३८ बसें आजकल चल रही हैं और जनता की सेवा कर रही हैं । सन् १९७१-७२ में ५२० नई बसें क्रय करने का सरकार का विचार है । मान्यवर, उसके लिये प्रस्ताव किया गया है।

जहां तक पर्वतीय क्षेत्रों का सवाल है, सरकार निश्चित रूप से यह सोच रही है कि हमको पर्वतीय क्षेत्रों में भी नई बसें अधिक से अधिक मात्रा में भेजनी चाहिये । मान्यवर, जहां हम रोडवेज केजरिये से देहाती अंचल की सेवा करते हैं, बड़ी रूटों पर अपनी बसें चलाते हैं, वहीं हमारा परिवहन विभाग सिटी बस सेवा भी प्रदेश की जनता के लिये चालू किये हुये हैं । हम इस समय १२ शहरों में सिटी बसें चला रहे हैं। इसमें हमारा ध्येय लाभ का कम होता है, इसमें हमारा मुख्य ध्येय जनता की सेवा का अधिक होता है ।

शहरों में स्कूल कालेजों में जाने वाले बच्चों के लिए, फैक्टरी में जाने वाले मजदूरों के लिए, दफ्तरों में जाने वाले बाबुओं और अन्य कर्मचारियों की मदद के लिए यह सिटी बस सर्विस बहुत उपयोगी सिद्ध हुई है । सिटी बस सर्विस के लिए हम नयी बसेज खरीद रहे हैं । हमने यह तय किया है कि हम ६० नयी बस सिटी सर्विस के लिए उपलब्ध करेंगे ।

जहां हमने दिन की सेवा शुरू की, सिटी सर्विस शुरू की, वहीं हमने पिछले वर्ष से रात्रि बस सेवा भी चालू की है । रात्रि बस सेवा इस साल और कुछ जगहों में चालू की गयी है। यह सेवा थोड़ी सफल हो रही है जैसा कि समय-समय पर लोगों के द्वारा बताया गया है। मान्यवर, नाइट सर्विस मुजफ्फरनगर—मेरठ—लखनऊ, कानपुर से वाराणसी, दिल्ली से देहरादून, डिलक्स बसों में उपलब्ध की गयी है । इसके अतिरिक्त यह सेवा मऊ—कानपुर, आजमगढ़—गोरखपुर, आगरा से लखनऊ तथा वाराणसी से हरिद्वार तक साधारण बसों में है । गर्मियों में दिल्ली से नैनीताल जाने वाले यात्रियों के लिए यह सेवा चालू की गयी है ।

हमने सुरक्षा की दृष्टि से भी इन कुछ बसों में दो सशस्त्र पुलिस कांस्टेबिल तैनात किये हैं । यह रात्रि सेवा बसों की भविष्य में ज्यादा लोकप्रिय होगी और जनता की सेवा करेगी । मान्यवर, हम ने यह भी तय किया है कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उन में अधिक से अधिक बस स्टेशन और बस स्टाप खोले जायं, जिस से जनता को सुविधा मिले । विगत वर्ष में हमने ४० बस स्टेशन खोले हैं । इस वर्ष हमारा प्रस्ताव है कि जो बस स्टशन प्रदेश के अन्दर हैं उनको साफ-सुथरा किया जाय । जो टूटे-फूटे हैं उनकी मरम्मत की जाय और सफाई इत्यादि का समुचित प्रबन्ध किया जाय।

(इस समय १ बजकर १८ मिनट पर अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर पीठासीन हुये)

हमारी बसों की कार्यकुशलता, उन की मरम्मत और उनके मेन्टिनेंस पर निर्भर करती है । हमें खुशी है कि हमारी केन्द्रीय वर्कशाप, कानपुर अच्छा काम कर रही है । उस के अलावा प्रदेश के अन्दर १२ रीजनल वर्कशाप्स हैं । इस के अलावा प्रदेश के अन्दर ६२ डिपो हैं जिस के मातहत उन सारी गाड़ियों की रिपेयर होती है। गाड़ियों में जो बड़े डिफेक्ट होते हैं, ऐक्सीडेंट इत्यादि से उनकी मरम्मत सेन्ट्रल वर्कशाप में होती है । जो छोटे-मोट डिफेक्ट्स

[श्री बलराम सिंह यादव]

होते हैं उनकी रिपेयर्स रीजनल वर्कशाप्स या डिपोज में की जाती हैं। इन डिपोज में दक्ष लोगों को रखा गया है, फोरमैन, जूनियर फोरमैन, ये अधिकारी नियुक्त किये गये हैं, ये अधिकारी या तो डिग्री होल्डर हैं आटोमोबाइल के या डिप्लोमा होल्डर हैं। इस तरह कुशल कारीगरों द्वारा राजकीय बसों की मरम्मत का प्रबन्ध है।

मान्यवर, जहां तक रोडवेज में कर्मचारियों का प्रश्न है इस समय हमारे रोडवेज में ३३ हजार कर्मचारी कार्यरत हैं। हम आशा करते हैं कि हमारे ये जो कर्मचारीगण हैं वे अपना-अपना काय निष्ठा और ईमानदारी से करेंगे। लेकिन साथ ही साथ समय-समय पर कुछ शिकायतें भी मिलती हैं। मान्यवर, यह सुनने में आता है कि हमारे कुछ कर्मचारियों का व्यवहार जनता के प्रति कभी-कभी अच्छा नहीं रहता। कुछ कपमचारियों की बेईमानी की शिकायतें भी आती हैं। हम इस के लिए सजग हैं और मैं इस सम्बन्ध में आप को बता देना चाहता हूं कि कार्यभार लेने के बाद ही और सम्भवतः उसी महीने की २२ अप्रैल को रोडवेज के अधिकारियों की एक मीटिंग बुलायी थी और उन से स्पष्ट रूप से इन सारी बातों को रोकने के लिए, भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए और जनता के प्रति अच्छा व्यवहार रखने के लिए कहा था। इसके साथ ही साथ मैंने एक अलग से भी सर्क्युलर भी निकाल दिया था और अधिकारियों को भिजवा दिया था। मैंने अधिकारियों को यह भी कहा था कि वे दफ्तरों में न बैठा करें और जिलों-जिलों में दौरा करते रहें और मौके पर जाकर जनता की तकलीफों को देखा करें कि उसमें कसे सुधार लाया जा सकता है। जो जनता की तकलीफें हैं उनकी वे मौके पर जाकर तुरन्त निपटा लें। मान्यवर, इस प्रकार के आदेश प्रसारित किय जा चुके हैं।

मान्यवर, जहां हम यह आशा करते हैं कि हमारे कर्मचारी लोग बड़े ईमानदार और निष्ठावान हों, बड़ी लगन व परिश्रम से प्रदेश की सेवा करें, वहां हमारा यह भी फर्ज हो जाता है कि हम उन कर्मचारियों के भविष्य क लिए, उन कर्मचारियों की बेहबूदी के लिए भी कुछ सोचें। मान्यवर, सरकार ने यह फैसला किया है कि जो केन्द्रीय वेतन मण्डल है, उसकी जो सिफारिशें ह और उसकी जो मान्यतायें हैं उस को शीघ्र लागू करना चाहिये। इस के ऊपर गम्भीरता से विचार चल रहा है और हम आशा करते हैं कि निकट भविष्य में ही हम इस सम्बन्ध में किसी न किसी निर्णय पर पहुंचेंगे। इस के साथ ही साथ जो इन कर्मचारियों के सेवा नियम हैं उन से उनको सन्तोष नहीं है। हम यह चाहते हैं और हमारी यह धारणा है कि इस विभाग के कर्मचारियों के सेवा नियम पुनः बनाये जायं। मान्यवर, ये सेवा नियम बनाये जा रहे हैं और उस के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति की जा चुकी है। इस समय राजकीय रोडवेज में पूंजी लागत करीब २१.११ करोड़ रुपया है। वर्ष १९६९–७० में शुद्ध आय १.६९ करोड़ रुपया थी जब कि पूंजीगत लागत ९.२१ प्रतिशत थी। इसकी तुलना में १९७०–७१ में अनुमानित शुद्ध आय २.३० करोड़ या १०.३ प्रतिशत था। इन आंकड़ों से विदित होगा कि शुद्ध आय के प्रतिशत में पूर्व वर्ष की तुलना में बढ़ोत्तरी रही। इसी वित्तीय वर्ष के अप्रल-जून की तिमाही में राजकीय रोडवेज में पिछले वर्ष की तुलना में प्राफिट ६.४२ करोड़ रुपये से बढ़कर ७.१७ करोड़ रुपये हो गया। तो मान्यवर, नये आंकड़े इस बात के द्योतक हैं कि रोडवेज के कर्मचारियों ने कितने लगन और सहयोग से काम किया है।

दूसरी जो परिवहन विभाग की शाखा है वह है आर० टी० ए० की मान्यवर, इस समय प्रदेश में प्राइवेट वाहनों की संख्या ५,६३८ है। निजी वाहनों की संख्या ६,९८३ और टैक्सियों की संख्या ४७७९ है। मान्यवर, रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग की पालिसी जो है उस पर मैदानी क्षेत्र में कोई रोक नहीं है, कोई भी पब्लिक या प्राइवेट कैरियर क लिए लाइसेंस ले सकता है, अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है। आज समय बड़ी तेजी से प्रगति के रास्ते पर है। आवश्यकता इस बात की है कि व्यापार इन्टर-स्टेट हो। उसके लिए हमारे जो प्राइवेट आपरेटर्स हैं ट्रकों के, उनको अधिकाधिक सुविधायें हम देते हैं। जो हमारे

सीमावर्ती सूबे हैं उनकी सरकारों से बात-चीत करके हमने उनको सहूलियतें दिलायी हैं। जो अराजकीय माग हैं उन पर बसों की संख्या कितनी हो, यह सरकार तय नहीं करती, यह आर० टी० ए० कमेटीज तय करती हैं। सरकार ने फैसला किया है कि परमिट की जो पालिसी है उसको उदार बनाकर परमिट दें, लिबरलाइज करें जिससे कि आज जो ट्रफिक की समस्या है, चारों तरफ से यह आवाज आती है कि ट्रैफिक बहुत है, सवारी नहीं मिलती, उस समस्या को हल किया जा सके। आर० टी० कमेटी में, अध्यक्ष मण्डल का कमिश्नर होता है और दो आफिसर डी० आई० जी० रैंक और सुपरिंटेंडिंग इन्जीनियर पी० डब्ल्यू० डी० उसी रैंक के और इसके साथ साथ जहां तक कि स्थानीय समस्याएं कहीं हैं उनको भी रिप्रेजेन्ट कर सकें कुछ नान-आफिशिएल लोगों की आवश्यकता समझी गयी। दो जन-प्रतिनिधि भी उसमें रखे जाने का निश्चय किया गया है।

रीजनल ट्रांसपोर्ट आफिसेज के मातहत कुछ सब-आफिसेज भी खोलने का निर्णय लिया है। तय यह किया है कि जो बड़े-बड़े रीजन हैं, सम्भाग हैं, उनमें लोगों को परेशानी होती है, एक जगह से आफिस तक जाने में परेशानी होती है। पिछले वर्ष बरेली रीजन से मुरादाबाद जिले में एक सब-आफिस खोला जा चुका है। इसके साथ इस वर्ष आगरा रीजन में, अलीगढ़ में एक सब-आफिस खोलने का विचार सरकार कर रही है।

मान्यवर, परिवहन के निजी क्षेत्र में जो नियम उल्लंघन की बात है वह भी बढ़ रही है। यह एक तरह से आदत सी पड़ती जा रही है। इसे नियंत्रित करने के लिये इनफोर्समेन्ट ब्रांच जो है रोडवेज के अन्दर कायम की गयी है। यह ब्रांच आयुक्त परिवहन के मातहत काम करती है और इसमें २४ चल-टोलियां बनाई गई है जो अपने क्षेत्र में रहकर चलने वाली सवारियों पर नियंत्रण करती है और अगर किसी को गलत पाती हैं तो उनका चालान होता है। १९७०-७१ में इस शाखा ने ३३,७९४ मुकदमे चलाये थे, निर्णीत मुकदमों में १९,१६,००० रुपयों की जुर्माने से आय हुई। इसके साथ-साथ कठिनाई यह थी कि मुकदमे इतनी बड़ी तादाद में थे कि ६ मजिस्ट्रेटों के द्वारा वह मुकदमे जल्दी निर्णीत नहीं हो पाते थे।

मान्यवर, सरकार ने फसला लिया है कि चार अतिरिक्त मैजिस्ट्रेट बढ़ाए जाएं जिससे मुकदमों का निबटारा जल्द से जल्द हो सके।

मान्यवर, पर्यटन विभाग के बारे में भी मैं कुछ कहना चाहता हूं। यह पर्यटन विभाग परिवहन विभाग से ही संबंधित है। इसलिये इसके संबंध में कहना चाहता हूं। जहां तक इसका संबंध है, खेद है कि अभी तक हमारे प्रदेश में पर्यटन विभाग के विकास की तरफ विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। इस वर्ष इस सरकार ने इसी दृष्टिकोण से कि इसका विकास करना है, प्रदेश में ऐसे बहुत से स्थान है जिनका विकास किया जा सकता है और उनको रोचक बनाया जा सकता है और इसके साथ ही साथ हम अपने प्रदेश के व्यापार की वृद्धि कर सकते हैं और फारेन एक्सचेंज प्राप्त कर सकते हैं। इसी ध्येय से १९६९–७० में पर्यटन योजना में आवास-गृह बनाने पर जोर दिया गया था जैसे मुनि-की-रेती में यात्री विश्रामालय, महोबा पर्यटक बंगले के लिये भूमि का क्रय, दिल्ली में पर्यटक कार्यालय की स्थापना, कारबेट नेशनल पार्क के विकास की योजना आदि। १९७०-७१ में पर्यटन के लिये १६.१२ लाख रुपये का प्राविधान था उसमें देवप्रयाग तथा रुद्र प्रयाग में यात्री विश्रामालय निर्माण, अल्मोड़ा हाली डे होम इत्यादि के लिये प्राविधान है। इसके अतिरिक्त मसूरी, पौड़ी, ऋषिकेश, महोबा, चित्रकूट और मथुरा आदि स्थानों में पर्यटक बंगले बनाने का भी प्राविधान है। लखनऊ तथा इलाहाबाद के पर्यटक बंगलों के विस्तार की भी योजना है।

१९७१-७२ में १६ लाख रुपये का प्राविधान पर्यटक योजना के अधीन प्रस्तावित है जिसमें रुद्र प्रयाग, श्रीनगर, मसूरी, पौड़ी, ऋषिकेश, महोबा आदि ११ स्थानों में यात्री विश्रामालय, पर्यटक बंगले, हाली डे होम तथा वर्तमान आवास-गृहों के सुधार का प्राविधान रखा गया है।

[श्री बलराम सिंह यादव]

मान्यवर, मैंने आपके सामने तथा माननीय सदस्यों के सामने परिवहन विभाग के कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की जिस ओर हम अग्रसर हो रहे हैं। उसके संबंध में मैंने आपका ध्यान दिलाया है। मैं कहना चाहता हूं कि जो भी सुझाव माननीय सदस्यों के होंगे, मैं उनका स्वागत करूंगा और कोशिश करूंगा कि उनको कार्य-रूप में परिणित किया जाय।

*श्री राम कुमार दीक्षित (जिला कानपुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूं। वह इस प्रकार का है कि "संपूर्ण अनुदान संख्या ३७ तथा अनुदान संख्या ५१ के अधीन मांगों की राशियों को घटा कर एक-एक रुपया कर दिया जाय।" कमी करने का उद्देश्य- सरकार की विभागीय नीतियों की आलोचना करना तथा सुझाव देना। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके पहले कि मैं इस परिवहन विभाग के संबंध में, उसकी नीतियों के संबंध में कुछ कहूं, उनकी आलोचना करूं, एक बात की ओर आपका ध्यान बड़ी नम्रता के साथ आकर्षित करना चाहता हूं। चाहता तो यह था कि माननीय मुख्य मंत्री जी इस समय यहां मौजूद होते और मैं यह बात उनकी उपस्थिति में निवेदन करता। वह इसलिये चाहता था कि इस बात का संबंध हमारे मंत्रि-परिषद् से है। श्रीमन्, हमारे प्रदेश की जो यह नई सरकार है उसके मंत्रि-परिषद् का गठन हुआ और उस मंत्रि-परिषद् में इस विभाग के जो मंत्री जी हैं, उनके संबंध में इस हाउस में मेरठ के प्रसंग को लेकर तीन-चार घंटे की चर्चा हो चुकी है और स्कूटर तथा कारों के आवंटन को लेकर सवालों के समय चर्चा हो चुकी है। यदाकदा जब भी सेशन की इस थोड़ी सी अवधि में जब भी कोई प्रश्न आया है और परिवहन के प्रश्न को लेकर चर्चा चल पड़ी है तो उस चर्चा में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मंत्री जी का संबंध लोगों से उससे स्थापित किया है और उस विषय में सदन में मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित किया गया है।

श्री अध्यक्ष—

आप मंत्री जी पर न बोलें। अनुदान पर बोलें।

श्री राम कुमार दीक्षित—

ऐसे महत्वपूर्ण विभाग को, ऐसे महत्वपूर्ण पद को मंत्रि परिषद् के एक ऐसे योग्य व्यक्ति को दिया गया है, जिसकी योग्यता के कारण ही, उसके कार्य-कलापों के कारण ही सदन का बहु-मूल्य समय लगातार किसी न किसी प्रसंग को लेकर, यदि मैं कहूं कि व्यर्थ जाता रहा है, तो अत्युक्ति नहीं होगी। यह बात मैं इसलिये कह रहा हूं कि मंत्रि परिषद् पर यदि कोई आंच आती है, सदन में यदि कोई बात उसके विरुद्ध उठती है तो सारा प्रदेश उससे कलंकित होता है। इस प्रदेश के इतिहास में इस प्रकार का कलंक शायद कभी नहीं लगा था। केन्द्र में सुना जाता था कि कभी कभी सदस्यगण सी० बी० आई० की जांच की मांग करते थे, मिनिस्टरों के भ्रष्टाचार के बारे में कभी-कभी चर्चा सुनी जाती थी लेकिन प्रदेश में इस प्रकार की चर्चा, मेरी जानकारी में, इससे पूर्व नहीं उठी। ऐसी सूरत में जिस विभाग का कार्यभार ऐसे महत्वपूर्ण और जिम्मे-दार मंत्री के हाथ में होगा, उस विभाग की क्या दशा होगी, जब मैं इसको सोचता हूं तो उस विभाग पर मुझे तरस आता है और जिसका संबंध कि जनसाधारण से नित्यप्रति का है।

श्री अध्यक्ष—

आप तो मंत्री जी के विषय में ही बोल रहे हैं।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

अध्यक्ष महोदय, यह तो अपना-अपना बोलने का तरीका है। कोई नीचे से शुरू करता है ऊपर को जाता है और कोई ऊपर से शुरू करता है नीचे को जाता है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राम कुमार दीक्षित—

उस विभाग की जैसी दशा होगी, उसके बारे में इस थोड़े से समय में पूर्ण रूप से तो नहीं, जितना कह सकूंगा, बताने की कोशिश करूंगा ।

जैसा कि माननीय परिवहन मंत्री जी ने कहा कि इस विभाग की स्थापना इस उद्देश्य को लेकर हुई थी कि यातायात में यात्रियों को सुविधा हो और उसके साथ ही साथ प्रदेश में जो बेरोजगारी है, उसको दूर किया जाय । मेरा तो कहना यह है कि राष्ट्रीयकरण का सबसे पहला प्रयास हमारे ही प्रदेश में मई १९४७ में किया गया है । हिन्दुस्तान में किसी सूबे में उससे पूर्व राष्ट्रीयकरण की योजना किसी भी सेक्शन में या किसी भी विभाग में नहीं बनायी गयी थी । हम गौरव से अपना सिर ऊंचा करते हुए यह महसूस करते हैं कि सबसे पहले राष्ट्रीयकरण की शुरुयात हमारे प्रदेश ने ही की और राष्ट्रीयकरण के इस पवित्र कार्यक्रम को जिस मंशा से चलाया वह भी चाहते थे कि इस प्रदेश में यात्रियों को सुविधा मिलेगी और बेरोजगारी भी दूर होगी । लेकिन इतने समय में इस प्रदेश में जो राजकीय रोडवेज की प्रगति हुई या जिस बड़ी मात्रा में उससे बेरोजगारी दूर करने की आशा थी उसमें वह पूर्णतया असफल रही है ।

जहां तक पहले प्रश्न का संबंध है कि वह इस प्रदेश में यातायात की सुविधा पूरी तरह से लोगों को देना चाहते हैं इस कार्यक्रम के द्वारा, मैं बहुत बातों की ओर न जाकर एक ही बात की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा और माननीय मंत्रीजी स्वयं उसे देख लेंगे कि इस प्रदेश में वर्षों इस योजना के चलने के बाद भी आज राजकीय रोडवेज की बसों की संख्या केवल ४,०५८ है और लगभग १९ हजार किलोमीटर सड़कों पर वह चलती है जबकि निजी बसों की संख्या ५,७७० है और वह मेरी अपनी जानकारी के अनुसार लगभग ८ हजार किलोमीटर सड़कों पर चलती हैं । इसके साथ ही आप एक बात और देख लें कि इस समय प्राइवेट टैक्सियों की संख्या ३,५६९ है जबकि आपकी टैक्सियों की संख्या केवल १२५ है । क्या यही इस विभाग की स्थापना के पीछे मूलभूत सिद्धान्त था कि इस प्रकार आप इस प्रदेश के प्रत्येक जन मार्ग पर अपनी बसों द्वारा यात्रियों को यात्रा की सुविधा देंगे ? हम देखते हैं कि उत्तरोत्तर इसके विपरीत आचरण हो रहा है । वह इस तरह से कि आपकी बसें जितनी हैं उसके मुकाबले निजी बसों की संख्या रोज बढ़ती है । ऐसा लगता है कि विभाग ने कभी इस बात पर सोचने का कष्ट नहीं किया कि प्राइवेट बसें तो ५,७७० की संख्या में चलती है और हमारी बसें ऐसी स्थिति में क्यों है ।

मैं मानता हूं कि आपकी आर्थिक परेशानियां हैं जिसके कारण आप उतनी बड़ी व्यवस्था नहीं कर सकते, लेकिन जो कदम आपने उठाया उस कदम को पीछे तो वापस ले नहीं जा सकते, आपको तेजी से आगे बढ़ना चाहिए । अब तो एक फैशन हो गया है राष्ट्रीयकरण का । नित्य राष्ट्रीयकरण की बात कही जाती है, सभी सेक्टर्स में, प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में, किन्तु राष्ट्रीयकरण के बाद जो परिणाम हमको दिखाई देते हैं उनसे ऐसा लगता है कि राष्ट्रीयकरण जैसे पवित्र कार्यक्रम के साथ, जिसके द्वारा समाजवाद की बुनियादी तौर से स्थापना हो सकती है, इस प्रदेश की सरकार मखौल कर रही है । निश्चित रूप से राष्ट्रीयकरण के द्वारा हम इस प्रदेश की जनता को वह सहूलियत दे सकते हैं जिसकी कामना वह करती थी जब इन प्राइवेट बसों को समाप्त करने की घोषणा हुई और सड़कों का राष्ट्रीयकरण हुआ ।

श्रीमन्, वह वहीं हुआ और आज भी बड़ी विचित्र स्थिति है कि उस तरफ माननीय मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कोई उसकी घोषणा नहीं की कि आगामी वर्ष वह क्या करेंगे और कितने रूट्स का राष्ट्रीकरण करेंगे और न आज वह इस स्थिति में है कि वह यह घोषणा करें कि इस प्रदेश में निजी बसों की कोई आवश्यकता नहीं है या हमारा विभाग इस प्रदेश के लोगों की सेवा करने में पूरी तरह से सक्षम है । मुझे ऐसा लगता है कि वह पूरी तरह से असमर्थ हैं नहीं तो उनको यह घोषणा करनी चाहिये थी । उन्होंने इस प्रकार की कोई घोषणा नहीं की । हो सकता है वे अपने उत्तर में इसकी घोषणा करें । मुझे आशा है कि इस प्रकार की

[श्री रामकुमार दीक्षित]

घोषणा वह अपने भाषण में करगें कि निश्चय ही इस अवधि तक इस प्रदेश और ज्यादा स्थानों पर हमारा विभाग पूरी तरह से राष्ट्रीयकरण कर देने और यदि वे नहीं कर पाते हैं तो इसका उत्तर भी वह अपने उत्तर में देंगे। जो कार्यक्रम वह अपने हाथ में लेकर चल रहे हैं क्या उसको सफल मानना चाहिये ? मैं ऐसा समझता हूं कि इसका उत्तर नकारात्मक ही आयेगा ? निश्चय ही वह इस बात से सहमत होंगे कि आजतक की जो उनकी योजना है उसमें कहीं भी इस प्रकार की गुंजाइस नहीं है कि जिससे हम आशा करें कि निकट भविष्य में इन निजी बसों को समाप्त कर सरकारी बसें उन पूरे रूट्स पर चालू कर देंगे।

एक बात और है कि जहां तक इन बसों का हाल है और इन प्राइवेट बसों की स्थिति एक दृष्टि से विचार करके देखें कि आज आपकी बसों की क्षमता, उन बसों की कार्य कुशलता और उन बसों से मिलने वाली यात्रियों को सुविधा तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाय तो मैं यह कहूंगा कि निजी बसें जो आज हमारे इस प्रदेश में विभिन्न रूट्स पर चल रही हैं उनसे ज्यादा सुविधा यात्रियों को मिलती है। और वह ज्यादा आरामदेह है और ज्यादा संतोषप्रद सेवा करती हैं और ज्यादा विश्वसनीय है। आपकी बसों पर लोगों का भरोसा नहीं है क्योंकि वे समय से चलती नहीं है। बसें खराब रहती हैं। बसों पर भरोसा नहीं है कि वे एक स्थान से चलकर दूसरे स्थान पर पहुंच जायेंगी। ऐसी अवस्था आपके विभाग की बसों की है। जब प्राइवेट बसें ज्यादा अच्छी सेवा करती हैं। क्या हम माननीय मंत्री जी से आशा करें कि वह ऐसा उपाय करेंगे कि जिससे उनके विभाग की बसों की क्षमता बढ़े, बसों से ज्यादा सेवायें लोगों को मिले और उन बसों से लोगों को ज्यादा आरम बढ़े। ऐसा प्रबंध वह करेंगे ऐसी मुझे आशा है।

मंत्री जी ने बताया कि जो बसें चल रही हैं वे पुरानी हैं और बहुत समय से चल रही हैं। १०० महीने चलने के बाद कोई बस आउट रूट की जाती है लेकिन हमने देखा कि कुछ बसें ऐसी होती हैं जो सड़कों पर चलती हैं। आपके वर्कशाप से धक्का देकर निकलती हैं, उनमें डिफेक्ट होता है। वह सड़क पर फेल हो जाती हैं। रास्ते में यात्री पड़े रहते हैं। आप उस सेवा को देखें जो आपका विभाग करता है। जिस समय रास्ते में बस फेल हो जाती है तो यात्रियों पर क्या प्रभाव पड़ता है इसको विचार कर देखें। मैं समझता हूं यात्रियों में उसके विरुद्ध निराशा उत्पन्न हो रही है। उसके मन में यह विश्वास घर करता जा रहा है कि बसों की दयनीय दशा देखकर आपका विभाग कोई थोड़ी सुविधा का काम भी नहीं कर पायेगा। मैं समझता हूं मंत्री जी का ध्यान इधर आयगा कि जो बसें खराब स्थिति में चल रही है उनको सुधारा जाय और निश्चित उपाय किया जायगा।

साथ ही साथ आपने अभी यह कहा कि हमने यह कोशिश की है कि जो हमारी वर्कशाप है जो हमारी डिपो है उनमें अच्छे और कुशल किस्म के लोगों को रखेंगे मैं ज्यादा इसके ब्योरे में जाना नहीं चाहता कि आपके आदमी कितने दक्ष कुशल और योग्य हैं लेकिन इसी सदन की समिति जो लोक लेखा समिति है उसकी ही यह रिपोर्ट मेरे सामने है इसके एक अंश को पढ़कर सुनाना चाहता हूं जिससे आप अन्दाजा कर सकेंगे कि क्या स्थिति इनके कर्मचारियों की है इसमें लिखा है कि जांच के अनुसार किलोमीटर परिचालन आदि में गिरावट का कारण यह बताया गया है कि राष्ट्रीयकृत रूटों पर निजी परिचालकों द्वारा अनधिकृत परिचालन, वाहनों का दोषपूर्ण अनुरक्षण, वर्कशाप सुविधाओं की देर से होने वाले व्यवस्था और अनिच्छुक अयोग्य कर्मचारियों की तैनाती। मंत्री जी कहते हैं कि हमने वहां बड़े कुशल, दक्ष और योग्य कर्मचारी रखे हुए हैं और सदन की यह समिति अपनी रिपोर्ट में कहती है कि अनइच्छुक व अयोग्य कर्मचारी रखे गये है तो मुझे अब अधिक उनके कुशल या योग्य अयोग्य की बात कहना नहीं है उसका प्रमाण तो मंत्री जी के सामने है जब कि एक सदन की समिति की फाइडिंग हो गई कि उनकी दक्षता और योग्यता इस प्रकार की है। ऐसी हालत में वह उनकी योग्यता और कार्य कुशलता की झूठी वकालत क्यों करते हैं जो चीज रिपोर्ट में दी गई है उसका नग्न स्वरूप प्रदेश के सामने आप आने देवें और लोगों को इस का ज्ञान होने देते कि आपके कर्मचारी किस प्रकार के हैं।

इन वर्कशाप के बारे में मैं कह रहा था कि इनकी बड़ी दुर्गति है। मैं ऐसा महसूस करता हूं कि कानपुर की सेन्ट्रल वर्कशाप की जब स्थापना हुई तो उसके विषय में बड़ी बड़ी बातें कही गयीं और कहा गया कि उसके द्वारा बेरोजगारी की समस्या भी हल होगी और उसमें काफी लोगों को रोजगार मिलेगा। कुछ हद तक लोगों को रोजगार मिला भी गरीब कर्मचारी वहां काम करते हैं, उनको काम तो मिला लेकिन उसके बदले वहां और क्या हुआ। जो वर्कशाप की स्थापना का मूल उद्देश्य था वही समाप्त हो गया। यह आशा की गई थी वहां एफीशियेन्ट और टेक्निकल ज्ञान रखने वाले लोगों की नियुक्ति होगी जिनके द्वारा बसें नियंत्रित ढंग से सुधरेगीं और उनके द्वारा प्रदेश की सेवा हो सकेगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बराबर सेन्ट्रल वर्कशाप की कार्य कुशलता की चर्चा है कि वहां जिस स्तर का काम आज से ७–८ साल पहले होता था, जिस दक्षता के साथ होता था और जिस मेहनत से वहां पर लोग काम करते थे वह अब नहीं हो रहा है। अब तक सेन्ट्रल वर्कशाप में बाडी बनाने का जो काम होता था और मेरी जानकारी है कि वहां पर ढाई चेसिस प्रतिदिन तैयार करने का रिकार्ड था लेकिन अब वहां केवल डेढ़ चेसिस ही रोज बन पाता है यह वहां की दक्षता का प्रमाण है। हम कह सकते हैं कि वर्कशाप की दक्षता, कार्य कुशलता उत्तरोत्तर गिरती जा रही है।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं और बहुत नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि हम लोगों को और पूरे प्रदेश को यह विश्वास था कि सरकारी रोडवेज की बसों का निर्माण का काम, मरम्मत आदि का काम वहां के कर्मचारियों के द्वारा किया जायगा लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि जब मुझे यह जानकारी हुई कि वहां भी ठेके की व्यवस्था कर दी गई है और वहां ठेके पर ठेकेदारों से बाडीज बनवाई जा रही हैं। मैं नहीं समझता कि यह कौन सा उसूल है एक ओर तो वर्कशाप की स्थापना इस ध्येय से की गई कि वहां बसों की हर तरह की मरम्मत होगी लेकिन आज बसों के बाडी बनाने का आवश्यक काम प्राइवेट ठेकेदारों के द्वारा कराया जा रहा है। आप कह सकते हैं कि बहुत से चेसिस, १,५०० चेसिस एक बार खरीदे गये।

श्रीमन्, उसकी प्रगति की बात भी थोड़ी सी कह दी। १,५०० चेसिस अदूरदर्शिता से इस विभाग ने खरीदे। इनको यह अन्दाज नहीं था कि हमारे पास जो साधन हैं उन सीमित साधनों से हम कितना अधिक कितनी जल्दी उनमें बस बाडी बनाकर उनको रूट्स पर भेज सकेंगे। हमारे पास स्थान भी था या नहीं था लेकिन खरीद लिया। मैंने देखा कानपुर में वर्षों ऐसी खाली जगहों में चेसिस खड़े रहे बारिश में जिनमें घुटनों तक पानी भर जाता था सारे चेसिस डूब जाते थे। अब भी उनमें बहुत सारे खड़े हैं बिना अनुमान किये बिना सोचे समझे ये चेसिस खरीदे गये। खैर, यह वह बात है जो विभाग की अदूरदर्शिता है। उसमें आडिट रिपोर्ट में भी और पी० ए० सी० की रिपोर्ट में भी इसकी बड़ी आलोचना हुई है। इस अदूरदर्शिता के कारण लगभग दो करोड़ रुपया फंस गया। यह विभाग को नहीं करना चाहिये। लेकिन श्रीमन्, यह किया उन्होंने क्योंकि ये अभ्यस्त हैं उस कार्य को करने में। कभी-कभी विवेक से कभी भी दूरदर्शिता से कोई काम न करें। ऐसा इनका एक ढंग है काम करने का। उस तरीके से ये काम कर रहे हैं।

श्रीमन्, जो बात मैं कह रहा था कि इन बसेज की बाडी बनने का काम प्राइवेट ठेकेदारों को क्यों दिया गया। मैं नहीं समझ पाया। बहुत सोचता रहा तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो वर्कशाप से बाडी बनते थे उन में जो हमारे विभाग के अधिकारी हैं या जो वरिष्ठ कर्मचारी हैं या जो दूसरे उच्च अधिकारी हैं उनको उसमें पैसा नहीं मिलता था या उनको आर्थिक लाभ नहीं हो पा रहा था। उनकी बेईमानी या भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति पूरी नहीं हो पा रही थी। इसलिये तो नहीं श्रीमन्, इन्होंने ऐसी व्यवस्था कर दी कि अब प्राइवेट व्यक्तियों से ये बाडीज बना करेंगी। हो सकता है यह बात गलत हो। मेरा ऐसा संदेह है और उस संदेह के आधार पर यह बात कहता हूं कि आखिर इसकी सफाई दें कि मंत्री जी क्यों प्राइवेट ठेकेदारों को बढ़ावा दिया बसों की बाडी बनाने का काम उनको सुपुर्द किया गया। अगर आप क्षमा करें

[श्री रामकुमार दीक्षित]

तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो प्राइवेट ठेकेदारों के द्वारा जो बसेज की बाडी बनकर आई हैं वह डेढ़ वर्ष दो वर्ष में इस दशा को पहुंच गई हैं कि उनमें केवल डिब्बे ठीक से रह गये हैं। उनमें एकदम खराब, कमजोर और घटिया किस्म की चद्दर लगाई गई है सारे नट और बोल्ट्स ढीले पड़ गये हैं। वह ठक ठक करती चलती है। एक ओर सेन्ट्रल वर्कशाप है जिसकी मान्यता है और प्रदेशों में भी।

मैंने बहुत से प्रदेशों की समीक्षा पढ़ी जिसमें उन्होने माना है कि उत्तर प्रदेश की कानपुर सेंट्रल वर्कशाप अपने बाडी बनाने के काम में सबसे अधिक दक्ष है। लेकिन श्रीमन् ऐसी दक्ष संस्था को आपने उसके विकास के लिये कोई चेष्टा नहीं की। आप उसकी प्रगति कुछ बढ़ाते और उसका कुछ क्षेत्र व्यापक होत । उसमें कुछ ज्यादा लोग रोजगार पा जाते ज्यादा कारीगर लग जाते और जो ठेकेदारों के पास बसें बनतीं वे बसें आपकी सेन्ट्रल वर्कशाप में बनतीं। मेरा ऐसा विश्वास है कि जो करोड़ों रुपयों की क्षति हुई है जिसकी कि समीक्षा इस प्रदेश की समय-समय पर आने वाली आडिट रिपोर्ट में की जायेगी भविष्य में उनसे अन्दाज लगेगा कि जो जो आपने काम किया उससे करोड़ों रुपया अपव्यय हुआ आपकी उस अदूरदर्शिता के कारण जिसको आपने समय से नहीं किया। श्रीमन्, हमने चाहा था कि ये अपनी वर्कशाप का विस्तार कर दें और इसका विस्तार करके इस बस बाडी के बनाने का काम स्वयं करते जिसको इन्होंने नहीं किया। यह स्पष्ट रूप से इस विभाग के ऊपर संदेह का चार्ज प्रस्तुत करता है। संदेह पैदा होता है इनकी ईमानदारी के बारे में इनके उच्चादर्शों के खोखलेपन के बारे में, सारे उच्चादर्शों की बात करते हैं लेकिन बिल्कुल खोखलापन है।

श्रीमन्, एक बात और इसी सेन्ट्रल वर्कशाप के संबंध में कहना चाहता हूं। लगभग १२ साल से करीब २३–२४ लाख रुपये के स्पेयर पार्टस बेकार पड़े हुए हैं जिनका कोई स्तेमाल नहीं हुआ। मैंने वहां के एकाध वरिष्ठ अधिकारियों से बात की तो उन्होंने कहा कि यह तो आउट आफ डेट हो गए, इनका अब कोई स्तेमाल हमारे यहां नहीं हो सकता। मेरी समझ में बात नहीं आयी तो मैंने उनसे फिर पूछा तो उन्होंने बताया कि अब इस प्रकार की मशीनरी आने लगी है जिसमें यह फिट नहीं हो सकते। तो यह विभाग इतना सचेष्ट है कि २३–२३ लाख रुपये के पार्ट्स गोदाम में सड़ रहे हैं जो कल रा मैटीरियल की तरह नीलाम हो जायेंगे? यह इस विभाग की योग्यता का परिचायक है?

श्रीमन्, सेन्ट्रल वर्कशाप के जो सब डिपोज हैं उनमें सर्विस मैनेजर्स होते हैं और फोरमैन होते हैं। लेकिन इस विभाग में जो जनरल मैनेजर्स हैं उनका सर्विस मैनेजर और फोरमैन से कोई ताल-मेल नहीं है और यदि यह कहा जाय कि जनरल मैनेजर की आज्ञा की पूरी अवहेलना सरविस मैनेजर और फोरमैन करते हैं तो कोई अतिशयोक्ति न होगी। श्रीमन्, उनमें ताल-मेल अवश्य होना चाहिये। ताल-मेल न होने का परिणाम क्या है? जैसे रूट पर बस जानी है, तो वह किस समय निकलेगी इसका कोई अन्दाज नहीं होता क्योंकि इस मामले में जनरल मैनेजर तथा उनके अधीनस्थ काम करने वाले कर्मचारियों का कोई अधिकार नहीं होता। बस निकलेगी फोरमैन की इच्छा से या सर्विस मैनेजर की इच्छा से। सर्विस मैनेजर जब चाहेंगे, फोरमैन की जब कृपा होगी तब आयेगी। यात्रियों की सुविधा का कोई ख्याल नहीं।

जो करटेलमेन्ट आपने किए हैं, आप ही की पुस्तिका के आंकड़े हैं, अप्रैल से सितम्बर तक १७ लाख ५६ हजार ७१० ट्रिप लगती थीं, लेकिन १४ लाख ६२ हजार ५४३ ट्रिप ही लगीं। इस प्रकार २ लाख ९४ हजार १६७ करटेलमेन्ट हुए। क्या किसी भी विभाग के लिये यह शोभा की बात है कि १७ लाख में से २ लाख यानी एक बटा आठ करटेलमेन्ट हो? तो इस प्रकार का कलंक इस विभाग पर लगता है जिसको दूर करने की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता। इसके पीछे कारण क्या है? कारण यही है कि ताल-मेल नहीं है। और इसका नतीजा क्या होता है श्रीमन्? इन पर तो कुछ असर नहीं पड़ता क्योंकि यह तो कूलर में बैठते हैं और

एयर कन्डीशन्ड गाड़ियों में इनके अधिकारी चलते हैं। कष्ट होता है हम जैसे यात्रियों को जो घंटों प्रतीक्षा करते हैं बस स्टेशन पर कि भाग्यवश कोई बस आने वाली होगी डिपो से निकलकर तो उससे हम अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जायेंगे लेकिन, श्रीमन्, वह आती नहीं है। इसका सीधा प्रभाव उन लोगों पर पड़ता है जो इनके सहारे रहते हैं और जो इनकी बसों के द्वारा यात्रा करते हैं।

(लाल बत्ती होने पर)

अभी तो शुरूआत ही कर पायी थी—लाल बत्ती हो गयी।

श्री अध्यक्ष—

क्या शाम तक बोलेंगे—आज बहुत से लोग बोलने में दिलचस्पी रखते हैं।

श्री राम कुमार दीक्षित—

इसमें दिलजस्पी रखने वाले बहुत कम लोग होंगे। छुट्टी के कारण बहुत सारे लोग तो चले गये हैं, कोरम भी पूरा नहीं होगा और तब आप कहेंगे कि कोरम पूरा नहीं है। मैं १५ मिनट में खत्म कर पाऊंगा।

श्री अध्यक्ष—

आपको १० मिनट देंगे।

श्री राम कुमार दीक्षित—

तो बसों के कर्टेलमेन्ट की ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट कर रहा था। इस विभाग में जो इस प्रकार की गड़बड़िया हैं और बसों का कर्टेलमेन्ट होता है वह कोई अच्छी बात नहीं है। जब आप बसों को समय से नहीं चलाते हैं तब फिर आपने अपनी पुस्तिका में क्यों लिखा है कि हमारी बसें समय से चलती हैं। मुझे पता नहीं है कि मंत्री जी और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने, जिन्होंने कि इन आंकड़ों को तैयार किया है, कभी देखा या नहीं। यह चेष्टा होनी चाहिये कि गाड़ियों का कर्टेलमेन्ट न हो। जब आपने एक गारंटी ली है और जिम्मेदारी ली है तो उस जिम्मेदारी का निर्वाह भी होना चाहिए।

अब मैं कुछ दूसरी बातों की ओर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। इस सदन में स्कूटरों, फियट गाड़ियों और एम्बेसडर गाड़ियों के आवंटन के बारे में काफी चर्चा हो चुकी है। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं, वे बातें तो सदन के रेकर्ड में हैं ही। मंत्री जी ने अपने उत्तर के सिलसिले में जो लिस्ट बांटी थी उसको मैंने बड़े गौर से देखा और, श्रीमन्, उसको देखने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि शायद ही कोई भाग्यशाली विधायक होगा जिसे दो स्कूटर वेस्पा या लम्बरेटा, न मिले हों। कोई मुझ जैसा अगाभा रह गया होगा जिसे कोई स्कूटर आवंटित न किया गया हो। वे भाग्यवान लोग थे जिन्हें मिले। वैसे विधायकों को तो मिलने ही चाहिए थें, यह उनका हक था। क्या मंत्री जी इस बात की घोषणा कर देंगे कि जिन्हें अब तक कोई स्कूटर नहीं मिला है उन विधायकों को अब दिलाने की व्यवस्था की जायेगी ?

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

नहीं, बहुत से विधायक हैं जिनको स्कूटर नहीं मिला है।

श्री रामकुमार दीक्षित—

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह प्रार्थना करूंगा कि संपूर्ण विधायकों को, जिन्हें अब तक स्कूटर नहीं मिला है, एक निश्चित अवधि के अन्दर उन्हें स्कूटर दिलाने की घोषणा करेंगे। मेरी ऐसी जानकारी है कि एक कोटे में २० वेस्पा और २० लम्बरेटा स्कूटर्स मिलते हैं। तो

[श्री रामकुमार दीक्षित]

एक कोटे में कुल ४० स्कूटर्स मिलते हैं और इस प्रकार कुल ८० स्कूटर्स मिले। उन ८० में से विधायकों को केवल १/३ भाग मिला। यह बड़ी लज्जा की बात है विभाग के लिये कि विधायकों को इतने स्कूटर मिले। इस प्रकार का वितरण किया गया मैं नहीं जानता किसने किया, मगर यह सारा चार्ज मंत्री जी पर है।

श्री मन्शी लाल चमार (जिला मैनपुरी)--

इस प्रदेश में ९ करोड़ जन संख्या है। क्या आप जनता की भी बात कह रहे हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)--

क्या यह सही है कि ९ करोड़ जनसंख्या को एक तरफ रख कर आपने २ स्कूटर और एक गाड़ी ले ली है ?

श्री मुन्शी लाल चमार--

मैंने कोई स्कूटर या गाड़ी के लिये एप्लीकेशन नहीं दी है, सिर्फ एक एप्लीकेशन दी है जो मैं अब जा कर लूंगा। मैंने किसी गाड़ी या स्कूटर का परमिट नहीं लिया है।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

मैं स्पष्टीकरण देता हूं। तालिका में नं० ३ पर आपका नाम है--श्री मुंशी लाल चमार का। दिसम्बर-फरवरी, १९७० में आपको एक लम्बरेटा मिला और मार्च-मई, १९७० में एक वेस्पा मिला। यह रेकार्ड यहां है।

श्री मुन्शी लाल चमार--

मैं यह स्पष्टीकरण करना चाहता हूं कि अगर मैंने एक भी स्कूटर लिया हो तो विधान सभा की सदस्यता से मैं इस्तीफा देकर चला जाऊंगा।

श्री अध्यक्ष--

इन बातों से एक दूसरे के ऊपर बौछार हो रही है। यह ठीक नहीं है।

श्री राम कुमार दीक्षित--

श्रीमन्, स्कूटर और फियट के आवंटन के विषय में मैं कहना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी एक इन्क्वायरी कमेटी बिठला दें। मुझे भी इस संबंध में कुछ जानकारी है वह बतला दूंगा लेकिन इन्क्वायरी कमेटी बैठे या मुख्य मंत्री जी स्वयं जांच कर लें। रिकार्ड में नाम होंगे। मेरी जानकारी है कि महिलाओं को ज्यादा दिये गये हैं। ज्ञात नहीं है कि ऐसा क्यों किया गया है। महिलाओं का परसेन्टेज ज्यादा हो सकता है या इसलिये दिये गये हों कि उनके पतियों को एक एक स्कूटर दिया जा चुका है तो पत्नियों को दे दो। श्रीमन्, जनश्रुति यह है कि स्कूटर की परमिट १ हजार रुपया में और फियट का परमिट ३ हजार रुपया में मिलती है। लेकिन यह काम कौन करता है। आप मुझे माफ करें तो मैं बतला दूं कि परिवहन मंत्री जी के यहां एक व्यक्ति उनके पी० ए० या और कोई अधिकारी हैं या नौकर हैं, नाम राम गोपाल है। वह अपने को मंत्री जी से अधिक हैसियत में रखकर बात करते हैं और अधिकारियों को आदेश दिया करते हैं। एक रोज मैं ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के आफिस में गया था तो श्रीमन् वहां देखने को मिला कि वह सज्जन आदेश प्रसारित करवा रहे थे। तमाम कन्डक्टर्स की नियुक्ति कर ली गई। मुझे आश्चर्य हुआ कि कन्डक्टर्स की नियुक्ति यहां से कैसे हो गई वह तो रीजन में आवश्यकता के अनुसार होती है। तो वह सज्जन यह काम भी करते हैं।

श्री अध्यक्ष--

जो व्यक्ति यहां मौजूद नहीं है उसका नाम लेना मुनासिब नहीं है।

श्री राम कुमार दीक्षित––

मैं नाम नहीं लूंगा। केवल चर्चा की वह इसलिये कि कलंक लगता है। उससे हम सबके सर झुकते हैं। आपके माध्यम से मुझे कहना है कि उनकी रोकथाम की जाय नहीं तो मंत्रिमण्डल की गरिमा गिरती है और मंत्रिमण्डल की गरिमा गिरने से प्रदेश पर लांछन आता है। श्रीमन्, आपने लाल बत्ती फिर दिखा दी।

श्री अध्यक्ष––

१० मिनट समय हो गया।

श्री राम कुमार दीक्षित––

एक बात और कहना चाहता हूं। बरेली में एक आर० टी० ओ० टन्डनजी हैं। उनके ऊपर बहुत चार्जेज हैं। दो हजार के हैं, ३ हजार के हैं, १५ हजार रुपये के हैं और २० हजार रुपये के हैं। रिश्वत लेने के चार्ज हैं। लेकिन वह बहुत माने हुये आर० टी० ओ० हैं। जैसा समय होता है उसी के अनुसार चलते हैं। श्रीमन्, इस आर० टी० ओ० के बारे में सनसनीखेज मामला आप देखें।

श्री अध्यक्ष––

आप इसे लिखकर भेज दें।

श्री राम कुमार दीक्षित––

भ्रष्टाचार के बारे में कहना चाहता हूं। मंत्री जी ने स्वीकार किया कि भ्रष्टाचार है। लेकिन उन्होंने भ्रष्टाचार स्वीकार किया कंडक्टर का, ड्राइवर का या और छोटे छोटे कर्मचारियों का। श्रीमन्, भ्रष्टाचार वहां नहीं है। भ्रष्टाचार ऊपर है। मंत्री जी के बारे में तमाम तरह की चर्चायें हैं और हाउस में भी आ चुकी हैं। मैं ट्रान्सपोर्ट कमिश्नर के दफ्तर में गया था। वहां एक एडवोकेट साहिबा मिली जिनका नाम है अनीस फातिमा। मुझे ऐसी सूचना है कि मंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि आर० टी० एम० के यहां के जो मुकदमें हैं उनकी पैरवी करने के लिये वे सारे केसेज उन्हीं (अनीस फातिमा) को दिये जांय। श्रीमन्, इससे अच्छा होता कि सरकार अपना कोई वकील रखती बजाय इसके कि ऐसे लोगों से मुकदमों की पैरवी करवाई जाय। और भी तरह तरह की चर्चा सारे प्रदेश में फैल रही है। हमारे कानपुर में चर्चा है और अगर आप मुझे नाम लेने के लिये क्षमा करें तो एक सीमा साहिबा हैं जिनके यहां कंडक्टर और ड्राइवर लोग अपना ट्रान्सफर करवाने या रुकवाने के लिये पहुंचते हैं। यह भ्रष्टाचार इस विभाग में फैला हुआ है। परिवहन मंत्री जी मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सदस्य हैं। उनके बारे में भी लोग चर्चा करते हैं। उनके वरिष्ठ अधिकारियों के बारे में चर्चा करते हैं।

श्री अध्यक्ष––

सदन में जो उपस्थित नहीं हैं आप उनका भी नाम ले रहे हैं।

श्री रामकुमार दीक्षित––

मैं तो और भी नाम दे सकता हूं और फैक्ट्स के साथ दे सकता हूं कि आर०टी० ओ० ने कितना रुपया लिया। श्रीमन्, मैंने इस विभाग की अक्षमता, अकार्यकुशलता के बारे में निवेदन किया, अधिकारियों की जो रीति नीति है उसके बारे में कहा, वर्कशाप में करोड़ों रुपये का सामान बगैर सोचे समझे मंगा लेते हैं उसके बारे में भी कहा। इनके यहां लाखों रुपये के पुर्जे डेड स्टाक में पड़े हुये हैं। प्राइवेट बसों के लिये ये कहते हैं कि परमिट नहीं देंगे लेकिन लखनऊ, कानपुर और कानपुर-झांसी कितनी प्राइवेट बसें चलती हैं जो वसूल के खिलाफ है। इससे तो अच्छा है कि मंत्री जी घोषणा करें कि रोडवेज की बसों के साथ प्राइवेट बसें भी चलेंगीं। अगर ऐसा कर दें

[श्री राम कुमार दीक्षित]

तो उनमें कंपटीशन होगा और इससे उनकी कार्य क्षमता बढ़ेगी। ऐसा न करके प्राइवेट आपरेटर्स को चुपके चुपके परमिट दे देना विभाग के लिये बड़े कलंक की बात है। जो बातें मैंने कहीं हैं उनका स्पष्टीकरण माननीय मंत्री जी अपने उत्तर में करेंगे।

श्री नौनिहाल सिंह (जिला मुरादाबाद)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। परिवहन विभाग ने अपने कार्यकलापों के बारे में जो टिप्पणी दी है उसके पहले पैराग्राफ को पढ़ें तो पता चलेगा कि इस विभाग से अच्छा कोई दूसरा विभाग नहीं है लेकिन अगर आप किसी बस स्टैंड पर जांय और वहां यात्रियों से बात करें तो वे बजाय रोडवेज के रांडवेज कहते हैं। तो वह यह क्यों कहते हैं, यह देखने की बात है।

अब यदि इनकम के लिहाज से आप प्राइवेट बस और सरकारी बस की तुलना कीजिये। प्राइवेट बस वाले अपना सब खर्चा निकाल कर एक दिन में १०० रुपया की नेट इनकम कर लेते हैं। आपके रोडवेज विभाग में ४०५८ बसें हैं। अगर इनकी इनकम का एवरेज निकाला जाय तो ५० रुपये रोज भी नहीं पड़ता है। अगर ५० रुपये रोज का मुनाफा हम लगा लें तो प्रति वर्ष ७ करोड़ का मुनाफा होना चाहिये, मगर यह जो तालिका दी गयी है मुनाफे की, इससे पता लगता है कि सन् १९५०–५१ से लेकर अब तक करीब २५ करोड़ का लाभ हुआ है। तो देखने की बात यह है कि आपकी रोडवेज की बस जो सबसे ज्यादा चलती है, इतनी कम इनकम देती है, और एक प्राइवेट बस इतना कम चलने पर भी इतनी ज्यादा इनकम देती है और उसे टैक्सेज भी सबसे ज्यादा पे करने पड़ते हैं तो इस सबका क्या कारण है। इससे तो बेहतर यह होगा कि सरकार रोडवेज की बसों को ठेके पर चलाने के लिये दूसरों को दे दे। इससे उसको कहीं ज्यादा आमदनी होगी।

अगर हमारे माननीय परिवहन मंत्रीजी को या ट्रान्सपोर्ट कमिश्नर को कभी बस से मुरादाबाद से कांठ या सम्भल को जाने का मौका मिले या वे जायें तो देखेंगे कि एक एक बस जो ५५ या ६० सीटर होती है ८०–८० आदमी बैठते हैं। प्राइवेट बस वाले का तो एक यात्री भी ज्यादा होने पर चलान कर दिया जाता है, मगर यहां आपको ८० और ९० आदमियों तक का बे बिल देखने को मिलेगा।

वर्कशाप इतनी निम्न श्रेणी की है कि काफी समय तक बसें खड़ी रहती हैं, उनकी मरम्मत नहीं होती। उनको पुरजे भी नहीं मिलते। एक सहायक जनरल मैनेजर जो ५–६ लाख रुपये कमाई करके देता है उसको यह भी अधिकार नहीं है कि वह १० हजार के पुर्जे भी इमरजेन्सी पड़ने पर खरीद सके। एक वाल्व भी अगर खराब हो जाता है तो गाड़ी खड़ी कर दी जाती है और जब बरेली से उसकी सैंक्शन जाती है तब वह खरीदा जाता है। तो मेरा सुझाव यह है कि सहायक जनरल मैनेजर को कुछ अधिकार पुरजे खरीदने का होना चाहिये ताकि छोटे मोटे पुरजे खराब होने पर गाड़ी खड़ी न रह सके।

एक बात और यह निवेदन करना चाहता हूं कि वर्कशाप का स्टाफ सीधे सहायक जनरल मैनेजर के एडमिनिस्ट्रेशन में न होकर अन्य अधिकारी के अन्डर में होता है। उस अधिकारी की और सहायक जनरल मैनेजर की आपस में चलती रहती है। जनरल मैनेजर को फेल करने के लिये वे लोग बसों को कभी समय से नहीं निकालते हैं कभी कोई टेक्निकल डिफेक्ट बता देते तो कभी कोई डिफेक्ट बता देते हैं।

श्रीमन्, रोडवेज में एक धक्का परेड होती है। १०० में से ८०–८५ बसें ऐसी होती हैं कि जिनको यात्रियों को उतर कर धक्का लगाना पड़ता है तब वे जाकर स्टार्ट होती हैं। मंत्री जी को देखना चाहिये कि गाड़ियां ठीक हालत में हों, यात्रियों को धक्का न लगाना पड़े।

एक बात बसों के ठीक समय से न चलने के बारे में कहना चाहता हूं। यह कन्डक्टर्स लोग काउन्टर पर तो लिख कर दे आते हैं कि मैं बस लेकर जा रहा हूं, लेकिन वे ऐसा लिख कर तो दे आते हैं और आकर कैन्टीन में बठ जाते हैं या और कहीं अपने काम से चले जाते हैं और यात्री बस में बैठे हुये परेशान होते हैं। इस ओर भी ध्यान देना चाहिये।

एक चीज कृषकों से संबंध रखती है। वह यह है कि ट्रैक्टर की ट्राली पर जो हमारे यहां टैक्स लिया जाता है। वह टैक्स ट्रैक्टर की ट्राली पर हरियाना और पंजाब में नहीं लिया जाता, लेकिन यू० पी० में उस पर टैक्स लगाया जाता है। इसके अलावा भी जो शर्तें उन्होंने रखी हैं वे भी उचित नहीं हैं। जिन अधिकारियों ने ये सुझाव दिये हैं, उन्हें यदि हिमाकत का गोल्ड-मेडेल मिल जाये तो बहुत अच्छा हो। उन पर शर्तें लगी हैं कि उनमें ब्रेक अवश्य होना चाहिये, दूसरी चीज उसका एक साईज रख दिया है, यद्यपि वह एप्रूव साईज नहीं है। तीसरी चीज यह है कि चेसीज पर नम्बर जरूर होना चाहिये। हालांकि तीनों चीजें लगाई गई हैं लेकिन जो ट्रालीज रजिस्टर्ड हुई हैं उनमें से मुश्किल से २० प्रतिशत इसे पूरा करती हैं और ८० प्रतिशत पर चेसीज पर नम्बर नहीं हैं न ही साईज ही है। यह चीजें जरूरी नहीं हैं, फिर भी इन्हें रखा गया है और अफसोस है इनका भी पालन नहीं होता है। साईज यदि देखेंगे तो किसी का ट्रैक्टर छोटा साईज है, किसी का बड़ा और किसी का मध्यम साईज है। उसी के अनुसार किसान अपनी ट्राली बना लेते हैं। एक साईज मुकर्रर कर देने से किसानों के लिये यह बड़ा दुखदायी है। नम्बरवाली भी जो बात है वह बड़े किसानों के लिये ही ठीक है। बड़े किसानों की ही ट्राली के चेसेज नम्बर वाले होते हैं। छोटे किसान तो दिल्ली से उसका सामान ले आते हैं, और अपनी ट्राली बना लेते हैं, उस पर न तो चेसीज का नम्बर होता है और न हो सकता है। ऊंची ऊंची फर्मों वालों की ट्राली पर ही नम्बर हो सकता है जिसका मूल्य बहुत अधिक होता है। ब्रेक सिस्टम भी उनमें होता है। छोटे किसानों के लिये ट्राली में ब्रेक की भी एक समस्या है। पर्वतीय क्षेत्र की तो बात दूसरी है, लेकिन यदि आप मैदानी क्षेत्र में भी यह बात आप लायेंगे तो वह बहुत बड़ी समस्या बन जायगी। इस तरह से कैसे अपना उत्पादन कृषक बाजार में ले जायें और लायें। कभी कभी ट्रैक्टर पीछे डनलप गाड़ी बांध लेते हैं। तो ट्रैक्टर की ट्राली के लिये मुख्य रूप से निवेदन करूंगा कि उसी प्रकार उनके रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था कर दें जैसे टोकेन फीस देकर ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन हो जाता है और प्रत्येक वर्ष उसको पास कराने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसको मंत्री जी जरूर देखें।

एक बात और मैं टैक्सियों के बारे में कहना चाहता हूं। टैक्सियों को यदि आप उदारता से परमिट दे रहे हैं तथा अन्य फेसिलिटीज दे रहे हैं, तो विभाग की तरफ से यह नियम बनाया जाय कि हर टैक्सी में मीटर अवश्य लगा हो और जिसमें यह न हो, उसे किसी भी हालत में पास न किया जाय। मीटर न होने के वजह से आज टैक्सीवाले मनमाना किराया वसूल रहे हैं। मीटर न होने से वह वाजिब किराये का दो-ढ़ाई गुना वसूल लेते हैं। किसी भी रूट पर बिना मीटर के टैक्सी को पास न किया जाय।

आपके विभाग के जो छोटे कर्मचारी हैं, उनके साथ बड़ी ज्यादती हो रही है ८–८, १०–१० साल तक उनको वर्कचार्ज में रखा जाता है, स्थाई नहीं किया जाता है। विभाग में जो वर्दियां कंडक्टर्स और ड्राइवर्स को दी जाती हैं, उसमें सिलाई का प्राविधान किया गया है, लेकिन उसमें भी बड़ा अंतर है। ड्राइवर को कुछ सिलाई मिलती है और कन्डक्टर और अन्य छोटे कर्मचारियों को कुछ और सिलाई मिलती है और जो फोरमन होगा उसको और मिलेगा। जिस प्रकार पुलिस में एस० पी० के घोड़े को १२५ रुपये और थानेदार के घोड़े को ४५ रुपये मिलते हैं जैसे एस० पी० के घोड़े और थानेदार के घोड़े की घास में भी फर्क होता है। इसी तरह इस डिपार्टमेंट में सिलाई में भी अन्तर होने लगे तो ताज्जुब की बात नहीं होगी।

[श्री नौनिहाल सिंह]

मैं दो-तीन मुख्य मांगे और रखना चाहता हूं, वह यह है कि आप की जो सिटी बस सर्विस मुरादाबाद रोडवेज स्टेशन से चलाई जाती है मुरादाबाद से कांठ के लिये, उनसे अगवानपुर की सवारियों को कोई सवारी नहीं मिल पाती है। अतः मुरादाबाद से अगवानपुर के लिये सिटी बस की व्यवस्था की जाय। मुरादाबाद से २० मील सम्भल और २० मील कांठ है। इन मार्गों सिटी बस सर्विस चल रही है। मुरादाबाद से रामपुर और मुरादाबाद से भोजपुर मार्गों पर सिटी बस सर्विस चलाने की और व्यवस्था की जाय। इन शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं और आप को धन्यवाद देता हूं।

*श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)--

अध्यक्ष महोदय, मैं कटौती का प्रस्ताव करते हुये चन्द बातें ही मुख्तसर कहूंगा और चाहूंगा कि मंत्री जी उनको समझने की कोशिश कर लें। मंत्री जी की अभी चार ही महीने की जिन्दगी है सरकार में और शायद विधायक के रूप में बहुत जानकारी रही हो। परन्तु जो विभाग ने उन्हें चारों तरफ से घेर रखा है उसकी वजह से सही चीज सामने नहीं आ रही है। उस तरफ ध्यान दिलाऊंगा। अभी हाल की बात है इसी सदन में १९६९ में मैंने उस वक्त मंत्री जी का ध्यान दिलाया था कि रोडवेज को भी कानून के मुताबिक परमिट लेने चाहिये। परन्तु सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के बाद आज भी उसकी व्यवस्था नहीं है। दूसरी तरफ क्या हुआ कि जब उत्तर प्रदेश की सरकार की रोडवेज बसें दिल्ली में गयीं तो वहां पकड़ ली गयीं। मुकदमा चला और हर जगह से उत्तर प्रदेश सरकार हारी। उसका नुकसान हुआ। जब कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि बगैर परमिट कोई भी गाड़ी चाहे वह सरकार की हो या प्राइवेट वह न चले। इसी सदन में मंत्री जी यह कहते हैं कि दिल्ली सहारनपुर नैशनलाइज्ड रूट है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या यह सच नहीं है कि सरकार ने दिल्ली की ई० डी० यू० से कहा है कि ३० बसें तुम लो और बकाया हम चलायेंगे। एक तरफ कहते हैं कि नैशनलाइज्ड रूट है सरकार की बसें चलायेंगे और दूसरी तरफ ई० डी० यू० से चलाने के लिये कहते हैं जो कि कारपोरेशन की बाडी है सरकार के अन्तर्गत नहीं है।

बहुत छोटी सी बात है लेकिन महत्वपूर्ण है जो मेरे भाई ने कही। रोडवेज का माइलेज १९ हजार ३९६ है और प्राइवेट का माइलेज है ८ हजार लगभग आधा। मंत्री जी और सभी जानते हैं कि प्राइवेट गाड़ियों से पैसेंजर टैक्स ९५ परसेंट लेते हैं और रोडवेज की गाड़ियों से पैसेंजर टैक्स ६० परसेंट लेते हैं। दूसरा डबिल माइलेज है। इसके ऊपर प्राइवेट बस को अगर १०० रुपये की आमदनी होती है तो रोडवेज की बस को २०० रुपये होनी चाहिये क्योंकि माइलेज दुगना है। इस हिसाब से पैसेंजर टैक्स में छूट देते हैं। दुगनी और चौगुनी आमदनी होती है। लेकिन सरकार के कोष में कभी भी कोशिश की गई जानने के कि ६५ परसेंट रुपये क्यों आता है, १०० परसेंट क्यों नहीं आता। यहां पर शिकायत की जाती है कि प्राइवेट गाड़ियां हैं। जो ये टैक्सियां हैं तो ये तो खुद ही अपने को देखती हैं।

मान्यवर, लोग हमारी गाड़ियों को पसन्द नहीं करते क्योंकि जब बसों का राष्ट्रीयकरण हुआ था उस समय यह निर्णय लिया गया था कि चूंकि प्राइवेट गाड़ियां लोगों को सुविधायें नहीं देती हैं, आराम नहीं पहुंचाती हैं बिलकुल सही बात है किन्तु अध्यक्ष महोदय, आपको यह जानकर ताज्जुब होगा प्राइवेट गाड़ियों का तो समय-समय पर चेकिंग होता रहता है किन्तु यह जो स्पेशल किस्म का खुदा का महकमा है इसकी चेकिंग आज की तारीख तक कभी नहीं हुई। मान्यवर, उनको पूरी छूट है। लखनऊ या किसी भी अन्य शहर में आप देख लीजिये, कहीं पर इन बसों की चेकिंग की कोई व्यवस्था नहीं है। यहां पर दोनों पक्षों के विधायकों ने यही बात कही है कि ये बसें सबसे ज्यादा दूर चलती हैं तो मैं कहता हूं कि इनसे आप ६५ परसेन्ट टैक्स भी लेते

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हैं जब कि प्राइवेट बसों का ५० प्रतिशत है। तो मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इस चीज पर ध्यान दें और गौर करें। मैं अपने माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि उस जमाने में जब कि हमारे प्रधान मंत्री पंडित जी थे तो उस समय उन्होंने कहा था कि हमको एक हाई पावर कमेटी इसके लिये बनानी ही पड़ेगी और यह भी सोचना पड़ेगा कि हम किस तरीके से अपनी रोडवेज को री-आर्गनाइज करें जिससे कि पब्लिक को ज्यादे से ज्यादे फायदे हो सकें।

दूसरी बात यह थी कि हम कैसे आर० टी० ए० और एस० टी० ए० को अच्छा कर सकते हैं। किन्तु बड़ी हैरत की बात है कि हमारा जो एस० टी० ए० है जिसमें कि रिवीजन होते हैं उसकी सन् १९६९ के बाद दो साल का समय पूरा हो चुका किन्तु आज की तारीख तक एक भी मीटिंग नहीं हुई। सारे मुकदमें पेंडिंग पड़े हुये हैं। मान्यवर यही नहीं, केन्द्रीय सरकार ने अपने मोटर ऐक्ट में यह तरमीम कर दी है कि यह जो एस० टी० ए० है वह ट्रेबुनल का या अपील का काम भी सुनेगा और साथ ही साथ अपने एस० टी० ए० का काम भी करेगा और एक डिस्ट्रिक्ट जज भी उसका हुआ करेगा। किन्तु इस सरकार ने आजतक किसी ऐसी नियुक्ति के ऊपर ध्यान नहीं दिया है जो पिछली अप्रैल के बाद मुकदमें दायर हुये हैं वे सब वैसे के वैसे पड़े हुये हैं मान्यवर, यदि आप उसमें होते तो हमारा काम चल जाता और आप सम्हाल लेते। अप्लीकेशन्स वैसी की वैसी पड़ी हुई हैं। इसमें एक यह दी गई कि १९७२ से नया जो डिस्ट्रिक्ट जज होगा वह काम करेगा और वह पहली अप्रैल के बाद के जितने भी मुकदमें होंगे उनको देखेगा। किन्तु मान्यवर, आज की तारीख में १५०० मुकदमें हैं, इनको कौन सुनेगा। जब माननीय मंत्री जी यह घोषणा कर सकते हैं और नियमों में परिवर्तन कर सकते हैं कि सन् ७२ से जो पिछले मुकदमें दायर हुये हैं, उनको भी वह देखेगा तो मैं जानना चाहता हूं कि वे कहां-कहां पर हैं किन-किन जगहों पर

मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान सवारी गाड़ियों की तरफ भी दिलाना चाहूंगा कि इन गाड़ियों पर पांच, सात और दस रुपया माल कर यानी गुड्स टैक्स लिया जाता है और इस वजह से न मालूम उनको क्या-क्या रजिस्टर वगैरह रखना पड़ता है उसमें बड़ी दिक्कत होती है। मैं चाहूंगा कि उसको दूर करने के लिये चार्जेज न बढ़ें। रोड टैक्स तो हर जगह दिया जाता है। उसके साथ ही अगर गुड्स टैक्स पैसेन्जर बसेज से भी लिया जाय तो उससे सुविधा भी होगी, काम भी हल्का हो जायेगा और काम कम भी हो जायेगा।

इसी तरीके से अभी जिले जिले में और रीजन रीजन में अध्यक्ष महोदय, माफ करें, रोडवेज को तो भेजने में शायद कुछ गलती और पकड़ हो जाय, प्राइवेट आपरेटर्स को क्या यह मजबूर किया जा सकता है कि ९ अगस्त को फ्री लिफ्ट अपने अपने जिलों से दिल्ली को भिजवायें और जो आर० टी० ओ० और प्राइवेट आपरेटर नहीं कर सकता तो उसके परमिट कैंसिल होते हैं, उसको तंग किया जायगा, परेशान किया जायगा। हर रीजन में एक आर० टी० एम० (रेलवे ट्रैफिक मैजिस्ट्रेट) है। पहले वह हर जिले में साधारण रूप से होते थे लेकिन बजाय जिले के एक नयी नीति बनायी थी किसी सरकार ने और वह मुकदमे सिर्फ उन सेंटर पर जहां कि आर० टी० ए० का दफ्तर है और जिसको मंत्री जी जहां चाहें वहां जाकर मुकदमा होंगे। आज १९६९–७० के आंकड़े देख लें। ३२,९०१ मुकदमे नये चालू हुए एक साल में। तो जब लखनऊ का आदमी कानपुर जायगा तो यही कहेगा कि ठीक है हुजूर, मैंने जुर्म किया और दंड ले लो। न्याय के मानी यह हैं कि आसान मिले, सस्ता मिले और जल्दी मिले। चालान हो रहा है उन्नाव में और फैजाबाद में उसकी सुनवाई होगी। तो ऐसी सूरत में कहां से काम हो सकेगा? मेरा सुझाव यह है कि ऐसी कोशिश हो कि आर० टी० एम० के जो साधारण रूप में काम होते थे हर जिले में वह होते रहें तो पब्लिक को सुविधा रहेगी। इसके अतिरिक्त, अभी जो यह कहा गया कि लाभ है, लाभ तो है नहीं, क्योंकि अगर आपका हिसाब लगायें (लाल बत्ती होने पर) अध्यक्ष महोदय, मे हिसाब से तो अभी ६ मिनट भी नहीं हुए.....

श्री अध्यक्ष—

१४ मिनट हो चुके, एक मिनट बाकी है आपका।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

मैंने तो अभी इस घड़ी को देखा है, अभी ६ मिनट भी.....

श्री अध्यक्ष—

आप चश्मा बदलिये। १४ मिनट हो गये।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

इसी तरह से हम अगर हैडक्वार्टर पर नकल ले लेते हैं लेकिन पैसेंजर टैक्स के लिये एक नया कायदा है। चालान पर दस्तखत कराओ रीजन में आकर, पेमेंट करो स्टेट बैंक ट्रेजरी में और फिर आर० टी० ए० में दोबारा ले जाओ छुड़वाने के लिये। तो यह तीन चक्कर किस लिये? जब रोड टैक्स लिया जा सकता है आर० टी० ए० दफ्तर में तो यह चीज भी ली जा सकती है, पर इसके लिये नियम नहीं है। ताज्जुब की बात यह है कि कहने के बावजूद भी इसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं होती। अभी मेरे भाई ने ठेके के बारे में कहा, कंशाप का जिक्र किया और न मालूम कौन कौन चीजों का किया। १९६९–७० में ३ लाख का चेक क्यों सरकार के नाम आया था? लो कमीशन। जिस विभाग की सरकार का स्टाफ ही बेईमानी पर तुला हुआ है उसके लिये जो कुछ कहा जाय वह कम है।

मैं सरकार से कहूंगा कि टी० सी० को मेरे बराबर बैठाकर बात करा लें। वह अपनी कोशिश करते करते दो तीन-चार वर्ष का समय भी बिता दें तो भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं क्योंकि सबसे जबर्दस्त खराबी यह है कि आर० टी० ओ० और कर्मचारी हैं उनका तबादला दूसरे मुहकमों में नहीं होता है। गोरखपुर वाले को इलाहाबाद भेज दीजिये, कानपुर वाले को आगरा भेज दीजिये लेकिन वे लोग रहेंगे वहीं। एक एक कर्मचारी एक एक जगह पर १०–१० साल रहता है। जब तक इनकी इन्टर सरविसेज नहीं करेंगे तब तक हालत ठीक नहीं हो सकती है। उस समय तक १०–५ हजार के मामले चलते रहेंगे। मैंने कहा था कि इनको दूसरे विभागों में भेजने में कठिनाई है तो जनरल मैनेजर और, मैनेजर का कुछ कीजिये क्योंकि ये लोग रोडवेज में परमात्मा हैं। कर्मचारी वहां पर कुत्ते बिल्ली की तरह से रहते हैं। वह कुछ नहीं कर सकते हैं। आज आपको वहां पर पानी पीने को भी नहीं मिलेगा टिकट भी आसानी से नहीं मिलेगा। मैं इस विभाग के टैकनीकल एक्सपर्ट्स से कहूंगा कि क्या वे ऐसी गाड़ी बनायेंगे जिससे उनका इंजिन जल्दी खराब हो जाय मैं इन शब्दों के साथ कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और सरकार से यह कहूंगा कि वह इस प्रदेश के लिये एक हाई पावर कमेटी बनाकर इस विभाग को रिआर्गेनाइज कराये।

श्री अध्यक्ष—

अब आप कृपया बैठिये।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, आज पूरे सेक्रेटेरियट में माननीय सदस्यों को इस रैस्टोरेंट में बड़ी दिक्कत है। न वहां चाय है, न खाने के लिये कुछ है, बैठने के लिये भी जगह नहीं है और यहां तक कि पानी भी नहीं है। मेरा आग्रह यह है कि जलपान गृह को खत्म कीजिये। एक आल्टर नेट स्कीम सचिव महोदय ने बनाई है। इसलिये इसको बन्द कराइये और दूसरी स्कीम के मातहत दूसरा रेस्टोरेंट जारी कराइये ताकि हमें जो परेशानी होती है वह न हो। इसको जितनी जल्दी से जल्दी से करा दें उतना ही अच्छा है।

श्री जगवीर सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

श्रीमन्, हाउस म कोरम नहीं है और बहस चल रही है। सरकार कोई चिन्ता न करे तो क्या फायदा होगा।

(गणपूर्ति के लिये घंटी बजायी गयी)

श्री जगदम्बा प्रसाद (जिला फैजाबाद)—

श्रीमन्, आपके पास कांग्रेस दल की ओर से एक सूची गई है। उसके अनुसार समय मिलना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

आपका चौथा नम्बर है। श्री नौनिहाल सिंह बोल चुके हैं। दूसरा नम्बर भगवती सिंह जी का है और चौथे पर आप बोलेंगे। आप लोग आयेंगे नहीं तो बोलेंगे कसे। जब तक कोरम नहीं होगा तब तक बोलने नहीं दूंगा।

श्री जगवीर सिंह—

एक दिन एडजर्न करा दीजिये तो कल से फिर कोरम पूरा रहा करेगा।

श्री अध्यक्ष—

कई तरकीबें निकाली गयीं लेकिन कोई तरकीब चलती नहीं है।

(गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री मोती लाल देहलवी (जिला कानपुर)—

मान्यवर, जो विधेयक हम लोगों को मिला है वह हिन्दी में है किन्तु, उसकी हिन्दी इस तरह की सख्त है, कि उसकी हिन्दी को पढ़कर हिन्दीवालों को भी उससे नफरत हो जाय। मान्यवर, या तो तमाम विधायकों को एक एक डिक्शनरी दे दी जाय या दूसरा विकल्प यह कि कोई अध्यापक हमारे पढ़ाने के लिये रख दिया जाय। तो वह इस तरह की हिन्दी इसलिये है कि २३ वर्ष से बराबर यह कोशिश हो रही है कि किसी तरह से ऐसी हिन्दी चलाकर अंग्रेजी को हटाया न जा सके और वह इसी कारण से हट नहीं रही है वरना तो मामूली समझने की हिन्दी भाषा में भी कार्यवाही हो सकती थी। उस तरह की हिन्दी में विधेयक आ सकता था।

श्री अध्यक्ष—

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। इसके लिये तो अलग से व्यवस्था करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा।

*श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)—

मान्यवर, परिवहन मंत्री जी ने जो अनुदान की मांग प्रस्तुत की है मैं उस मांग का समर्थन करता हूं। मान्यवर, कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुये हमारे माननीय सदस्य राम कुमार दीक्षित जी ने, यदि उनके व्यक्तिगत आक्षेप की बातों को छोड़ दिया जाय, विभाग की कमियों और खामियों की ओर विभाग का ध्यान आकर्षित करते हुये, उन्होंने स्वयं इस बात की मांग की है कि जो ५ हजार के लगभग प्राइवेट बसेज चलती हैं उनके स्थान पर सरकार की ओर से रोडवेज विभाग की ओर से गाड़ियां चलायी जायं। यदि इसका

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री भगवतीसिंह विशारद]

सारांश निकाला जाय तो यही निकलेगा कि विभाग की कमियों और खामियों के बावजूद भी ट्रान्सपोर्ट विभाग उपयोगी है। इसलिये मैं उनको बधाई देता हूं।

मान्यवर, परिवहन विभाग यातायात का साधन है। इसी के सहारे देश और प्रदेशों की संस्कृति और सभ्यता एक स्थान से दूसरे स्थान को जाती है। इसी के सहारे हम इस बात को देख सकते हैं कि हमारा प्रदेश कितना सम्पन्न हुआ है। इस दृष्टि से मैं इस विभाग को दो हिस्सों में बांटता हूं। विभाग का एक हिस्सा तो वह है जिसमें सरकार के द्वारा संचालित नीति, आदेश और निर्देश का पालन कराया जाता है। उसका दूसरा हिस्सा औद्योगिक विभाग है जो हमारे प्रदेश में एक उद्योग के रूप में दिन प्रति दिन बढ़ता जा रहा है और प्रदेश की जनता की सेवा कर रहा है।

यदि परिवहन विभाग के आदेश, नीति और निर्देशों का निरीक्षण करें तो हमें यह पता चलता है कि हमारी राष्ट्रीयकरण की नीति उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है और सभी माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि परिवहन विभाग को तमाम अन्य मार्गों को लेकर, उन का राष्ट्रीयकरण करके, प्राइवेट बसों के स्थान पर विभाग की बसों को चलाया जाय। इस प्रकार से जो विभाग का उद्देश्य है उसकी पूर्ति हो रही है। आदेशों और निर्देशों वाले मामले में जो कमियां हैं, उनमें सुधार होने की आवश्यकता है, उनमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिये मैं यह बताना चाहता हूं कि आज कल हमारे प्रदेश में और जहां कहीं भी यातायात बढ़ता जा रहा है वहां दुर्घटनायें बढ़ती जा रही है और इनकी रोकथाम के लिये प्रयत्न होने चाहिये। लेकिन इसके लिये यह आवश्यक है कि जिस तरह से वेहकिल्स ऐक्ट में यह प्रोवाइडेड है कि थर्ड पार्टी इन्श्योरेन्स स्कीम लागू होनी चाहिये उसको कम्पलसरी स्कीम में परिवर्तित करके इस बात की चेष्टा करनी चाहिये कि जितने लोग दुर्घटना का शिकार हों उनको विभाग की ओर से उस इन्श्योरेन्स स्कीम के मातहत ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित करने की चेष्टा की जाय।

सरकार ने यह नीति अपनायी है कि जिन मार्गों पर प्राइवेट बसें चलती हैं वहां अपनी बसें चलायेंगे। इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि नये मार्ग का राष्ट्रीयकरण करने के पहले वहां का सर्वे होना चाहिये और इस बात की जानकारी करनी चाहिये कि वहां पर कितनी बसें पहले चलती थीं और अगर किसी मार्ग का राष्ट्रीयकरण किया जाय तो यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुये हमको उतनी बसें अवश्य चलानी चाहिये क्योंकि प्राइवेट बसों में ओअरलोडिंग होने की वजह से तो कम बसों से काम चल सकता है लेकिन रोडवेज की बसों में तो ओवरलोडिंग हो नहीं पायेगी इसलिये ज्यादा बसें चलाने की जरूरत है।

जैसा कि मैंने निवेदन किया यह एक उद्योग विभाग है जिसका हमारे प्रदेश के जनजीवन से गहरा सम्बन्ध है। तो मैं चाहता हूं कि यह सरकार इस विभाग के द्वारा एक उद्योगपति के रूप में भी काम करे और जब उद्योगपति के रूप में काम करेगी तो उसके सामने दो प्रश्न आयेंगे। सबसे पहले तो यह कि इस प्रदेश के निवासियों को अधिक से अधिक सुविधा प्राप्त हो और दूसरे यह कि जो कर्मचारी रोडवेज में काम करते हैं उनकी हालत सुधरे, उनके वेतन क्रमों में सुधार हो, उनके लिये कोई नियमावली बने और उनकी सेवाओं को इस तरह से नियमित किया जाय जिससे कि रोजमर्रा की आने वाली कठिनाईयां उनके सामने न पैदा हों। हमारे प्रदेश में सन ४७ से राष्ट्रीयकरण की नीति अपनायी गयी और प्रारम्भ में कुछ मार्गों का राष्ट्रीयकरण किया गया और उन पर सरकारी बसें चलाकर कर्मचारियों को सेवा में लिया गया। लेकिन दुर्भाग्य से आज तक इन कर्मचारियों के लिये कोई भी सेवा नियम नहीं बने हैं एकदम आरबीट्रेरी पावर्स हैं। वहां के अफसरान जिसको जब चाहें नोटिस दे कर नौकरी से पृथक कर सकते हैं। साधारण सी बातों पर वह छोटे-छोटे कर्मचारियों

को नौकरी से पृथक कर के उनको दर दर का मोहताज बनाने की कोशिश करते हैं। मैं आपके द्वारा माननीय परिवहन मंत्री से यह प्रार्थना करूंगा कि वह वहां के कर्मचारियों की दशा पर विचार करते हुए शीघ्रातिशीघ्र उनके लिये सेवा नियम बनायें जिससे कि उनका स्थायित्व हो उनको काम करने का इन्सेन्टिव मिले और ज्यादा से ज्यादा अच्छे ढंग से काम कर सकें।

अभी माननीय दीक्षितजी ने यह बताया कि कितनी ट्रिपें कम हुईं। कारण क्या है? ये ट्रिपें इसलिये कम नहीं होती है कि विभाग की तरफ से गाडियां नहीं चलीं बल्कि अनेक ऐसे अवसर आते हैं जबकि गाड़ियां बारात ले जाने के लिये, और दूसरी तरह के सार्वजनिक कामों के लिये किराये पर उठा दी जाती हैं और वही जब बसें नहीं चलती है तो ट्रिपों में कर्टेलमेन्ट होता है। लेकिन मैं इस नीति को अच्छा नहीं मानता हूं। जो बसें सेवा में बराबर लगी हों उनकी ट्रिपों में किसी तरह का कर्टेलमेंट नहीं होना चाहिये। विशेष अवसरों के लिये जब गाड़ियों की मांग की जाती हैं तो उसके लिये अलग व्यवस्था करनी चाहिये। जैसे, हमारे यहां अप्रैल, मई और जून में शादी व्याह का समय होता है। उसके लिये विशेष रूप से व्यवस्था होना चाहिये। जो बसें जिस स्थान से चलती हैं वह तो चलती रहें और जिन लोगों को आवश्यकता हो उनको अतिरिक्त बसें मिलें।

मान्यवर, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। यहां पर स्कूटरों के आवंटन की बात उठाई गई। यह बात सदन में न उठाई जाती तो अच्छा था क्योंकि बहुत दिनों से इस तरह से ही यह काम होता रहा है कि आवटन का काम विभाग के मंत्री महोदय या विभाग के अफसर द्वारा होता रहा है लेकिन फिर भी जब यह प्रश्न सदन के सामने उठ गया तो मैं चाहता हूं कि इसकी ऐसी व्यवस्था कर दी जाय जिससे फिर यह प्रश्न यहां पर न उठे। जिन लोगों को यह स्कूटर नहीं मिला है उनको कुछ जलन हो रही है तो उनको स्कूटर देकर उनकी जलन को कम किया जाय तो उनको आराम हो जायगा।

श्री मोती लाल देहलवी––

माननीय सदस्य ने कहा कि उनको जलन है किसी को जलन नहीं है।

श्री भगवती सिंह विशारद––

एक प्रश्न यह यहां पर उठाया गया कि बड़ा भ्रष्टाचार है। जब कोई नीति कार्यान्वयन में लाई जाती है तो उसके कार्यान्वयन में कुछ समय तक भ्रष्टाचार हो सकता है। उदाहरण के लिये मैं बताऊं कि कानपुर और लखनऊ मार्ग राष्ट्रीयकरण में है। पिछले वर्ष इस मार्ग पर कुछ प्राइवेट बसों को भी सुविधा दी गई इसलिये कि बहुत से लोगों का ख्याल था कि जिन मार्गों पर सरकारी बसें चलती हैं उनमें प्राइवेट लोगों की बसों को भी अवसर देकर यह देखा जाय कि कौन सी उपयोगी सिद्ध होती हैं लेकिन जब इस व्यवस्था का श्रीगणेश हुआ तो उस पर भी आपत्ति की गई और कहा गया कि सिंडीकेट कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा है इसलिये उस अधिवेशन में आदमियों को भर भर कर लाने के लिये यह कार्यक्रम जाषी किया गया है। उसके विषय में दोषपूर्ण दृष्टिकोंण समझ लिया गया लेकिन बात दूसरी थी। दृष्टिदोष के कारण दोष दिखाई दिया।

एक बात यह निवेदन करना है कि बाहर के लोगों को कंट्रेक्ट बाडी के बनाने का दिया जाता है। ६७ में राम प्रकाश जी के समय में भी ऐसा किया गया और आपत्ति की गई कि बाहर से गाड़ियों की बाडी को बनवाया जाता है लेकिन उस समय यही समझा गया था कि बाहर से बाडी जल्दी बनकर आजाय तो वह जल्दी से जनता की सेवा कर सकती है। उस समय इस पर कुछ लोगों ने असन्तोष प्रकट किया था। मैं अपने मित्रों से कहूंगा कि सार्वजनिक जीवन का यह तरीका होना चाहिये जिससे दूसरों का उद्धार हो जाय।

[श्री भगवतीसिंह विशारद]

अब मैं दो एक बात अपने जिले के सम्बन्ध में भी निवेदन करना चाहता हूं। हमारा जिला लखनऊ और कानपुर के बीच में पड़ता है। वहां से लखीमपुर, आजमगढ़, सीतापुर को और इसी तरह से पश्चिम साइड में बस जाती है। ये सब बसें तूफान या मेल बसें होती हैं लेकिन उन्नाव में इसका कोई स्टापेज नहीं है। जो लोग इन बसों से जाना चाहते हैं उनको कानपुर जाना पड़ता है। और वहां से बसों को पकड़ते हैं। इसलिये वहां पर इसका स्टापेज बनाया जाय। एक बात यह भी कहना है कि जो बसों की हालत है वह बहुत खराब है। उनके सुधार का उपाय होना चाहिये। यह तभी हो सकता है कि माननीय मन्त्री जी या इनके विभाग के अधिकारी हरियाणा या पंजाब में जाकर देखें कि वहां पर जो रोडवेज बसेज चलती हैं उनकी क्या स्थिति है। बड़े शहरों में जाकर देखा जाय कि किस तरह से वहां पर ये चलती है तो फिर उसी तरह से यहां पर भी सिटी बस को चलाया जाय। बम्बई में जाकर टैक्सी के चलाने का अध्ययन किया जाय या और शहर में सिटी बस सर्विस के चलाने का तरीका देखा जाय कि किस तरह की इनकी स्थिति होनी चाहिये।

एक बात और आपकी सेवा में निवेदन करना चाहता हूं कि आज से करीब दस वर्ष पहले इस विभाग के भूतपूर्व ट्रांसपोर्ट कमिश्नर श्री राठौर को बाहर विदेश इसीलिये भेजा गया था कि वह वहां जाकर स्टडी करें कि राष्ट्रीयकृत मार्गों पर जो सरकारी बसें चलती हैं उनका कैसे अच्छा से अच्छा उपयोग हो सकता है और उन्होंने वहां से सब कुछ देखने भालने के बाद एक बहुत ही अच्छी योजना तैयार की और उस को लाकर विभाग के सामने रखे कि उस का कार्यान्वियन ठीक से हो लेकिन बहुत ही दुख के साथ हमें कहना पड़ता है कि जैसे ही वह विभाग से रिटायर हुये और यहां से दूसरी जगह चले गये उनकी वह सारी योजना कोल्ड स्टोरेज में चली गई। हम चाहते हैं कि मंत्री उसको निकलवाकर देखें कि उस योजना पर जिसके बनाने में इस सरकार का लाखों रुपया व्यय हुआ है उसका कैसे सदुपयोग हो सकता है। उस स्कीम को लेकर नये सिरे से प्रदेश के राष्ट्रीयकृत मार्गों पर चलने वाली बसों की अवस्था को उन्नतिशील बनाने का प्रयत्न होना चाहिये। अन्त में मैं मंत्री जी से फिर निवेदन करूंगा कि प्रदेश के जो यह यातायात के मार्ग हैं उनका सुधार करें और प्रदेश की साधारण जनता को अच्छे से अच्छी बस सेवा का लाभ उठाने दें। इन शब्दों के साथ जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया गया है उसका मैं विरोध करता हूं और जो अनुदान माननीय मंत्री जी की तरफ से प्रस्तुत हैं उसका समर्थन करता हूं।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

अध्यक्ष महोदय, जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसका मैं समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो बजट की मांगें प्रस्तुत की गई हैं यह सरकार इस योग्य नहीं है कि उसकी अनुज्ञा दी जाय।

एक बात बड़ी प्रमुख है और बड़ी सर्व मान्य है कि यदि सरकार बजट की मांगों को यहां रखती है तो उससे यह अपेक्षा भी की जाती है कि सर्वसाधारण और जनता को उससे कुछ लाभ और सुविधा भी मिलेगी। मैं समझता हूं कि मंत्री जी ने शायद कभी प्रदेश के बाहर दौरा नहीं किया, यदि उन्हें बाहर जाने का अवसर मिलता, मैं चाहूंगा कि वह थोड़ा दौरा करें तो उनको मालूम होगा कि प्रदेश की जो रोडवेज की हालत है वह कितनी खराब है और पंजाब व हरियाणा की आदि कीरोडवेज कितनी अच्छी हैं। अगर मैं सच कहूं तो उनकी हालत बनिये की दुकान से भी गिरी हुई है क्योंकि वह उसको ठीक करके रखते हैं कि ग्राहक उस पर आये। आज रोडवेज की हालत यह है कि बस स्टैंड पर खड़े होने का ठिकाना नहीं है, कोई वहां वेटिंग रूम की सुविधा नहीं है और बहुत जो आवश्यक सुख

सुविधा होना चाहिये वह भी उपलब्ध नहीं है और उनका अभाव है। अगर आप वहां के बाथ रूम को बाहर से ही देख लें तो आप उनमें प्रवेश नहीं कर सकते, इतनी खराब हालत में

(इस समय ३ बजकर ११ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

आप उनको गन्दा पायेंगे, इस बात को आप मानेंगे कि रोडवेज विभाग की तरफ से यात्रियों की मामूली सुविधा का भी ध्यान नहीं रखा गया है। इसका परिणाम यह होता है कि हर रोडवेज स्टेशन के सामने एक लम्बी टैक्सीज की लाइन लगी रहती है और नागरिक कम समय लेकिन अधिक किराया लगाकर उनमें जाना पसन्द करते हैं।

आज बसों की हालत यह है, आप शायद उनमें न बैठते होंगे, आप अगर उनमें बैठें तो उनमें हार्न बजाने की जरूरत नहीं है, स्वयं उनमें हार्न बजता रहता है, उनकी हर सीट आवाज करती है, हरपुर्जा आवाज करता है और ऐसा लगता है कि पूरा बैन्ड उसमें बोल रहा है, खड़ खड़, भड़-भड़ की ऐसी आवाजें उसमें होती रहती हैं। मुझे लगता है कि मंत्री जी को भी कभी उनमें चलने का शायद अवसर न मिला हो। अभी यहां जिक्र आया कि स्कूटरों और कारों का आवंटन यहां बड़े गलत ढंग से किया गया, मैं उसमें नहीं जाता उसके कारण हो सकते हैं। लेकिन आप एक बार इन गाड़ियों में बैठ जायं और अगर आपने अपना इन्श्योरेन्स न कराया होगा तो आपको फौरन ख्याल आयेगा कि कराना चाहिये था।

हमारे देहरादून से एक मित्र महेन्द्र कुमार २७ जुलाई, ७१ को गये उनके भाई गाजियाबाद में अन्तिम सांस गिन रहे थे, तार आया कि फौरन चले आओ वह बस में सुबह ही बैठ कर आये और जब गाड़ी मुरादनगर पहुंची तो ड्राइवर ने वहां गाड़ी खड़ी कर दी और एक घंटा वहां लगा दिया वह उसका घर था। नतीजा यह हुआ कि जब बस गाजियाबाद पहुंची तो उनके भाई का देहान्त हो चुका था। तो उनके भाई का देहान्त करीब आध घंटे पहले हो गया था। एक घंटा यह बस मुरादनगर में खड़ी रही। आलमबाग में ही देखते हैं, बस खड़ी है, गाड़ी स्टार्ड है, आवाज हो रही है, ड्राइवर से पूछा कि कहां जाना है, बस कितने बजे चलेगी तो कोई जबाव देने वाला नहीं है।

मैं पूछता हूं कि किस बात के लिए आप बजट मांगते हैं। आपने आंकड़े प्रस्तुत किये कि समय पर चलने का जो परसेंटेज सन पचास से लेकर ७० तक क यह प्रतिशत गिरा है। सन् ५० में यह प्रतिशत ठीक समय से चलने का ९२.५९ था तो अब यह प्रतिशत ८५.३२ है यह प्रतिशत गिर रहा है। आप श्रीमन्, चाहे गाड़ियों का बेड़ा बढ़ाते चले जाइये। चाहे कहिये कि हम बड़ा सुधार कर रहे हैं। पर मैं बड़ी नम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि पंजाब रोडवेज और हरियाणा रोडवेज को देखिये, दूसरे प्रान्तों की रोडवेज को देखिये। और इसमें सुधार कराइये। आप बसेज को अच्छा से अच्छा बनाइये। उतना अच्छा बनाइये कि लोग इसमें बैठना पसन्द करें और उनमें काम करने वाले कर्मचारियों की हालत ठीक हो। मैं यह कहना चाहूंगा कि शायद यह किसी दल की ओर से न कहा जाय। अगर इन रोड-वेज के साथ-साथ प्राइवेट बसेज का आप काम्पटीशन कर दें मैं यह नहीं कहता कि किसी रूट विशेष पर आप प्राइवेट बसेज को चलने दीजिये। आप एक एक्सपैरीमेन्ट करके देखिये और एक्सपैरीमेंट एक ही रूट के ऊपर प्राइवेट बसेज से उतना ही संख्या में प्राइवेट बसेज को रखिये और उतनी ही संख्या में गवर्नमेंट बसेज को रखिये। उनको चलने दीजिये। आप देखिये कौन सी ठीक टाइम से चलेंगी, किनका किराया अधिक होगा। आपको स्वयं अनुमान हो जायेगा कि आपके यहां कितनी कमियां हैं और उसमें सुधार की कितनी आवश्यकता है।

एक बात कही गई और मैं भी मानता हूंकि कई बार दुर्व्यवहार की शिकायत मिलती है। हम लोगों से भी दुर्व्यवहार होता है, परन्तु इसका कारण क्या है? रोडवेज के कर्मचारी ३१ हजार हैं। साढ़े तीन हजार कर्मचारी और भरती करने वाले हैं। क्या आपने इन ३५ हजार कर्मचारियों के लिये कोई सेवा शर्तें बनाई हैं। बीस साल पहले बनी थी

[श्री नित्यानन्द स्वामी]

जो कि पुरानी हो गई हैं। १९६० के अन्दर शर्तें तब्दील कीं। उन शर्तों के खिलाफ कर्मचारी आन्दोलन कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि आप उनकी सेवा शर्तें बना रहे हैं या खाना पूर्ति कर रहे हैं। बारबार सदन के अन्दर सवाल आये हैं कि क्या कर्मचारियों के साथ मंत्री जी बैठकर उनके प्रतिनिधियों से मिल कर उनकी सेवा शर्तों का समाधान करेंगे। डी० ए० की समानता का सवाल है ही। केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी और उनके बराबर डी० ए० की समानता का प्रश्न है वह तो है ही। लेकिन उनकी सेवा शर्तें सुधरेंगी तो ये जो उनकी उदासीनता है ड्राइवर या कन्डक्टर की या जो टिकट देने वाले हैं खिड़की पर बैठते हैं उनमें सुधार होगा। इस लिये कि उनको भरपेट खाना नहीं मिलता। उनका महंगाई भत्ता बराबर कीजिये उनकी सेवा शर्तें ठीक कीजिये। यह शिकायत दूर हो जायेगी।

अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि एस०टी०ए० हमारे प्रदेश के अन्दर है। मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट के अन्दर जिसके अन्दर रिवीजन जाता है, आर०टी०ए० की १९६९ के बाद से सिटिंग नहीं हुई। एक आदमी अपना रिवीजन लेकर कहां जाय। कहां से आडर प्राप्त करें कोई पुरसाहाल नहीं है। अब तो जज हो गया पहले तो दो पब्लिक रेप्रेजेन्टेटिव थे जज बैठते नहीं हैं। वे उन्हें कुछ कह नहीं सकते। आर० टी० ए० की हालत है कि मोटर बैहिकिल्स ऐक्ट के अन्दर यह लिखा है कि एक पब्लिक का रेप्रेजेन्टेटिव होगा उसके अन्दर। आपने समाप्त कर दिया। अब जो अधिकारी बैठते हैं उसमें कभी किसी अधिकारी का तबादिला हो जाता है कभी कोई अधिकारी छुट्टी ले लेता है। आर०टी०ए० की मीटिंग्स नहीं होती। सैकड़ों मुकदमें पड़े रहते हैं। लोग बाग परेशान रहते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि आप अपने यहां से नियम बना दें कि आर० टी० ए० और एस० टी० ए० की मीटिंग्स नियमानुसार ठीक अवधि के अन्दर होती रहें ताकि लोगों को दिक्कत न हो। उनके मुकदमों की सुनवाई किस तरह से होगी और कैसे होगी।

मैं निवेदन करूंगा भ्रष्टाचार की बात बहुत कही गई। किसी भ्रष्टाचार का दोषारोपण मैं किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं करता। लेकिन एक चुपचाप कपड़े बदल कर किसी तरह आप आर० टी० ओ० कार्यालय में चले जायं। हर मेज पर वहां पैसा लिया जाता है। कोई भी व्यक्ति शायद अछूता नहीं है।

श्रीमन्, परमिट के बारे में बड़ा भ्रष्टाचार का प्रश्न उठता है। क्या यह नहीं हो सकता कि हम परमिट की प्रणाली को समाप्त कर दें? जो व्यक्ति चाहे अपनी मोटर चलाये आप कह सकते हैं कि वह व्यवहारिक नहीं होगा। मोटरों की संख्या बहुत हो जायगी तो आप परमिटों की संख्या दुगनी तिगुनी कर दें। अभी एक व्यक्ति एक परमिट लेकर अगर एक लाख कमाता है तो तब एक हजार कमायेगा। उससे भ्रष्टाचार भी खत्म हो जाएगी।

श्रीमन्, ट्रकों के ऊपर बड़ा टक्स है। टायरों की कीमत को देखें, और ब्लैक को देखें। मैं मानता हूं कि पिछली सरकार ने वजन बढ़ाने की राहत दे दी है। लेकिन इससे पूरा काम नहीं चलता। उन पर टैक्सेशन बहुत ज्यादा है। ट्रक हमारी बड़ी सेवा कर रहे हैं माल को लाने ले जाने में। तो उनको राहत देना बहुत आवश्यक है। उस पर विचार होना चाहिए।

श्रीमन्, विधायकों की तरफ से वकील बन कर एक बात कहना चाहता हूं। आपने जो कूपन पर्ची दे रखी हैं उनको जब बस स्टेशन पर खोलकर बैठते हैं या बस में खोल कर बैठते हैं, यह जो ५–५ पैसे और १०–१० पैसे की पर्चीं हैं इनको गिनते हैं तो तमाम यात्री हंसते हैं और मखौल होता है। मैंने तो श्रीमन्, छोटे मार्ग पर एक भी दिन इनका प्रयोग नहीं किया। मैं १–२ रु० का टिकट लेना अच्छा समझता हूं बजाय इसके कि ये ५–५ पैसे और १०–१० पैसे की पर्चियां काटूं। आप पास सिस्टम इन्ट्रीडयूस कर दीजिये। जस हम लोगों

के पास एक पहिचान पत्र है, कंडक्टर उसको देख लें। दूसरे प्रदेश में भी यह है। आप विधायकों से पैसा तो लेते नहीं है। रेवेन्यू तो आपका घर में ही है। केवल बुक ट्रांसफर की बात है। तो इस ह्यूमिलियेशन से विधायकों को बचाकर कम से कम एक नेक काम तो परिवहन मंत्री जी कर दीजिये।

श्रीमन्, एक शब्द पर्यटन के सम्बन्ध में भी कहना चाहता हूं। वैसे तो आंकड़े बहुत दिये हैं। यह तो जगलरी आफ फिगर्स है। श्रीमन्, देहरादून एक ऐसी जगह है––मालूम नहीं आप गये हैं या नहीं यदि नहीं गये हैं तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं। श्रीमन्, देहरादून में हमारे विधायकगण जाते हैं, दो-तीन कमेटियां गयी थीं, उनको रहने की जगह जो दी वह इतनी खराब थी कि एक कमेटी तो लौट आयी। तो वहां एक अच्छा आवास-गृह होना चाहिये। बाहर का व्यक्ति जब मंसूरी जाने के लिये आता है तो देहरादून भी एक-दो दिन ठहरता है। तो वहां पर्यटकों के लिये एक अच्छा सा होटल बनायें। श्रीमन्, बजट में जो मांग की गयी है, इस सरकार को यह बजट स्वीकार करने की हम अनुमति नहीं देना चाहते हैं क्योंकि परिवहन विभाग में बड़ी भारी असफलता है, न यात्रियों को सुविधा है, न ठीक समय पर बस मिलती है, न कर्मचारियों को कोई राहत है और न कोई औचित्य इस बात का है कि इनकी मांग को स्वीकार किया जाय।

इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री डूंगर सिंह बिष्ट (जिला नैनीताल)––

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे परिवहन विभाग के अनुदान पर बोलने का मौका दिया। उपाध्यक्ष जी, मैं सब से पहले परिवहन मन्त्री को बधाई देता हूं। वे हमारे नौजवान मंत्रियों में से हैं और मैं जानता हूं कि वे बड़ी लगन से और बड़ी तेजी से काम कर रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि वे भविष्य में भी ऐसा ही कर्मठता से करते रहेंगे। जैसा कि माननीय नित्यानन्द स्वामी ने कहा कि अभी तो उन्हें ४ महीने ही हुए हैं, हमें आशा करनी चाहिये कि अगर वे इस विभाग में रहेंगे तो परिवहन विभाग का निश्चित रूप से विकास होगा और यह विभाग तरक्की करेगा।

उपाध्यक्ष जी, परिवहन विभाग की तरफ से इस वर्ष ९० लाख रुपये की गाड़ियों को खरीदने का प्राविधान किया गया है। पिछले साल भी इसी मद में १ करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया था, परन्तु उसमें से केवल ८० लाख रुपया ही खर्च हुआ और शेष रुपया काम में नहीं लग पाया। हम सरकार से प्रार्थना करते हैं कि इस ९० लाख रुपये का, जो कि बजट में रखा गया है, उपयोग किया जाना चाहिये। मान्यवर, यह बात बिल्कुल सही है कि रोडवेज के पास अभी बसों की बहुत बड़ी कमी है। माननीय नित्यानन्द जी ने कहा कि इस विभाग के लिये केवल एक रुपये का अनुदान स्वीकृत न किया जाये। ठीक है उनका कहना, शायद आज के युग में वे पैदल चलना चाहें, परन्तु हम सब लोग तो यह चाहते हैं कि रोडवेज की बसें अधिक से अधिक हों। यह बात तो सही है कि जिधर चले जाइये, उधर परिवहन विभाग की आलोचना सुनने को मिलेगी। इस ओर मैं परिवहन मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। इसमें तो कोई शक नहीं है कि इस विभाग में बहुत ही गड़बड़ियां हैं, खास कर वर्क शाप्स में जहां पर कि बहुत भ्रष्टाचार है।

अभी हाल में २८ जून को और ११ जुलाई को पर्वतीय क्षेत्र में दो बसों की दुर्घटनाएं हुई थीं। इस ओर मैं मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। जो बसें, दुघटनाग्रस्त हुई उसी दिन वर्कशाप से निकली थीं और १५–२० मील दूर चली होंगी कि दुर्घटनाग्रस्त हो गयीं। हमारी शासन से प्रार्थना है कि इन दुर्घटनाओं की जांच एक आयोग द्वारा हो और हम को विस्तृत जानकारी करायी जाये। अभी कुछ दिन हुए उप मंत्री जी गये, इस सम्बन्ध में एक बात जरूर कहनी

[श्री डूंगरसिंह बिष्ट]

है कि मंत्री जी ने वहां पहुंचने की सूचना नहीं दी, इस कारण वे ज्यादा सम्पर्क लोगों से स्थापित नहीं कर सके। वे दूसरे दिन वहां से लौट आये। जब मैं यहां से पहुंचा तो मुझे मालूम हुआ कि उप-मंत्री जी आये थे। मुझे यह भी बताया गया कि कुछ पत्रकार उनसे मिलना चाहते थे। शायद उन्होंने पत्रकारों से मिलने के लिये कह दिया होगा और अन्त में बिना पत्रकारों से भेंट हुए लौट आये। अगर यह बात सही है तो मैं इस संबंध में निवेदन करूंगा कि उप मंत्री जी ध्यान दें और परिवहन मंत्री जी को मेरा निमन्त्रण है, निमन्त्रण में उनको पहले भी दे चुका हूं कि वे मेरे साथ चल कर दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र का निरीक्षण करें। इसी के साथ ही साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि वे उस पर्वतीय क्षेत्र का भी निरीक्षण करें जहां पर रोडवेज की बसें चलती हैं।

जो रोडवेज की बसें चल रही हैं उनकी ओर भी आप ध्यान दें। विशेषकर मैं कुमायूं की बसों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। हल्द्वानी में पहाड़ को जाने वाली करीब ४०-४२ बसें हैं। उनमें से २५ बसें तो हल्द्वानी और काठगोदाम की वर्कशाप में पड़ी रहती हैं और १५ बसें ही पर्वतीय क्षेत्र के विभिन्न रास्तों पर चलती रहती हैं। जिस दिन से ये दुर्घटना हुई हैं जी० एम० ने हर सड़क पर पांच की जगह चलाना शुरू कर दिया है नतीजा क्या होता है श्रीमन्, यह होता है कि यातायात में कठिनाई होती है, पहाड़ के लोगों को असुविधा होती है। मैं समझता हूं कि परिवहन मंत्री जी का ध्यान इस ओर खींचा गया होगा, उनके पूर्ववर्ती मंत्रियों का भी ध्यान खींचा गया था। मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कें टेढ़ी मेढी होती हैं, कम चौड़ी होती हैं, इसलिये वहां के लिये बसें जो बनवाई जांय वह बहुत बड़ी न हों और सामने सीधी सीट वाली हों। जो बसें आप खरीदने जा रहे हैं उसमें इसका विशेष ध्यान रखें। दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यातायत विभाग के जो छोटे कर्म-चारी हैं उनके बहुत से एकाउन्टस होते हैं चाहे वह क्लर्क हो या कन्डक्टर हो। जब ट्रांसफर होता है उसका एक नया ई० पी० एफ० एकाउन्ट नयी जगह खुल जाता है। नतीजा यह होता है कि जब वह रिटायर होता है तो उसको रुपया मिलने में कठिनाई होती है। ऐसे बहुत से केसेज हैं कि लोगों को १०, १२ १५, १५ साल तक एकाउन्ट नहीं मिले हैं। मैं चाहूंगा कि यह एकाउन्ट एक ही हो। जब कर्मचारी का ट्रान्सफर हो तो उसकी एकाउन्ट पास बुक भी ट्रान्सफर किया जाना चाहिये और दूसरी जगह उसको जो पास बुक मिले उसमें वही नम्बर हो।

एक बात संक्षेप में मैं यह निवेदन करूंगा कि जो इन्डियन ट्रान्सपोर्ट ऐक्ट, १९६२ में बना था उस समय ट्रांसपोर्ट कमिश्नर राठौर साहब थे। उन्होंने विदेशों की यात्रा की थी और यातायात के लिये बहुत से कार्यों का अध्ययन किया था। उन राठौर साहब के कारण ट्रान्स-पोर्ट विभाग के कर्मचारियों में बड़ा असंतोष है। उन्होंने सेवा शर्तें ६० के पहले के लोगों के लिये अलग रक्खीं और ६० के बाद के लिये अलग रक्खीं। नतीजा यह हुआ कि जिन कर्म-चारियों को १४ दिन कैजुअल लीव मिलती थी वह ६ दिन रह गई लेकिन ६० के पहले वाले कर्मचारियों को यह सुविधा पूर्ववत ही रही। इसी तरह से उनको एक महीने की अर्नलीव मिलती थी वह बिलकुल काट दी गई है। अगर तीन महीने तक कोई बीमार हो गया तो छुट्टी नहीं मानी जावेगी बल्कि उसको सेवा से मुक्त समझा जावेगा। मेरा ख्याल है कि परिवहन मंत्री को यह बात मालूम होगी। पिछले मंत्रियों को भी यह बातें बतलाई गई थी और उन्होंने कहा था कि सेवा शर्तें बदलने का विचार है। आपने देखा होगा कि रोडवेज के जो कर्मचारी हैं उनमें असंतोष के कारण आन्दोलन जब होता है भयंकर रूप पकड़ लेता है। तो इन सेवा शर्तों को समाप्त किया जाय और सभी के लिये एक सी शर्तें बनाई जायं।

श्रीमन्, अब मैं कुछ बस दुर्घटनाओं के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। २८ जून को रामगढ़ से आगे एक बस दुर्घटना हुई और ११ जुलाई को भीमताल के पास एक ताल में बस चली गयी। ११ जुलाई को जो बस दुर्घटना हुई उसमें कुछ आंसू पुछाई कर दी। अगर एक आदमी की कीमत एक करोड़ भी आंकी जाय तो भी कम है। भीमताल बस दुर्घटना में १५

आदमियों की मृत्यु हुई थी जिनके परिवारों को एक-एक हजार रुपया दिया गया। लेकिन रामगढ़ में जो दुर्घटना हुई और जिसमें तीन व्यक्ति मारे गये उनके लिये आज तक किसी ने नहीं पूछा। परिवहन मंत्री जी को मैंने लिख कर भी दिया था और नियम ५१ के अन्तर्गत भी नोटिस दिया था। मुझे उम्मीद है कि मैंने परिवहन मंत्री जी को जो लिख कर दिया था उस पर कुछ विस्तार से बतलायेंगे। रामगढ़ में २८ जून को जो दुर्घटना हुई और उसमें जो व्यक्ति मृत्यु के ग्रास बने उनको भी उसी तरह से क्यों सहायता नहीं दी गयी? जिस तरह से भीमताल में हुई दुर्घटना में मृतकों को दी गयी। मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि इस बात को ध्यान में रखकर इस पर भी वे कार्यवाही करेंगे। अन्त में मुझे भ्रष्टाचार की बाबत कहना है। सिनियारिटी और जूनियारिटी की जो लिस्ट होती है उसकी तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। किसी भी विभाग में सभी कर्मचारी और अधिकारी एक से नहीं होते। अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं।

एक जगदीश चन्द्र जोशी हैं। कुमायूं रीजन की सीनियरिटी लिस्ट में उनका सबसे पहला नम्बर है। एक हैं अग्रवाल। श्री जगदीश चन्द्र जोशी सन् ५२ में सेवा में आये और अग्रवाल सन् ६५ में। श्रीमन्, यह सुनकर आपको ताज्जुब होगा कि जगदीश चन्द्र असिस्टेंट कैशियर ही हैं जबकि उनकी कोई गल्ती नहीं और उनकी सेवा अच्छी रही है। अग्रवाल को, जो कि जगदीश चन्द्र से जूनियर है, हड कैशियर बना दिया गया। ऐसे अनेक उदाहरण मैं लाया हूं। लेकिन मैंने एक ही उदाहरण आपके सामने रखा। श्रीमन्, ४३ नम्बर पर मथुरादत्त हैं। वह कभी के हैड कैशियर बन गये और जगदीशचन्द्र अपनी जगह पर ही हैं। इनके यहां कोई ज्येष्ठता सूची है ही नहीं। मेरा सुझाव है कि माननीय मंत्री जी इधर भी ध्यान दें। एक निवेदन और करना चाहता हूं। माननीय उप मंत्री जी काठगोदाम गये थे। उनको बतला दिया गया था कि सर्विस मैनेजर ने अपने काले कारनामों से रोडवेज वर्कशाप की कितनी दुर्गति कर रखी है। उन्होंने बहुत बड़ा बगला बनाकर तैयार कर लिया है। जनरल मैनेजर, रोडवेज, उत्तर प्रदेश के हैं, उनका नाम नहीं लेना चाहता, उनकी भी बड़ी शिकायत रही है। जब सैंया भये कोतवाल तो डर काहे का। उन्होंने भी नैनीताल में एक बड़ा भारी बगला बना लिया है। उनके ऊपर किसी का वरदहस्त है?

जी० एम० रोडवेज कुमाऊं के यहां एक पानी भरने वाला चौकीदार रौडवेज कर्मचारी था, जिसके बारे में मैंने मंत्री जी को बताया था। उसका नाम किसी रजिस्टर में नहीं था, उनको पता चला कि यहां तो नाम है हीं नहीं, तो यह चौकीदार कहां होगा वह जनरल मैनेजर, नैनीताल के घर में पड़ा रहा होगा। वह इतने बदनाम आदमी हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। मेरी आप से प्रार्थना है कि काठगोदाम वर्कशाप में अचानक छापा मारा जाये और उसकी कुछ घंटों के लिये तालाबन्दी कर दी जाये और फिर इंक्वायरी की जाये। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वहां पर बहुत बड़ा आपको घपला घोटाला मिलेगा। कुमायूं डिवीजन में १८ लाख का घाटा दिखाया गया है। वहां के यात्री छतों पर बैठकर यात्रा करते हैं मोटर में जगह नहीं मिलती है फिर भी यह हाल है। संयंत्र खरीदने के लिये जो ४० लाख रुपये का प्राविधान किया गया है, यह सब जनरल मैनेजर, सर्विस मैनेजर और फोरमैन की जेब में चला जायेगा। ऐसा होता है कि वहां से जो नया सामान आता है वह प्राइवेट वर्कशाप वालों को दे दिया जाता है, जनरल मैनेजर की साजिस से फोरमैन के माध्यम से बेंच दिया जाता है और उसके स्थान पर सेकेंड हैंड पुर्जे रख दिये जाते हैं। यही पुराने पुर्जे सरकारी बसों में इस्तेमाल किये जाते हैं। इसीलिये वहां की बसें हमेशा बहुत बुरी हालत में रहती हैं। टैक्सी परमिट से रोजगार भी मिलेगा।

इसके अलावा मैं इस सिलसिले में यह भी कहना चाहता हूं कि ये जो टैक्सियों को परमिट दिये जा रहे हैं, जिसको मैंने व्यक्तिगत रूप से भी कहा था, उसमें से पहाड़ के लोगों को ज्यादा परमिट दिये जायं। क्योंकि वहां पर बड़ी मोटरें आसानी से नहीं चल सकती हैं।

[श्री डूंगरसिंह बिष्ट]

अन्त में मैं पर्यटन विभाग की तरफ मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । आप जानते हैं नैनीताल बहुत बढ़िया पर्यटक स्थल है । स्वामी जी कहते हैं कि देहरादून इसके लिये बहुत अच्छा है । मैं कहता हूं रानीखेत, अल्मोड़ा, देहरादून, नैनीताल सभी जगह पर्यटन की दृष्टि से अच्छी हैं किन्तु वहां पर पर्यटन शेड्स हों, वहां पर पहुंचने के लिये छोटी छोटी बसों की व्यवस्था हो, तो बहुत अच्छा होगा । इस प्रकार मैं यातायात मंत्री जी के मांग का समर्थन करता हूं ।

श्री अमरनाथ दूबे (जिला वाराणसी)—

उपाध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का जो अवसर दिया, उसका मैं हार्दिक आभारी हूं । परिवहन विभाग का उद्देश्य मंत्री महोदय ने बताया है कि जनता का हित और सरकारी आय। बावजूद इसके इसकी स्थापना के पहले भी निजी गाड़ियां चलती थीं, सरकारी गाड़ियों से और नेशनलाईज्ड होने में जनता को यह आशा थी कि इस नेशनलाईजेशन से सरकारी आय की वृद्धि होने तथा जनता को भी अधिकाधिक सुविधायें मिलेगी । किन्तु अफसोस है कि ये दोनों उद्देश्य फेल हो गये और दोनों की भिन्न तारीफें हैं । जनता का हित होने के बजाय जनता का बड़ा अहित हो रहा है । क्योंकि इनके दिमाग में है कि जनता सारी पक्की सड़कों पर रहने वाली है और ७० प्रतिशत जनता जो देहातों में रहती है वह जनता जनता ही नहीं है ।

अब हम मंत्री महोदय के समक्ष इसको रखेंगे कि मंत्री महोदय बहुत थोड़ों दिनों से हैं और यह बहुत दिनों की कमी चली आ रही है। मैं केवल आपकी आलोचना नहीं कर रहा हूं । पूरे परिवहन विभाग की मैं आलोचना करता हूं जब से इसकी स्थापना हुई । कम से कम १९६० से जितनी मिनिस्ट्रियां आयीं सब ने जनता के हितों की बराबर उपेक्षा की है। हां एक बात रही। साधन अच्छे रहे, सरकारी खजाने में रुपया है उससे गाड़ियां अच्छी आ सकती हैं, गाड़ियां चलायी जा सकती हैं। लेकिन होता क्या है ? शुद्ध पूंजी २५ करोड़ की है । तीन किताबों में तीन तरह के आंकड़े हैं कि कितनी गाड़ियां चल रही है । लेकिन जो आज मिले या मंत्री महोदय के यहां से जो परचा मिला था उसी के हिसाब से चलें तो ४०८५ गाड़ियां आपकी चलती है । इन गाड़ियों से केवल २५ करोड़ की शुद्ध पूंजी है । ८०–८५ हजार की गाड़ी आती है । एक साल में प्राइवेट आपरेटर उसके दाम पूरे कर लेता है । किसी भी गाड़ी की आमदनी १०० रुपये से कम नहीं है । अगर इसकी गाड़ियों की आमदनी सिर्फ पचास रुपये रख ली जाय तो इनको कम से कम ७ करोड़ ३० लाख ४४ हजार रुपया एक साल में आमदनी होनी चाहिये । सन १९४७ से गाड़ी चल रही हैं लेकिन शुद्ध पूंजी केवल २५ करोड़ ह । यह बात सोचने की है कि बाकी आमदनी हुई क्या ? गाड़ियां जो आयीं चलायी गयीं लेकिन साठ परसेंट तो आमदनी चोरी चली गयी, कुछ वर्कशाप में चली गयी, जो कुछ बची वह बड़े बड़े अफसरों में चली गयी । थोड़ा बहुत गवर्नमेंट के खजानें में दिखाने के लिए मुनाफा हो गया । १९४७ से १९७१ तक जोड़ लीजिये, २० वर्ष ही रख लीजिये तो १४० करोड़ होना चाहिये । मंत्री महोदय और सेक्रेटेरिएट यह समझता है कि जो कुछ है रोडवेज है जब कि मंत्री महोदय ने ऐलान किया हमारी दो शाखायें हैं एक शाखा आर-टी०ओ० है और दूसरी रोडवेज। हम आपको बतायें कि आर० टी० ओ० की शाखा को उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता है । कोई भी रूट ले लें जिन रूटों पर पब्लिक की सेवा सौ गाड़ियां चलती है उन पर रोडवेज की २० या २५ गाड़ियां चलेंगी। जौनपुर-बनारस रूट पर ४० गाड़ियां चलती थी । इनकी ६ गाड़ियां चल रही हैं । दूसरे आप देखें, जितने आपके रूट्स हैं उन पर ज्यादा टैक्सियां पायेंगे । जहां पब्लिक की गाड़ियां चलती हैं टैक्सी नहीं मिलेंगी क्योंकि १५–१५ मिनट की सर्विस है । लिहाजा वहां पर टैक्सियों को मौका नहीं मिलता । इनके पास गाड़ियां नहीं हैं और यह

अपनी टांग फैला रहे हैं। जितने रूट ले रखे हैं उन पर गाड़ियों की कमी है लेकिन फिर भी कहते हैं कि आपरेटर्स की गाड़ियां बन्द हो जानी चाहिये देहातों की गाड़ियां बन्द हो जानी चाहिये। रोडवेज के कर्मचारी, सेक्रेटरिएट के कर्मचारी यहां तक आयुक्त महोदय भी एक धारा में बहते हैं।

अगर कोई समझता है कि पब्लिक भी कोई चीज है तो उसके ऊपर अवश्य ध्यान दिया जाता। किन्तु पब्लिक को कोई समझता ही नहीं है। अगर बड़े-बड़े अधिकारी देहातों में २५,२५ और ६०,६० मील जाते और वहां जाकर जनता की हालत देखते कि वहां पर उनकी क्या हालत है कितनी दूर से जनता को पैदल आना पड़ता है तब उनको रहम आता उस जनता पर कि आखिर उनके लिये कुछ अवश्य होना चाहिये। यदि कोई गाड़ी २०,२५ मील दूर से गांवों से आती है तो नोटिफाइड एरिये में आकर उसको रोक दिया जाता है क्या यही यह सरकार जनता का हित कर रही है और यही जनहित का कार्य हो रहा है। न कोई अस्पताल पहुंच सकता है, न कोई कचहरी पहुंच सकता है और न ही स्कूल आदि समय पर पहुंचा जाता है। कोई इसकी देखभाल करने वाला नहीं है और कहा जाता है कि यू० पी० की रोड को नेशनलाइज कर दो। तो इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि जितनी रोड्स आपने ले रखी हैं उतनी रोडों पर आप उतनी बस चलावें जिससे उस पर एक भी टैक्सी न चल सके। इस चीज का आपको इन्तजाम करना चाहिये।

एक चीज और निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी बसों का कोई चालान नहीं है। प्राइवेट गाड़ियों का चालान तो स्क्वायर्ड इन्सपेक्टर कर लेता है और वह चालान जाता है आर०टी०एम० के यहां और जब रोडवेज की बसों का चालान जी०एम० और ए०जी० एम० करता है जबकि मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट में कहीं तो यह नहीं लिखा हुआ है कि इन बसों का चालान ए० जी० एम० करें। किन्तु जैसी यह सरकार है, वैसे ही वे भी हैं। जैसे हठिया वैसे सठिया, जैसे मुल्जिम वैसे जज। गल्ती किसी की होगी और वेतन कटेगा ड्राइवर का। कामयाबी से चलाना चाहें तो उससे जनता को भी फायदा होता है। आपकी गाड़ियां हमेशा लेट होती हैं और जब चलती भी हैं तो वे ओवर लोड हो जाती हैं। रास्ते के सवारियों को पिक अप नहीं कर सकते हैं लिहाजा जनता को इससे तकलीफें होती हैं। उनको इत्मिनान हो जाता है कि अब तो गाड़ी में जगह नहीं मिलेगी। आप स्पेशल छोड़ते हैं मेल बस छोड़ते हैं, इक्सप्रेस बसेज छोड़ते हैं और हर जगह आपकी बस सर्विसेज हैं किन्तु उनको चलायेंगे नहीं और न ही दूसरों को प्राइवेट गाड़ियां चलाने की स्वीकृति देंगे। बाद में कहते हैं कि गवर्नमेंट का इतने का मुनाफा हो गया।

जो मुनाफा आप बताते हैं वह तो केवल कागजों पर ही है उसकी चेकिंग की कोई व्यवस्था नहीं है। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उस मुनाफे शब्द को वास्तव में आ जाना चाहिये उसे केवल कागज तक ही सीमित नहीं होना चाहिये। यही सरकार नहीं, चाहे कोई भी सरकार रही हो केवल मशीनरी चलाने की सरकार रही है। सचिवालय में सब समझते हैं कि अब तो मंत्रीगण बदलते रहते हैं लिहाजा फारमैलिटी सिद्ध करो। एक ट्रांसपोर्ट कमिश्नर राठौर थे और मैं साझता हूं कि उनके अलावा कोई अच्छा ट्रांसपोर्ट कमिश्नर उनसे अच्छा नहीं आया होगा। वे जनता को इन्वाइट करते थे। वे सन् ६० में यहां पर थे। किन्तु वह टेंडेंसी अब नहीं रह गई हैं। अब तो यह है कि रोडवेज को सपोर्ट करना है और पब्लिक को डिसकरेज करते रहें।

एक आर०टी०ओ० श्री के०पी० सिंह थे उन्होंने एक आर्डर दिया था कि प्रदेश में कोई भी प्राइवेट रूट नहीं रहेगा और रोडवेज की बस हर जगह प्लाई करेंगी। नये ऐक्ट में है कि अगर उस रोड पर रोडवेज प्लाई करता है तो प्राइवेट को परमिट नहीं मिलेगा। इन हजरत के पास गाड़ी नहीं है और ऐलान करते हैं इनको नेशनलाइज किया जाय। चेरिया

[श्री अमर नाथ]

तरी शादी होगी हजरत कोई काबू है । यह अन्धेर का जमाना है । यहां जनता का दम भरने वाले हम आते हैं लेकिन सरकारी लिबास को बू में मर जाते हैं । जनता तो भूल गयी ।

आज किसी को ख्याल नहीं है कि ३०-३० मील पैदल चलकर आने वाले लोग कैसे आवेंगे और वह शहरों में कैसे पहुचेंगे ? हर साल २० हजार परमीशन देना चाहिये तो इस साल टी०सी० ने ५ हजार कर दिये । ५०० क्वार्टरली मिलते थे तो ७५ बनाकर भेज दिया । इतना इंसाफ नहीं है कि लोग कैसे चलेंगे ? ४०० गाड़ियां खड़ी हो जाय ५०० में तो क्या हालत होगी ? इतनी बड़ी ज्यादती । कितना बड़ा अन्धेर है । यह प्रजातंत्र-शासन में नहीं होना चाहिये । मंत्री महोदय को इस प्रकार का विश्वास दिलाना चाहिये कि जब तक उनकी गाड़ियां चलती हों वे सुविधापूर्वक चलने दें । अगर हटानी हों तो अपनी गाड़ी लगा दें, उनकी हटा दें । इसमें किसी को ऐतराज नहीं हो सकता । कोई यह नहीं चाहता कि गवर्नमेंट की न चलें । लेकिन जबतक गवर्नमेंट की न चलें तब तक दूसरों की तो चलने दें । और अगर अपनी लगानी नहीं है और दूसरे की भी बन्द कर दीं तो पब्लिक का क्या होगा ? यह सोचते ही नहीं । आज कहने का मौका है वैसे नक्कारखाने में तूती की आवाज किस से कही जाय ? यही मौका है, फिर मिलेगा ही नहीं । टी०सी० हमें मिलेंगे ही नहीं । सेक्रेटरी महोदय वैसे ही फाइलों में उलझे रहेंगे तो जनहित की भावना किसी में नहीं है ।

आज हालत यह है कि रोडवेज केवल आफिस है जहां टैक्स वसूल होते हैं । पैसेंजर टैक्स वसूल होते हैं लेकिन चूंकि रोडवेज का कंसर्न पब्लिक से है इसलिये आर०टी०ओ० भी बेईमान हैं क्योंकि टैम्पोरेरी परमिट्स देते हैं । क्यों दिये जाते हैं टैम्पोरेरी परमिट्स, इसलिये कि अरजेंसी आ जाती है । डी०एम० को भी राइट है कि अरजेंसी आवेगी, जनता की जरूरत महसूस होगी तो उसको अधिकार है, वह टैम्पोरेरी परमिट दे सकता है । माघ मेले में अमर सिंह बघेल रहे, उन्होंने हुक्म दिया ६०-६० सवारी लेकर के चले जाओ तो अरजेंसी में जनता की सुविधा के नाते वह भी दिया जाता है, लेकिन वहां भी रेस्ट्रिक्शन है कि अगर तुम ने किया तो झगड़ा खत्म ।

आज तक आर०टी० ओ० की बिल्डिंग नहीं बनीं । जहां पर रोडवेज के आर०आई० निकलते हैं उनको सीधे आर०टी०ओ० बना दिया जाता है जबकि ढाई सौ से ५०० इनका ग्रेड है और नान-गजटेड है । और दूसरी तरफ गुड्स टैक्स और पैसेंजर टैक्स वाले को ढाई सौ से ७०० तनख्वाह है उसे एक दर्जा ऊंचे फांद कर चले जाते हैं । एक अंधेर हो तो कहा जाय । सारे अन्धेरों को देखते हुए हम तो राय देंगे कि अगर इसे चलाना है तब तो चलावें नहीं तो हम जो कटौती का जो प्रस्ताव करते हैं इसको मंजूर कर लें और इस रोडवेज को बन्द कर दिया जाय जनहित में, तो ज्यादा अच्छा रहेगा । गवर्नमेंट भी इतना इनवेस्टमेंट करके कम से कम सहूलियत में तो रहेगी । धन्यवाद ।

*श्री जगदम्बा प्रसाद (जिला फैजाबाद)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने इस परिवहन के अनुदान पर मुझे अपने विचारों को व्यक्त करने का अवसर दिया । आज माननीय परिवहन मंत्री जी द्वारा जो अनुदान इस सदन के समक्ष उपस्थित है, मैं उसका समर्थन करता हूं । इस पर मैंने कटौती के प्रस्तावके समर्थक माननीय सदस्यों की बातों को भी सुना और सुनने के बाद कल से आज तक जो सदन में चर्चा रही है स्कूटर और कारों के अलाटमेंट के सिलसिले में, यह आलाटमेंट की जितनी कार्यवाही हुई है यह हमारे माननीय परिवहन मंत्री के वक्त से पहले कार्यवाही है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जिस समय वे भूतपूर्व परिवहन मंत्री पावर में थे तो उस समय हमारे विरोधी दल के सदस्य भी उस सरकार में शामिल थे और उस कार्यवाही में शामिल थे जिस कार्यवाही की आज वह आलोचना करते हैं और उस समय उनका कर्तव्य था कि इस कमेटी का, जो परिवहन मंत्री द्वारा अलाटमेंट हो रहा है, विरोध करते। उसमें उन्होंने कहा है कि एलाटमेन्ट में त्रुटियां हुई हैं मैं इसको मानता हूं कि त्रुटियां हुई हैं। अब त्रुटियां हुई हैं या नहीं इस पर तो कमेटी विचार करेगी और फिर वही किसी निष्कर्ष पर पहुंचेगी। लेकिन आवश्यक है कि जब एस०वी०डी० की सरकार थी उस जमाने के यह एलाटमेन्ट्स हैं जिसमें हमारे स्वामी जी भी एक सदस्य थे। लेकिन उस समय उस सरकार की आलोचा करना वे भूल गये थे। आज उन्होंने आलोचना करना आरम्भ की है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस विभाग में जहां तक त्रुटियों का सवाल है। मैं मानता हूं कि इसमें त्रुटियां अवश्य हैं। जहां तक बसेज के चलने का सवाल उसकी व्यवस्था अच्छी नहीं है। जैसी व्यवस्था होनी चाहिये नहीं हो रही है। परिवहन विभाग इधर ध्यान नहीं दे रहा है। बसों की ऐसी दुर्दशा हो गई है कि उनको स्टार्ट करने के लिये धक्का देना पड़ता है। जब सरकार ने सड़कों का नेशनेलाइजेशन किया था तो उसका उद्देश्य यह था कि इससे जनता का हित होगा। लेकिन इसके विपरीत जनता का हित होने के बजाय जनता और परेशान हो रही है। आपके परिवहन विभाग द्वारा उतनी बसों का प्रबन्ध नहीं होता है जिससे यात्रियों को सुविधा मिल सके। इसके विपरीत प्राइवेट बसेज का प्रश्न आता है तो उनको परमिट मिलने चाहिये जिससे जनता को परेशानी न हो। मैं मंत्री जी से कहूंगा कि किसी मेले में यदि आपकी बसेज ट्रेफिक को सुविधा नहीं दे सकती है और यात्रियों को परेशानी होती है तो प्राइवेट बसेज को चलने दीजिये जिससे जनता को आने जाने की सुविधा मिले। आपको ज्ञान होना चाहिये कि जिस दृष्टिकोण से आपने रोड्स का नेशनेलाइजेशन किया था कि इससे जनता को सुविधा मिलेगी और उसका हित होगा। जब आप इतनी बसेज का प्रबन्ध कर सकें कि सब रोड्स पर अपनी गाड़ियां चला सकें तब आप इसका दावा कर सकते हैं।

आपके इस विभाग में निम्न स्तर पर भ्रष्टाचार है। जैसा कि सदस्यों ने कहा कि यात्रियों के गाड़ी में बैठने के बाद कन्डक्टर और ड्राइवर मालिक होते हैं। वे जहां चाहें बस रोक दें और अपनी सुविधा के लिये एक एक घंटा बस रोके रखते हैं जिससे यात्रियों को परेशानी होती है। जनरल मैनेजर और ए०जी०एम० को इधर ध्यान देना चाहिये। जिनके विरुद्ध शिकायतें मिलें उनके विरुद्ध तुरन्त कार्यवाही की जाए मैं आपका ध्यान अपने क्षेत्र की एक घटना की ओर दिलाना चाहता हूं। यह घटना २६ जुलाई सन् ७० की घटना है। एक बस अकबरपुर से अहरौली जा रही थी पकोली बस स्टेशन पर यह घटना हुई। नाग पंचमी का अवसर था यात्रियों की भीड़ थी। श्री पांडेय नामक कंडक्टर उस बस में चल रहा था उसने भीड़ देखकर यात्रियों से ज्यादा पैसा लेना चाहा। पैसा न देने पर यात्रियों को असुविधा पैदा की और धारा ३५३ में उनके खिलाफ मुकदमा दायर करा दिया। मैं माननीय मंत्री जी निवेदन करूंगा कि ऐसे कंडक्टरों के खिलाफ एक्शन लें। उसके खिलाफ एक प्रार्थना-पत्र मेरे पास है मैं उसे माननीय मंत्री जी को दे दूंगा और आशा करूंगा कि उसके खिलाफ जांच करके उचित कार्यवाही वे करेंगे। इस प्रकार से आपके यहां निम्नस्तर पर भ्रष्टाचार होता है। इस संबंध में मंत्री जी को कोई ठोस कदम उठाना चाहिये और जो सुविधायें यात्रियों को प्राप्त होनी चाहिये वे प्राप्त हो जायं।

हमारे माननीय सदस्यों ने भी कितनी ही असुविधा का जिक्र किया। एक असुविधा यह होती है कि ड्राइवर लोग अपने घरों पर जाकर बैठ जाते हैं और घंटों बस रुकी रहती है। इससे यात्रियों को बहुत परेशानी होती है। मनेजरों को आपके इस प्रकार के आदेश होने चाहिये कि अगर इस प्रकार की शिकायतें पायी जायं तो उनके खिलाफ तुरन्त कार्यवाही की जाय।

[श्री जगदम्बा प्रसाद]

आज सबसे बड़ी असुविधा आर०टी०ओ० आफिस में होती है । एक मेज से दूसरी मेज तक कागज को पहुंचाने लिए रुपया देने की आवश्यकता होती है । अगर उस पैसे में कोई टैक्सी वाला, परमिट वाला कमी कर देता है तो उसके काम में इतनी असुविधा पैदा कर दी जाती है कि मजबूर होकर उसको पैसा देना ही पड़ता है । इसका मुख्य कारण यह है कि यह आर टी०ओ० लोग प्रांतीय सरकार के दूसरे पदों पर नहीं जाते हैं । मेरा सुझाव है कि आर०टी०ओज० का पद प्राविन्शिलाइज कर दिया जाय । उनके स्थानान्तरण इस विभाग से दूसरे विभागों में हो सके, तब विभाग का भ्रष्टाचार कम हो सकता है । जब तक ऐसा न होगा तब तक भ्रष्टाचार और इस विभाग की बुराइयों को समाप्त नहीं किया जा सकता । भूतपूर्व परिवहन आयुक्त से इस संबंध में बातचीत हुई थी उन्होंने कहा था कि मैंने सरकार के समक्ष इस प्रकार का सुझाव रखा है कि आर०टी०ओ० की पोस्ट को प्राविशिलाइज कर दिया जाय । मैं समझता हूं वह सुझाव सरकार के विचाराधीन होगा मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे उस सुझाव को स्वीकार कर लें । इससे वे प्रदेश के भ्रष्टाचार को दूर करने में सफल हो सकेंगे । इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं ।

*श्री भारतसिंह चौहान (जिला इटावा)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं रामकुमार जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और परिवहन मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसका विरोध करता हूं क्योंकि पूरे प्रदेश में परिवहन विभाग में व्यापक भ्रष्टाचार फैला हुआ है । आर० टी० ओ० के दफ्तर में तीन महीने पहले प्राइवेट लारियों के लिये रिश्वत की दर जो २०–२५ रुपया के बीच थी, वह पिछले तीन महीनों में बढ़कर वह दर अब १०० रुपया हो गयी है । २ और ५ रुपये जिन कामों में रिश्वत ली जाती थी उनमें अब २५ रुपया ली जाती है । और सबसे ज्यादा तकलीफ-देह बात यह है कि जिन किसानों से ट्रैक्टर के रजिस्ट्रेशन के अलावा कोई और रिश्वत नहीं ली जाती थी उनसे भी अब आर०टी०ओ० के दफ्तर में सौ-सौ दो-दो सौ रुपये की रिश्वत ली जाने लगी है । आर०टी०ओज० के दफ्तर में यह भ्रष्टाचार क्यों बढ़ा अगर इसकी तह में जाने की कोशिश करें दो पता यह चलता है कि जिस तरह से कोई भ्रष्ट पुलिस कप्तान थानों की नीलामी किया करता है उसी तरह से अब आर०टी०ओज के रीजन्स की नीलामी शुरू हो गयी है । और इस सदन के बहुत से माननीय सदस्य जानते होंगे कि संविद सरकार के जमाने में कानपुर के जिस आर०पी० अग्रवाल को मुअत्तल किया गया था और विजिलेंस की इन्क्वायरी हुई थी उसको अब देहरादून, जो इस प्रदेश का सब से बढ़िया रीजन माना जाता है, दे दिया गया है । कायदा यह है कि जिन आर०टी०ओज० की शिकायतें रहा करती हैं उनको यहां आफिस में ए०टी०सी० बना कर बुला लिया जाता है लेकिन मिस्टर अग्रवाल को, जिसके खिलाफ लगातार भ्रष्टाचार की शिकायतें रही हैं, कभी हेड आफिस में ए० टी०सी० बनने का मौका नहीं आया ।

मेरठ के कुछ लोग मुझसे मिलने आये थे । जिम्मेदार लोग थे । और उन जिम्मेदार लोगों ने प्रदेश के जिम्मेदार नेताओं के सामने मुझे बताया कि हमारे माननीय परिवहन मंत्री जी जब जून के अंतिम सप्ताह में गये थे तो सार्वजनिक समारोहों में २१ सौ रुपया भेंट किया गया था । पता नहीं वह रुपया उन्होने कांग्रेस कार्यालय में जमा किया है या सरकार में जमा किया है, यह वह बतायेंगे । लेकिन इससे भी ज्यादा मेरठ-बुलन्दशहर प्राइवेट मोटर आपरेटर्स यूनियन ने उनका स्वागत किया क्योंकि उनके दो काम थे । सन् ६० से लगातार इस प्रदेश की सरकार इस बात की कोशिश करती रही कि मेरठ-बुलन्दशहर माग का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाय और वहां पर राजकीय बसें चलायी जायं । वे लोग चाहते थे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कि उसे राष्ट्रीयकृत मार्ग घोषित न किया जाय । सिर्फ नोटिफिकेशन होना बाकी था । उनको आश्वासन दे दिया गया कि नोटिफिकेशन नहीं किया जायगा । उनकी दूसरी मांग यह थी कि जो ५० फी सदी बसें मेरठ-बुलन्दशहर मार्ग पर बढाई गयी हैं उनको रद्द कर दिया जाय। पिछली २२–२३ जुलाई की आर०टी०ए० की मीटिंग में उनकी संख्या कम कर दी गयी । खबर यह है कि इसके एवज में माननीय परिवहन मंत्री को ३० हजार रुपये भेंट किये गये । आज जिस प्रदेश के परिवहन मंत्री की यह हालत हो उससे यह कैसे आशा की जा सकती है कि उसके विभाग में भ्रष्टाचार नहीं रहेगा । मैंने तो २१ जुलाई को इस विधान सभा में कहा था कि अगर इस सरकार में हिम्मत है तो वह अपने परिवहन मंत्री के भ्रष्टाचार की जांच कराये लेकिन शर्त यह है कि वह जांच केन्द्रीय सरकार के खुफिया विभाग द्वारा की जाय और फिर अगर मेरे आरोप गलत हों तो मैं विधान सभा की सदस्यता से त्याग पत्र देने के लिये तैयार हूं ।

माननीय परिवहन मंत्री के जिले में जो नया रूट खुला है बाबरपुर–डिबियापुर–तिरवा उस पर कोई ऐसी बस नहीं जाती जिसमें १०० या ८० सवारियां न हों लेकिन कन्डक्टर और ड्राइवर ५ और १० सवारी दिखा कर घाटा दिखाते हैं । इस तरह से वहां खुले आम लूट हो रही है । और अगर ए० टी० आई० वगैरह चेकिंग करते हैं तो उनको मारने पीटने पर आमादा हो जाते हैं । यह हालत है परिवहन मंत्री के अपने जिले में यातायात की ।

अभी पिछले दिनों की शिकायत बनारह के एक जिम्मेदार व्यक्ति ने माननीय मुख्य मंत्री जी को बतायी । मेरे पास वह शिकायत है । माननीय परिवहन मंत्री के खिलाफ उसमें बड़े शर्मनाक आरोप लगाये गये हैं । उनको पढ़ कर मैं अपनी जबान गन्दी न हीं करना चाहता । कभी वक्त आयेगा तो इस सदन के सामने और मुख्य मंत्री के सामने उसे रखूंगा । मान्यवर, उसमें सिर्फ रुपये पैसे के भ्रष्टाचार की ही शिकायत नहीं है । अगर सिर्फ यही शिकायत होती तो वर्दाश्त की जा सकती थी । लेकिन जब माननीय परिवहन मंत्री जी के चारित्रिक भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जाय तो इस प्रदेश का भविष्य क्या होगा ।

एक समाचार पत्र है जो फर्रुखाबाद से प्रकाशित होता है । उसमें लिखा है कि एक प्रोइवेट मोटर ओनर्स यूनियन से १० हजार रुपया मांगा गया और उनको यह धमकी दी गयी कि अगर रुपया नहीं देंगे तो उसको राजकीय मार्ग घोषित कर दिया जायगा ।

इसी तरह से प्रदेश भर में बहुत से लोग माननीय मंत्री जी के नाम से भ्रष्टाचार कर रहे हैं । उनके बंगले पर दो, तीन लोग रहते हैं । कंडक्टर्स और बुकिंग क्लर्स के अप्वाइन्टमेंट की एक प्रत्तिया है । अगर कोई जगह है तो पहले वह अखबार में निकलने और उसके बाद रोजगार कार्यालय के द्वारा नाम मांगे जांय । लेकिन माननीय परिवहन मंत्री ने पिछले तीन महीने के अन्दर तीन, चार सौ लोगों को बुकिंग क्लर्क और कंडक्टर अप्वाइंट किया है । होता यह है कि कुछ दलालों की मारफत यह काम होता है । हो सकता है परिवहन मंत्री के पास तक यह रुपया न पहुंचता हो लेकिन इस प्रकार से उन लोगों से ५००, ५०० रुपया ले लिया जाता है । यह व्यवहार बेरोजगार नौजवानों के साथ किया जाता है । इस तरह से यह भ्रष्टाचार इस प्रदेश में परिवहन मंत्री जी के राज में फैला हुआ है । जैसा अभी असरार अहमद साहब ने कहा कि उस नये ऐक्ट के अनुसार पहली अप्रैल से ट्रिब्यूनल के डिस्ट्रिक्ट लेविल के जज की नियुक्ति हो जाना चाहिये था लेकिन आज तक उसको मुकर्रर नहीं किया गया । कहते हैं कि आदमी तलाश किया जा रहा है लेकिन अभी तक मंत्री जी की मरजी का आदमी नहीं मिला है । जब उनको अपनी मर्जी का आदमी मिल जायगा तो नियुक्ति कर दी जायगी । मगर लोग इससे बहुत परेशान हैं । मंत्री जी को इस तरफ ध्यान देना चाहिये ।

इस प्रदेश में २९२५३ कि० मी० सड़क पक्की है । उसमें १९३९६ कि० मी० पर राजकीय बसे चलती हैं । और ९८१७ कि० मी० पर प्राइवेट बसें चलती हैं । ५५७० रोडवेज की

[श्री भारत सिंह चौहान]

बसें हैं जो १९३९६ कि० मी० पर चलती हैं और प्राइवेट बसें ३६९६ हैं जो ९८१७ कि० मी० पर चलती हैं इससे आप समझ सकते हैं कि क्या दशा है। राष्ट्रीयकरण की बड़ी दुहाई दी जाती है। राष्ट्रीयकरण होना चाहिये और हम भी चाहते हैं लेकिन जिस तरह से उसकी दुहाई दी जाती है उसका भी विचार किया जाना चाहिये कि इतने में प्राइवेट और इतने में सरकारी बसें चलेंगीं। ट्रकों के परमिट को फ्री कर दिया गया है कि चाहे जो उसको खरीद ले। संविद सरकार का यह इरादा था कि भ्रष्टाचार तब तक बन्द नहीं हो सकता जब तक परमिट सिस्टम को खत्म नहीं किया जायगा। जो भी चाहे उसको खरीद ले लेकिन उस विचार को छोड़ दिया गया। मेरा यह व्यक्तिगत विचार है कि जिस तरह से ट्रकों को फ्री कर दिया गया है उसी तरह से प्राइवेट लारी का परमिट भी फ्री कर दिया जाय तो बहुत हद तक यह भ्रष्टाचार बन्द हो सकता है और यात्रियों की परेशानी दूर हो सकती है। प्राइवेट मोटर आपरेटर्स की बसें करीब ९९ फीसदी सड़कों पर चलती हैं और रोडवेज की बसें ३५ फीसदी खड़ी रहती हैं चलती नहीं है। यात्रियों को यात्रा करने में उनसे बड़ी परेशानी होती है। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह इसकी जांच करा लें। इन शब्दों के साथ जो अनुदान रखा गया है उसका मैं विरोध करता हूं।

*श्री रूपराम (जिला शाहजहांपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे परिवहन मन्त्री जी ने जो बजट पेश किया है मैं उसका समर्थन करना चाहता हूं। मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। सब लोगों ने यहां पर चर्चा की और मैंने भी उनको सुना। यह जो परिवहन विभाग की पुस्तिका बटी है उसकी टिप्पणी में यह दिखाया है कि हमारी बसें इतनी चलना था और वह इतनी चलीं। बीच में क्या हुआ यह मन्त्री जी ने नहीं बताया। इतनी गाड़ियां जो लेट हुईं वह किस कारण से हुई यह भी नहीं दिखाया। मान्यवर, देखा भी जाता है कि जिस वर्कशाप में जाइये तो देखें कि उनमें सामान ही नहीं है। अगर कोई गाड़ी खराब हो जाती है और वहां जाती है। और उनसे कहा जाता है इसमें यह चीज नहीं है और यह पुर्जा लगाओ तो वर्कशाप में कह देते हैं कि सेन्ट्रल डिपो से यह मिलता नहीं है। गाड़ी एक पुरजे की वजह से १० दिन तक खड़ी रहती है। इसी पुस्तक की टिप्पणी में यह भी बताया गया है कि ड्राइवर और कंडेक्टर को पुरस्कार दया जायगा और उसके लिये पैसा भी दिखाया गया है लेकिन उनको मिलता ही नहीं है यह ड्राइवर और कंडक्टरों की वर्दी के लिये जो पैसा दिखाया गया है कि उनको धुलाई के लिये दिया जायगा यह सही नहीं है। यह बहुत ही कम रकम है। इस धुलाई की रकम को बढ़ाया जाय मैं मन्त्री जी से कहूंगा कि इस तरफ ध्यान दिया जाय।

सूती कपड़े की सिलाई साढ़े चार रुपया दी जाती है, यानी २ पेंट और २ कमीजों की सिलाई साढ़े चार रुपया मिलती है। आजकल इस महंगाई के जमाने में कोई भी साधारण कमीज आप सिलायें तो ३ रुपया कम से कम देना होते हैं और ठंडी पेंट की सिलाई भी कम से कम ८ रुपया पड़ती है। इसी तरह से गर्म कपड़ों की सिलाई की बात है एक गर्म कोट और एक पेंट की सिलाई १४ रुपया दी जाती है जब कि कोई भी आज उसको ५० रुपये से कम में सीं कर नहीं देगा। एक ड्राइवर या कन्डेक्टर किस तरह से १४ रुपये में अपने गर्म कोट और पेंट को सिला सकता है। उस कपड़े को तो वह कम्बल की तरह की इस्तेमाल कर सकता है वह उसको ओढ़ ले। वहां पर ए० टी० आई० भी हैं और स्टेशन इंजार्ज भी मौजूद हैं, जब स्टेशन इंचार्ज है तो वहां पर ए० टी० आई० की पोस्ट की जरूरत ही नहीं है, जो स्टेशन इंचार्ज हैं उनके ही जिम्मे इस काम को भी दिया जाय और वह खुद गाड़ियों की चेकिंग करे। उनके द्वारा ही उनका प्रोमोशन होता है अगर वह खुद चेकिंग का काम कर सकते हैं। यह भी देखा गया है कि ए० टी० आई० और टी० एस०

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

का स्थानान्तरण होता ही नहीं है जो बहुत आवश्यक है । इनका तबादला ३ साल के बाद कर देना चाहिये । हमारे यहां एक मि० सिंह हैं जो एक ही रूट पर चलते रहे । इसी तरह से जलालाबाद, जिला शाहजहांपुर में एक मिश्रा जी है वह ५ साल से ए० टी० आई० बने हैं और उन्होंने वहां ऐसा रोब जमा रखा है कि अगर कोई शिकायत करेगा तो हम उसके खिलाफ शिकायत लिख देंगे । ऐसे आदमी को उस डिपो के रूट से ही बदल देना चाहिये । एक हमारे यहां ट्रैफिक सुपरिंटेंडेन्ट हैं उनका कभी ट्रान्सफर होता भी है तो वह वहीं पीलीभीत, बदायूं मुरादाबाद, बिजनौर और फिर बाद में बरेली को हो जाता है । उनका स्थानान्तरण कही दूर करना चाहिये क्योंकि उनके कारनामे तो खुद ही कार्यालय में देखे जा सकते हैं ।

गाड़ियों का समय जो निर्धारित किया गया है उसका कोई नोटिस बोर्ड स्टेशन पर नहीं लगाया जाता है । यात्रियों को पता ही नहीं रहता कि कौन गाड़ी कितने बजे जाने वाली है । अगर कोई गाड़ी ५ बजे जाने वाली होती है और इन्क्वायरी आफिस पर पूछते हैं तो कह देते हैं कि वह अभी वर्कशाप में है, आने वाली है, फिर साढ़े ५ बजे पूछते हैं तो कह देते हैं कि १ घंटा लेट है उसके बाद फिर घन्टे बाद जा कर पूछते हैं तो कहा जाता है कि २ घंटा लेट है और इसी तरह से चलता रहता है और रात को दस बजे कह दिया जाता है कि अब कोई गाड़ी नहीं जायगी, जिसकी जी में जहां चाहे जाय । अब रात को आप समझ सकते होंगे कि उन यात्रियों की क्या दशा होती होगी । केनसिलेशन की जिम्मेदारी किसी की होना चाहिये और यह होना चाहिये कि किस की जिम्मेदारी है और ३ मास के बाद तमाम केनसिलेशन रिपोर्ट आना चाहिये और यह भी आना चाहिये कि हर कैनसिलेशन केस के माध्यम से हुआ, फोरमैन, ड्राइवर, कन्डक्टर मैकेनिक किसके द्वारा हुआ और जिसके द्वारा हुआ हो उसके कैरेक्टर रोल में एडवर्स एन्ट्री की जाय और उसका प्रोमोशन रोका जाय । तभी कन्डक्टरों को सुविधा होना चाहिये । गाड़ियां बहुत सी नहरों के रास्तों पर जैसे हमारे बरेली रीजन में बाइफरकेशन रूट्स पर चलती हैं ।

बरेली रीजन में ही एक मकसूदपुर रोड है जहां हजारों की संख्या में यात्रियों की तादाद रहती है । वहां गाड़ियां नहीं चलाई जा रही हैं । मैंने सरकार से कहा कि यह बड़ा महत्व-पूर्ण स्थान है । यहां पर गाड़ी चलना अनिवार्य है । यह देखा जाय कि ड्राइवर और कन्डक्टर की सुरक्षा के लिये कोई इन्तजाम नहीं है । हमारे यहां ४–६ जनवरी में एक कान्स्टेबुल ने कन्डक्टर को पीटा और उसके रोष में करीब दस घंटे वहां गाड़ियां खड़ी रहीं । स्ट्राइक हो गई । वहां के ए० जी० एम० ने यह नहीं पूछा, उन कर्मचारियों की मदद नहीं की । वे पुलिस सुपरिन्टैन्डैन्ट या डी० वाई० एस० पी० से नहीं मिले । जब स्ट्राइक हो गया १४–१५ घंटे तक ए० जी० एस० ने उसको सम्हाला । इस तरह यह तो १५–१६ घंटे का सरकारी लास हुआ उसको क्यों नहीं ए० जी० एम० की पे से रिकवर किया जाय । अगर गाड़ी लेट हो जाती है तो ड्राइवर की काम्पलेन्ट कर दी जाती है और उसके अलाउन्स में से काट लिया जाता है । तो क्यों नहीं इसी प्रकार उस उच्चाधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की जाय । २–८–७० में मुहम्मदी में दुर्घटना हो गई । वहां पर भी ड्राइवर और कन्डक्टर को पुलिस ने पीटा । वहां के किसी भी स्टेशन इन्चार्ज ने यह नहीं कहा कि हमारे ड्राइवर और कान्डक्टर के साथ में अत्याचार हो रहा है । अगर मान्यवर, वे लोग जाते और पुलिस के लिये सजैशन देते तो वहां कुछ होता । वहां की पुलिस गुन्डों से मिली हुई थी । गुन्डे खड़े रहे और उल्टे ही ड्राइवर और कन्डक्टर को थाने में बन्द कर दिया गया । वहां के जो जिला स्तर के मंत्री हैं श्री वी०पी० सिंह उन्होंने नोटिस दे रक्खी है कि अगर मामला तय नहीं हुआ तो ६ तारीख के लिये स्ट्राइक हो जायगी ।

(लाल बत्ती होने पर)

मान्यवर, थोड़ा सा समय और दे दीजियेगा दो मिनट का ।....मान्यवर, पेशाबघर और पाखानाघर तक नहीं बनाये गये हैं । बरेली में जलालाबाद स्टेशन है वहां पर किवाड़े

[श्री रूपराम]

तक नहीं है। पेशाब घर और पाखाना घर में तो कोई पानी नहीं डालता। पुंवाया में खुद स्टेशन बना हुआ है लेकिन उसकी छत आठ-दस वर्षों से टूटी पड़ी है। इसके लिये कोई सुनवाई नहीं की गई है। इन शब्दों के साथ मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है उसका मैं समर्थन करता हूं।

श्री हरिवंश सहाय (जिला देवरिया)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। माननीय सदस्यों ने परिवहन विभाग में भ्रष्टाचार, गाड़ियों की खराबी, राष्ट्रीयकृत सड़कों पर बसों को न चलाना आदि मामलों पर अपनी बातें कहीं। केन्द्रीय सरकार ने १९५९–६० में उत्तर प्रदेश सरकार को लिखा था कि एक परिवहन निगम बनावें लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार अब तक परिवहन निगम नहीं बना सकी। सन् १९६९ में उत्तर प्रदेश की लोक लेखा समिति ने भी इसी तरह की सिफारिश की थी जो इस प्रकार से है:—

"समिति संस्तुत करती है कि परिवहन विभाग परिवहन निगम की स्थापना यथाशीघ्र करे रोडवेज के सुचारु रूप से संचालन के लिये यह आवश्यक है कि इस पर सरकारी नियंत्रण रहे।" अगर परिवहन निगम बन जाय तो कमचारियों को सुविधा मिलेगी, उनका काम करने में मन लगेगा, जो सरकारी धन का गबन होता है उसकी बचत हो जायगी। श्रीमन्, रोडवेज में कोई कायदा कानून नहीं है और न कोई ऐक्ट है। माना कि मोटर वेहकिल्स ऐक्ट है लेकिन वह भी ठीक से नहीं चलता। इसलिये रोडवेज के कर्मचारी बराबर परेशान रहते हैं। गवर्नमेन्ट आफ इंडिया ने एक ट्रांस्पोर्ट वेजबोर्ड भी बनाया। अन्य प्रदेशों मे उसको माना लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार न उसको नहीं माना। अन्य प्रदेशों ने बोनस की बात स्वीकार किया। अन्य विभागों में तो बोनस मिलता है लेकिन रोडवेज में नहीं मिलता है। उत्तर प्रदेश रोडवेज मजदूर सभा ने इसके लिये बड़ी लड़ाई की। संबंधित मंत्री बराबर उसके लिये आश्वासन देते रहे लेकिन अब तक कुछ नहीं हो सका।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रोडवेज में बड़ा भ्रष्टाचार है। १२ रीजन हैं, जिनमें से ९ रीजन के जनरल मैनेजरों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतें हैं। इलाहाबाद के जनरल मैनेजर श्री चरन के खिलाफ है, गोरखपुर के श्री विलसन के खिलाफ, और कानपुर के श्री माथुर के खिलाफ है। लेकिन कोई भी जी० एम० अब तक निकाला नहीं गया। १२८ राजपत्रित अधिकारी इस विभाग में हैं जिनमें से ८० के ऊपर भ्रष्टाचार की जांच हो रही है लेकिन राज्य सरकार ने अब तक उन्हें मुअत्तल या बरखास्त नहीं किया है।

मान्यवर, हमारे गोरखपुर रीजन में बड़ा भ्रष्टाचार है। गोरखपुर के जी० एम० को केवल २६१ रु० वेतन मिलता है। उनके खिलाफ गबन साबित हुआ था, वेतन से धीरे-धीरे कटौती हो रही है। वे भी लूट-खसोट मचाए हुए हैं। गोरखपुर रीजन के ही अन्तर्गत कसिया का बस स्टेशन इंचार्ज कन्हैया वर्मा विलसन साहब का दलाल है और सात कर्मचारी अपने गांव के रखे हुए है और पांच-पांच सौ रुपया लकर कंडक्टरों की नियुक्ति कराते हैं।

श्रीमन्, हमारे पास एक इलाहाबाद से चिठ्ठी आयी है। उसमें लिखा है कि इलाहाबाद से बादां मार्ग पर ३० बसें चलने का आर्डर हुआ। १३ बसें थीं, लेकिन आज केवल पांच बसें ही चल रही हैं क्योंकि प्रायवेट बस चालक अधिकारियों को पैसा देते हैं। टाइम टेबिल भी बहुत गड़बड़ रखा है।

श्रीमन्, गोरखपुर रीजन में बस्ती डिपो में ४२ हजार का गबन हुआ। इस सम्बन्ध में १५–५–७१ को मैंने मंत्री जी को एक पत्र लिखा। वहां के ए० जी० एम० ने ४२ हजार रुपये का गबन कर दिया और मंत्री जी ने छोटे कर्मचारियों का ट्रांसफर और एक छोटे कर्मचारी को रिवर्ट कर दिया लेकिन जो उसमें मुख्य मुलजिम अनरुद्ध पांडे है उसका कुछ नहीं हुआ।

मैंने अपने पत्र में लिखा था कि सहायक जनरल मैनेजर ने नवम्बर, ७० में लाकर की डुप्लीकेट कुन्जी ट्रेजरी आफिस से निकाल लाए थे और उसे ७ मई, १९७१ को जमा किया। जब गबन की रिपोर्ट ३०–४–७१ को हुयी और खजांची चाबी भूलने की रपट २४–४–७१ को की। अब तक की की गयी कार्यवाही के बारे में मैं कह सकता हूं कि छोटे-छोटे कमचारियों को स्थनान्तरित कर दिया गया है या रिवर्ट किया जा रहा है। इसके बारे में हमने पिछले हफ्ते विधान सभा में प्रश्न भी किया था। परिचालकों की नियुक्ति के लिये एगजामिनेशन हुआ और लोगों ने सिक्यूरिटी भी जमा कर दी मगर उनको रखा नहीं गया। मन्त्री जी ने जवाब दिया कि अभी नहीं रखा गया है। मैं मन्त्री जी को बतलाना चाहता हूं कि श्री अनिरुद्ध पाण्डे ने २०० रुपये प्रति परिचालक के हिसाब से लेकर परिचालकों की भर्ती की है। उन्होंने कुल ३० परिचालकों की भर्ती की और कुछ के नाम रमेशचन्द्र, राम चन्द्र प्रसाद और लाल बहादुर आदि हैं।

मैं मन्त्री जी का ध्यान अस्थायी कर्मचारियों की ओर दिलाना चाहता हूं। यही एक ऐसा विभाग है जिसमें ४,००० कर्मचारी ऐसे रहते हैं जिनकी नियुक्ति ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हर साल करते हैं और वर्ष के अन्त में उन्हें बर्खास्त कर देते ह। आपको कोई भी विभाग ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें ४,००० कर्मचारी नियुक्त किये जायें और उनको हर साल हटाया जाय। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारियों की एक एसोशियेशन रोडवेज मजदूर सभा और उसके अध्यक्ष उग्रसेन जी ने १५–७–७१ को मन्त्री जी को एक चिट्ठी लिखी। आप जब इस चिट्ठी को सुनेंग तो आपको पता चलेगा कि गोरखपुर रीजन में कितना भ्रष्टाचार है और वहां के जनरल मैनेजर किस तरह से लूट रहे हैं। मैं ३ मिनट में इस चिट्ठी को पढ़ दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप समाप्त करें, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है।

श्री हरिवंश सहाय—

इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। विलसन साहब २६१ रुपये महीने पाते हैं और उनका खर्च ३,००० रुपये महीना है। अभी हाल में गोरखपुर के खदनी मार्ग पर बस चलाने के लिये परमिट दिलाये और ५०,००० रुपये लिये। कर्मचारियों से झूठा माइलेज चार्ज करवा कर सरकार का पैसा अपने आप हड़प रहे हैं। अभी सैकड़ों आदमियों की एक लिस्ट बनायी और उनको नौकरी दिलायी। ये नौकरियां भी पैसे लेकर दिलायी हैं। ४ वर्ष तक विलसन साहब सस्पेन्ड रहे। बराबर स्टेशन इन्चार्जों से पैसा लेते हैं। कुम्भ मेले में सरकारी बसों को न चलाकर प्राइवेट बसों को चलाने के लिये लाइसेन्स दिये गये। एक बात और मैं कहना चाहता हूं। पिछली सरकार में जो परिवहन मन्त्री थे उन्होंने सरकार का २० लाख रुपये का नुकसान कराया। प्राइवेट बसों के चलने के कारण सरकारी बसों को कुम्भ मेले के अवसर पर चलाने से ही घाटा हुआ। गोरखपुर का परिवहन विभाग बिल्कुल सड़ गया और उत्तर प्रदेश का परिवहन विभाग तो सड़ ही गया है। मैं आपके माध्यम से परिवहन मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि विल्सन साहब को तथा अन्य भ्रष्ट कर्मचारियों को बर्खास्त करें और उनके ऊपर मुकदमा चलायें। उन्होंने बहुत सा फर्जी स्पेयर पार्ट्स खरीदा है, बसें समय से नहीं चलती हैं और लूट खसोट मची हुयी है।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप समाप्त करें।

(श्री रामकुमार दीक्षित को उत्तर भाषण के लिये पुकारने पर व्यवधान)

श्री मदनमोहन मिश्र (जिला रायबरेली)—

हम लोगों को समय नहीं दिया जा सका, हमें भी समय मिलना चाहिये। मैं कई बार उठा बैठा लेकिन आपकी निगाह नहीं गई।

श्री उपाध्यक्ष—

क्या करें।

श्री मदनमोहन मिश्र—

यह सबजेक्ट ऐसा है कि सभी लोग बोलना चाहेंगे।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

अब तो बहस का जवाब दिया जा रहा है।

श्री मदनमोहन मिश्र—

हमारे मंत्री पर इतने लांछन लगाये गये और आप हमें बोलने की इजाजत नहीं देते हैं।

*श्री राम कुमार दीक्षित—

मुझे प्रसन्नता कि जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया था उसके ऊपर माननीय सदस्य, जो इस ओर से या उस ओर से, बोले हैं उन्होंने उसको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार किया है। मैंने जो भी तथ्य रक्खे थे उसको सदस्यों ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सिद्ध कर दिया इसलिये मैं उनको धन्यवाद देता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, कुछ बातें जो इस बीच में हुई हैं उसके सम्बन्ध में मैं कुछ कहना चाहता हूं परिवहन विभाग में ३५,००० कर्मचारी हैं लेकिन फिर भी शासन की उनके प्रति उपेक्षापूर्ण नीति है। उनके सेवा नियम अब तक नहीं बने हैं। उनको जो सुविधायें मिलना चाहिये वह नहीं मिल रही हैं। मान्यवर, समय-समय पर इन कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने अपने प्रतिनिधि मंडलों द्वारा, अपने प्रतिवेदनों द्वारा, अपनी प्रतीक हड़ताल द्वारा सरकार पर दबाव डालने की चेष्टा की है, मांगें रखने की चेष्टा की लेकिन मालूम नहीं क्यों सरकार इनके प्रति उपेक्षित हैं। यह कार्यक्रम आप देखें कि जितने भी बजट भाषण यहां आये हैं उन सबमें यह आश्वासन मिलते रहे हैं। इस विचार की कोई सीमा होनी चाहिये। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी एक तिथि निर्धारित करें समय निर्धारित करें जिसके अन्दर इस बात की घोषणा करें कि इन कर्मचारियों के सम्बन्ध में जो घोषणायें करने वाले हैं कर देंगे जिससे कि उनके काम की दक्षता में जो कमी हो रही है वह रुकें। वे अपने काम में रुचि लेकर सेवा कार्य कार्य कर सकें। मुझे विश्वास है कि परिवहन मंत्री जी उस सम्बन्ध में कोई न कोई घोषणा अवश्य करेंगे।

श्रीमन्, चर्चा में यह बात नहीं आयी लेकिन एक आम चर्चा है कि इस सत्र के समाप्त होते ही यह सरकार आर० टी० ए० कमेटीज को जीवित करने जा रही है। आपके माध्यम से मैं यह कहना चाहता हूं कि एक अच्छा काम हो गया और इन कमेटीज को समाप्त करके भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिये एकदम उठाया गया। लेकिन यदि आप इस प्रकार का कोई कार्य करने वाले हों उस सम्बन्ध में भी अभी स्पष्टीकरण कर दें कि आर० टी० ए० कमेटीज को फिर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

से नामिनेट करने जा रहे हैं जिनके द्वारा परमिट और लाइसेन्स देनेमें व्यापक भ्रष्टाचार होता था। श्रीमन्, पहाड़ी क्षेत्रों के बारे में माननीय डूंगर सिंह ने कुछ बातें बड़े जोर के साथ रखीं। पहाड़ी क्षेत्रों में जो बसें चल रही हैं वे पूरी तरह से उस क्षेत्र की सेवा नहीं कर पातीं। उसके कुछ कारण भी बिष्ट जी ने बतलाये। उन्होंने यह भी कहा कि एक विशेष प्रकार की बसें वहां चलें। श्रीमन्, यह सही है कि पहाड़ी क्षत्रों में बड़ी बस काम नहीं दे सकती। इसलिये मैं कहना चाहूंगा कि जब विभाग नई चेसिस खरीदता है तो जिस क्षेत्र की जो आवश्यकता हो उसको दृष्टि में रख कर खरीदे।

इसी प्रकार यदि आपकी राष्ट्रीयकरण की नीति है तो पर्वतीय क्षेत्रों की सड़कों को भी राष्ट्रीयकरण करने की कोशिश करें जिससे वहां के लोगों में भी विश्वास बढ़े कि आप निश्चित रूप से मनमाना काम करने वाले लोगों को रोक रह हैं जो कि व्यक्तिगत बस चला कर मुनाफा कमाते हैं। हमारे विशारदजी ने दूसरे अर्थ में मेरी बात को लिया कि शायद मैं नेशनलाइजेशन के पक्ष में नहीं हूं। मैं उसके पक्ष में हूं लेकिन आप उस मात्रा में बसें चलायें जिस मात्रा में उनकी आवश्यकता है। अगर आप लोगों की आवश्यकता पूरी नहीं कर सकेंगे तो उससे जनता को कष्ट होगा और शिकायतें होंगी। इसलिये जिन रूट्स पर आप पूरी बसों का प्रबन्ध न कर सकें तो उन रूट्स पर पंजाब की तरह प्राइवेट बसों को चलने का मौका दें। उस स्थिति में उनमें एक कंपटीशन होगा और आपको उत्तरोत्तर जो शिकायतें सुनने को मिलती हैं कंडक्टरों और ड्राइवरों के बारे में वे भी घटेंगी। श्रीमन्, एक बात और कहना चाहता हूं। हमारे स्वामी जी ने और डूंगर सिंह जी ने भी कहा कि इस विभाग में व्यापक भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार के कुछ उदाहरण भी दिये गये। कुछ वर्कशाप के उदाहरण दिये गये और कुछ आर० टी० ए० आफिस के उदाहरण दिय गये। कुछ आर० टी० ओज० द्वारा गबन के भी उदाहरण दिये गये। यदि मंत्री जी उचित समझें तो इस प्रकार के जो आरोप हैं, चाहे वर्कशाप के बारे में हों या बड़े अधिकारियों के बारे में हों, हमसे आमंत्रित कर लें। और उनके विरुद्ध आज यह घोषणा करे कि निश्चित रूप से जांच समिति बिठाल कर कोई कार्यवाही करेंगे, ताकि प्रदेश की जनता को विश्वास हो सके कि जो आप कहते हैं कि भ्रष्टाचार मिटाने की तरफ कदम बढ़ायेंगें, उस तरफ कदम बढ़ रहे हैं। मेरा विचार है कि परिवहन मंत्री जी इस पर गम्भीरता से विचार करेंगे और निश्चित रूप से कोई मार्ग निकालेंगे, जिससे जन साधारण के मन में विभाग के प्रति जो अविश्वास पैदा हो गया है कि वह जनता की पूरी सेवा नहीं कर पा रहा है, वह विश्वास में बदल जाये। मुझे विश्वास है कि मंत्री जी जनता के विश्वास को पुनः वापस कराने में, विभाग को सेवा के अनुकूल बनाने म जो उत्तरोत्तर क्षति हो रही है, उसको भी रोकने का कष्ट करेंगे।

श्री बलराम सिंह यादव—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा अनुगृहीत हूं कि मुझे आज की इस बहस का उत्तर देने के लिये आपने अवसर दिया है।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

इसमें थोड़ा संशोधन कर लें, उन्हें सदन को धन्यवाद देना चाहिये कि सदन उनको खामोशी से सुन रहा है।

श्री बलराम सिंह यादव—

माननीय सदस्यों ने, चाहे वे सरकारी पक्ष के हों, चाहे वे विरोध पक्ष के हों, हमें जो बहुमूल्य सुझाव परिवहन विभाग के संबंध में दिये हैं, उनके बारे में सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं जो भी सुझाव उन्होंने दिये हैं, मैं भरसक प्रयत्न करूंगा कि जो विभाग के अंदर त्रुटियां या कमियां हैं उनको दूर किया जा सके, जो हमारे विभाग की मंशा है वह पूरी हो सके।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी—

जो हमने कहा है उसके बारे में आप बतायें ।

*श्री बलराम सिंह यादव—

मान्यवर, इससे पहले कि मैं कुछ कहूं, मैं यह आवश्यक समझता हूं कि मैं उन आरोपों के बारे में जिक्र करूं जो हमारे माननीय सदस्यों ने मेरे ऊपर आरोपित किये हैं । दीक्षित जी मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे जिले के पड़ोसी हैं । बिल्हौर तहसील के आप विधायक हैं, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं । मैं उनकी गरिमा के खिलाफ कोई बात कहना सदन के अन्दर उपयुक्त नहीं समझता । दूसरा जो आरोप माननीय भारतसिंह चौहान ने लगाया है, भारतसिंह जी चौहान हमारे जनपद के निवासी ह और वह इटावा जनपद में, वहां की राजनीति में मुख्य रूप से हमारे प्रतिद्वन्दी हैं । भारतसिंह चौहान क्या हैं ? कैसे हैं, इसके बारे में मैं इस सदन के अन्दर कोई बात कहना अपनी गरिमा के विरुद्ध समझता हूं । मैं आपसे केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि जहां तक भारतसिंह चौहान का संबंध है, इटावा जनपद का जनजन और बच्चा-बच्चा उनके चरित्र और कारनामों को जानता है । मैं तो केवल इतना ही कहना चाहता हूं आज इस माननीय सदन में जो यह षड़यंत्र मेरे खिलाफ रचा गया है, इसकी सूचना मुझे पहले ही से थी । कमलापति जी त्रिपाठी ने मुझे अपने उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में शामिल किया, मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं, लेकिन जिस दिन से उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल में मुझे लिया गया, उसी दिन से हमारे विरोधी हमारे खिलाफ षड़यन्त्र रचने के लिये अमादा हुये । मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि आज इस माननीय सदन के सदस्यों के सामने कि जो आरोप मुझ पर लगाये गये हैं, उनमें से यदि एक भी सही निकल आये तो मैं मंत्रिमंडल से नहीं, विधान सभा की सदस्यता से नहीं, बल्कि प्रदेश से निष्कासित होने के लिये तैयार हूं । मैं आपको इस बात का वचन देता हूं ।

मान्यवर, आक्षेप करने वाले को प्रूव करना होगा । मान्यवर, स्कूटरों के बारे में माननीय सदस्यों की कुछ शिकायतें आयीं । मैंने कल ही क्वैश्चन के समय यह कहा था कि यह प्रश्न मेरे कार्य-काल का नहीं है, पहले का है और जो शिकायतें आयीं कि किसी को २—२, ३—३ अलाट हो गये उनके भी नाम लिस्ट में आ गये वह गलत है । मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि मैं उसके बारे में गम्भीरता से और पूरे तरीके से छानबीन करूंगा और अगर इसमें कोई गलती है तो म संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करूंगा ।

एक सदस्य—

आप इतना आश्वसान दे दें कि जिन सदस्यों ने शिकायतें भेजी हैं उनको भी मंत्री जी बुला लेंगे जब कोई रिपोर्ट विभाग के संबंध में आयेगी विचार के लिये ।

श्री बलराम सिंह यादव—

बुला लिया जायगा, वह इन्तजार करें उनको भी मान्यवर, कुछ सदस्यों ने परिवहन विभाग के राष्ट्रीयकरण के बारे में चर्चा की । मान्यवर, हमारी सरकार ने यह तय किया है कि हम प्रति वर्ष दो सौ किलोमीटर पक्की सड़कों का राष्ट्रीयकरण करेंगे और उन पर परिवहन विभाग की सेवाओं को चालू करेंगे । हम अपने सीमित साधनों के अन्तर्गत ही आगे बढ़ना चाहते हैं । जहां हम २००कि०मी० प्रति वर्ष मार्गों का राष्ट्रीयकरण करना चाहते हैं वहां हमारे सामने एक समस्या यह भी कि जो आलरेडी राष्ट्रीयकृत मार्ग हैं उनपर जो बसें पुरानी हो जाती हैं उनको भी हम रिप्लेस करना चाहते हैं । आज आप जानते हैं कि ट्रैफिक दिन प्रति दिन बढ़ता जा रहा है । राष्ट्रीयकृत सड़कों पर भी ट्रैफिक बढ़ रहा है । उन पर समुचित मात्रा में हमें बसों को बढ़ाने का आवश्यकता है, इस लिये हम राष्ट्रायकरण के मार्ग पर धीरे-धीरे ही बढ़ पायेंगे ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

१९७१–७२ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या ११०१ ३७—परिवहन तथा अनुदान संख्या ५१—सड़क परिवहन तथा अन्य योजनाओं पर पूंजी परिव्यय

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

इस साल कौन-कौन सड़क आप २०० कि०मी० में तय कर चुके हैं, इस सूचना को आप मेज पर रख देंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव—

फिलहाल तय नहीं है, बाद में बता दिया जायगा। बसों की बाडी के बारे में माननीय सदस्यों ने कहा कि बाडी सेंट्रल रोडवेज वर्कशाप से बननी चाहिये। लेकिन वहां की क्षमता वर्ष भर में ५२० की है। इसमें हम पुरानी गाड़ियों की बाडी भी बनाते हैं और नये चेसिस जो मिल जाते हैं उनके भी बनाते हैं। वर्कशाप की क्षमता इतनी नहीं है कि हम ११–१२ सौ गाड़ियां की सालाना बाडी बना सकें। इसलिये पहले से ही प्राइवेट फर्म्स को बाडी बनाने का काम दिया जाता रहा है।

जहां तक कर्मशालाओं में इनएफिशियेंसी और भ्रष्टाचार का प्रश्न है मान्यवर, सरकार उसके प्रति जागरूक है। मैंने स्वयं भी केन्द्रीय कर्मशाला का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के अवसर पर मैंने कुछ गड़बड़ी पायी थी और कुछ कर्मचारियों को निलम्बित किया था, उनके खिलाफ कार्यवाही हो रही है। इसके साथ-साथ मैंने अपने विभागीय अधिकारियों को आदेश दे दिये कि वह दफतर में न बैठे बल्कि जाकर वह मुआइना करें, चेकिंग करें। यह सारा काम हो रहा है।

कर्मचारियों क बारे में भी दीक्षित जी ने कहा है। एक सब कमेटी बना दी गयी है जो कि वेज बोर्ड के रेकमेंडेशंस के बारे में विचार कर रही है और मुझे उम्मीद है कि निकट भविष्य में दो तीन महीने के अन्दर हम इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि कर्मचारियों के लिये कुछ कर सकें।

मान्यवर, इन शब्दों के साथ, चूंकि अब समय समाप्त हो गया है, मैं पुनः अपने सभी साथियों को चाहे वह विरोधी दल के हों चाहे सरकारी पक्ष के हों, और आपको धन्यवाद देता हूं। जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि संपूर्ण अनुदान संख्या ३७ के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७२ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ३७—परिवहन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकानें के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त २३,७६,५५,६०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या ५१ के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७२ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ५१--सड़क परिवहन तथा अन्य योजनाओं पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ३,९६,५४,४०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)---

नियम ५६ में, कार्यस्थगन में हमारा एक है । इस सिलसिले में मैं कार्यस्थगन पढ़ दूं ।

श्री उपाध्यक्ष---

मैं सूचना दे रहा हूं । नियम ५६ में दो सूचनायें प्राप्त हुई हैं और यह दोनों अस्वीकृत हुई हैं ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम---

इसीलिये पढ़ रहा हूं । "उत्तर प्रदेश की विधान सभा ने सर्वसम्मति से बंगलादेश की मान्यता एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को पूर्ण रूप से समर्थन देने का प्रस्ताव पास किया है । इसी प्रकार विभिन्न विधान सभाओं एवं संसद ने भी प्रस्ताव पास किया है । दुर्भाग्य की बात है कि भारत सरकार की नीति ऐसी रही है कि संसद एवं विधान सभा में प्रस्तावों को प्रभावहीन कर दिया है । अब सत्तारूढ़ दल के लोग संसद एवं विधान सभा उत्तर प्रदेश के प्रस्ताव के विरुद्ध आज भी है । ९ अगस्त को दिल्ली में प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी एवं उनकी सरकार की नीतियों समर्थन करने के लिये एक विशाल रैली करने जा रहे हैं । इस कार्य से भारतीय जनता का स्पष्ट रूप से मनोबल गिरेगा और हमारे देश की स्थिति विश्व के संग्राम पर अति दुर्बल एवं कमजोर होगी ।"

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---

अब यह ऐसा है कि आपका प्रस्ताव बंगला देश को मान्यता देने के संबंध में है । (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र विक्रम---

इसी लिए मैं इसको पढ़ रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष---

विधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव को कार्यान्वित करने का संबंध है, विधान सभा से जो अपेक्षा की जा सकती थी वह पूरी की जा चुकी है । (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र विक्रम---

इनके इन कार्यों से विधान सभा में इनके द्वारा दिये गये बंगला देश के समर्थन वाले प्रस्ताव को स्पष्ट रूप से विरोध एवं उल्लंघन होगा । केन्द्रीय सरकार की इस नपुंसक नीति से देश की आन, मान-मर्यादा एवं आजादी तथा जनतंत्र एवं समाजवादी व्यवस्था को गंभीर रूप से खतरा उत्पन्न हो गया है । ऐसी परिस्थिति में हमारे देश एवं प्रदेश के इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय इस सदन में तुरन्त विचार करने के लिये हम माननीय अध्यक्ष की अनुज्ञा चाहते हैं । आपके समस्त कार्य जो सूची में हैं उनको स्थगित किया जाय जिससे इस विषय में देश एवं प्रदेश के हित में चर्चा हो । मुख्य मंत्री जी ने अपने मंत्रियों और उप मंत्रियों को आदेश दिया है कि दिल्ली बसों को ले चलो ।

उत्तर प्रदेश चीनी उपक्रम (अर्जन) विधेयक, १९७१

नियोजन राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश चीनी उपक्रम (अर्जन) विधेयक, १९७१ को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश चीनी उपक्रम (अर्जन) विधेयक, १९७१ को पुरःस्थापित करने हेतु अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री ओम प्रकाश सिंह—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश चीनी उपक्रम (अर्जन) विधेयक, १९७१ को पुरःस्थापित करता हूं ।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ११२९–११४६ पर)

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७१

वित्त राज्य मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७१ को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७१ को पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी —

श्रीमन, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक १९७१ को पुरःस्थापित करता हूं ।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ११४७–११६६ पर)

प्रदेश के किसानों से व्यापारियों द्वारा कम मूल्य पर गेहूं क्रय किये जाने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत चर्चा ।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सुरेन्द्र विक्रम सिंह जी ने जो प्रस्ताव रखा था.....
(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

वह तो ४ बजे लिया जायेगा ।

श्री बंशीधर पांडेय---
आप जरा सुन लें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---
माननीय कल्याण सिंह जी।

श्री बंशीधर पांडेय---
श्रीमन्, माननीय अध्यक्ष ने उसको मंसूख कर दिया। आपने नहीं सुना। आप प्रोसीडिंग्स देख लें। आपने कहा कि ४ बजे होगा।

श्री उपाध्यक्ष---
वह तो हो गया।

श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़)---
माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ... (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)---
श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न यह है कि आज कार्यसूची में १३ नम्बर पर जो प्रश्न है उसमें पहले नम्बर पर नाम माननीय कल्यान सिंह जी का है। इस पर छपा हुआ वक्तव्य मिला है। माननीय कल्पनाथ सिंह जी ने पहले दिया था। उस पर ११ बजे का समय भी पड़ा है। इसलिये कल्पनाथ सिंह जी का नाम पहले होना चाहिये था। इस पर आपका मैं ध्यान दिला रहा हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---
आप चर्चा के लिये समय मांगते हैं। पहले आप उस पर चर्चा शुरू करेंगे। फिर मंत्री जी जवाब देंगे। फिर आपको इस पर चर्चा करने के लिये समय मिलेगा। फिर जवाब देने का मौका मिलेगा। तत्पश्चात् मंत्री जी जवाब देंगे।

श्री सुरेन्द्र विक्रम---
श्रीमन्, मेरे कहने का मतलब यह है कि जिस क्रम में नाम छपे हैं वे ठीक नहीं हैं। होना यह चाहिये था कि माननीय कल्पनाथ सिंह जी का नाम पहले छपना चाहिये था क्योंकि उन्होंने पहले दिया था। आपके कार्यालय द्वारा इस तरह की निरन्तर अवहेलना हो रही है। यह अच्छा नहीं हो रहा है (व्यवधान)

श्री कल्याण सिंह
मान्यवर, प्रदेश में गेहूं की खरीददारी और उसकी अनियमितताओं के बारे में.....

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)---
मान्यवर, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं इसको अगले दिन के लिये टालने की बात तय हुई थी.....

श्री उपाध्यक्ष---
नहीं अगले दिन के लिये नहीं है.....अब यह आपके सामने आ गया है और श्री कल्याण सिंह जी को मैंने बुला लिया था...

श्री कल्पनाथ सिंह---
माननीय अध्यक्ष ने यह तय किया था कि इसको अगले दिन के लिये टाला जाय।
(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

यह विषय कार्य सूची में आ गया है और अब यह आप लोगों के तय करने की बात है. . . (व्यवधान)

श्री कल्पनाथ सिंह--

सचिव महोदय ने जो यह कहा कि अब यह आपके सामने आ गया है. . . . . (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

यह बात नहीं है. . . . (व्यवधान) मैंने कल्याण सिंह जी को बुला लिया है और उन्होंने शुरू भी कर दिया है।

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)--

मान्यवर, इसे आप अगले दिन यानी मंगलवार के लिये रख दें तो बहुत अच्छा हो। हम सभी लोग यही चाहते हैं।

रसद एवं पूर्ति मंत्री (श्री बेनी सिंह)--

मान्यवर, माननीय सदस्य जो यह कह रहे हैं उसकी वजह यह है कि मैंने इस संबंध में माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये जो ८ / १० पेज का परचा बना दिया है। उसको देखने के बाद उनके पास कोई सवाल ही करने को नहीं है इसीलिए वे इसे टालना भी चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि इसे आप आज ही ले लें। मैं तो तैयार हूं. . . . (व्यवधान)

श्री रामधारी शास्त्री--

मान्यवर, ऐसा नहीं है कि माननीय मंत्री जी के कहने से तो हमको और भ्रम हो गया है।

श्री बंशीधर पांडेय--

यह मिनिस्टर साहब की नेगेटिव इन्ट्री है।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं तो अनुमति देने के लिए तैयार हूं. . . . (व्यवधान)

श्री बंशीधर पांडेय--

क्या माननीय मंत्री जी चाहते हैं कि हम अन्धेरे में यह काम कर लेंगे. . . . (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

यह तो अब आपके तय करने की चीज है। सदन सक्षम है और उसको पूरा अधिकार है।

श्री बेनी सिंह--

मान्यवर, आज ही इस पर बहस होनी चाहिये। कोई चीज बाकी रह जायेगी तो फिर सवाल हो जायेंगे और बहस हो जायेगी।

श्री उपाध्यक्ष--

वह तो अब तय करने की बात है।

श्री कल्याण सिंह--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने गेहूं के मूल्यों के बारे में और उसकी खरीदारी के बारे में जो वक्तव्य सदन में प्रस्तुत किया है और उन्होंने जो यह कहा है कि इस वक्तव्य के पश्चात् कुछ कहना शेष नहीं है तो उनके इस वक्तव्य से हमको बड़ी सहायता मिली है। ताकि हम नीतियों की अच्छी तरह से आलोचना कर सकेंगे। इस वक्तव्य के अन्दर

[श्री कल्याण सिंह]

मुख्य रूप से जिन बातों को उठाया गया है वह इस प्रकार हैं। स्वयं मंत्री जी ने इस बात को माना है कि वर्षा हो जाने के कारण ११५ से लेकर १२५ करोड़ रुपये के गेहूं की क्षति हुई है और जिस गेहूं में दाग लग गया था उसके मूल्य में ह्रास की क्षति ५० से लेकर ६० करोड़ रुपया तक है। उसी सरकारी अनुमान के अनुसार बताया गया है कि प्रदेश के किसानों को १८५ करोड़ रुपये की क्षति वर्षा से हुई। वैसे जिलों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार कुल क्षति दो अरब से अधिक ही है।

(इस समय ४ बजकर ११ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री जगवीरसिंह पीठासीन हुए।)

मान्यवर, दूसरा यह विषय उठाया गया है कि केन्द्र चाहता था कि सफेद गेहूं की कीमत ७४ रुपया और लाल गेहूं की कीमत ६८ रुपया नियत कर दी जाय। लेकिन इसमें बताया गया है कि मुख्य मंत्री के प्रयत्नों से सफेद गेहूं की कीमत ७६ रुपया और लाल गेहूं की कीमत ७४ रुपया नियत की गयी। इस प्रकार से मुख्य मंत्री जी को कीमत बढ़ाने का श्रेय दिया गया है। सही बात तो यह है कि मुख्य मंत्री जी ने प्रदेश में गेहूं की कीमत को बढ़वाने का वैसा प्रयत्न नहीं किया जो उनको करना चाहिये था। किसान को जिस अनुपात में पैसा लगाना पड़ता है उसको देखते हुए किसानों के लिये यह मूल्य उनको उत्साह देने वाला नहीं है। मेरी राय में उनको कम से कम सफेद गेहूं की कीमत ९० रुपया और लाल गेहूं की कीमत ८५ रुपया प्रति क्विन्टल अवश्य मिलनी चाहिये थी।

मंत्री जी ने इस स्टेटमेन्ट में यह भी घोषणा की है कि सरकार वर्ष भर तक गेहूं खरीदती रहेगी। लेकिन किसान साल भर तक उसको रोक कैसे पायेगा। उसके ऊपर कर्जा है, उसको अपने बच्चों के विवाह शादी करना है, अपने छप्पर को छाना है। फिर भला साल भर तक वह गेहूं को किस प्रकार से रख पायेगा। उसको तो हर प्रकार से औने पौने दामों में अभी ही बिचौलिए के हाथ गेहूं को बेच देना होगा।

माननीय मंत्री जी ने एक लक्ष्य भी निर्धारित किया है। उन्होंने कहा है कि पिछले साल ६.५ लाख टन का लक्ष्य था उसको बढ़ा कर इस वर्ष १०.५० लाख टन कर दिया गया है। लक्ष्य तो निर्धारित कर दिया लेकिन उस लक्ष्य के अनुसार सरकार के पास गोदाम और यातायात की व्यवस्था नहीं है। आज भी प्रदेश के अन्दर ४२ हजार टन गेहूं केनवेस से ढका पड़ा है, उसके रखने के लिये भण्डार नहीं है। माननीय मंत्री जी के वक्तव्य को पढ़कर मुझे महान् आश्चर्य हुआ है। वह सरकार की उस नीति और नीयत का द्योतक है जो किसान विरोधी है। इस सरकार को किसानों से कोई सहानुभूति नहीं है। कदाचित वोट पाने के लिये ही वह होठों से किसान-किसान कहती है, लेकिन उसके अन्तःकरण में किसानों के लिये कोई स्थान नहीं है। आज से पहले तो यह नारा लगाया जाता था कि प्रदेश में और देश में खाद्यान्न का अभाव है और उसके लिए अधिक अन्न उपजाओ का नारा लगाया गया था। किसानों ने उसके अनुसार अपनी बहू बेटियों का गहना बेचा, या गिरवी रखा, खाद और अच्छी बीज लगाया, पानी उसने समय पर दिया और उत्पादन को बढ़ाया और आज जब अधिक अन्न पैदा हो गया है तो आपका कथन है, यह वक्तव्य के १०वें पृष्ठ पर दिया हुआ है, कि "जो समस्या इस वर्ष उत्पन्न हुई है वह केवल इस साल की ही नहीं है वरन् आगामी वर्षों में भी वह गंभीर रूप धारण करेगी। यह समस्या हरी क्रान्ति की है।"

मंत्री जी "हरी क्रान्त" को "समस्या" बता रहे हैं, लेकिन मैं उनसे कहता हूं कि वह समस्या नहीं है किन्तु वह तो हमारी खाद्य समस्या का समाधान है। ऐसा वक्तव्य देकर देश के करोड़ों किसानों के उत्साह को ठेस पहुंचाना है। आप के दिल में किसानों के लिए कोई दुख और दर्द नहीं। जब उसने ज्यादा अन्न पैदा किया है तो आप कहते हैं कि समस्या पैदा हो गयी है। शब्द विन्यास देखिए। कहते हैं कि हरी क्रान्ति की समस्या है। हरी क्रान्ति तो समस्या का समाधान है। हम यह जानते हैं कि किसान को खाने-पीने और मोटा पहनने की आवश्यकता

है लेकिन इसके अलावा उसकी और भी जरूरतें होती हैं। उसको साहूकार को कर्ज चुकाने के लिये पैसा चाहिये, लगान देने के लिये पैसा चाहिये। साल भर तक किसान अपने गेहूं को रोक कर नहीं रख सकता है। आज जो ७६ का भाव आपने तय किया, किसान को एक ढाढस मिला कि कम से कम ७६ रुपये प्रति क्विन्टल का भाव उसे मिलेगा। लेकिन जब वह मण्डी पहुंचा तो पहले उसके गेहूं की किस्म देखी गयी। कहा गया कि यह पहले नम्बर का नहीं है, नम्बर २ का है या नम्बर ३ का है। फिर कहा गया कि यह दाना मोटा नहीं है। फिर कहा कि यह गेहूं लाल है और २-३ रुपये प्रति क्विन्टल कीमत वहीं कम कर दी गयी। अब दूसरी समस्या आयी। किसान की गाड़ी लदी हुई मण्डी में खड़ी है और उससे कहा जाता है कि आज खरीदारी नहीं होगी। आज स्टोर में जगह नहीं है। जो किसान ८-१० मील से लाद कर गेहूं लाया है वह सोचता है कि अगर मैं वापस ले जाऊं तो दूसरे दिन फिर यही समस्या होगी। इसलिये किसान उस गेहूं को विवशता के साथ ६५ और कभी-कभी ६० रुपये के हिसाब से बेच जाया करता है क्योंकि उसके पास इतना धन नहीं है कि वह अपने गेहूं को रोक कर, जब उचित भाव मिले, तब निकाल सके। बिचौलिया उस गेहूं को ६०, ६५ रुपये प्रति क्विन्टल की दर के हिसाब से खरीद लेता है तथा एफ० सी० आई० अथवा मण्डी समिति के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ सांठ-गांठ करके उसी गेहूं को ७४ या ७६ रुपये प्रति क्विन्टल की दर से बेच देता है। इससे न तो सरकार को लाभ हुआ और न किसान को। केवल बिचौलिये और अधिकारियों ने मिलकर लाखों रुपये बनाये हैं।

आज हम प्रदेश और देश में समाजवाद की बहुत चर्चा करने लगे हैं। देश और प्रदेश की सर्वांगीण उन्नति करने का दम्भ भी भरा जा रहा है। लेकिन रोग कुछ है, उसका निदान कुछ किया जा रहा है। अगर प्रदेश और देश को उठाना है तो देश के किसान को उठाना पड़ेगा। हमारे देश की लगभग ८५ प्रतिशत जनता देहातों में रहती है। उस ८५ प्रतिशत जनता में से ७५ प्रतिशत ऐसे लोग हैं जो केवल कृषि पर निर्भर करते हैं। इस तरह पूरे देश की लगभग ७२ प्रतिशत जनता खेती पर निर्भर करती है। जब तक खेती पर निर्भर करने वाले इस वर्ग को नहीं उठाया जाता तब तक अपने देश के अन्दर विकास नहीं हो सकता। भारतीय जनसंघ ने तो कहा है कि जब तक हम भारत की परिस्थितियों के आर्थिक चक्र को समझते नहीं है, देश के अर्थतंत्र के पहिए को जब तक हम समझते नहीं हैं, तब तक हम अपने देश का आर्थिक विकास नहीं कर सकते। बड़े-बड़े कारखाने, बड़ी-बड़ी फैक्टरी चला देने से देश का उत्थान नहीं हो सकेगा। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहां की धुरी खेती है। सरकार की नीति में परिवर्तन आना चाहिये। सरकार को चाहिये कि खेती को प्रोत्साहित करे, उद्योग धन्धे मुख्यतः कृषि केन्द्रित हों। खेती की ओर पूंजी का प्रवाह मोड़ा जाय। खेती से कच्चा माल पैदा होगा। कच्चे माल से उद्योग-धन्धा चलेगा और उद्योग-धन्धे से रोजगार मिलेगा। रोजगार मिलने से क्रय शक्ति बढ़ेगी।

क्रय शक्ति बढ़ने से चीजों की मांग बढ़ेगी, मांग से चीजों के अच्छे दाम मिलेंगे, अच्छे दाम मिलने से पूंजी का निर्माण होगा। और पूंजी का निर्माण होने से लोगों के आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। दुर्भाग्य की बात है कि जिन लोगों के हाथों में देश की बागडोर रही है उन्होंने इस मूलभूत सिद्धान्त की ओर दुर्लक्ष्य किया है और यही कारण है कि जैसी कहावत है कि देश का किसान कर्ज में पैदा होता है, कर्ज में पलता है और कर्ज में ही मर जाता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है। दो, चार लोग प्रगति कर गये हों तो मैं नहीं कह सकता। मैंने प्रारंभ में निवेदन किया था कि अप्रैल ७० में मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन हुआ। उसमें हमारे मुख्य मंत्री जी उपस्थित थे। आपने ७६ रुपये प्रति क्विन्टल सफेद और ७४ रुपये प्रति क्विन्टल लाल गेहूं की कीमत की सिफारिश की। आपने क्यों नहीं गेहूं की कीमत ९० रुपये सफेद और ७४ रुपये लाल की मांग की। हम किसान के गेहूं की कीमत क्यों बढ़ाना चाहते हैं? मैं आगे चलकर इसके कारण दूंगा। अभी हमारे सामने खरीफ का भी सवाल आ रहा है। मक्का और बाजरा, परमात्मा की कृपा है, की फसलें अच्छी आ रही है। फिर "हरित क्रान्ति"

[श्री कल्याण सिंह]

की समस्या आ जायेगी। क्या सरकार ने इस का भी समाधान कर लिया है। मुझे लगता है कि मक्का १५ रुपये मन और बाजरा १७–१८ रुपये मन बेचना पड़ेगा। मैं बता देना चाहता हूं कि इतने सस्ते दामों पर बिका तो किसान की जो लागत या उसकी कीमत है वह नहीं निकल पायेगी और आने वाली फसलों के लिये उसके पास पूंजी नहीं जुट पायेगी, बीज नहीं होगा अतः पैदावार घटेगी।

आप पी० एल० ४८० मंगाते रहेंगे। अगर इसी तरह से दाम गिरते रहेंगे तो काश्मीर की समस्या भी बनी रहेगी और आप पी०एल० ४८० के कारण अमेरिका से उसका सौदा करते रहेंगे। आप उस समस्या को भी सुलझा नहीं पायेंगे। मान्यवर, कृषि मूल्य आयोग बैठता है। वह गेहूं की कीमत तय करता है। कल कारखाने वाला अगर माचिस की भी कीमत को तय करता है तो पहले वह चीड़ की कीमत लगाता है, कागज की कीमत लगता है, छपाई की कीमत लगाता है और सब बातों की कीमत लगाने के बाद वह तब यह तय करता है कि उत्पादन मूल्य क्या आया। अपना एक लाभ का अंश जोड़कर उसकी कीमत तय करता है। लेकिन अफसोस इस बात का है, गेहूं मैं उपजाता हूं अपने खेत के अन्दर और भाव तय करते हैं फखरुद्दीन अली अहमद दिल्ली में बैठकर। मैं मांग करता हूं कि मूल्यों को तय करने में किसानों का समुचित प्रतिनिधित्व होना चाहिए जो किसानों के हितों का प्रतिनिधित्व कर सके। मैं कहना चाहूंगा कि कृषि मूल्य आयोग के अन्दर किसानों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। इसलिये उनके हितों का कोई संरक्षण नहीं किया जा रहा है। मान्यवर, हम नहीं चाहते कि हमारा गेहूं पुड़ियों में बिके। हम नहीं चाहते कि लोग दाने-दाने के लिये मोहताज हों। लेकिन हम यह जरूर कहना चाहते हैं कि किस तरह से कृषि उत्पादन कीमत में उसी प्रकार से उनको भी लाभ देना चाहिये जिस प्रकार से कल कारखाने में बनने वाली चीजों में दिया जाता है। कारखाने वाली चीजों को भी संतुलित दिया जाना चाहिये। कृषि उत्पादन और कारखाने में बनने वाली चीजों में संतुलन चाहिये, समरूपता चाहिये, बैलेंस चाहिये, पैरिटी चाहिये।

मैं आपके माध्यम से कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं। अभी जो आंकड़े हमको मिले उससे पता चलता है कि जो कृषि उत्पादन है उनके मूल्यों में ह्रास हो रहा है और कारखाने में बनने वाली चीजों के दाम बढ़ रहे हैं। किसानों की तीन-तीन मारें पड़ रही हैं। एक ओर वह अपना गल्ला सस्ता बेच रहा है। दूसरी ओर से, कारखाने में बनने वाली चीजें महंगी होती जा रही हैं। तीसरे दैवी प्रकोप से किसानों को भारी क्षति हुई है। इस तरह से तीन तरह की मारें उस पर पड़ रही हैं। वह तीन तरह की मारों से कैसे बचेगा? मैं आपको बता रहा हूं कि कपास का मूल्य ९.५ प्रतिशत गिर गया लेकिन कपड़े का मूल्य ८ प्रतिशत बढ़ गया। इसी तरह से मूंगफली का मूल्य ३.१ प्रतिशत गिर गया लेकिन डालडे का मूल्य पचास पैसे किलोग्राम के हिसाब से बढ़ गया। खाद्यान्न, जो "फूडग्रेन्स" कहलाते हैं की कीमत ६.५ प्रतिशत गिर गई लेकिन कारखानों में बनने वाली चीजों की कीमत ७.२ प्रतिशत बढ़ गई। यानी हमारा.....

श्री अध्यिष्ठाता---

संक्षेप में कहिएगा।

श्री कल्याण सिंह---

मान्यवर, बोलने वाले ज्यादा नहीं दिखाई देते हैं। दो घन्टे समय है। मैं इसलिये निवेदन कर रहा हूं कि इसमें कुछ मूलभूत प्रश्न उठाये गये हैं इसलिये मूल्यों के बारे में.....

वैसे संक्षेप में कह रहा हूं।

आश्चर्य यह है कि किसान के खेत में पैदा होने वाली चीजों की कीमत कम और उससे बनने वाली चीजों का मूल्य अधिक। कपास सस्ती परन्तु कपड़ा महंगा, किसान के खेत में पैदा होने वाला गन्ना सस्ता और चीनी महंगी। किसान के खेत में पैदा हुई मूंगफली सस्ती, लेकिन डालडा महंगा। यानी उसके खेत में जो चीज पैदा होगी उसकी कीमत सस्ती परन्तु

कारखाने में जाने पर ही उसकी कीमत बढ़ जायेगी। वह संतुलन ठीक होना चाहिये। इसी प्रकार से किसान को आखिर गल्ले के अलावा कुछ चीजें और भी खरीदनी पड़ती हैं। गल्ले का मूल्य गिर रहा है। सन् ६१ व ७१ के आंकड़े में आपके सामने रखना चाहता हूं। १९६१ में नमक १९ पैसे फी किलोग्राम था और ७१ में वह चालीस पैसे फी किलोग्राम है। मिट्टी का तेल १ रुपये चालीस पैसे पांच लीटर था सन् ६१ में और सन् ७१ में २ रुपये ७० पैसे का पांच लीटर आ रहा है। चाय १९६१ में दस रुपये की एक किलोग्राम थी वही अब १३ रुपये की किलो ग्राम आ रही है। यानी सब चीजें जो हम खरीदते हैं वे महंगी हो रही है और उसके खेत में पैदा होने वाले गेहूं की कीमत घट रही है। इतने पर आप कहें कि समाजवाद आयेगा तो यह बात अलग है। यह हरित क्रान्ति का आदर्श किसानों को दिया जा रहा है। समाजवाद की बड़ी चर्चा चलाई जा रही है। कुछ मुट्ठी भर लोगों का तो चाहे विकास हुआ हो लेकिन ९५ प्रतिशत जनता जो जहां थी उससे भी पीछे चली गई है। उनकी आमदनी में बढ़ोत्तरी नहीं हुई है। आपके समाजवाद का मतलब 'समाज'-'वाद' है। यानी हमारी कोठी पहले समाज बाद में। हमारी मोटर पहले और समाज बाद में। हमारे बेटे को छोटी कार बनाने का लाइसेन्स पहले और समाज बाद में। इसमें किसान मर रहा है, देश और प्रदेश मर रहा है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं जब मंत्री जी ने कहा कि किसान अपने गेहूं को रोके रक्खे हम साल भर तक खरीदेंगे, उसमें यह नहीं बताया कि जहां जरूरत है और जिस समय जरूरत है उसको पैसे की वह कहां से आयेगा। मैं सुझाव देना चाहता हूं कि बैंकों पर आपका नियंत्रण है। आपने उनका राष्ट्रीयक ण कर दिया है। हम उस प्रक्रिया को बदलना नहीं चाहते। अच्छा तो यह रहे कि जो विदेशी बैंक हैं उनका भी आप राष्ट्रीयकरण कर डालें। हम चाहते हैं कि ग्रामीण अंचलों में भी आप बैंकों की शाखाओं को खोल दें। जिससे सस्ते दर पर किसानों को ऋण दिया जाय। जिससे किसान जरूरत पर अपनी चीजें खरीद सके। और जब उसके गेहूं का उचित मूल्य आवे तो वह बाजार में उसे बेच सके। इसी तरह से हम यह चाहते हैं कि किसान को यह भी सुविधा रहे कि वह गेहूं को बन्धक रूप में रख दें और उसका उचित मूल्य आने पर उचित समय पर उसे बेचे जिससे वह दैनिक उपभोग की वस्तुओं को खरीद सके।

इसी तरह से दैवी प्रकोप के कारण १.८५ लाख की जो क्षति हुई है उसका भी कोई न कोई उपाय ढूंढ़ना चाहिये। आज ट्रक उलट जाता है तो उसको पैसा मिल जाता है क्योंकि उसका बीमा होता है। कारखानों में रुई में आग लग जाती है तो उसके मालिक को क्षतिपूर्ति मिल जाती है क्योंकि उसका बीमा होता है। आपकी कार-एक्सीडेंट हो जाय तो आपको पैसा मिल जाता है क्योंकि कार का बीमा होता है। किसान गरीब ने क्या बिगाड़ा है। वह अपने घर की सारी सम्पत्ति जगल में जाकर लगा देता है। शहर का दूकानदार अपने पचास या दो सौ रुपये की दूकान में तीन-तीन ताले डालता है और किसान को देखिये कि जिन्दगी का सब कुछ लगा देता है अपने खेत में और उसे जंगल में छोड़ आता है। जंगल में फसलों की गेहूं को लहलहाते हुए देख कर उसके कितने-कितने सपने बनते हैं, उसकी योजना बनती है लड़कों की शादी की। मकान बनाने की। रात्रि को ओले की बौछार आ गयी। सांयकाल जो छाती के बराबर गेहूं था वह सबेरे सब समाप्त। मैंने पिछली बार भी कहा था कि जसे और चीजों का बीमा होता है वैसे ही फसलों का बीमा सरकार क्यों नहीं करती है।

श्रीमन्, यह दैवी प्रकोप की समस्या इस वर्ष ही नहीं है। यह तो हमेशा ही रहती है। कभी कीड़ा लग जाता है, कभी ओला पड़ जाता है। कभी अनावृष्टि तो कभी अतिवृष्टि। वर्षा से गेहूं खराब हो जाता है। दो-दो अरब की हानि हो रही है। अगर प्रदेश के किसान को बचाना है और दश और प्रदेश को उठाना है तो इसी सत्र में इस बात की घोषणा कर दी जाय

[श्री कल्याण सिंह]

कि फसलों का और किसानों के पशुओं का बीमा किया जायगा और उनके लिये बीमा योजना लागू की जायेगी ।

श्रीमन्, जितनी भी बातें इन्होंने बतायीं भ्रष्टाचार रोकने की कि यह कर दिया वह कर दिया, वह सब कागजी है, उन पर अमल करने वाला कोई नहीं है । श्रीमन्, मैं फिर से दुहराना चाहता हूं कि न किसान को पैसा मिला और न खाद्य निगम को मिला । बिचौलिया खा गया । थर्ड रेट गेहूं उन्होंने कम भाव पर खरीद लिया और उसी सेन्टर पर उसी गेहूं को फर्जी काश्तकार के नाम से ज्यादा दाम पर बेच दिया और पैसा खा गये । माननीय मंत्री जी कहते हैं कि बड़ा प्रबन्ध कर दिया है, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं ।

श्रीमन्, मंडी समितियों में भी भ्रष्टाचार का बोलबाला है । हरदोई, गोंडा, बाराबंकी, बहराइच और अलीगढ़ की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं । जो खामियां वहां थी वह आज भी चल रही है । अतरौली मंडी समिति के सचिव चार वर्ष से वहां हैं । दो बार ट्रांसफर आर्डर्स हुये, लेकिन रुक गये । उनके खिलाफ चरित्र सम्बन्धी आरोप भी हैं । फिर भी उनको रखा जाता है ।

श्री अधिष्ठाता--

अगर आप उचित समझें तो बुलन्दशहर भी जोड़ दें ।

श्री कल्याण सिंह--

बुलन्दशहर भी शामिल है बल्कि सारा प्रदेश ही शामिल है । सब जगह वही हाल है । तो जिन कदमों को उठाने का आपने वायदा किया है आप देखें कि उनका पालन हो रहा है या नहीं । अन्त में मैं फिर कहना चाहता हूं कि किसानों को बचाने के लिये फसल और किसान के पशुओं की बीमा योजना तुरन्त लागू करें ।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय खाद्य मंत्री जी ।

श्री बेनी सिंह--

सब लोग कह लें तब मैं जबाव दे दूंगा । साथ ही एक बात और कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य अपनी बात कहने के बाद यहां बैठे जरूर रहें जबाव सुनने के लिये ।

श्री भानु प्रताप सिंह (जिला बरेली)--

अधिष्ठाता महोदय, इस गम्भीर प्रश्न पर विचार करने के लिये २ घंटे का समय अध्यक्ष महोदय ने बढ़ाया था और जिन माननीय सदस्यों ने विचार के लिये यह विषय रखा है वे कृपा के पात्र हैं, लेकिन मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि इस सदन के ४२५ सदस्यों में से केवल २० सदस्य ही यहां पर उपस्थित हैं ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)--

४२५ नहीं, कम हैं ।

श्री भानु प्रताप सिंह (बरेली)--

मैं श्री वीरेन्द्र वर्मा जी की बात मान लेता हूं, कुछ कम होंगे, ४१८ सही, दो की गिनती कम या ज्यादा नहीं होती है ।

श्री अधिष्ठाता--

आप २० कह देंगे तो फिर बहस कैसे चल पायेगी ।

श्री भानु प्रताप सिंह (बरेली)—

कितनी जिज्ञासा है माननीय सदस्यों के मन में इस गम्भीर प्रश्न के बारे में, यह इसी बात से समझी जा सकती है कि उत्तर प्रदेश की साधारण जनता के जो नुमाइन्दे हैं वे केवल २० यहां पर उपस्थित हैं। मैं भी किसानों में से एक हूं और खेती करता हूं, कोई दूसरा पेशा नहीं है। इस विषय पर बोलने के लिये मैंने भी आग्रह किया था कि मुझे भी बोलने के लिये कुछ समय दिया जाये। आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं।

गेहूं की खरीदारी दो संस्थाओं के द्वारा हुयी है—एक तो भारतीय खाद्य निगम द्वारा और दूसरी पी० सी० एफ० व मार्केटिंग सोसाइटीज के द्वारा। भारतीय खाद्य निगम ने अपने सेन्टर्स देहात और शहर—दोनों में खोले थे और वह उत्तर प्रदेश सरकार के अन्तर्गत नहीं आते हैं। एक बात उनके विरुद्ध ऐक्शन लेने की कही गयी। खास तौर से मेरे क्षेत्र में २ सेन्टर्स रहे हैं। बरेली जिले में गल्ला खरीदने का लाइसेंस व्यापारियों को दिया गया है और आये दिन कोई न कोई परेशानी आती रहती थी। जब मुख्य मंत्री जी बरेली गये थे तब उनका ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया था और उन्होंने उस सम्बन्ध में उचित आदेश दिये थे। हम डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के लोगों ने—शासक दल के लोगों ने, एक प्रस्ताव पास करके भेजा जिसमें अधिकारियों को कार्य ठीक न करने पर चेतावनी दी गई थी, हम लोगों न उनका घेराव भी किया था। उसका नतीजा यह हुआ कि दो दिन तक तो काम ठीक चला और खरीदारी ७४ रुपये व ७६ रुपये प्रति क्विंटल हुयी, मगर तत्पश्चात् वही चाल बेढंगी, क्योंकि इस विषय में सब सामाजिक कार्यकर्त्ता व दलों की दिलचस्पी नहीं है। जिस प्रकार से कि यहां पर इस विषय पर बातचीत करने के लिये और विचार विमर्श करने के लिये किसी को दिलचस्पी नहीं है उसी प्रकार उन क्षेत्रों में भी जहां-जहां सेंटर्स हैं और जहां-जहां खरीदारी हो रही है लोगों को दिलचस्पी नहीं होती है।

मेरा इस सदन के माननीय सदस्यों से, जो कि किसान के नुमाइन्दे हैं, निवेदन है कि ऐसे वक्त पर जब कि किसान पर आपत्ति आयी हो और किसान मुसीबत में हो, समय निकाल कर किसान की खरीदारी कराने में सहयोग देना चाहिये। भ्रष्ट अधिकारियों, कर्मचारियों तथा एजेंटों के विरुद्ध जो शिकायतें हैं उन्हें सरकार के पास तक पहुंचायें, यह काम माननीय सदस्यों को करना चाहिये, जो कि नहीं कर रहे हैं। वे ऐसा इसलिये नहीं करते हैं क्योंकि किसी से चन्दा लेते हैं और किसी से दूसरी प्रकार की इमदाद लेते हैं। जब चन्दा लेते हैं तो व्यापारियों के विरुद्ध शिकायत नहीं कर सकते हैं। यह एक प्रश्न यहां पर उठाया, हम सब न उठाया, सभी शामिल हैं, मगर इस चर्चा से कोई लाभ होने वाला नहीं है। हमारी सरकार ने आदेश दिया है कि जब तक कि गेहूं मण्डी में आता रहेगा उस वक्त तक उसकी खरीदारी निरन्तर होती रहेगी। मैं सरकार का बड़ा आभारी रहूंगा कि चाहे ७६ रुपये का रेट हो, चाहे ७४ रुपये का रेट हो, जो कीमत निश्चित की गयी है, उसी कीमत पर किसान का गेहूं लिया जाता रहे। अच्छा गेहूं तो आज भी ९० व ९५ रुपये प्रति क्विंटल बिकता है, लेकिन लाल गेहूं और मैक्सिकन व्हीट ७६ रुपये प्रति क्विंटल बिक रहा है।

भाई कल्याण सिंह जी ने सुझाव दिया, मैं इन्कार नहीं करता, पर्याप्त भ्रष्टाचार हो सकता है इस विभाग में, लेकिन उसके लिये हमारी सरकार ही दोषी नहीं ठहरायी जा सकती है। एक तरह से भ्रष्टाचार को हमने अपने सामाजिक जीवन में अंगीकार कर लिया है। फिर हम उससे कैसे मुक्त हो सकते हैं। हमारे बुद्धजीवी हैं, वैज्ञानिक हैं और शिक्षक हैं। हम सब और जब ये लोग अपनी लड़की को ब्याहने जाते हैं, मेरी बात पर हंसियेगा नहीं, तो अभियन्ता से कम कोई लड़का पसन्द नहीं करते हैं? आखिर क्यों? अगर इन्जीनियर की तनख्वाह साढ़े तीन सौ रुपये होती है तो ऊपरी आमदनी साढ़े तीन हजार होती है। तो क्या यह जो भ्रष्टाचार जो सभी जगह व्याप्त है उसके लिये हम और आप सब जिम्मेदार

[श्री भानु प्रताप सिंह (बरेली)]

नहीं हैं, या केवल सरकार ही इसके लिये जिम्मेदार है। मैं एक बात कहना चाहता था और सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि गल्ले का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। ऐसी स्थिति में लोन की वसूली रोकी जायं। जहां ५० प्रतिशत से ऊपर क्षति हुई है वहां तकावी और दूसरे लोन रोके जायं। मैंने दो तहसील का दौरा किया। मान्यवर, वहां मैंने ८० प्रतिशत नुकसान देखा। वहां के तहसीलदार, एस० डी० एम० ने ४०, ३५ प्रतिशत नुकसान दिखलाया है। ऐसी स्थिति में कोई अगर भ्रष्ट है और सरकार को कोई बदनाम करता है तो वह यह ब्योरेक्रेसी है। जैसे ही कोई मंत्री बनकर बठता है कि यह सर पर बैठ जाते हैं, इसलिये मैं मंत्री जी को यह बतला रहा था कि यह चीज हमारे बरेली के तहसीलों में हुई है। मुझे कुछ और तथ्यों पर निवेदन करना है।

श्री अधिष्ठाता---

बहस दो घंटे की है, आप शीघ्र समाप्त करें।

श्री भानु प्रताप सिंह (बरेली)---

मैं कह रहा था कि सारे उत्तर प्रदेश में क्षति ६०, ७० प्रतिशत हुई है। अधिकारियों ने जो रिपोर्ट्स भेजी ह इससे किसानों में निराशा व्याप्त हो गई है। उनको गेहूं की कीमत नहीं मिली है। कास्ट आफ प्रोडक्शन बढ़ गया है। मैंने आंकड़े लगाये हैं। वीरेन्द्र वर्मा साहब मेरे आंकड़े सुन लें। एक एकड़ में ३४५ रु० गहूं पर लगते हैं और अगर हम इसकी सबसे ज्यादा पदावार मान लें तो १५ कुन्टल होगी, जिसकी ७६ रु० के हिसाब से ११४० रु० कीमत होती है। इस बार जो किसानों को मिला है वह एक एकड़ में २००, २५० रु० से अधिक नहीं मिला है। किसान सरकार की ओर देख रहा है, याचना कर रहा है कि वह कोई उपाय करे कि उसको राहत मिल सके, जो कठिनाइयां हैं उनसे मुक्ति मिल सके और फर्टिलायजर की व्यवस्था हो जाय। अगली साल की नई रबी की फसल के लिये जो बीज खरीदे जा रहे ह वह इस तरह के नहीं हैं कि किसी प्रमाणित उत्पादक से लिय जा रहे हों, वह ऐसे ही खरीदे जा रहे हैं। तो आगामी रबी में जो भी बीज बांट जायंगे वह ८० प्रतिशत से अधिक नहीं जमेंगे क्योंकि उसकी उत्पादन क्षमता तो नष्ट हो चुकी है। जो २० प्रतिशत जमेंगे तो उनसे पैदा-वार कितनी होगी। कृषकों को आत्मनिर्भर बनाना है तो मैं सुझाव देना चाहता हूं कि इस प्रश्न पर गम्भीरता से विचार किया जाय कि अगले वर्ष बीज बांटे जायं। वह किसी रिकग्नाइज्ड पार्टी से खरीदे हुये होना चाहिये ताकि कृषकों को अच्छे बीज मिल सकें। और उनकी अच्छी उपज, निरन्तर गिरती जा रही किसानों की दशा को सुधार सके।

अधिष्ठाता महोदय मैं अन्त में आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)---

अधिष्ठाता महोदय, मैंने मंत्री जी के नोट को देखा जिसमें उन्होंने हमसे सहयोग की कामना की है। मैं मंत्री जी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि उनके हर अच्छे काम के लिए हमारा सहयोग उन्हें मिलेगा। अधिष्ठाता महोदय, जहां से उन्होंने अन्त किया म वहां से शुरू करना चाहता हूं और इसलिये करना चाहता हूं कि उनको जो सचिव मिले हैं वह एक अच्छे सचिव हैं। मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता और मैं उनकी शक्ल-सूरत भी नहीं पहचानता। लेकिन जब वे इलाहाबाद महापालिका में ऐडमिनिस्ट्रेटर थे तो उस समय के कुछ किस्से कहानियां हमें मालूम हैं कि किस प्रकार इलाहाबाद महापालिका को सजाने में, ठीक से चलाने में उन्होंने अपने को बहुत दूर तक जोखिम में ले जाने की कोशिश की। इसलिये अगर मैं यह कहूं कि सम्भवतः एक अच्छे अफसर आपके विभाग को मिल गये हैं तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन मुझे यह भी कहने में कठिनाई हो रही है कि शिकायतें हैं क्यों? जिन शिकायतों का जिक्र आपने अपने नोट में किया है

और कहा है कि हमें इस प्रकार की शिकायतें मिली हैं तो वे शिकायतें प्रायः वही हैं जो यहां कही गयी हैं अथवा कही जायेंगी। उसमें यह भी जिक्र है कि व्यापारियों के और कर्मचारियों के खिलाफ कुछ कार्यवाही हुई। इनके खिलाफ किस प्रकार की कार्यवाही हुई वह मैं जानना चाहूंगा।

अगर सचमुच आपका इरादा भ्रष्टाचार से लड़ने का है तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आज जो हालत इस प्रदेश में है उसको देखते हुये मेहरबानी करके आप ऐसी व्यवस्था करें जिसमें कि खाद्य निगम के कर्मचारियों पर भी आपका नियंत्रण हो सके क्योंकि खाद्य निगम का कर्मचारी अपने को आपका कर्मचारी नहीं मानता। खाद्य निगम भी एक बड़ी बिडम्बना है। यह निगम अपने को एक व्यापारिक संस्था समझता है। सरकार का उद्देश्य दूसरा है और निगम का उद्देश्य दूसरा है। इन दोनों उद्देश्यों में विरोधाभास चल रहा है। इतना ही नहीं अधिष्ठाता महोदय, मैं आपसे इस नोट के आधार पर ही कहना चाहूंगा कि निगम उत्तर प्रदेश सरकार से बोरे भी लेगा खाद्यान्न भरने के लिये। वह निगम गवर्नमेंट आफ इंडिया की बनाई हुई बाडी है और उसका सीधे-सीधे ताल्लुक गवर्नमेंट आफ इंडिया से है लेकिन वह गवर्नमेंट आफ इंडिया से बोरे के इंतजाम के लिये नहीं कह सकता। यह उसके कार्य की अक्षमता का जीता जागता उदाहरण है।

श्रीमन्, मैं आपसे निवेदन करूं कि दूसरी बाधक संस्था हमारे रास्ते में कृषि आयोग है। एक कृषि आयोग बना हुआ है, किन्तु उसमें वे लोग हैं, जिनको कृषि के बारे में ककहरा भी नहीं मालूम है। सरकार क्या श्रेय लेना चाहती है कि कृषि निगम के अतिरिक्त जो उसने दाम तय किये हैं, उस पर उन्होंने दो-एक रुपया बढ़ा दिया और इससे यह सरकार अपने हाथ से अपनी पीठ ठोंक लेना चाहती है। जितना आपने प्रयास किया, उसके लिये आप प्रशंसा के पात्र हैं, किन्तु आपने सही मानों में कि किसान को उसकी उपज का सही मूल्य मिल सके, इसके लिये कोई प्रयास नहीं किया है। हमें केन्द्र सरकार से तो आशा करनी भी नहीं चाहिये, क्योंकि उस सरकार में आपको वकील मिलेंगे, डाक्टर और इंजीनियर और बिजनेसमैन मिल सकते हैं, लेकिन कोई किसान नहीं मिल सकता है, जो अपने को यह कहे कि मैं किसान हूं। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार में अभी कुछ गनीमत है, और मैं समझता था कि सरकार इसके लिये प्रयास करेगी, लेकिन सरकार के माध्यम से कोई प्रयास हुआ नहीं।

आज खरीदारी की हालत क्या है। आपने ग्रेडेशन बना दिया है कि सफेद गेहूं का यह मूल्य और उसके नीचे जो आपने तीन ग्रेड्स बनाये हैं उनका यह-यह मूल्य। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या वह इस बात की अपेक्षा करते हैं कि किसान इतनी टेक्निकल बातों को समझने के योग्य है कि वह यह समझ सकता है कि उसका विश्लेषण होगा, इस गेहूं में किस-किस प्रकार के तत्व मौजूद हैं और उसके आधार पर उसकी क्वालिटी निश्चित होगी और उसके आधार पर उसके गेहूं की कीमत निश्चित होगी इस सब के लिये वह क्या करे। जो किसान मंडी में गल्ला ले जाता है, कब तक वह रुका रहे? जब तक उसकी अनालेसेज न हो जाये, उसकी क्वालिटी न तय हो जाय, उस का तौल भाव न हो जाये। यह बड़ी दुसाध्य बातें हैं। होना यह चाहिये था कि आप इस बात पर विचार करते, इमीडेटली वहीं इस प्रकार की व्यवस्था कर देते कि किस तरह से गेहूं आयेगा, कितनी देर में इसका विश्लेषण होगा और कितनी देर में खरीदारी हो जायगी और कितनी देर में पैसा मिल जायेगा।

हमारी कांस्टुएंसी में एक इंस्पेक्टर हैं, पता नहीं इस विभाग के कर्मचारी हैं या एफ० सी० आई० के, उनके पास कुछ किसान गल्ला लेकर गये और उसको खोजते फिरे और वह बंद करके भागता फिरा। जब हमारे कार्यकर्त्ताओं ने कहा कि यह गल्ला नहीं खरीदता है तो हम इसका घेराव करेंगे तो वह आदमी छुट्टी लेकर भाग गया। किसान जो वहां गल्ला लेकर आया था वह दो दिन तक मेरी जानकारी में पड़ा रहा, फिर उसके बाद मंडी में किसी बनिया

[श्री कल्पनाथ सिंह]

के यहां गल्ला रख कर वापस चला गया। बड़ी दुर्दशा हो रही है बेचारे किसानों की। उसका एक-एक करके वर्णन करना अति मुश्किल है। सयाना मंडी समिति के सभापति लियाकत हुसन ने लगातार शिकायतें कीं। मैं नहीं कह सकता कि उनकी शिकायतों पर क्या कार्यवाही हुई और शिकायत मंत्री जी के पास पहुंची या नहीं। न भी पहुंची हो तो उस मंडी समिति के सभापति से शिकायतों को मंगवा लें। वीरेन्द्र वर्मा जी कहते हैं कि मैंने भेजा है। मैंने यह स्पेसिफिक इंस्टेंस दिया है और माननीय वीरेन्द्र वर्मा कहते हैं कि वह शिकायत उन्होंने उनके पास भेज दी है। माननीय मंत्री अपने जबाव में बतायें कि उनकी शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गयी। मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि गेहूं की चमक पर एक रुपये की कटौती हो सकती है। तो चमक का फैसला कैसे होगा? इस का मंत्री जी अगर जबाव दे देंगे तो बड़ी प्रसन्नता होगी। मंत्री जी इस चमक का फैसला कैसे करेंगे?

दूसरी बात मैं निवेदन करूंगा खाद्य निगम की मानोपली पर। यह विभाग जाड़े के दिनों में खरीद करने के लिये विचार कर रहा है। क्या मंत्री जी इस बात पर भी विचार करेंगे कि जो प्रयोग आप जाड़े में करने वाले हैं वह प्रयोग इन दिनों करने में क्या दिक्कत हो रही है? आप खाद्य निगम की मानोपाली को तोड़िये। नहीं तोड़ेंगे तो मेरा निश्चित मत है कि सरकार आज किसानों के ऊपर भयंकर संकट लादने की दिशा में चल रही है। यह कोशिश जान बूझ कर केन्द्रीय सरकार के लोगों के द्वारा की जा रही है, अभी तक हरी क्रान्ति के लिये जो कोशिशें हुई हैं वह सारी कोशिशें नाकामयाब हो जायंगी क्योंकि उनकी प्लानिंग में यह बात नहीं आयी। पहले तो यह हुआ कि जब गल्ले की कमी हुई विदेशों से गल्ला मंगाना पड़ा तो कहा गया कि हरी क्रान्ति करो। जब गल्ला पैदा होने लगा तो इसकी व्यवस्था ही नहीं। यह यहां रिपोर्ट से साबित है।

सरकार कहती है, मुझे यह नहीं मालूम था कि गल्ला खरीदना पड़ेगा, गोदाम रखना पड़ेगा, मुझे नहीं मालूम था कि यह स्थिति पैदा हो जायगी। और ऐसी सूरत पैदा होने के लिये दोष किस को देंगे? हरी क्रान्ति करो। जो सरकार हरी क्रान्ति को दोषी बनाती है, वह सरकार इस प्रदेश में रहने के काबिल नहीं है। आज जो सरकार किसान के इतना विरुद्ध हो सकती है, यह बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है जो हरी क्रान्ति को दोषी बनाते हैं वह जानबूझ कर किसान की पीठ में छुरा भोंकते हैं। मैं मंत्री जी के बारे में और उनकी नीयत के बारे में नहीं कहता, उनकी सेवा भावना के बारे में मुझे शुबहा नहीं है। लेकिन इस सरकार के बारे में और केन्द्रीय सरकार के बारे में सख्त शिकायत है। मैं चाहता हूं कि माननीय सदन के सदस्य एक दिन फिर से मेमोरेंडम लेकर इस सरकार को सारे प्रदेश के किसानों को इकट्ठा करके सरकार की किसान विरोधी शकल दिखा दें। अगर यह सरकार इस तरह की बात करती है कि इस मामले को दलीय भावनाओं से कुछ ऊपर उठकर निपटाती है तभी प्रदेश के किसानों की रक्षा हो सकती है। मैं माननीय भानु प्रताप सिंह जी से कहूंगा कि वे इस दलीय भावना से ऊपर उठकर किसानों की लड़ाई हमारे साथी बन कर लड़ने के लिये तैयार रहे।

श्री त्रिलोक चन्द (जिला बुलन्दशहर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे किसानों के मसले पर बोलने का अवसर दिया है। माननीय मंत्री जी ने जो भाषण दिया है वह तो डिपार्टमेंट के कर्मचारियों द्वारा तैयार किया गया भाषण है और उन्हीं से सलाह-मशविरा करके उन्होंने इस भाषण को तैयार करके हम लोगों को यहां पर सुना दिया है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं आई है जिसमें कि माननीय मंत्री जी की ओरिजिनलिटी आ गई हो। उनको यह पता नहीं है कि कहां पर गल्ला सड़ रहा है, कहां-कहां पर किसानों को परेशानी का सामना

करना पड़ रहा है । उन्होंने कहा कि मेरा यह जो भाषण है वह बहुत सैटिसफैक्टरी है और उसके बाद कोई प्रश्न नहीं कर सकता है । किन्तु ऐसी बात नहीं है । यह तो आपकी ठीक बात है कि आप बुजुर्ग हैं और अनुभवी हैं, आपकी बात यही हो सकती है किन्तु जहां तक मैं समझता हूं कि मैं इस भाषण को उस दिशा में उपयुक्त नहीं मानता हूं कि जितनी शिकायतें मंडी समितियों की आ रही हैं और खास करके बुलन्दशहर के बारे में मैं समझता हूं कि हमारे माननीय कल्पनाथ सिंह जी ने सियाना मंडी समिति का नाम लिया है इसी प्रकार की और भी डिबाई, शिकारपुर दादरी और गुलावटी आदि मंडियां हैं जहां पर कि मैं स्वयं भी गया हूं और उन लोगों की शिकायतें सुनी हैं। मैंने वहां मौके पर जाकर देखा कि वहां पर क्वालिटी इन्सपेक्टर होता था वह परचियां नहीं देता था और किसानों के साथ भाव को ७६ के बजाय ७४ रुपये कहकर लटकाये रखता था और शाम को पुनः ७४ पर आ जाता था । आपने ठीक ही अपने वक्तव्य में कहा कि हम इस संबंध में भी प्रबन्ध करने जा रहे हैं और प्रबन्ध किया भी था ।

तो मान्यवर, मैं तो यह कहना चाहता हूं कि आपने प्रबन्ध वहां पर अवश्य किया किन्तु तब किया जब कि किसान लुट गया, जब उसके पास कुछ नहीं रहा और जब गल्ला उसके हाथ से निकल गया । आपने तब अपने जिलाधिकारियों को आदेश दिये कि वे वहां जाकर देखें। जो एफ० सी० आई० के कर्मचारी थे उन पर आपका कोई नियंत्रण नहीं था, मंडी समितियों में जो आपकी सरकार के कर्मचारी थे, उन पर आपका कोई नियंत्रण नहीं था और जब किसान लुट गया तो बाद में कहने लगे कि उस पर अध्यक्ष के दस्तखत होने चाहिये थे । इसका नतीजा यह निकला कि किसान का जब दम निकल गया है तब आपने और कुछ करने का इरादा किया। मान्यवर, मुझे बड़ी तकलीफ होती है इस बात को देखकर कि आपने बताया है कि १२५ करोड़ रुपये का इसमें नुकसान हुआ है केवल गल्ले के सड़ने से, और भाव ठीक न होने के कारण ५०-६० करोड़ रुपये की हानि हुई है। इस प्रकार लगभग २ अरब रुपये का आपको और किसान को हुई है । मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार उसे जिलेवार देती और यह बताती कि किस-किस जिले में कितना-कितना नुकसान हुआ है तो इस बात का पता चल जाता कि किसान की हरी-क्रांति हुई या बरबादी की क्रांति हुई । आपको जो बाढ़ से नुक्सान हुआ है वह ४१ करोड़ का नुकसान हुआ है । उसका जिलेवार विवरण दिया है और हम लोग सदन में रोज सुन रहे हैं कि वह एक दैवी प्रकोप हुआ । यह भी एक दैवी प्रकोप ही है । प्रकोप के रूप में बना लिया है ।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य कृपया मंत्री जी से सीधे बात न करें, मेरे माध्यम से बोलें ।

श्री त्रिलोक चन्द्र--

यह जो विवरण था आपने दिया है अगर इसे जिलेवार दे देते तो पता हो जाता। बुलन्दशहर में हरी क्रांति आई है जिसने २ लाख टन गल्ला अकले ही दिया है या बरबादी की क्रांति आयी है । उनकी हालत क्या होगी ? बलिया, देवरिया, बनारस और हमीरपुर में जहां सेना लगा दी गयी, वहां से ज्यादा नुकसान बुलन्दशहर, अलीगढ़, मेरठ, मुजफ्फरनगर में कहीं अधिक था जो बाढ़ में नुक्सान हुआ जिसके लिये सेना लगा दी गयी। जिलेवार वर्णन नहीं किया गया । भूसे का अन्दाजा नहीं लगाया गया कि कितना नुकसान हुआ । मैं यकीन के साथ कह सकता हूं आज भी गेहूं के ढेर पड़े हैं गुलावठी के पास, कोई भी जाकर देख ले, रेल में से बैठे हुए मालूम हो जाता है, ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है और आपने कहीं इस चीज का जिक्र नहीं किया है । तो यह तो ऐसा है कि अपना अन्दाज से ही आपने कह दिया कि २ अरब का हो गया । यह बात नहीं सोचो कि यह क्यों हुआ,

[श्री त्रिलोक चन्द्र]

कैसे हुआ और कर्मचारियों ने अपना क्या कर्त्तव्य निभाया या नहीं । आपने लिखा है कि मेरठ के १,००० व्यापारियों को बन्दी बनाने की जो बात कही गयी थी वह बन्दी नहीं बनाये गये, उनके विरुद्ध अनियमितताओं की कार्यवाही की जा रही है । अगर उनको बन्दी भी कर लेते तो क्या बात थी ? जहां इतनी धांधलेबाजी हुई . . . . जून में तो असेम्बली ही नहीं की आपने । जब गल्ला समाप्त हो गया तो आपने असेम्बली बुलाई । जून में बुला लेते तो खूब अच्छे तरीके से काम रोको प्रस्ताव लाते । अब तो खरीद भी खत्म हो गयी, गल्ला ही नहीं रहा ।

दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि लोगों का कितना नुकसान हुआ है उसके लिये मेरा सुझाव है कि ऐसी लिस्ट बनवा दें और सदन के पटल पर रख दें कि किन जिलों का कितना नुकसान हुआ, हरी क्रांति से क्या लाभ हुआ, कितनी उन्नति हुई । उनकी उन्नति भी साथ ही साथ आनी चाहिये जिनका नुकसान हुआ है । बाढ़ ही केवल नुकसान का कारण नहीं है । इस लिस्ट से पता लग जायगा कि बाढ़ से भी ज्यादा नुकसान हुआ है । जहां से दो लाख टन गल्ला गया हो वहां की कितनी हानि हुई होगी । आपने बताया कि यह हरी क्रांति का दोष है कि गल्ला ज्यादा हो गया । मेरा ख्याल कि आज भी गल्ला कोई ज्यादा नहीं हुआ यह जो हुआ है यह न होने के बराबर है । कह दिया कि हरी क्रांति हो गयी, इतनी अमाद हुई कि रखने का प्रबन्ध न कर सके । पर अमरीका से आने के बाद तो इन्तजाम कर लेते हो । जब लाखों टन आता है १५ वर्ष से इन्तजाम करते आ रहे हो, इसका कोई इन्तजाम नहीं किया । यह तो ऐसी बात है कि किसान को तो कुछ भी कह लीजिये । जब एक गिलास पानी में वोट मांग सकते हैं एक जगह बैठने से वह वोट दे देता है उस किसान से ज्यादा भोला कोई दुनिया में नहीं है, अमरीका में हो तो बाद दूसरी है, क्योंकि वहां यूनियन है ।

अधिष्ठाता महोदय, आपके माध्यम से यह बात कहना चाहता हूं कि दुनियां में जो आदमी अपनी चीज पैदा करता है उसका मूल्य स्वयं वह ही निर्धारित करता है, परन्तु यहां के किसान की कौम ही ऐसी कौम है जिसकी चीज का मूल्य या तो आप लोग बैठ कर तय करते हैं या फिर कर्मचारीगण बैठकर करते हैं। वह कर्मचारी हाईली क्वालिफाइड हैं, आई० ए० एस० आफिसर हैं, उन लोगों का वास्ता खेती से और किसान की मुसीबत से क्या रहा होगा ? तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मेरा सुझाव है कि जो मंडी समितियां हैं उनको कोई अधिकार इस बात का नहीं है कि वह कुछ कर सकें । एजेंट लोग एक सेर कर्दा लेना चाहते हैं या दो सेर लेना चाहते हैं । किसी एजेंट के लिये कोई नियम नहीं है । मैं सुझाव देता हूं कि उनको प्रोसीक्यूट करने के लिए कानून बनाये और मंडी समितियों को अधिकार दें जिससे इन एजेंट्स को दंडित किया जा सके और नियंत्रण में रखा जा सके ।

दूसरा सुझाव यह है कि गोदामों की समस्या बहुत बड़ी है । यह देखना चाहिये कि गेहूं का उत्पादन कहां ज्यादा होता है और कहां कम होता है । आप ने बलिया, गोरखपुर में गोदाम बनवा दिये और अलीगढ़, बुलन्दशहर तथा, मेरठ में गेहूं का उत्पादन अधिक हुआ तो आपके इन गोदामों से लाभ नहीं होगा । इसलिये हालात को देखकर गोदामों का बनाना शुरू हो जाना चाहिये जिससे आगे समस्या पैदा न हो ।

एक बात यह है कि आपने एक बड़ा यंत्र भेजा जो नमी नापने का यंत्र है । यदि गेहूं में नमी पाई जाती है तो उसके आधार पर वह रिजेक्ट हो जाता है । कैसे भी गेहूं क्यों न रखा जाय नमी जरूर आ जाती है । लेकिन आपके आदेश नहीं है कि ऐसे गेहूं पर एक रुपया कम किया जायेगा या दो रुपये कम किये जायेंगे । आपके कोई आदेश मंडियों में नहीं पहुंचे हैं कि गेहूं में नमी आने के बाद क्या होगा ? बुलन्दशहर से एक मंडी समिति के अध्यक्ष आये थे । उन्होंने बताया कि गेहूं की हालत यह है कि गेहूं के दाम ५०/६० रुपये क्विंटल चल रहा है । गेहूं में नमी आ जाने के कारण एजेंट्स खरीदते नहीं है और वह खरीदा नहीं जा

सकता है । इसलिये प्राइवेट लोग चाहें किसी भाव पर खरीदें । मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वे इस समस्या को तुरन्त सुलझाने की कोशिश करें । जो नमी का सवाल है उसके लिये ग्रेडिंग बना दें।

*श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव)--

अधिष्ठाता महोदय, जो प्रश्न इस समय विचारणीय है वह इतना ही है कि देश के किसानों से व्यापारी कम मूल्य पर गल्ला खरीद रहे हैं । मैं समझता हूं था कि जब आदरणीय सदन में इस पर चर्चा होगी तो इस पर विचार हो जायेगा लेकिन माननीय कल्यानसिंह जी ने शुरुआत की इसके दाम बांध नीति, इसके उत्पादन और खर्चे का क्या संबंध है और आर्थिक नीति का विवेचन आदि और इतनी व्यापक चर्चा हो गई कि उसका उत्तर दिया जाना संभव नहीं है । आज की बहस समाप्त नहीं हो सकती । इसलिये मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा । केवल इतना ही दाम बांध नीति का जो सिद्धांत उन्होंने बताया है उस पर उनका दल विश्वास नहीं करता (व्यवधान) क्योंकि उनके दल की नीति है कि स्वतंत्र व्यापार होना चाहिये । किसी तरह की कोई रुकावट नहीं होनी चाहिये । लेकिन मान्यवर, इस समय प्रश्न यह है कि व्यापारियों ने किसानों से जो गल्ला खरीदा वह कौन सी परिस्थिति थी जिसकी वजह से किसानों को उनके गल्ले का कम मूल्य मिला । और यदि हम माननीय मंत्री जी के वक्तव्य को देखें तो हमें मालूम होगा कि माननीय मंत्री जी ने उसमें यह भी बता दिया है कि किन कारणों से किसान को कीमत कम मिली और सरकार ने उसमें क्या प्रयत्न किया । अगर इस समय असमय वर्षा न हुई होती तो इस प्रकार का प्रश्न इस रूप में न आया होता । जब असमय वर्षा हुई तो इस बात की आवश्यकता महसूस हुई कि यहां के किसान को ऐसी राहत देने की व्यवस्था की जाय । जिस गल्ले को व्यापारी खरीद नहीं रहा था, उसका कोई मूल्य नहीं दे रहा था, या उसको भारत सरकार और प्रदेशीय सरकार ने खरीदने की स्कीम बनायी ।

श्री अधिष्ठाता--

क्या आप समझते हैं कि जो कुछ माननीय मंत्री जी ने किया है वह ठीक है ।

श्री भगवती सिंह विशारद--

सरकार ने जो कुछ किया है और जिन परिस्थितियों में किया है, उसके लिये उनको बधाई दी ही जानी चाहिये । लेकिन उस बधाई देने में यह प्रश्न आ जाता है कि क्या उसके आगे और कुछ नहीं किया जा सकता । मान्यवर, मैं वही निवेदन कर रहा हूं कि जो कुछ किया गया है वह उचित किया है और उसके लिये भारतीय निगम के अधिकारियों ने जो सहाय्य किया है उसके लिये हम उनके कृतज्ञ हैं । लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं है, उसके आगे भी हमें प्रयत्न करने की आवश्यकता है । हमें ऐसा रास्ता अपनाने की आवश्यकता है जिसमें भविष्य में इस तरह की कठिनाई अगर आये तो उसका हम दृढ़ता के साथ मुकाबला कर सकें । किसानों को यह कल्पना नहीं थी कि इस समय असमय में ऐसी वर्षा हो जायगी कि वह अपनी उपज को मांड़ भी न पायेगा और वह खुले में ही सड़ जायगी । यह तो एक अप्रत्याशित घटना हो गयी । किसानों को अब यह मालूम हो गया कि उन्हें समय से पहले सावधान होकर रहना चाहिये ।

माननीय कल्पनाथ सिंह जी ने कहा कि किसान में वह क्षमता कहां है कि वह अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को समझ सकें । उनमें क्षमता नहीं है, यह मैं नहीं मानता । सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि किसानों ने न जाने कितने साम्राज्यों को बनते और बिगड़ते देखा लेकिन वह कायम रहा है और रहेगा । किसान अपनी हानि और लाभ को समझता

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री भगवती सिंह विशारद]—

है और कठिनाइयों को भी बरदाश्त करना वह जानता है सरकार तो आती और जाती रहेगी लेकिन प्रश्न केवल यह है कि उसकी समस्या का समाधान होना चाहिये । मेरा सरकार से निवेदन है कि इस बार जो परिस्थिति उत्पन्न हो गयी है उसके लिये भविष्य में ऐसा मार्ग अपनाया जाय जिससे किसानों की कठिनाइयां दूर हो सकें ।

चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, ऐसे महत्वपूर्ण मसले पर आपने मुझे अपनी बात कहने का जो अवसर प्रदान किया है उसके लिये मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, यह आज इस प्रदेश का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मसला है । इस मसले पर कौन कितना जागरूक है वह आज इस सदन में ही दिखायी दे रहा है । जहां तक मौजूदा सरकार का प्रश्न है, मंत्री जी को छोड़ कर एक भी विधायक इस मसले पर विचार करने के समय मौजूद नहीं है और हमारे दल के लोग सब मौजूद हैं । इसका कारण यह है कि हमारे विरोधी पक्ष के लोगों को जनता के साथ हमदर्दी है और वे जनता को राहत दिलाना चाहते हैं और वही उसके लिये संघर्ष कर रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता—

इस मसले में तो करीब-करीब दोनों बराबर हैं ।

चौधरी रामपाल सिंह यादव—

मसला बहुत गम्भीर है । सारे प्रदेश में १७-१८ लाख टन अनाज की क्षति हो गयी है जिसका १२५ करोड़ रुपये मूल्य होगा । जो गेहूं खराब हो गया है जिसकी क्वालिटी खराब हो गयी है उसमें ५०—६० करोड़ रुपये का नुक्सान हुआ है । इतना महत्वपूर्ण मसला है लेकिन उस पर सरकार ने केवल यह कह दिया कि हमने गेहूं का दाम ७६ रुपया और ७४ रुपया बांध दिया । इससे ऐसा लगता है कि इन्होंने किसानों के लिये कोई बहुत बड़ा काम कर दिया । मैं कहना चाहता हूं कि यह किताब संविद की सरकार के काल की है । उसमें लिखा हुआ है—गेहूं के मूल्य में गिरावट न आने देने के लिये भारत सरकार के परामर्श से गेहूं का दाम ७४ रुपया और ७३ रुपया प्रति क्विंटल, दो किस्मों का मूल्य निर्धारित किया गया जिससे किसानों को लाभ पहुंचे । तो यह तो संविद के सरकार के जमाने का मामला है । संविद ने इस प्रदेश के किसानों को दाम बांधकर राहत दी थी और ये सरकार उस रेट को कायम नहीं रख पा रही हैं और यहां के व्यापारी और सरकारी कर्मचारी किसानों को लूट रहे हैं । जो संविद ने किसानों को राहत पहुंचाई है उसमें भी कटौती हो रही है ।

मंत्री जी ने कहा कि जो गेहूं बरसात में भींग गया है और जिसकी २५ प्रतिशत तक चमक मारी गयी है उस पर तो कुछ नहीं काटेंगे लेकिन जिसकी २५ प्रतिशत से ज्यादा चमक चली गयी है उसके दाम में १ रुपया प्रति क्विन्टल काट लेंगे । यह कौन सी बात और नीति हुई ? जब गेहूं भींग जायगा तो उसकी चमक तो मारी ही जायगी । उसमें कटौती करके ये किसानों की भलाई नहीं कर रहे हैं। बल्कि लूट रहे हैं ।

इसके साथ ही जो इनका गल्ला खरीदने वाला काफिला है उसमें कितनी गड़बड़ है यह मंत्री जी के इसी कथन से मालूम होती है कि मेरठ जिले में एक हजार लोग पकड़ गये जिनके खिलाफ कार्यवाही हो रही है । यह तो खाली मेरठ की बात है, अगर सारे जिलों में देखा जाय तो एक हजार नहीं बल्कि पचासियों हजार ऐसे लोग हैं जो किसानों की लूट कर रहे हैं और यह सरकार किसानों की हिफाजत नहीं कर पा रही हैं । सरकार कहती है कि बड़ा इन्तजाम

किया। मंत्री जी की रिपोर्ट में है कि बोरों का भी इन्तजाम नहीं है, गोदाम तो हैं ही नहीं। हमारे कानपुर जिले में एक अढ़ौल खरीद केंद्र है। एक सुपरवाइजर वहां का जिम्मेदार अधिकारी है। वह वहां के किसानों का सारा पैसा ले कर एक माह से भगा हुआ है। किसान बेचारे परेशान हैं।

ये मंत्री जी कहते हैं कि उन्होंने ४ करोड़ रुपया पी० सी० एफ० को दिलवा दिया। यह सब से भ्रष्ट विभाग है इस प्रदेश में इसी के कारण तमाम सोसाइटियां नष्ट हो गई। इसकी २०० क्रय-विक्रय सोसायटियां (समितियां) हैं जिनमें से ८० घाटे पर चल रही हैं। अब वह किसान का गल्ला खरीदेंगी। इस तरह से वे सब भ्रष्टाचार की तरफ जा रहे हैं।

मंत्री जी का कहना है कि जो शिकायतें हों वह जिलाधिकारी को दे दीजिये। आज तो जिलाधिकारी बिल्कुल भानमती का पिटारा हो गया है। उसको दूसरे कामों और मौज से ही फुर्सत नहीं मिलती और इनसे किसानों को कोई राहत नहीं मिल पाती है। यह समस्या गल्ला भींग जाने की नहीं है, यह तो किसान को अनाज के मूल्य मिलने की समस्या है। जब तक किसान के अनाज के मूल्य और उद्योग धंधों से पैदा की जाने वाली चीजों के मूल्य का सन्तुलन नहीं किया जायगा तब तक किसान की रक्षा नहीं हो सकती। आज गेहूं १ रुपये का २ सेर और शकर २ रुपये की एक सेर, क्या मामला है? मिट्टी का तेल डेढ़ रुपये बोतल और किसान का गेहूं रुपये का दो सेर। श्रीमन्, एक ऐसा नियम बनना चाहिये कि मिल में बनी चीज जितने में तैयार हो उससे सवाया से ज्यादा दाम न लिया जाय, न बिके। किसान का गल्ला जब पैदा होता है तो सस्ता बिकता है और फसल के बाद अमीरों द्वारा दुगने और ड्योढ़े दाम पर बेचा जाता है। तो अनाज के लिये एक रेट मुकर्रर होना चाहिये। पूरे साल में एक रुपये में एक आने से ज्यादा की बढ़ोत्तरी नहीं होनी चाहिये। दाम बांधने की हमारी नीति होनी चाहिये। यदि दाम नहीं बंधता है तो हमारे किसानों का भला नहीं हो सकता है। श्रीमन्, एक बार इंगलैन्ड में दूध के मामले में झगड़ा चला। बिक्रेताओं ने एक बोतल में एक पैसा बढ़ा दिया। वहां के उपभोक्ताओं ने सरकार के खिलाफ हल्ला मचाया। सरकार ने कहा कि किसानों को विक्रेताओं का पूरा पैसा दिया जायेगा सरकारी खजाने से और अपने खजाने से दूध का दाम पूरा किया। तो क्या हिन्दुस्तान की प्रजातांत्रिक सरकार यह नहीं कर सकती कि किसानों की चीजों व अनाज का दाम सही तरीके से उनको मिले और जो चीज वह किसान खरीदते हैं उसको भी वह सही मूल्य पर मिल सकें। तो मंत्री जी इन सारी चीजों पर गम्भीरता से विचार करें, यह केवल बाढ़ से प्रभावित होने या अधिक वर्षा की ही बात नहीं है बल्कि पूरे दाम नीति निर्धारित करने की बात है। यह सरकार अपनी दाम बांधो नीति निर्धारित करें और किसानों की दामों की लूट से रक्षा करें।

अधिष्ठाता—

माननीय कल्याण सिंह।

श्री सुरेन्द्र विक्रम —

श्रीमन्, हमारी तो नोटिस थी, हमें तो समय मिलना ही चाहिये।

श्री अधिष्ठाता—

अब समय नहीं है।

श्री सुरेन्द्र विक्रम —

अगर यह व्यवस्था है तो मैं सदन का त्याग करता हूं।

(सुरेन्द्र विक्रम तथा श्री कल्पनाथ सिंह सदन त्याग कर चले गये।)

श्री कल्याण सिंह--

श्रीमन्, इस महत्वपूर्ण विवाद के समय सदन की उपस्थिति इतनी कम है यह बड़े खेद की बात है । फिर भी जिन माननीय सदस्यों ने इस पर अपने विचार व्यक्त किये हैं मैं उनका आभारी हूं । केवल दो-तीन बातें कहना चाहता हूं । हमारे भगवती सिंह विशारद जी कह रहे थे कि यह आपका मत है,पार्टी का नहीं होगा । तो श्रीमन्, मैं कहना चाहता कि हूं कि यह मेरा निजी मत नहीं है यह जनसंघ की ही नीति मैंने कही है । जनसंघ की नीति साफ है । जनसंघ किसी भी क्षेत्र में एकाधिकार वाद नहीं चाहता, स्वस्थ्य प्रतियोगिता चाहता है। बाजार के अन्दर सरकार भी एक प्रतियोगी की तरह एन्टर करे, यह जनसंघ चाहता है । जहां स्वस्थ्य प्रतियोगिता होगी, जितनी अधिक दुकाने होंगी उतनी ही खरीदारों और बेचने वालों को सुविधा होगी और उतना ही उन्हें लाभ होगा । मैं विशारद जी को बता देना चाहता हूं कि जनसंघ स्वस्थ्य नीति में और यथार्थवाद में विश्वास करता है । कोरी नारेबाजी में नहीं ।

श्रीमन्, अभी मूल्यों के बारे में भी कहा गया । यह केवल तात्कालिक समस्या ही नहीं है। यह तो दीर्घकालिक समस्या है और यदि इस पर विचार करके उचित मूल्य तय नहीं किये जायेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर पायेंगे । एक अंतिम बात और कहना चाहता हूं । श्रीमन् इसके अन्तिम पृष्ठ पर पढ़ने से मुझे पता चला मंत्री जी ने इसे पूरा पढ़ा भी होगा इसमें मुझे संदेह है, लिखने की बात तो दूर रही यह सब विभागीय अधिकारियों ने लिख दिया है । एयर कंडीशन कमरों में बैठने वाले अधिकारी कृषि से संबंधित योजना नहीं बना सकते । किसान का गल्ला बाजार में नहीं बिक पाया और आज वह परेशान है । इसके लिये आपने लिख दिया है कि गल्ला रखने के लिये अच्छे मकान बनाये और ठीक ढंग अपनाये । अगर किसान के पास इतनी ही पूंजी होती कि वह अच्छे मकान बना सकता और साल भर या छः महीने गेहूं को रोक सकता तो वह आज परेशान न होता । लेकिन आज किसान की मजबूरी है । उसके पास उतनी पूंजी नहीं है ।

किसान के दो अपराध हैं । पहला अपराध तो यह है कि उसने अपना सब कुछ खेती में लगा दिया और उत्पादन बढ़ा दिया और उसका दूसरा अपराध यह है कि वह अपनी आवश्यकता की अन्य सामग्री खरीदने के लिए उस बढ़े हुए उत्पादन को छः महीने भी रोक नहीं सकता । जिस प्रकार दूसरे लोग हड़ताल कर देते हैं और अपना उद्देश्य प्राप्त कर लेते हैं उसीप्रकार अगर किसान भी हड़ताल कर सकने की स्थिति में होता और अपना उत्पादन बाजार में न लाता तो वह भी अपने उत्पादन का इतना मूल्य ले लेता जितना कि उसको उसकी लागत के अनुसार मिलना चाहिये । लेकिन आज वह इस स्थिति में नहीं है । आज तो देखने में यह आता है कि सरकार भी उसकी कोई सहायता नहीं करती । अगर उसकी अच्छी फसल हो गयी तो कह दिया कि सरकार ने रहट लगा दिये, ट्यूबवेल्ल लगा दिये इसलिये फसल अच्छी हो गई और अगर पैदावार कम हो गयी तो कह दिया कि हमने इसका अनुमान ही नहीं लगाया था । यह चीज तो एक ले मैन भी कह सकता है । लेकिन जो विशेषज्ञ हैं उनका काम है कि वह सही योजनायें बनायें । लेकिन आपने वैसा नहीं किया ।

आप कहते हैं कि कीमत गिरने न पाये । इसमें दो चीजें हैं । एक तो उत्पादन में वृद्धि और दूसरे यह कि उत्पादित की हुई चीज के उचित दाम । एक काम तो किसान ने कर दिया । उसने उत्पादन में वृद्धि कर दी । उसने अपना कर्त्तव्य पूरा कर दिया लेकिन जहां तक किसान को उसके उत्पादन का उचित मूल्य मिलने का प्रश्न है, उसमें सरकार अपने कर्त्तव्य को पूरा करने में असफल रही है। किसान को उसके उत्पादन की उचित कीमत नहीं मिल पायी है । अगर उसको उचित कीमत नहीं मिलती तो आज जो उसने सात और आठ मन बीघा पैदा किया है वह वहीं डेढ़ और दो मन बीघा पर आ जायेगा । और इससे आपका सारा आर्थिक विकास रुक जायेगा । भानुप्रताप सिंह जी ने एक बात कही और और सदस्यों ने भी कही कि भ्रष्टाचार की बहुत चर्चा है। उन्होंने कहा कि इसमें सरकार नहीं, अपितु समाज दोषी है । इस दस्तावेज में भ्रष्टाचार रोकने के उपाय लिखे गये

हैं लेकिन उनमें से कार्यान्वित कितने होंगे, कुछ नहीं कहा जा सकता। उन्हें यह बात नहीं भूलनी चाहिये कि "महाजनो येन गतः स पंथा।" महाजन जिस मार्ग से जाते हैं उसी पर दूसरे लोग चलते हैं।

आज के जनतंत्र के जमाने में जिनके हाथ में राजनीतिक सत्ता है वही महाजन है। आज "महाजन" आप हैं। किन्तु स्थिति यह है कि आज मंत्रियों पर इसी सदन में भ्रष्टाचार के खुले आरोप लगते हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। नागरवाला ६० लाख रुपया ले गया। विरोधी दल ने इंक्वायरी की मांग की लेकिन प्रधान मंत्री ने चुप्पी साध ली हम इस चुप्पी का क्या अर्थ लगायें। इस तरह से अगर आप चाहें कि देश में समाजवाद आ जाये और समाज से भ्रष्टाचार मिट जाये तो यह नहीं हो सकता। जब तक ऊंची कुर्सी पर बैठने वाले ईमादार नहीं होंगे तब तक भ्रष्टाचार नहीं मिट सकता। भ्रष्टाचार की गति पानी की तरह है। पानी ऊपर से आता है। उसी प्रकार भ्रष्टाचार भी ऊपर से नीचे आता है। यदि आपने नीचे के कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया या बर्खास्त कर दिया तो उससे भ्रष्टाचार दूर नहीं होगा। मैं पुनः आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करूंगा और मंत्री जी के द्वारा सरकार से निवेदन करूंगा कि वे इन सारे पहलुओं पर विचार करें। यह दैवी विपदायें तो आती ही रहेंगी। मैं मंत्री जी से आपके द्वारा निवेदन करूंगा कि वे पशुओं के बीमा के बारे में खेती में पैदा होने वाली चीजों और दूसरी वस्तुओं के मूल्य में समानुपात हो इसके बारे में भी प्रकाश डालेंगे। आज स्थिति यह है कि किसान के घर से गल्ला निकल जाने के बाद फिर जब उसको जरूरत होती है तो उसे उसी गल्ले का मूल्य सवाया और ड्योढ़ा तक देना पड़ता है। यह नीति बदलनी चाहिये। जब तक आप अपनी नीतियों में मूलभूत परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक आप अपने प्रदेश को इस प्रकार की आपत्तियों से नहीं बचा सकते। मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी इन सब बातों पर प्रकाश डालेंगे।

श्री बेनी सिंह--

अधिष्ठाता महोदय, बहुत सी बातें माननीय सदस्यों ने इस समस्या के बारे में कही है इस संबंध में ज्यादा बातें कहने के लिये हमारे पास नहीं है, लेकिन हमें अफसोस यह है कि हमारे माननीय सदस्यों ने समस्या को उस तरीके से नहीं लिया जिस तरीके से हमने उनसे अपेक्षा की थी। हमने सारी चीजें मान ली कि दिक्कतें हैं और यह शिकायत आयी और वह शिकायत आयी। एक प्राब्लम है, एक समस्या है। समस्या की गम्भीरता को समझकर उसका हल निकालने की हमने चेष्टा की है। आपसे हम चाहते थे कि इस समस्या का हल बतायें। आपने शुरू से आखीर तक हमारे हर कार्य की आलोचना की और हर वक्तव्य को तोड़ मरोड़कर गलत इंटरप्रेटेशन निकालने की चेष्टा की है। इसलिये मुझे जवाब देना पड़ा, वर्ना मैं जवाब न देता। आप बात कर लें और जो सुझाव देने हों दें। यह समस्या अकेले सरकार की नहीं है, यह सब की है। हरित क्रांति आयी और जो पैदावार हुयी उसको न हम समय पा रहे हैं, न किसान समेट पा रहा है और न आप समेट पा रहे हैं। किसान का खेती करने का ढंग पुराना है, पैदावार को रखने का ढंग पुराना है और अब उसकी एक बखारी से काम चलने वाला नहीं है। उसको बताना पड़ेगा कि भाई पहले एक बीघे में ८-१० मन गल्ला पैदा होता था, तब तो एक बखारी काम दे जाती थी, अब एक बीघे में जब २०-२५ मन पैदा करते हों तब यह बखारी कैसे काम दे पायेगी। अब एक एकड़ में ४०-४५ मन अनाज पैदा होता है। तो यह कैसे मुमकिन है कि वह सारी उपज अपने घर में रख लें।

इसको आगे नहीं पढ़ा, इसमें जो त्रुटि हुयी है वह डिपार्टमेंट की है। इसको यहीं खत्म कर दिया। अगर यह कन्टीनुएशन में पूरा पैराग्राफ होता तो यह इन्टरप्रेटेशन न आता। कुछ मिस-कैलकुलेशन है या इसमें जगह ज्यादा है।

श्री कल्याण सिंह---

कुछ भ्रम होता है।

श्री बेनी सिंह---

हां, भ्रम है। अगर पूरा पढ़ लेते तो ठीक होता। हम मुल्क के पायनियर हैं, हमने आजादी प्राप्त की और हम हरित क्रांति लाये। हमें किसान को पैदा करने का ढंग और पैदावार को रखने का ढंग बताना पड़ेगा। अकेले यह सरकार नहीं बता सकेगी, आप बतायेंगे, राजनीतिक पार्टियां बतायेंगी और माननीय सदस्य बतायेंगे। इस जिम्मेदारी से इन्कार नहीं कर सकते हैं। अब खरीफ की जो फसल आयेगी उसकी खरीद होगी और उसके पश्चात् रबी की खरीद होगी। सरकार के पास सारी पैदावार रखने के लिये जगह नहीं है। साइलोज बन रहे हैं और गोडाउन्स का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। सारा गल्ला बाजार में आयेगा और उसका फिर यही हाल होगा।

श्री त्रिलोक चन्द्र---

मंत्री जी यह बताने की कृपा करें कि क्या खरीद की भी वैसे ही सरकार खरीद करेगी जैसे गेहूं की की है।

श्री बेनी सिंह---

गल्ले की मिनिमम प्राइस फिक्स होती है। गवर्नमेंट आफ इंडिया ने कोर्स ग्रेन की मिनिमम प्राइस फिक्स की। पर्चेज प्राइस नहीं आयी है। उसको फिक्स करने के लिये सारे हिन्दुस्तान के आंकड़े मंगाये जाते हैं और यह देखा जाता है कि प्रोडक्शन कास्ट क्या है और दूसरे खर्चे क्या-क्या है। इन सब चीजों को देख कर पूरे हिन्दुस्तान के संबंधित लोग परचेज प्राइस फिक्स करते हैं। रामपाल जी ने बतलाया लेकिन हमने यह क्रेडिट नहीं लिया है। अगर आप नुकसान पहुंचाते हैं तो खामोश होकर बैठ जाते हैं।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)---

यह ७४, ७६ रु० कई वर्ष का पुराना भाव था। कीमतें बढ़ रही हैं, खाद और बीज मंहगे हो गये हैं तो क्या भाव ९० रुपये तक आप करायेंगे?

श्री बेनी सिंह---

यह सवाल रामपाल जी से करते तो ठीक होता। ७६,७४ इसलिये हुआ है कि कास्ट आफ प्रोडक्शन घटी है। इसलिये यह भाव रक्खा गया है। अब खेत में जितना खाद डालते हैं उसमें पहले से अधिक पैदा होता है। मैं भी एक किसान हूं। जो कास्ट आफ प्रोडक्शन रक्खी जाती है वह सारे देश की निकाली जाती है। यह बहुत कम रक्खी जा रही है।

एक सदस्य---

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि यह पिछले वर्ष क्या थी और इस वर्ष क्या है।

श्री बेनी सिंह---

इस पर मैं बोलना नहीं चाहता गई हूं। ३४५ रुपया बतलाई गई है कास्ट आफ प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा १५ कुंटल एक एकड़ में पैदा होता है। कास्ट आफ प्रोडक्शन की बात आप छोड़ दें।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)---

किसान का जो व्यय होता है वह शामिल नहीं किया गया है।

श्री बेनी सिंह---

ज्यादा खोज की जावगी तो अपना ही नुकसान हो सकता है। हमको गल्ले की जरूरत नहीं है। एफ० सी० आई० ने खरीदा। उसने अपने एजेंट्स मुकर्रर किये थे। पिछले

दो तीन साल में जो टारगेट रक्खे गये थे उसका आधा भी गल्ला नहीं मिला था, उसे देखकर टारगेट ६ लाख क्विन्टल रक्खा था।

श्री हिम्मत सिंह—

इस वर्ष जो व्यापारी बाहर से आते थे उनको रेल के डिब्बे नहीं मिलें और इस कारण वह गेहूं नहीं खरीद सके, इसके लिये आपने कुछ नहीं किया।

श्री बेनी सिंह—

जो ६ लाख कुंटल का टारगेट रक्खा गया था वह मई में पूरा हो गया था। उसके बाद इसको ८ लाख कुंटल कर दिया गया।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

४ लाख पूरा हो गया था।

श्री बेनी सिंह—

हां, परन्तु ४ लाख जून में इकट्ठा हुआ था, इस प्रकार जून में ८ लाख कुंटल गेहूं हो गया था। फिर उसका प्रबन्ध कैसे हो। एक चीज की प्लानिंग होती है, यदि उसमें बेतहाशा वृद्धि हो जाये तो कैसे काम चलेगा। तुलसीदास जी की मैं इस संबंध में चौपाई पढ़ देना चाहता हूं। "रहा न नगर बसन घृत तेला, बाढ़ी पूंछ कीन्ह कपि खेला।" तो इस प्रकार से वह अपनी पूंछ बढ़ाते चले गये और उसमें सारा कुछ समेटता चला गया, तो यह स्थिति तो यहां हो नहीं सकती थी। ऐसी हालत में आपकी हमारे साथ हमदर्दी होनी चाहिये। आपको ही मान लिया जाये, एक कमरे में चार आदमी रहते हैं और आपके यहां १०–१५ मेहमान आ जायें तो आप क्या करेंगे क्या आप को इधर-उधर नहीं झांकना पड़ेगा। आपको खाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, बिस्तर के लिये भागना पड़ेगा, चारपाई मांगनी पड़ेगी और यह भी हो सकता है कि आप के पास उनके बिठालने का भी स्थान हो। ऐसी स्थिति में यदि आपके प्रति गांव वाले यह कहें कि देखो कैसे एम० एल० ए० साहब है कि हम १० आदमियों की वह मेहमानदारी नहीं कर सके, व्यवस्था नहीं कर सके, तो आपको क्या यह अच्छा लगेगा। यह तो आपकी मजबूरी थी। फिर भी सरकार ने पूरा प्रयास किया है।

जब बोरे की कमी हुई, मैंने कहा बोरे मोल खरीदो, बाजार से खरीदो, चाहे जिस भाव में मिले खरीदो। और मैं कह सकता हूं कि जब किसानों से कहा गया कि धीरे-धीरे लाओ तो वह एक दम से लाते चले गये उनको सब्र नहीं हुआ। आप सोचें एक दम से आने से कैसे उनकी तौल आदि संभव हो पायेगी। बूझे में आप जाते हैं, तो वहां पर चम्मच, तश्तरी प्रत्येक के लिये हिसाब से रहता है, बहुत सा सामान खाने का लगा रहता है, लेकिन जब खाने वाले डोंगे से सामान निकालने लगते हैं तो भीड़ लग जाती है। वह सब जानते हैं कि खाना काफी है सबको मिलेगा, फिर भी उन्हें सबूरी नहीं होती है और जल्दी-जल्दी करके छीना झपटी करने लगते हैं। उन्हें धीरज नहीं होता है। इसी तरह से किसान की भी हालत रही, वह भी धीरे-धीरे नहीं लाया। और आप लोग भी उसको समझ नहीं सके। मैं कहूंगा कि हम फेल होते हैं, सरकार काम में फेल होती है तो आप भी फेल होते हैं, आपने उन्हें समझाने का क्यों प्रयास नहीं किया?

श्री कल्याण सिंह—

यदि किसान को पहले ही से खबर होती कि वर्ष भर खरीदारी होगी तो वह धीरे-धीरे लाता।

श्री बेनी सिंह—

जैसे ही हमको खबर मिली, हमने तुरन्त ही कहा, रेडियो पर कहीं आप इसे मानें या न मानें । यह हम न कहते तो इससे भी बुरी हालत होती और गेहूं का भाव इससे भी कम जाता ।

दूसरी चीज आप ने यह कही कि हम उनके खिलाफ क्या कार्यवाही करते हैं । जब हमको मालूम हुआ कि उनके सैम्पुल बड़े खराब होते हैं तो इसके लिए हम क्या कर सकते थे, क्वालिटी इंस्पेक्टर और उसको दोनों को लगाया । फिर भी इसमें शरारत हो सकती है, बदमाशी हो सकती है । फिर भी यह शिकायत आई तो हमने उनको सजा भी दी उनके खिलाफ हमने कार्यवाही भी की है । ३ हजार व्यक्तियों के खिलाफ हमने कार्यवाही की है । हमने यह कार्यवाही कायदे कानून से की है और कायदे कानून से करने में थोड़ा समय लगता ही है और अन्धाधुंध भी कायदे से नहीं किया जा सकता है । यदि आप चाहें कि एक दम से उनके खिलाफ कार्यवाही कर दी जाय, तो यह तो नहीं हो सकती है, नियम बने हुए हैं उन्हीं के अनुसार सब होगी । यदि हम अन्धाधुध एक दम से सबके खिलाफ कर दें तो दूसरे दिन ही महीलाल जी प्रस्ताव ले आयेंगे, काल अटेंशन मोशन ले आयेंगे कि यह सरकार तो बड़ी ज्यादती कर रही है कि बिना कायदे कानून के उसने इतने आदमियों को निकाल दिया । आप यहां पर काल अटेंशन मोशन ले आते और सरकार की यहां पर खाल खींचते ।

श्री महीलाल—

यदि हम नोटिस देते हैं तो हम जनता म बदनाम होते, आपकी तो तारीफ ही होती ।

श्री बेनी सिंह—

देखिये ठठेरे ठठेरे से बदलाव नहीं होता है । सूरदास जी कह गये हैं "बांसुरिया काहे गुमान भरी ।" गोपियां कहने लगीं कि बांसुरी को गर्व है कि वह कृष्ण के मुख पर हर समय लगी रहती है । "जड़ तोरी जानौ, रख पहिचानो मधुवन लकरी ।" हम आप से कोई चीज छुपाना नहीं चाहते हैं, सिर्फ जो जनहित में नहीं होगा, उसे ही नहीं बताऊंगा, जैसे कि कास्ट आफ प्रोडक्शन की बात को मैंने नहीं बताया है । लेकिन मैं आपका सहयोग लेना चाहता हूं, मैं आपकी मदद चाहता हूं ।

श्री त्रिलोक चन्द—

रबी की फसल में जो खतरे हुए, नहीं खरीदारी हुई इसको यध्यान में रखते हुये क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि खरीफ की जो फसल आ रही है, उसमें कितने टन का लक्ष्य रखा गया है और न्यूनतम दाम क्या रखा गया है।

श्री बेनी सिंह—

जो कीमत डिक्लेयर हो गयी है उससे तो कम जायेगा ही नहीं कोई सवाल उसका नहीं उठता । परचेज प्राइज अभी हमने मंगाये है जो कि फिक्स नहीं हुये हैं । हमने कहा है यक हम मध्यस्थ नहीं रहने देंगे, हमने सेंटर्स खोलने की बात कही है, यह सब हम करेंगे ।

श्री कल्याण सिंह—

हम आपका सहयोग करेंगे ।

श्री बेनी सिंह—

आप हमारा काम देखिये तब कुछ कहिये । हम कितने ही सेंटर्स खोलने जा रहे हैं, ब्लाक्स में कोआपरेटिव्स में खोलने जा रहे हैं हम कोशिश कर रहे हैं कि एक किसान को ७–८ मील से ज्यादा अपना अनाज लेकर न जाना पड़े । जितना कम हम उसको जाने देंगे उसकी दिक्कत उतनी ही कम होंगी । बेईमानी और बदमाशी भी इसमें हो सकती है उसको

लिये आप हमें आगाह करें । लेकिन मैं यह भी चाहता हूं कि ऐसे दोषी व्यक्तियों को बचाने में आप आगे न आवें । आपका भी कुछ कर्त्तव्य हो जाता है ।

श्री महीलाल—

आप उन लोगों के नाम बतावें जो उनका पक्ष लेते हैं ।

श्री बेनी सिंह—

देखिये मैंने नौटंकी में पढ़ा था—कोई ऐसा बसर नहीं है, जिसको किसी की हवा लगी न हो । "न तू चाले मेरी, न मैं चालूं तेरी ।"

श्री महीलाल—

क्या यह सही नहीं है कि आप के मंत्री धनौरा में गये थे और जिन ४ आदमियों के लाइसेंस रद्द हो गये थे, उनसे रुपया लेकर आये ?

श्री बेनी सिंह—

देखिये इस तरह से बात न करें फितूर बढ़ जायेगा । मैं इस तरह से आपके बारे में भी कहने लगूं कि आपके साथी वीरेंद्र वर्मा कानपुर गये थे और रुपया लेकर आये, तो इस तरह से बात नहीं होती है ।

श्री मलिखान सिंह (जिला मनपुरी)—

श्रीमन्, जो गल्ले के खरीदने की व्यवस्था की गई थी उसमें जो एफ० सी० आई० के लोग हैं वे पैसा नहीं दे रहे हैं इसके कारण खरीदारी नहीं हो पा रही है। यह समस्या सारे प्रदेश में है । माननीय मंत्री जी इसको देखें कि भुगतान जल्दी हो जाया करें ।

श्री बेनी सिंह—

एफ० सी० आई० के लोग गल्ला खरीद कर अपने कब्जे में कर रहे हैं । जैसा कि मैंने बताया कि ज्यादा गल्ला हो जाता है तो उसके रखने के लिये जगह नहीं मिलती है । जब तक वे गल्ले का चार्ज नहीं लेते हैं तब तक पैसा नहीं देते हैं । रेलें नहीं मिलती हैं । यह सवाल है । हर व्यापारी करता है । वैसा ही इसका हाल है । उस समय फेडरेशन को दाम दिया जायगा जब गल्ला उसके गोदाम में आ जायगा । जितना गल्ला गोदाम में आ जायगा उसका दाम दे दिया जायगा । हो सकता है कि कहीं पैसे की कमी हो गई हो । आप हमारी मदद करें और हम आपकी मदद करेंगे । हमने सी० आई० डी० भी लगाई है । हमारी दो डिवीजनें लगी हुई हैं । हर चीज को हम कैसे आपके सामने ला दें । जब तक सब चीज ठीक न हो जाय ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

श्रीमन्, मैं जानना चाहूंगा कि जो खरीफ की फसल है मक्का वगैरह उसकी आपने प्राइस निर्धारित की है या नहीं ?

श्री बेनी सिंह—

अभी नहीं । वह गवर्नमेन्ट आफ इंडिया से होगी । हमारी तरफ से यह नहीं होती है । एग्रीकल्चर विभाग से होती है ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

आप मक्का वगैरह की खरीदारी करेंगे या नहीं ?

श्री बेनी सिंह---

जरूर करेंगे।

श्री वीरेन्द्र वर्मा----

आपने इसका कोई लक्ष्य निर्धारित किया है ?

श्री बेनी सिंह---

अभी नहीं। आपने कहा कि यह भी शिकायत मिली है कि स्टोर्स में गल्ला कम रखा गया तो क्या इसकी आप जांच करायेंगे ? मेरा कहना है कि हम जांच अवश्य करायेंगे लेकिन सारे सूबे की कहां तक करायेंगे इसलिये आप किसी पर्टीक्यूलर जगह का नाम बता दें वहां हम जांच करा लेंगे। (व्यवधान)

श्री महीलाल---

हम अपना समय छोड़ने वाले नहीं हैं। मैं जानना चाहता हूं कि आपने भ्रष्टाचार की शिकायत की बात कही तो क्या आप बतायेंगे भ्रष्टाचार निवारण के लिये आपने प्रयास किया ?

श्री बेनीसिंह---

जहां तक हम कर सकते थे हमने किया।

श्री महीलाल---

आपके पास प्रदेश के माने हुये ईमानदार खाद्य आयुक्त बट्ट साहब थे। उनको आपने कितने दिनों कितनी जगहों पर भेजा ? जिनके जाने पर बेइमान व्यक्ति घबरा जाते हैं।

श्री बेनीसिंह---

मान्यवर,मैं आपको बतला दूं कि वे अक्सर बाहर जाते हैं मंडियों में भी जाते हैं। अगर पहले इत्तिला देते तो मैं बता देता कि वे कितनी मंडियों में गये। २५-३० मंडियों में तो मैं खुद गया हूं। सूचना देकर नहीं गया वैसे ही एकाएक पहुंच गया हूं।

श्री वीरेन्द्र वर्मा ---

मान्यवर, १०.५० लाख टन का अनाज खरीदा जाता है। यह आपके नोट से जाहिर नहीं हुआ कि किसानों की कितनी कीमत बाकी है ?

श्री बेनीसिंह---

यह इस समय मेरे पास नहीं है।

श्री महीलाल---

आपके वक्तव्य में यह होना चाहिये था कि किसानों को कितना रुपया देना बाकी रह गया है। यह इसमें कुछ नहीं दिया है। हम लोग अंधेरे में ही वक्तव्य पढ़ने के बाद....

श्री बेनीसिंह---

ज्यादातर हमने एजेंट्स की मारफत गल्ला खरीदा है। जितना हमनें डाइरेक्ट खरीदा है किसान का गल्ला वह रुपया बाकी नहीं है। हमारे पास किसान के गल्ले का कोई हिसाब नहीं है रुपये का। हमारे पास एजेंट का कितना रुपया बाकी है वह होगा।

श्री हिम्मत सिंह —

जैसे चीनी मिलों के द्वारा किसान बरबाद हो रहा है उस परिपाटी को खत्म करने के लिये मैं निवेदन करूंगा कि जो रुपया किसान के गल्ले का रुका पड़ा है इसे १५ दिन के अन्दर दिलवा दें नहीं तो वही परिपाटी चल जायेगी ।

श्री बेनीसिंह—

आप मुझे लिस्ट दे दें कि कितने किसानों का बाकी है । देने के बाद एक महीने के अन्दर अवश्य दिलवा दूंगा ।

श्री अधिष्ठाता—

समय समाप्त हो गया । १० तारीख को ११ बजे मिलेंगे ।

(इसके बाद सदन ७ बजे मंगलवार, १० अगस्त, १९७१ के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
५ अगस्त, १९७१।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'क'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या ७ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०२४ पर)

उन इकाइयों की सूची जिनको मुरादाबाद जिले में १-१-१९६८ से ३१-३-७१ तक की अवधि में ऋण वितरित किया गया

इकाइयों का नाम	उद्योग		वितरित धनराशि
			रु०
१—श्रीमती उर्मिला देवी महेश्वरी	आर० सी० सी० पाइप	..	४०,०००
२—मेसर्स मनहार इनसेक्टीसाइड्स	इनसेक्टीसाइड्स	..	७३,०००
३—मेसर्स जौहर सरजिकल मैनुफैक्चरिंग कम्पनी	हैन्डलूम गोज	..	२६,०००
४—मेसर्स हिन्द ब्रदर्स इन्डस्ट्रीज	कार्ड बोर्ड पैकिंग बाक्स		४२,५००
५—श्री महेश चन्द्र कौशिक	आयुर्वेदिक मेडिसिन	..	२०,०००
६—श्री बाल कृष्ण ..	सेन्ट्रीफ्यूगल पम्प	..	२५,०००
७—श्री हाजी सईदउद्दीन	मेटल फिनिसिंग एन्ड ई० पी० एन० एस० ।		२१,०००
८—मेसर्स एसोशियेटेड एग्रीकल्चर इन्टर-प्राइजेज ।	एग्रीकल्चर इम्प्लीमेन्ट्स		२०,०००
९—मेसर्स हरी शुगर वर्क्स	शुगर सल्फीटेशन प्रासेज से		५६,०००
१०—मेसर्स आर० के० शुगर वर्क्स	क्रिसटल शुगर	..	१,००,०००
११—श्री साईद मोहम्मद ..	उडन फर्नीचर	..	७,०००
१२—श्री खजान सिंह ..	खाण्डसारी	..	१०,०००
१३—श्री अहमद नूर ..	खाद	..	६,०००
१४—मेसर्स रंगाई छपाई सहकारी समिति, लिमिटेड ।	प्रिंटिंग	..	४,०००
१५—मेसर्स जरी उद्योग सहकारी समिति लिमिटेड ।	जरी उद्योग	..	१,०००
	योग	..	४,५१,५००

नत्थी 'ख'

(देखिए पीछे पृष्ठ ११०३ पर)

उत्तर प्रदेश चीनी उपक्रम (अर्जन) विधेयक, १९७१

कतिपय चीनी उपक्रमों का जनसाधारण के हित में अर्जन और अन्तरण करने की तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों के लिये, व्यवस्था करने का

विधेयक

भारत गणराज्य के बाईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है—

संक्षिप्त नाम

परिभाषाएं

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश चीनी उपक्रम (अर्जन) अधिनियम, १९७१ कहलायेगा।

२—जब तक प्रसंग में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में—

(क) "नियत दिनांक" का तात्पर्य दिनांक ३ जुलाई १९७१ से है;

(ख) "कलेक्टर" के अन्तर्गत इस अधिनियम के अधीन कलेक्टर के कृत्यों का संपादन करने के लिये उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी भी है ;

(ग) "निगम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कारपोरेशन लिमिटेड से है जो कंपनीज ऐक्ट, १९५६ की धारा ६१७ के अर्थान्तर्गत एक गवर्नमेन्ट कम्पनी है ;

अधिनियम संख्या १, १९५६

(घ) किसी अनुसूचित उपक्रम के संबंध में "अध्यासी" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसका नियत दिनांक के ठीक पूर्व उपक्रम के कार्य-कलापों पर अंतिम नियंत्रण था ;

(ङ) इस अधिनियम के अधीन अर्जित किसी अनुसूचित उपक्रम के संबंध में, "हितबद्ध व्यक्तियों" का तात्पर्य ऐसे सभी व्यक्तियों से है जो उस उपक्रम का अर्जन किये जाने के कारण दिये जाने वाले प्रतिकर में किसी हित का दावा करते हों, और इसके अन्तर्गत ऐसे उपक्रम का कोई पट्टेदार भी है ;

(च) "विहित" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित है ;

(छ) "विहित प्राधिकारी" का तात्पर्य धारा १० के अधीन नियुक्त विहित प्राधिकारी से है ;

(ज) "अनुसूचित उपक्रम" का तात्पर्य ऐसे उपक्रम से है जो अनुसूची में निर्दिष्ट किसी फैक्ट्री में वैकुअम पैन के द्वारा और यंत्रचालित शक्ति की सहायता से चीनी के निर्माण या उत्पादन में लगा हो, और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित समाविष्ट है —

(१) उस फैक्ट्री से संबंधित सम्पूर्ण प्लान्ट, मशीनरी और अन्य सज्जा (जिसमें मिलिंग प्लान्ट, बायलिंग हाउस सज्जा, चीनी बनाने की अन्य

मशीनरी, गन्ना उतारने की सज्जा तथा पावर प्लान्ट सम्मिलित है), तोलन पट्टू, क्रेने, चिम्नियां, टर्बाइन और बायलर (जिसमें नीवें, ऊपरी ढांचा और छतें भी सम्मिलित है) ;

(२) कोई इन्जीनियरिंग वर्कशाप, जिसमें उसकी मशीनरी और सज्जा भी सम्मिलित है ;

(३) कोई रासायनिक प्रयोगशाला, जिसमें उसके उपकरण और सज्जा भी सम्मिलित है ;

(४) उस फैक्ट्री से संबंधित कोई मोटर या अन्य गाड़ी या लोकोमोटिव , या रेलवे साइडिंग ;

(५) कोई डिस्पेन्सरी या चिकित्सालय या सामुदायिक या कल्याण केन्द्र जो केवल फैक्ट्री में सेवायोजित मजदूरों और अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए हो ;

(६) उस फैक्ट्री के प्रयोजनों के लिए धृत या अध्यासित सभी भूमि (बाग की भूमि और खेती के प्रयोजनों के लिये धृत या अध्यासित भूमि को छोड़ कर) तथा भवन (जिसमें इसके पूर्व उल्लिखित किन्हीं भी सम्पत्तियों और परिसम्पत्तियों से संबंधित भवन, तथा अतिथि-गृह और पट्टेदार या लाइसेन्सी के रूप में डायरेक्टरों, प्रबन्धकीय कर्मचारियों, कर्मचारीगण और मजदूरों या किसी अन्य व्यक्ति का निवास, तथा कोई स्टोर हाउस, शीरा के हौज, सड़कें, पुलें, नालियां, पुलियाएं, नलकूप, जलसंग्रह या वितरण व्यवस्था और अन्य सिविल इन्जीनियरिंग निर्माण भी सम्मिलित है), जिसके अन्तर्गत उनमें कोई पट्टेदार स्वत्व भी सम्मिलित है ;

(७) उस फैक्ट्री से संबंधित सभी चूने की खदानें, जिसमें उनसे संबंधित कोई खनन संबंधी पट्टा भी सम्मिलित है ;

(८) उस फैक्ट्री से या एतत्पूर्व निर्दिष्ट किसी सम्पत्ति या परिसम्पत्ति से संबंधित सभी विद्युत् अधिष्ठापन (जिसमें विद्युत् शक्ति के जनन या प्रसारण के लिये कोई प्लान्ट या सज्जा भी सम्मिलित है), टेलीफोन सज्जा, फर्नीचर तथा फिक्सचर ;

(९) उस फैक्ट्री से संबंधित सभी औजार, पुर्जे और स्टोर ;

(१०) उस फैक्ट्री में सेवायोजित निगरानी और चौकीदारी करने वाले कर्मचारीगण के प्रयोग के सभी आग्नेय आयुध ;

(११) उस फैक्ट्री से संबंधित सभी मानचित्र, प्लान्स, सेक्शन्स, ड्राइंग्स और डिजाइन्स ;

(१२) सभी गन्ना, चीनी जो निर्माण या उत्पादन के प्रक्रम में हों, तथा चीनी और शीरा के स्टाक और सभी बगास और मैल ;

(१३) उस फैक्ट्री से या एतत्पूर्व निर्दिष्ट किसी सम्पत्ति या परिसम्पत्ति से संबंधित सभी लेखे, रजिस्टर और, अन्य लेख्य,

किन्तु इसके अन्तर्गत हस्तस्थ रोकड़, बैंक में रोकड़, किसी आय कर या अन्य कर के निमित्त जमा अग्रिम, विनियोजन और खाता ऋण या किसी अन्य संविदा से संबंधित अधिकार, दायित्व तथा आभार नहीं है,

(झ) "न्यायाधिकरण" का तात्पर्य धारा १२ के अधीन संघटित न्यायाधिकरण से है ।

निहित होना

३—नियत दिनांक को, प्रत्येक अनुसूचित उपक्रम, इस अधिनियम की सामर्थ्य से, उपक्रम से संबद्ध किसी ऋण, बन्धक, भार या अन्य प्रभार या धारणाधिकार, न्यास या तत्सदृश आभार से (सिवाय ऐसे धारणाधिकार या अन्य आभार के जो चीनी के स्टाक या अन्य व्यावसायिक स्टाक की प्रतिभूति पर दिये गये अग्रिम के संबंध में हो) मुक्त होकर निगम को अन्तरित, और उसमें निहित, हो जायगा और हो गया समझा जायेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि कोई ऐसा ऋण , बन्धक, भार या अन्य प्रभार या धारणाधिकार, न्यास या तत्सदृश आभार उपक्रम के स्थान पर धारा ७ में अभिदिष्ट प्रतिकर से, उस धारा के उपबन्धों के अनुसार, सम्बद्ध हो जायगा :

प्रतिबन्ध यह भी है कि कोई ऋण, बन्धक, भार या अन्य प्रभार, धारणाधिकार, न्यास या तत्सदृश आभार जो मालगुजारी की बकाया की भांति वसूल किये जाने योग्य किसी कर या उपकर या अन्य देय की वसूली से संबंधित किसी कार्यवाही में अनुसूचित उपक्रम या उसमें समाविष्ट किसी सम्पत्ति या परिसम्पत्ति के कुक किये जाने या उस पर रिसीवर नियुक्त किये जाने के पश्चात् अस्तित्व में आया हो, मालगुजारी की बकाया की भांति वसूल किये जा सकने वाले देयों से संबंधित सभी दावों के विरुद्ध विधिशून्य होगा ।

निहित होने के कतिपय परिणाम

४—तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, और सिवाय उस दशा के जब कि इस अधिनियम में अन्यथा उपबन्धित हो, नियत दिनांक को और उस दिनांक से—

(क) किसी न्यायालय द्वारा की गई किसी अनुसूचित उपक्रम के रिसीवर की प्रत्येक नियुक्ति समाप्त हो जायेगी ;

(ख) प्रत्येक पट्टा या अन्य व्यवस्था जिसके अधीन कोई अनुसूचित उपक्रम या उसका प्रबन्ध किसी व्यक्ति को अन्तरित कर दिया गया हो, प्रभावी न रह जायेगी ;

(ग) किसी न्यायालय द्वारा जारी किया गया प्रत्येक कुर्की या व्यादेश संबंधी या अन्य आदेश जिसके द्वारा किसी अनुसूचित उपक्रम का उपयोग सीमित या बाधित किया गया हो या उसके संबंध के कोई प्रबन्ध योजना निर्धारित की गई हो, चाहे उसे किसी भी प्रकार से वर्णित किया गया हो, प्रभावी न रह जायगा ।

कब्जा देने का कर्त्तव्य

५—(१) यदि धारा ३ के अधीन कोई अनुसूचित उपक्रम निगम में निहित हो गया हो तो प्रत्येक व्यक्ति जिसके कब्जे अभिरक्षा में या जिसके नियंत्रण में उस उपक्रम में समाविष्ट कोई सम्पत्ति या परिसम्पत्ति, लेखा, रजिस्टर या अन्य लेख्य हो, तुरन्त उसे कलेक्टर को दे देगा ।

(२) कलेक्टर ऐसी किसी सम्पत्ति या परिसम्पत्ति, लेखे, रजिस्टर या लेख्य का कब्जा लेने के लिये सभी आवश्यक कार्यवाही कर सकता है, और विशेष रूप से ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है या करा सकता है जो आवश्यक हो ।

(३) कलेक्टर इस धारा के अधीन कब्जे में ली गई सभी सम्पत्तियों, परिसम्पत्तियों, लेखाओं , रजिस्टरों और लेख्यों की एक सूची, यथासाध्य अध्यासी या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में, तैयार करेगा ।

(४) इस धारा के अधीन कलेक्टर को कब्जा देने का प्रभाव निगम को कब्जा देने का होगा ।

(५) पूर्वगामी उप-धाराओं के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उप धारा (१) में अभिदिष्ट कोई व्यक्ति ऐसी किसी सम्पत्ति या परिसम्पत्ति, लेखे, रजिस्टर या लेख्य के संबंध में, जिसे वह कलेक्टर को देने में असफल रहा हो, निगम को हिसाब देने के लिये उत्तरदायी होगा ।

व्यौरा देने का कर्त्तव्य

६---प्रत्येक अनुसूचित उपक्रम का अध्यासी नियत दिनांक से साठ दिन के भीतर या ऐसे अधिक समय के भीतर जो निगम तदर्थ स्वीकार करें, निगम को या ऐसे अधिकारी को जिसे निगम निर्दिष्ट करें, उपक्रम की प्रतिभूति पर उपगत और नियत दिनांक पर विद्यमान सभी दायित्वों और आभारों के पूर्ण व्योरे और अनुसूचित उपक्रम से संबंधित तथा नियत दिनांक के ठीक पूर्व प्रवृत्त सभी अनुबन्धों तथा अन्य संलेखों के भी (जिसमें उस उपक्रम में से वायोजित किसी व्यक्ति के अवकाश, पेन्शन, उपदान, भविष्य निधि और सेवा की अन्य शर्तों के संबंध में अनुबन्ध, डिक्रियां, पंचफसले, स्थायी आदेश तथा अन्य संलेख सम्मिलित है) पूर्ण व्योरे देगा, और निगम इस प्रयोजन के लिये उसे सभी उचित सुविधाएं देगा ।

प्रतिकर का अवधारण तथा उसके भुगतान की विधि

७---(१) (क)---खण्ड (ख) और (ग) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, राज्य सरकार किसी अनुसूचित उपक्रम में समाविष्ट चीनी के स्टाक के लिय प्रतिकर के रूप में उसके ऐसे मूल्य का भुगतान करेगी जो नियत दिनांक के पूर्व प्रचलित ऐक्स-फक्ट्री बाजार भाव के अनुसार जिसमें से, उस पर आरोपनीय बेसिक उत्पादन शुल्क तथा बिक्री-कर के बदले में अतिरिक्त उत्पादन-शुल्क को घटाया जायेगा, आकलित होगा ।

(ख) ऐसे चीनी स्टाक का निस्तारण समय-समय पर (यदि आवश्यक हो तो किसी ऐसे बैंक से तय करने के बाद जिसने नियत दिनांक के पूर्व उसकी प्रतिभूति पर अग्रिम की धनराशि दे रखी हो) किया जायगा, और जब तथा जैसे-जैसे स्टाक का निस्तारण किया जाय, उक्त प्रतिकर में से उतनी धनराशि जिसका संबंध निस्तारित मात्रा से हो, उपधारा (६) और (९) के उपबन्धों के अनुसार विहित प्राधिकारी के पास जमा करके, नकद में भुगतान की जायेगी ।

(ग) उस प्रतिकर में से पहिले, निस्तारित मात्रा की प्रतिभूति पर दिये गये किसी अग्रिम की धनराशि या, यथास्थिति, अग्रिम की आनुपातिक धनराशि का तथा अग्रिम की शर्तों के अधीन देय उससे संबंधित ब्याज तथा किन्ही अन्य परिव्ययों का जो निगम या किसी अन्य व्यक्ति को देय हों भुगतान किया जायगा और शेष धनराशि को पूर्ववत् प्रकार से निहितप्राधिकारी के पास जमा कर दिया जायगा और उसका भुगतान उपधारा (९) या उपधारा (१२) के अधीन या धारा ८, धारा ९ या धारा ११ के अधीन उस प्राधिकारी के या यथास्थिति, न्यायाधिकरण के निर्णयों के अनुसार उसके लिये हकदार व्यक्तियों को किया जायगा ।

उ० प्र० अधिनियम संख्या २४, १९६४

(२) राज्य सरकार अनुसूचित उपक्रम में समाविष्ट किसी शीरे के स्टाक के अर्जन के लिये प्रतिकर के रूप में उसके मूल्य का भुगतान, जो नियत दिनांक के ठीक पूर्व प्रचलित ऐसी कीमत के आधार पर आकलित किया जायगा जो उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम, १९६४, के अधीन निर्धारित की गई

हो और उपधारा (१) के खण्ड (ख) तथा (ग) के उपबन्ध ऐसे प्रतिकर के संबंध में आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे ।

(३) राज्य सरकार अनुसूचित उपक्रम में समाविष्ट किसी गन्ने के स्टाक के अर्जन के लिये प्रतिकर के रुप में उसके वास्तविक क्रय-मूल्य का भुगतान करेगी, जो राज्य सरकार और हितबद्ध व्यक्तियों के बीच तय हो जायें, और इस प्रकार तय न होने की दशा में, जो कि विहित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाय ।

(४) राज्य सरकार अनुसूचित उपक्रम में समाविष्ट किसी चीनी के जो उत्पादन के प्रक्रम में हो या किसी बगास या मल के अर्जन के लिये प्रतिकर के रूप में उसके बाजार मूल्य का भुगतान करेगी, जो राज्य सरकार और हितबद्ध व्यक्तियों के बीच तय हो जाय, और इस प्रकार तय न होने की दशा में, जो कि विहित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाये ।

(५) उपधारा (१), (२), (३) और (४) में अभिदिष्ट सम्पत्तियों और परिसम्पत्तियों के अर्जन के लिये उक्त उपधाराओं के अधीन देय प्रतिकर यदि कोई हो, के अतिरिक्त, राज्य सरकार अनुसूची के स्तभ २ में निर्दिष्ट प्रत्येक अनुसूचित उपक्रम के अर्जन के लिये प्रतिकर के रूप में ऐसी धनराशि का जो उसके सामने अनुसूची के स्तंभ ३ में निर्दिष्ट है, उपधारा (६) तथा (९) के उपबन्धों के अनुसार विहित प्राधिकारी के पास जमा करके, भुगतान करेगी और उसका भुगतान उपधारा (९) या उपधारा (१२) या धारा ८, धारा ९ या धारा ११ के अधीन उक्त प्राधिकारी के या, यथास्थिति, न्यायाधिकरण के निर्णयों के अनुसार उसके हकदार व्यक्तियों को किया जायगा ।

(६) राज्य सरकार उपधारा (१), (२), (३), (४) और (५) में अभिदिष्ट प्रतिकर में से निम्नलिखित धनराशियां अनन्तिम रूप से काट लेगी, अर्थात् :—

(क) अनुसूचित उपक्रम से सम्बद्ध किसी ऋण, बन्धक, भार या अन्य प्रभार या धारणाधिकरण, न्यास या तत्सदृश आभार के संबंध में कोई धनराशि जो धारा ३ के उपबन्धों के प्रभाव से नियत दिनांक को उपक्रम के स्थान पर प्रतिकर से सम्बद्ध हो जायेगी ;

(ख) किन्हीं गन्ना उत्पादकों या गन्ना उत्पादकों की सहकारी समितियों को, नियत दिनांक के पूर्व ऐसे गन्ना उत्पादकों द्वारा या ऐसी समितियों के सदस्यों द्वारा अनुसूचित उपक्रम को संभारित गन्ने की कीमत के संबंध में देय कोई धनराशि ;

(ग) (संयुक्त प्रान्तीय औद्योगिक झगड़ों का ऐक्ट सन् १९४७ ई० के अर्थों में) मजदूरों के रूप में नियत दिनांक से ठीक पूर्व अनुसूचित उपक्रम के संबंध में सेवायोजित व्यक्तियों को मजदूरी, प्रतिधारण-भत्ता, बोनस, भविष्य निधि या अन्य भुगतान के रूप में देय धनराशि ;

(घ) नियत दिनांक से ठीक पूर्व अनुसूचित उपक्रम के संबंध में सेवायोजित व्यक्तियों के संबंध में एम्प्लाइज प्राविडेन्ट फन्ड्स, ऐक्ट, १९५२ या कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, १९४८ के अधीन या तो सेवायोजक का अंशदान या सेवायोजक द्वारा वसूल किया गया कर्मचारी का अंशदान या सेवायोजक से वसूल किये जा सकने वाले किन्हीं अन्य देयों जिनका सेवायोजक ने संबंधित अधिनियमों के अनुसार भुगतान नहीं किया हो, की कोई धनराशि;

(ङ) कोई ऐसी धनराशि, जो खण्ड (क) में अभिदिष्ट धनराशि न हो, जिसे राज्य सरकार अनुसूचित उपक्रम में किसी हितबद्ध व्यक्ति द्वारा किसी ऋण, कर या उपकर अथवा ऐसा ऋण, कर या उपकर के संबंध में देय किसी शास्ति या ब्याज, के निमित्त नियत दिनांक से ठीक पूर्व देय होने का दावा करें; और शेष धनराशि, यदि कोई हो, को विहित प्राधिकारी के पास जमा कर देगी, और यदि ऐसी काटी जाने वाली धनराशियां प्रतिकर के बराबर हों या उससे अधिक हों तो वह विहित प्राधिकारी को तदनुसार सूचित कर देगी :

प्रतिबन्ध यह है कि खण्ड (क) के अधीन अनन्तिम रूप से काटी गयी धनराशि, जहां तक उस पर राज्य सरकार स्वयं को देय होने का दावा न करती हो, विहित प्राधिकारी के पास, हितबद्ध व्यक्तियों को, उनके अपने-अपने स्वत्वों के अनुसार, भुगतान करने के लिये जमा की जायेगी।

स्पष्टीकरण—खण्ड (क), (ख), (ग) व (घ) में अभिदिष्ट धनराशियां राज्य सरकार के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर अनन्तिम रूप से काटी जायगी, और राज्य सरकार संगत सूचना या तो निगम से या, यथास्थिति , गन्ना आयुक्त, श्रम आयुक्त, एम्प्लाइज प्राविडेन्ट फण्ड कमिश्नर अथवा कर्मचारी राज्य बीमा निगम से प्राप्त कर सकती है।

(७) राज्य सरकार उप-धारा (६) में अभिदिष्ट काटी जाने वाली धनराशियों का एक विवरण-पत्र विहित प्राधिकारी के पास दाखिल करेगी।

(८) विहित प्राधिकारी उप-धारा (६) के अधीन उसके पास जमा की गई प्रत्येक धनराशि और उप-धारा (७) के अधीन उसके पास दाखिल किये गये विवरण पत्र के सम्बन्ध में ऐसे सभी व्यक्तियों को नोटिस देगा जिनके सम्बन्ध में वह जानता है या उसे विश्वास है कि वे अनुसूचित उपक्रम में हितबद्ध हैं या वे हितबद्ध व्यक्तियों की ओर से कार्य करने के लिये हकदार हैं।

(९) यदि कोई हितबद्ध व्यक्ति (जिसमें सप्रतिभूति ऋणदाता भी सम्मिलित है) उपधारा (६) के अधीन अनन्तिम रूप से काटी गयी धनराशि की यथा तथ्यता पर कोई आपत्ति करे तो उस आपत्ति का निर्णय विहित प्राधिकारी द्वारा किया जायगा, और विहित प्राधिकारी अपने निर्णय के अनुसार राज्य सरकार को उतनी धनराशि या और अधिक धनराशि जमा करने के लिये निदेश दे सकता है जितनी कि आवश्यक हो या ऐसा आदेश दे सकता है जो वह उचित समझे।

(१०) उपधारा (६) में अभिदिष्ट जमा की जाने वाली धनराशि, जहां तक उसका सम्बन्ध उपधारा (५) में अभिदिष्ट प्रतिकर से है, उस दिनांक से जबकि अनुसूचित उपक्रम की सम्पत्तियों और परिसम्पत्तियों का कब्जा धारा ५ के अधीन दे दिया गया हो, छः महीने से अनधिक अवधि के भीतर जमा कर दी जायगी :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि किसी हितबद्ध व्यक्ति द्वारा की गई किसी कार्यवाही (जिसमें उसके द्वारा दायर की गई कोई विधिक कार्यवाही भी सम्मिलित है) के फलस्वरूप निगम ऐसी सम्पत्तियों और परिसम्पत्तियों के कब्जे से वंचित कर दिया जाय या उसके उन पर कब्जे में रुकावट डाल दी जाय तो तीन महीने की उक्त अवधि की गणना करते समय इस प्रकार वंचित किये जाने या रुकावट डाले जाने की अवधि नहीं शामिल की जायगी।

(११) (क) उपधारा (५) में अभिदिष्ट प्रतिकर की धनराशि में से उपधारा (६) के खंड (क), (ख), (ग), (घ)तथा (ङ०) में अभिदिष्ट धनराशियों को घटाने के बाद शेष बची हुयी धनराशि पर राज्य सरकार द्वारा पौने छः प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से व्याज देय होगा।

(ख) ऐसा व्याज उस दिनांक से चालू होगा जिसको कि अनुसूचित उपक्रम की सम्पत्तियों और परिसम्पत्तियों का कब्जा धारा ५ के अधीन दे दिया गया हो और उपधारा (६) तथा उपधारा (९) के अधीन धनराशियां जमा करने के दिनांक या क्रमशः जमा किये जाने के दिनांकों तक चालू रहेगा, किन्तु उपधारा (१०) के प्रतिबन्धात्मक खंड में अभिदिष्ट कोई अवधि उसमें से निकाल दी जायगी।

(१२) यदि उपधारा (१०) के प्रतिबन्धात्मक खंड में अभिदिष्ट अवधि के सम्बन्ध में या उपधारा (११) में अभिदिष्ट व्याज की धनराशि के बारे में कोई संदेह या विवाद उत्पन्न हो तो वह विहित प्राधिकारी द्वारा निर्णीत किया जायगा, जो अपने निर्णय के अनुसार राज्य सरकार को निदेश दे सकता है कि वह ऐसी धनराशि या और अधिक धनराशि अदा करे जो कि आवश्यक हो।

(१३) इस धारा की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायगा कि—

(क) वह राज्य सरकार को, अनुसूचित उपक्रम से सम्बद्ध किसी ऐसे ऋण, बंधक, भार या अन्य प्रभार, या धारणाधिकार, न्यास या तत्सदृश्य आभार की अपेक्षा जो धारा ३ के उपबन्धों के प्रभाव से नियत दिनांक को, उपक्रम के स्थान पर प्रतिकर से सम्बद्ध हो जायेगा, अपने अप्रतिभूति देयों के संबंध में किसी प्रकार की प्राथमिकता का दावा करने की अनुमति देती है; या

(ख) वह राज्य सरकार से किसी ऐसे ऋण, बंधक, भार या अन्य प्रभार या धारणाधिकार, न्यास या अन्य आभार को चुकता करने के लिये इस धारा द्वारा व्यवस्थित प्रतिकर से अधिक धनराशि के भुगतान करने की अपेक्षा करती है।

प्रतिकर में से दावों का चुकाया जाना।

८—(१) निगम, अनुसूचित उपक्रम की किसी सम्पत्ति, परिसम्पत्ति, लेखे, रजिस्टर या किसी अन्य लेख्य के धारा ५ के उपबन्धों के अनुसार न दिये जाने के कारण निगम द्वारा उठाई गई किसी हानि के आधार पर कोई दावा विहित प्राधिकारी के सामने कर सकता है।

(२) कोई गन्ना उत्पादक या गन्ना उत्पादकों की सहकारी समिति, नियत दिनांक के पूर्व उसके द्वारा या, यथास्थिति, उसके सदस्यों द्वारा अनुसूचित उपक्रम को संभारित गन्ने की कीमत या उस पर व्याज या इस प्रकार सम्भारित गन्ने के संबंध में समिति के कमीशन के बारे में कोई दावा विहित प्राधिकारी के सामने कर सकती है।

(३) उपधारा (२) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निगम उस उपधारा में अभिदिष्ट बकाया देय धनराशियों का विवरण देते हुये विहित प्राधिकारी को सर्टिफिकेट भेज सकता है।

अधिनियम संख्या १९, १९५२ अधिनियम संख्या ३४, १९४८

(४) एम्प्लाइज प्राविडेन्ट फंड कमिश्नर या कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नियत दिनांक के ठीक पूर्व अनुसूचित उपक्रम के सम्बन्ध में सेवायोजित किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में एम्प्लाइज प्राविडेन्ट फंड्स ऐक्ट, १९५२, या, यथास्थिति, कमचारी राज्य बीमा अधिनियम, १९४८, के अधीन, या तो सेवायोजक के अंशदान या सेवायोजक द्वारा वसूल किये गये कर्मचारी के अंशदान या सेवायोजक से वसूल किये जा सकने वाले किन्ही अन्य देयों के सम्बन्ध में, जिसका सेवायोजक ने संबंधित अधिनियमों के अनुसार भुगतान न किया हो, विहित प्राधिकारी को एक सर्टिफिकेट भेज सकता है।

(५) कोई व्यक्ति जो नियत दिनांक के ठीक पूर्व अनुसूचित उपक्रम के संबंध में अनन्य रूप से सेवायोजित हो, चाहे वह धारा १६ के अधीन निगम का सेवक हो गया हो या नहीं या उस सेवायोजन में न रह गया हो, या कोई ट्रेड यूनियन जिसका कि एसा व्यक्ति सदस्य रहा हो, उक्त दिनांक के पूर्व उपक्रम के सम्बन्ध में उसके द्वारा की गई किसी सेवा के लिये किसी वेतन, मजदूरी, प्रतिधारण-भत्ता, अवकाश-वेतन, बोनस, पेंशन, भविष्य निधि, उपदान या उसे देय अन्य भुगतान, या उसकी आनुपातिक धनराशि के संबंध में कोई दावा विहित प्राधिकारी के सामने कर सकता है।

(६) उप-धारा (५) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निगम उस उप-धारा में अभिदिष्ट किन्हीं बकाया देयों का, जहां तक उनका संबंध ऐसे व्यक्तियों से है जो नियत दिनांक के पूर्व पूर्वोक्त प्रकार से सेवायोजित थे और उस दिनांक को तथा उस दिनांक से धारा १६ के अधीन निगम के सेवक हो गये, विवरण देते हुए एक सर्टिफिकेट विहित प्राधिकारी को भेज सकता है।

ऐक्ट संख्या ५, १९०८

(७) उप-धारा (१), उप-धारा (२) या उप-धारा (५) में उल्लिखित कोई दावा, चाहे उसके आधार पर कोई डिक्री या पंचफसला प्राप्त कर लिया गया हो या नहीं, किया जा सकता है, और वह सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ के आदेश ६ तथा ७ की अपेक्षाओं के सामान्यतया अनुरूप होगा मानो वह कोई वाद-पत्र हो।

(८) उप-धारा (३) या उप-धारा (६) में उल्लिखित कोई सर्टिफिकेट भेजा जा सकता है चाहे उस उप-धारा में अभिदिष्ट देयों के संबंध में नियत दिनांक के पूर्व कोई वसूली का सर्टिफिकेट या अन्य समादेश-पत्र जारी किया गया हो या नहीं या कोई अन्य विधिक कायवाही की गई हो या नहीं, और वह उसमें उल्लिखित विषयों के लिये निश्चायक साक्ष्य होगा।

(९) विहित प्राधिकारी इस धारा के अधीन उसके सामने किये गये प्रत्येक दावे का या उसे प्राप्त हुए सर्टिफिकेट का नोटिस उन सभी व्यक्तियों को देगा जिनके विषय में वह जानता है या उसे विश्वास है कि वे अनुसूचित उपक्रम में हितबद्ध हैं या हितबद्ध व्यक्तियों की ओर से कार्य करने के हकदार हैं।

(१०) विहित प्राधिकारी ऐसी जांच करेगा, जो वह उचित समझे, और उप-धारा (८) तथा धारा ९ के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, इस धारा में उल्लिखित दावों पर और प्रतिकर पर आगम के संबंध में किसी विवाद पर भी अभिनिर्णय देगा।

(११) प्रतिकर की धनराशि को धारा ७ की उपधारा (६) में तथा पूर्वोक्त उपधाराओं में उल्लिखित दावों को, निम्नलिखित क्रम में, चुकाने में प्रयुक्त किया जायेगा:—

(क) उप-धारा (१) में उल्लिखित दावें;

(ख) धारा ७ की उपधारा (६) के खंड (क) में उल्लिखित दावे;

(ग) धारा ७ की उपधारा (६) के खंड (ख), (ग) व (घ) में उल्लिखित दावे;

(घ) धारा ७ की उपधारा (६) के खंड (ङ०) में उल्लिखित दावे;

(ङ०) पूर्वोक्त उपधाराओं में उल्लिखित अन्य दावे।

(१२) उप-धारा (११) के प्रत्येक खंड में उल्लिखित दावे आपस में समान श्रेणी में गिने जायेंगे, और यदि उस उपधारा में अभिदिष्ट शेष धनराशि उन दावों को चुकाने के लिये अपर्याप्त हो तो उनका भुगतान आनुपातिक आधार पर किया जायेगा ।

(१३) पूर्वोक्त उपधाराओं में उल्लिखित दावे या उनके संबंध में सर्टिफिकेट नियत दिनांक से चार महीने के भीतर विहित प्राधिकारी के सामने किये जायेंगे या उसके पास भेजे जायेंगे :

प्रतिबन्ध यह है कि उक्त अवधि की गणना करते समय धारा ७ की उपधारा (१०) के प्रतिबन्धात्मक खंड में अभिदिष्ट अवधि नहीं शामिल की जायगी :

प्रतिबन्ध यह भी है कि पूर्वोक्त उपधाराओं में निहित किसी बात से यह अर्थ नहीं लगाया जायगा कि राज्य सरकार द्वारा धारा ७ की उपधारा (६) के खंड (ख), खंड (ग) या खंड (घ) के अधीन काटी हुई किसी धनराशि के संबंध में कोई दावा किया जाना या सर्टिफिकेट भेजा जाना आवश्यक होगा ।

(१४) उपधारा (११) में अभिदिष्ट दावे राज्य सरकार अथवा विहित प्राधिकारी द्वारा, जैसी भी दशा हो, प्रतिकर में से उपलब्ध धनराशि में से चुकाये जायेंगे कि अनसूचित उपक्रम में किसी हितबद्ध व्यक्ति का दायित्व ऐसे भुगतान की सीमा तक समाप्त हो जायेगा।

(१५) यदि राज्य सरकार द्वारा किसी व्यक्ति को ऐसी धनराशि का भुगतान हो जाता है, जो विहित प्राधिकारी के निर्णय के अनुसार उसको देय नहीं थी अथवा उसे देय धनराशि से अधिक है, तो विहित प्राधिकारी ऐसी धनराशि अथवा, जैसी भी दशा हो, अतिरिक्त धनराशि की वापिसी के आदेश दे सकता है, और ऐसा आदेश सिविल न्यायालय की डिक्री का प्रभाव रखेगा।

(१६) विहित प्राधिकारी अपने पास जमा की हुई धनराशियों को अपने या, यथास्थिति, न्यायाधिकरण के निर्णयों के अनुसार वितरण कर सकता है, और ऐसी किसी सम्पूर्ण धनराशि या उसके किसी अंश को निकालने या विनियोजित करने के संबंध में ऐसे अन्तरिम आदेश दे सकता है जो वह न्यायोचित और इष्टकर समझे ।

स्पष्टीकरण:—इस धारा में तथा धारा १६ में नियत दिनांक के ठीक पूर्व उपक्रम के संबंध में अनन्य रूप से सेवायोजित व्यक्ति के अन्तर्गत कोई ऐसा मौसमी मजदूर भी है जो ऐसे दिनांक से ठीक पूर्व प्रतिधारण-भत्ता पा रहा हो, किन्तु इसमें कोई अन्य आकस्मिक मजदूर शामिल नहीं है।

कतिपय प्रतिभूत ऋण का परिहार

९---(१) यदि धारा ७ की उपधारा (९) के अधीन विहित प्राधिकारी के समक्ष किसी ऋण, बंधक, भार या अन्य प्रभार या धारणाधिकार, न्यास या तत्सदृश आभार पर आधारित किसी दावे के संबंध में कोई आपत्ति की जाय तो राज्य सरकार या निगम या धारा ८ की उपधारा (२), उप-धारा (४) या उप-धारा (५) में अभिदिष्ट कोई व्यक्ति, या आपत्तिकर्त्ता का कोई अन्य लेनदार, ऐसे दावे का विरोध, अन्य आधारों के साथ-साथ, निम्न आधारों में से किसी पर भी कर सकता है, अर्थात्---

(१) यह कि ऋण, बंधक, भार या अन्य प्रभार या धारणाधिकार, न्यास या अन्य आभार का संव्यवहार जिस पर दावा आधारित हो,

(क) राज्य सरकार के किन्ही देयों या धारा ८ में अभिदिष्ट किसी दावे या किसी अन्य लेनदार के दावे को विफल करने या उसमें विलम्ब करने के लिए, या

(ख) जहां ऐसा संव्यवहार नियत दिनांक के ठीक पूर्व एक वर्ष की अवधि के भीतर किया गया हो, राज्य सरकार के या धारा ८ की उक्त उपधाराओं में अभिदिष्ट व्यक्तियों के देयों की अपेक्षा दावेदार को या किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके माध्यम से वह दावा करता हो प्राथमिकता देने के लिए किया गया था, या

(२) यह कि संव्यवहार सद्भावना से नहीं किया गया था और उसकी शर्तें युक्तिसंगत नहीं थीं।

(२) विहित प्राधिकारी, किसी ऐसे संव्यवहार की और अनुसूचित उपक्रम की समस्त परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात्, जब तक कि विहित प्राधिकारी के संतोषानुसार दावेदार सदभावपूर्ण और सप्रतिफल अन्तरिती प्रमाणित न हो जाये, संव्यवहार को ऐसी शर्तों पर जिन्हें आरोपित करना वह उचित समझे रद्द करने का या परिवर्तित करने का आदेश दे सकता है, और तदुपरान्त वह संव्यहार प्रभावी न रह जायेगा या, यथास्थिति, ऐसे परिवर्तनों के अधीन रहते हुये प्रभावी होगा।

विहित प्राधिकारी

१०---राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के अधीन विहित प्राधिकारी के कृत्यों का सम्पादन करने के लिये किसी ऐसे अधिकारी को नियुक्त करेगी जो पद में आयुक्त या जिलान्यायाधीश से नीचे न हो, और विभिन्न अनुसूचित उपक्रमों के संबंध में भिन्न-भिन्न विहित प्राधिकारियों की नियुक्ति की जा सकती है।

अपील

११---कोई भी व्यक्ति (जिसमें राज्य सरकार भी सम्मिलित है) जो विहित प्राधिकारी के किसी निर्णय से क्षुब्ध हो ऐसे निर्णय के विरुद्ध न्यायाधिकरण को अपील कर सकता है, और उस पर न्यायाधिकरण ऐसे आदेश दे सकता है जो वह उचित समझे।

न्याया-धिकरण

१२---(१) राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम द्वारा न्यायाधिकरणों को सौंपे गये कृत्यों का सम्पादन करने के लिए न्यायाधिकरण संघटित करेगी, और विभिन्न अनुसूचित उपक्रमों के सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न न्यायधिकरण संघटित किये जा सकते हैं।

(२) न्यायाधिकरण में एक सदस्य होगा जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा ऐसे व्यक्तियों में से की जायेगी जो किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हों या रह चुके हों।

१३—(१) विहित प्राधिकारी या न्यायाधिकरण को निम्नलिखित विषयों के संबंध में सिविल न्यायालय की वे शक्तियां होंगी जो उसे सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ के अधीन किसी वाद की सुनवाई के समय अथवा डिक्री के निष्पादन के संबंध में होती हैं:— शक्तियां ओर प्रक्रिया अधिनियम संख्या ५, १९०८

(क) किसी व्यक्ति को समन करना और उसकी उपस्थिति को सुनिश्चित करना और उसकी शपथ पर परीक्षा करना;

(ख) किसी लेख्य के प्रकटीकरण कराने और उसे पेश करने की अपेक्षा करना;

(ग) शपथ पत्रों द्वारा साक्ष्य लेना;

(घ) किसी साक्षी या लेख्य की परीक्षा के लिये या अनुसूचित उपक्रम में समाविष्ट किसी सम्पत्ति या परिसम्पत्ति के निरीक्षण या मूल्यांकन के लिये कमीशन जारी करना;

(ङ०) अपने किसी आदेश का निष्पादन करना;

(च) ऐसे अन्य विषय, यदि कोई हों, जो विहित किये जायं।

(२) विहित प्राधिकारी या न्यायाधिकरणको अपनी स्वयं की प्रक्रिया को विनियमित करने, और अभिलेख में प्रत्यक्ष ही दिखने वाली किसी भूल के होने की दशा में अपने किसी निर्णय का पुनर्विलोकन करने, या उसमें किसी गणित या लेखन संबंधी गलती को शुद्ध करने, की शक्ति होगी।

(३) यदि किसी कारण से विहित प्राधिकारी के या न्यायाधिकरण के सदस्य के पद में कोई रिक्ति (अस्थायी अनुपस्थिति को छोड़ कर) हो जाय तो राज्य सरकार उस रिक्ति को भरने के लिये इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त करेगी, और विहित प्राधिकारी या, यथास्थिति, न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही उसी प्रक्रम से जहां रिक्ति भरी गई हो, जारी रखी जा सकती है।

(४) विहित प्राधिकारी या न्यायाधिकरण को दण्ड प्रक्रिया संहिता, १८९८ की धारा ४८० के अर्थान्तर्गत सिविल न्यायालय समझा जायेगा, और विहित प्राधिकारी या न्यायाधिकरण के समक्ष किसी कार्यवाही को भारतीय दण्ड संहिता की धारा १९३ और २२८ के अर्थान्तर्गत न्यायिक कार्यवाही समझा जायगा। अधिनियम संख्या ५, १८९८ अधिनियम संख्या ४५, १८६०

१४—इस अधिनियम के अधीन विहित प्राधिकारी का प्रत्येक निर्णय, न्यायाधिकरण को की गई अपील, यदि कोई हो, के अधीन रहते हुये, और न्यायाधिकरण का प्रत्येक निर्णय, अन्तिम होगा और उसपर किसी न्यायालय में आपत्ति न की जा सकेगी। अधिकारिता पर रोक

१५—इस अधिनियम में दी हुई किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि उसके द्वारा— ऐसे दावों जिनकी तुष्टि न हुई हो और अन्य देयों के संबंध में दायित्व

(१) धारा ७ की उपधारा (१) के खण्ड (ग) में अभिदिष्ट किसी अग्रिम के सम्बन्ध में किसी देय पर या धारा ८ में अभिदिष्ट किसी दावे पर, उस सीमा तक जहां तक कि प्रतिकर की धनराशि में से उसका भुगतान होने से रह जायगा, कोई प्रभाव पड़ता है; या

(२) उसके सम्बन्ध में किसी दायित्व या आभार का अन्तरण राज्य सरकार को या निगम को हो जाता है; या

(३) उस देय या दावे के सम्बन्ध में, अनुसूचित उपक्रम में किसी हितबद्ध व्यक्ति के विरुद्ध, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन (जिसमें मालगुजारी की बकाया की भांति वसूल किये जाने योग्यदेयों की वसूली से सम्बन्धित कोई विधि भी सम्मिलित है) कोई उपचार या कोई अन्वेषण या विधिक कार्यवाही (चाहे वह नियत दिनांक के ठीक पूर्व लम्बित हो या नहीं) बाधित होती है।

सेवायोजितों का अन्तरण

अधिनियम संख्या १, १९५६

१६--(१) इस धारा में अन्यथा की गई व्यवस्था को छोड़कर, प्रत्येक व्यक्ति (जो किसी ऐसी कम्पनी, जिसमें नियत दिनांक के ठीक पूर्व अनुसूचित उपक्रम का स्वामित्व, प्रबन्ध, या नियंत्रण निहित हो, के या उसकी नियंत्रित कम्पनी के, डायरेक्टर से, अथवा ऐसे डायरेक्टर के, या उपक्रम के स्वामी या भागीदार या पट्टेदार के कम्पनीज ऐक्ट, १९५६ की धारा ६ में यथापरिभाषित किसी "सम्बन्धी" से, भिन्न हो) जो नियत दिनांक के ठीक पूर्व अनुसूचित उपक्रम के सम्बन्ध में अनन्य रूप से सेवायोजित था, उस दिनांक को तथा उस दिनांक से, निगम का सेवक हो जायेगा, और उसमें अपना पद या अपनी सेवा उसी पदावधि के लिये, उन्हीं उपलब्धियों के साथ और उन्हीं शर्तों तथा प्रतिबन्धों पर और पेंशन, उपदान तथा अन्य विषयों के सम्बन्ध में उन्हीं अधिकारों तथा विशेषाधिकारों के साथ धारण करेगा जिसके लिये या जिन पर या जिनके साथ वह उसे नियत दिनांक को धारण करता यदि उपक्रम निगम को अन्तरित न होता और उसमें निहित न होता, और वह उसे इसी प्रकार धारण करता रहेगा जब तक कि किसी विधि के अधीन या उसके अनुसरण में अथवा किसी ऐसे उपबन्ध के अनुसार जिससे तत्समय उसकी सेवा शासित होती हो, निगम में उसकी सेवा समाप्त न कर दी जाय या निगम द्वारा उसकी उपलब्धियों या सेवा की अन्य शर्तों और प्रतिबन्धों को पुनरीक्षित न किया जाय या उसमें परिवर्तन न कर दिया जाय:

प्रतिबन्ध यह है कि ३१ मार्च, १९७० के पश्चात् और नियत दिनांक के पूर्व की गई कोई नियुक्ति या किसी व्यक्ति को दी गई कोई पदोन्नति, वेतन-वृद्धि या पेन्शन या दिया गया भत्ता या कोई अन्य लाभ जो निगम की राय में, ३१ मार्च, १९७० के पूर्व प्रवृत्त सेवा की शर्तों और प्रतिबन्धों के अधीन साधारणतया नहीं की या दी जाती या दिया जाता या साधारण-- तथा अनुमन्य न होती या होता, न तो प्रभावी या देय होगा या होगी और उसके सम्बन्ध में निगम से या किसी भविष्य निधि, पेन्शन या अन्य निधि से या किसी प्राधिकारी से जो उक्त निधि का प्रशासन करता हो उसे लेने के लिये कोई दावा ही किया जा सकेगा जब तक कि राज्य सरकार किसी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा उस नियुक्ति, पदोन्नति या वेतन वृद्धि की पुष्टि न कर दे या, यथास्थिति, उस पेन्शन, भत्ते या अन्य लाभ के लगातार दिये जाने के लिये निदेश न दे।

सं० प्रा० अधिनियम संख्या २८, १९४७

(२) उपधारा (१) में किसी बात के होते हुये भी, किन्तु किसी अभिव्यक्त विपरीत अनुबन्ध के अधीन रहते हुये, संयुक्त प्रान्तीय औद्योगिक झगड़ों का ऐक्ट सन् १९४७ ई० में यथा परिभाषित "मजदूर" से भिन्न, उक्त उपधारा में अभिदिष्ट कोई व्यक्ति जो निगम का सेवक हो जाय ऐसे अनुसूचित उपक्रम से जिसमें वह नियत दिनांक के ठीक पूर्व सेवायोजित था निगम के किसी उपक्रम या अधिष्ठान को उन्हीं उपलब्धियों पर और उन्हीं शर्तों तथा प्रतिबन्धों पर स्थानान्तरित किया जा सकेगा जिनसे वह ऐसे स्थानान्तरण से ठीक पूर्व शासित होता हो।

(३) यदि इस सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न हो कि कोई व्यक्ति नियत दिनांक के ठीक पूर्व अनुसूचित उपक्रम के सम्बन्ध में अनन्य रूप से सेवायोजित था या नहीं तो उसका निर्णय विहित प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा।

(४) किसी विधि के द्वारा या उसके अधीन नाम-निर्दिष्ट न्यासधारियों से भिन्न ऐसे व्यक्तियों के स्थान पर, जो नियत दिनांक के ठीक पूर्व उप-धारा (१) में अभिदिष्ट सेवकों के लिये संघटित किसी पेन्शन, भविष्य निधि, उपदान या तत्सदृश अन्य निधि के न्यासधारी थे, ऐसे व्यक्ति न्यासधारियों के रूप में प्रतिस्थापित किये जायेंगे जिन्हें राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्दिष्ट करे।

(५) संयुक्त प्रान्तीय औद्योगिक झगड़ों का ऐक्ट सन् १९४७ ई० या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (१) के अधीन किसी सेवक की सेवायें निगम को अन्तरित हो जाने के फलस्वरूप उसका सेवायोजन समाप्त हो जाने से कोई ऐसा सेवक उस अधिनियम या ऐसी अन्य विधि के अधीन कोई प्रतिकर पाने का हकदार न होगा, और किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण या अन्य प्राधिकारी द्वारा कोई ऐसा दावा ग्रहण नहीं किया जायेगा। सं० प्रा० अधिनियम संख्या २८, १९४७

(६) यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि इस अधिनियम के अधीन निगम में निहित अनुसूचित उपक्रमों के सम्बन्ध में सेवायोजित व्यक्तियों पर लागू होने वाले उपलब्धियों के मापक्रमों और सेवा की अन्य शर्तों तथा प्रतिबन्धों में एकरूपता लाने के प्रयोजनों के लिये ऐसा करना आवश्यक है, या कि निगम के हित में या राज्य में चीनी उद्योग के विकास के लिये ऐसे सेवकों या उनके किसी वर्ग को देय उपलब्धियों में कमी किया जाना या उन पर लागू होने वाली सेवा की अन्य शर्तों और प्रतिबन्धों का पुनरीक्षण किया जाना आवश्यक है, तो राज्य सरकार इस धारा में या संयुक्त प्रान्तीय औद्योगिक झगड़ों का ऐक्ट सन १९४७ ई० या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या तत्समय प्रवृत्त किसी पंच फैसले, समझौते या अनुबन्ध में किसी बात के होते हुये भी नियत दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के भीतर किसी भी समय, उपलब्धियों और सेवा की अन्य शर्तों तथा प्रतिबन्धों को ऐसी सीमा तक और ऐसी रीति से जैसा वहा उचित समझे (चाहे उपलब्धियों में कमी करके या अन्यथा) बदल सकती है, और यदि किसी सेवक को यह परिवर्तन स्वीकार न हो तो निगम उसे तीन महीने की उपलब्धियों के बराबर प्रतिकर देकर, सिवाय उस दशा में जब कि उस सेवक की सेवा के संविदा में उससे कम अवधि के नोटिस की व्यवस्था हो, उसका सेवायोजन समाप्त कर सकती है। सं० प्र० अधिनियम संख्या २८, १९४७

स्पष्टीकरण—

१—इस उपधारा के अधीन किसी सेवक को देय कर प्रतिकर किसी पेन्शन, उपदान, भविष्य निधि या किन्हीं अन्य लाभों, जिन्हें वह सेवक सेवा के संविदा के अधीन पाने का हकदार हो, के अतिरिक्त होगा और उनमें से किसी पर प्रभाव नहीं डालेगा।

२—पद "सेवा के संविदा" का तात्पर्य उस संविदा से है जो सेवक और निगम के बीच सेवा समाप्ति के ठीक पूर्व अस्तित्व में हो।

(७) औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, १९४६ के अधीन किन्हीं स्थायी आदेशों के उपबन्धों की न्याययुक्तता या उनके औचित्य को या संयुक्त प्रान्तीय औद्योगिक झगड़ों का ऐक्ट सन् १९४७ ई० की द्वितीय या तृतीय अनुसूची में उल्लिखित मजदूरी तथा अन्य भत्तों, मजदूरी सहित अवकाश, छुट्टियों बोनस, लाभांश, भविष्य निधि, उपदान, प्रचलित रियायतों और विशेषाधिकारों, अधिनियम संख्या २०, १९४६ सं०प्रा० अधिनियम संख्या २८, १९४७

अधिनियम संख्या २१, १९६५ अधिनियम संख्या १९, १९५२ अधिनियम संख्या ३४, १९४८

अभिनवीकरण, छटनी, या किसी अन्य विषय की न्यायिकता और उसके औचित्य को अभिनिर्णीत करने के प्रयोजनों के लिए, और बोनस संदाय अधिनियम, १९६५ के अधीन बोनस या एम्पलाईज प्राविडेन्ट फन्ड ऐक्ट, १९५२ के अधीन या कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, १९४८ के अधीन किन्हीं अंशदानों की संगणना करने के लिए निगम के केवल उस उपक्रम, जिसके सम्बन्ध में कोई मजदूर या अन्य सेवक तत्समय सेवायोजित हो, से सम्बन्धित लेखाओं, लाभ, हानि और अन्य परिस्थितियों पर ही विचार किया जायेगा न कि किसी ऐसे अन्य उपक्रम के लेखाओं, लाभ, हानि और अन्य परिस्थितियों पर जो इस अधिनियम की सामर्थ्य से निगम में निहित हुआ हो या उसके द्वारा अन्यथा अर्जित किया गया हो।

(८) यदि नियत दिनांक के पश्चात् किसी भी समय निगम किसी नियंत्रित कम्पनी का प्रवर्तन करें और किसी एक या अधिक अनुसूचित उपक्रमों को जो इस अधिनियम के सामर्थ्य से निगम में निहित हुए हों ऐसी कम्पनी को अन्तरित कर दें तो निगम के ऐसे सेवकों की सेवाएँ जिनके सम्बन्ध में निगम यह घोषित करें कि वे उस उपक्रम या उन उपक्रमों के सम्बन्ध में सेवायोजित थे (उनमें से ऐसे सेवकों के सिवाय जो ऐसे समय के भीतर जो विहित किया जाय अन्यथा विकल्प दें) उस नियंत्रित कम्पनी को अन्तरित हो जायेगा और प्रत्येक ऐसा सेवक, उन्हीं उपलब्धियों पर, उन्हीं शर्तों तथा प्रतिबन्धों पर और पेन्शन, उपदान तथा अन्य विषयों के सम्बन्ध में उन्हीं अधिकारों तथा विशेषाधिकारों को रखते हुए जो उसे अनुमन्य, होते यदि वह उपक्रम ऐसी नियंत्रित कम्पनी को अन्तरित न किया गया होता, ऐसी कम्पनी का सेवक हो जाएगा और तब तक ऐसा ही बना रहेगा जब तक कि कम्पनी द्वारा किसी विधि के अधीन या उसके अनुसरण में या किसी ऐसे उपबन्ध के अनुसार जिससे तत्समय उसकी सेवा शासित होती हो उसकी उपलब्धियों या सेवा की अन्य शर्तों तथा प्रतिबन्धों का पुनरीक्षण न किया जाय या उनमें परिवर्तन न किया जाय, और उपधारा (५) के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों सहित सेवाओं के ऐसे अन्तरण के सम्बन्ध में लागू होंगे।

लेखाओं तथा अन्य लेख्यों की सुलभता

१७—यदि नियत दिनांक से एक वर्ष की अवधि में किसी भी समय किसी अनुसूचित उपक्रम के अध्यासी को या किसी हितबद्ध व्यक्ति को धारा ७ तथा ८ में अभिदिष्ट किन्हीं दावों का विहित प्राधिकारी के समक्ष प्रतिवाद करने के प्रयोजनों के लिए, या किसी लोक सेवक या प्राधिकारी के समक्ष कोई विवरणी प्रस्तुत करने या ऐसे ही किसी अन्य प्रयोजन के लिए किसी ऐसे लेखे, रजिस्टर, या अन्य लेख्य में, जो इस अधिनियम की सामर्थ्य से निगम में निहित हो गया हो दिये गये किसी वृतान्त की आवश्यकता पड़े तो वह ऐसे लेखे, रजिस्टर, या अन्य लेख्य का निरीक्षण करने के लिये निगम को प्रार्थना-पत्र दे सकता है, और तदुपरान्त निगम उसे इस प्रयोजन के लिये सभी सुविधायें देगा, और विशेषतया, उसे ऐसे किसी लेखे रजिस्टर या लेख्य के निरीक्षण करने अथवा उसके उद्धरण या उसकी प्रतिलिपियां लेने की अनुमति देगा।

शास्तियां

१८—(१) कोई व्यक्ति जो—

(क) धारा ३ के अधीन निगम में निहित किसी अनुसूचित उपक्रम में समाविष्ट या उससे सम्बन्धित किसी सम्पत्ति, परि-सम्पत्ति, लेख, रजिस्टर या अन्य लेख्य को अपने कब्जे, अभिरक्षा या नियंत्रण में रखते हुये भी धारा ५ के उपबन्धों का उल्लंघन करते हुए कलेक्टर को न दे; या

(ख) ऐसी किसी सम्पत्ति, परिसम्पत्ति, लेखे, रजिस्टर या अन्य लेख्य पर अनाधिकार रूप से कब्जा प्राप्त कर लें; या

(ग) धारा ५ के उपबन्धों के पालन से बचने के अभिप्राय से किसी लेखे, रजिस्टर या अन्य लेख्य को छुपाये, नष्ट करे या विकृत या विरूपित करे; या

(घ) धारा ६ द्वारा अपेक्षित किन्हीं विवरणों को देने में जानबूझ कर चूक करे; या

(ङ) धारा ६ की अपेक्षा के अनुपालन में, ऐसे विवरण दे जो असत्य हों और जिनके असत्य होने का उसे या तो ज्ञान हो या विश्वास हो या जिनके सत्य होने का उसे विश्वास न हो;

ऐसी अवधि के लिये कारावास से, जो तीन वर्ष तक की हो सकती है, या अर्थ दण्ड से, या दोनों ही से दंडनीय होगा ।

(२) कोई न्यायालय जो उपधारा (१) के खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन किसी अपराध पर विचार कर रहा हो, अभियुक्त को दोष सिद्धि करते समय उसे आदेश दे सकता है कि वह न्यायालय द्वारा निश्चित किये गये समय के भीतर किसी सम्पत्ति, परिसम्पत्ति, लेखे, रजिस्टर या अन्य लेख्य को, जो सदोषरूप से प्राप्त किया गया हो या जानबूझ कर न दिया गया हो, दे दे ।

(३) कोई न्यायालय इस धारा के अधीन दंडनीय किसी अपराध का सिवाय राज्य सरकार की या राज्य सरकार द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किसी अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के संज्ञान नहीं करेगा ।

कम्पनियों द्वारा अपराध

१९—यदि इस अधिनियम के अधीन अपराधवाला व्यक्ति कोई कम्पनी हो तो कम्पनी, तथा अपराध किये जाने के समय उसके कार्य संचालन के लिये कम्पनी का प्रभारी और उसके प्रति उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति भी अपराध का दोषी समझा जायेगा और तदनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही किये जाने तथा दंडित होने का वह उत्तरदायी होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा में दी गई किसी बात से कोई ऐसा व्यक्ति किसी दंड का उत्तरदायी नहीं होगा, यदि वह यह सिद्ध कर दे कि अपराध बिना किसी जानकारी के किया गया था अथवा उसने ऐसे अपराध को किये जाने से रोकने के लिये सभी सम्यक् उपाय किये ।

(२) उपधारा (१) में किसी बात के होते हुये भी, यदि इस अधिनियम के अधीन किसी कम्पनी द्वारा कोई अपराध किया जाय और यह सिद्ध हो जाय कि ऐसा अपराध उस कम्पनी के किसी डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी, या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुमति से किया गया है, अथवा ऐसे अपराध का किया जाना किसी डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी या अन्य अधिकारी की उपेक्षा के कारण आरोप्य हो, तो कम्पनी के ऐसे डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी या अन्य अधिकारी भी उस अपराध के दोषी समझे जायेंगे और तदनुसार उनके विरुद्ध कार्यवाही किये जाने तथा दंडित होने के वे उत्तरदायी होंगे ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिये—

(क) "कम्पनी" का तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है, और इसके अन्तर्गत कोई फर्म या व्यक्तियों का अन्य समुदाय भी है, तथा

(ख) "डायरेक्टर" का किसी फर्म के सम्बन्ध में तात्पर्य उस फर्म के भागीदार से है ।

सद्भावना से किये गये कार्य के लिए परित्राण

२०—राज्य सरकार, निगम, विहित प्राधिकारी या न्यायाधिकरण, अथवा राज्य सरकार या निगम के किसी अधिकारी या सेवक, अथवा राज्य सरकार, निगम, विहित प्राधिकारी या न्यायाधिकरण द्वारा इस अधिनियम के अधीन किसी कृत्य का सम्पादन करने के लिये प्राधिकृत किसी व्यक्ति के विरुद्ध, इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये किसी नियम या दिये गये किसी आदेश के अधीन सद्भावना से किये गये या किये जाने के लिये अभिप्रेत किसी कार्य के सम्बन्ध में कोई बात, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।

नियम बनाने की शक्ति]

२१—(१) राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना प्रकाशित करके, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है।

(२) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी नियम बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हों उसके एक सत्र या एक से अधिक अनुक्रमिक सत्रों में कम से कम चौदह दिन की कुल अवधि पर्यन्त रखे जायेंगे और जब तक कोई बाद का दिनांक निर्धारित न किया जाय, गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से ऐसे परिष्कारों या अभिशून्यनों के अधीन रहते हुये प्रभावी होंगे जो विधान मंडल के दोनों सदन उक्त अवधि में करने के लिये सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन उनके अधीन पहले की गई किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा।

उ०प्र० अध्यादेश संख्या १३, १९७१ का निरसन और पवाद

२२—(१) उत्तर प्रदेश चीनी उपक्रम (अर्जन) अध्यादेश, १९७१ एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

(२) ऐसे निरसन के होते हुये भी, उक्त अध्यादेश के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई क्रिया, इस अधिनियम के अधीन किया गया कार्य या की गई क्रिया समझी जायगी मानो यह अधिनियम दिनांक ३ जुलाई, १९७१ को प्रवृत्त हो गया था।

अनुसूची

[धारा २ (ज) तथा ७(५) देखिये]

स्तम्भ १	स्तम्भ २	स्तम्भ ३
क्रम-सं०	फैक्टरी जिस नाम से फैक्टरीज के मुख्य निरीक्षक, उत्तर प्रदेश के यहां पंजीकृत है व उसका पता (नोट—जहां फैक्टरी उस कम्पनी या फर्म के नाम म पंजीकृत है जिसका फैक्टरी पर स्वामित्व है अथवा जो फैक्टरी को पट्टे पर धारण किये हैं, तो यथा पंजीकृत नाम ही इस स्तम्भ में लिखा है, किन्तु इस प्रकार के उल्लेख से यह नहीं अर्थ निकाला जायगा कि धारा ३ के अधीन वह कम्पनी अथवा फर्म अर्जित की जा रही है)	प्रतिकर की धनराशि (रुपयों में)
१	रामचन्द्र एन्ड सन्स शुगर मिल्स (प्रा०) लिमिटेड, बाराबंकी	पच्चीस लाख रुपये (रु० २५,००,०००)
२	बुढ़वल शुगर मिल्स कम्पनी लिमिटेड, बुढ़वल, जिला बाराबंकी	चौबीस लाख रुपये (रु० २४,००,०००)
३	रा० ब० लछमनदास शुगर एण्ड जनरल मिल्स (प्रा०) लिमिटेड, जरवल रोड, जिला बहराइच।	दस लाख रुपये (रु० १०,००,०००)
४	महेश्वरी खेतान शुगर मिल्स (प्रा०) लिमिटेड, रामकोला, जिला देवरिया।	ग्यारह लाख रुपये (रु० ११,००,०००)
५	विष्णु प्रताप शुगर मिल्स लिमिटेड, जिसे विष्णु प्रताप शुगर वर्क्स (प्रा०) लिमिटेड भी कहा जाता है, खड्डा, जिला देवरिया।	आठ लाख रुपये (रु० ८,००,०००)
६	दीवान शुगर मिल्स, जिसे दीवान शुगर एन्ड जनरल मिल्स (प्रा०) लिमिटेड भी कहा जाता है सखोती टांडा, जिला मेरठ (नोट—इस फैक्ट्री के पट्टेदार दीवान शुगर एण्ड जनरल मिल्स हैं)।	बारह लाख रुपये (१२,००,०००)
७	राम लक्ष्मण शुगर मिल्स, मोहिउद्दीनपुर, जिला मेरठ	तेरह लाख पचास हजार रुपये। (रु० १३,५०,०००)
८	रजा बुलन्द शुगर कम्पनी लिमिटेड, रामपुर	एक करोड़ अठारह लाख रुपये (रु० १,१८,००,०००)
९	कुन्दन शुगर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, जिला मुरादाबाद (नोट—इस फक्ट्री के पट्टेदार कुन्दन शुगर मिल्स हैं)।	बयालिस लाख रुपये (रु० ४२,००,०००)
१०	शिव प्रसाद बनारसीदास शुगर मिल्स, बिजनौर (नोट—इस फैक्ट्री के पट्टाकर्त्ता एस० बी० शुगर मिल्स व पट्टेदार सेठ बनारसीदास हैं।)	इक्कीस लाख रुपये (रु० २१,००,०००)
११	ईश्वरी खेतान शुगर मिल्स लिमिटेड, लक्ष्मीगंज, जिला देवरिया।	बीस लाख रुपये (रु० २०,००,०००)
१२	कमलापत मोतीलाल भटनी शुगर मिल्स लिमिटेड, भटनी शाखा, जिसे कमलापत मोतीलाल भटनी (शुगर मिल्स) भटनी शाखा भी कहा जाता है, जिला देवरिया।	बाईस लाख रुपये (रु० २२,००,०००)

उद्देश्य और कारण

राज्य की कतिपय चीनी मिलों के मालिकों अथवा पट्टेदारों ने ऐसी गभीर समस्यायें उत्पन्न कर दी थीं जिनका प्रतिकूल प्रभाव उन क्षेत्रों से संबंधित उत्पादकों व मजदूरों व उन क्षेत्रों की साधारण अर्थ-व्यवस्था पर जहां वे मिल स्थित हैं पड़ रहा था। इन समस्याओं को सुलझाने का केवल एक ही मार्ग रह गया था कि राज्य सरकार उन मिलों को अर्जित कर लें और उनके नवीनीकरण, पुनःस्थापन और सुधार के कार्य की तुरन्त व्यवस्था करें।

२—ऐसी मिलों के अर्जन के हेतु एक विधायन तैयार किया गया जिसमें उन मिलों से संबंधित संपत्तियों और परिसंपत्तियों के अर्जन की तथा उसके लिये प्रतिकर देने की और प्रतिकर में से गन्ना उत्पादकों, मजदूरों व सरकार के देयों की तथा अन्य संबंधित या आनुषंगित विषयों की व्यवस्था की गई।

३—अगले पेराई मौसम से पहले मिलों का पेराई के लिये तैयार करने के लिये सामान्य वार्षिक मरम्मत (जो गैर-पेराई मौसम में की जाती है) इत्यादि के कार्य समय से करना था, और चूंकि उपलब्ध समय थोड़ा रह गया था, इसलिये तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो गया था। क्योंकि राज्य विधान-मण्डल के दोनों सदन सत्र में नहीं थे, इसलिये श्री राज्यपाल ने दिनांक ३ जुलाई, १९७१, को उत्तर प्रदेश चीनी उपक्रम (अर्जन), अध्यादेश, १९७१ प्रख्यापित किया।

४—बाद में राज्य सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि गन्ना-उत्पादकों व मजदूरों के देयों को राज्य सरकार के कर व अन्य अप्रतिभूत देयों से भी उच्चतर प्राथमिकता दी जाय।

५—अध्यादेश को उपरोक्त संशोधनों के साथ प्रतिस्थापित करने के लिये यह विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है।

कमलापति त्रिपाठी,
मुख्य मंत्री।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये पीछे पृष्ठ ११०३ पर)

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७१

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ ई० का अग्रेतर संशोधन करने और कतिपय कृत्यों तथा कार्यवाहियों का वैधीकरण करने और तत्संबंधी आनुषंगिक या सम्बद्ध विषयों की व्यवस्था करने के लिए — उत्तर प्रदेश ऐक्ट संख्या १५, १९४८ ई०

विधेयक

भारत गणराज्य के बाइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन तथा वैधीकरण) अधिनियम, १९७१ कहलायेगा ।

उत्तर प्रदेश एक्ट संख्या १५, १९४८ ई० की धारा २ का संशोधन

२—उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ ई०, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा २ में—

(१) खण्ड (घ) के अन्त में शब्द "और इसके अन्तगत किसी वर्ग का माल भी है" बढ़ा दिये जायं; और

(२) खण्ड (झ) में शब्द "या कुल धनराशि जितने का माल खरीदा जाय, इनमें जो भी अधिक हो" निकाल दियें जायं ।

धारा ३ और ३—क के स्थान पर नयी धारा ३, ३—क और ३—क ख का रखा जाना

३—मूल अधिनियम की धारा ३ और ३—क के स्थान पर निम्नलिखित धारायें रख दी जायं, अर्थात्—

अधिनियम के अधीन कर के लिये दायित्व

"३—(१) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, प्रत्येक व्यापारी, प्रत्येक कर-निर्धारण वर्ष के लिये, अपने विक्रीय-धन पर जो, नियत रीति से अवधारित किया जायगा, धारा ३—क, धारा ३—क ख या धारा ३—कक द्वारा या उसके अधीन व्यवस्थित दरों पर कर का भुगतान करेगा ।

(२) कोई व्यापारी, धारा १८ में की गयी अन्यथा उपबन्धित व्यवस्था के सिवाय, उपधारा (१) के अधीन कर का देनदार न होगा, यदि कर-निर्धारण वर्ष में उसका विक्रय-धन बारह हजार रुपये से, अथवा ऐसी अधिक धनराशि से, जिसे राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा, या तो किसी माल के समस्त व्यापारियों के सम्बन्ध में अथवा किसी विशेष वर्ग के व्यापारियों के सम्बन्ध में तदर्थ निर्दिष्ट करे, कम हो ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के अधीन न्यूनतम विक्रय-धन की गणना करने के प्रयोजन के लिये, किन्तु उपधारा (१) के अधीन देय कर की धनराशि अवधारित करने के प्रयोजनार्थ नहीं, कुल धनराशि जितने का व्यापारी द्वारा माल खरीदा जाय अथवा कुल धनराशि जितने का माल बिक्री के रूप में सम्भरित या वितरित किया जाय अथवा उसके द्वारा बेचा जाय, इनमें जो भी अधिक हो, विक्रय-धन समझा जायगा ।

(३) उपधारा (२) की कोई बात—

(क) व्यापारी द्वारा स्वयं उत्तर प्रदेश के बाहर से आयात किये गये ऐसे माल की बिक्री, जिसका विक्रय-धन धारा ३—क की उपधारा (१) के अधीन कर-योग्य हो, या

(ख) किसी व्यापारी द्वारा—

(१) सेन्ट्रल सेल्स टैक्स ऐक्ट, १९५६ की धारा ८ की उपधारा (४) के अधीन विक्रेता व्यापारी को घोषणा-पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् स्वयं उत्तर प्रदेश के बाहर से आयात किये गये माल, या जैसी भी दशा हो,

१९५६ का ऐक्ट ७४

(२) उपखण्ड (१) में अभिदिष्ट माल का प्रयोग करके अपने द्वारा निर्मित या तैयार किये गये माल,

की बिक्री के सम्बन्ध में लागू न होगी।

(४) जब उपधारा (२) के अधीन विज्ञप्ति में निर्दिष्ट धनराशि किसी कर-निर्धारण वर्ष में कम कर दी जाय तो किसी व्यापारी द्वारा इस धारा के अधीन देय कर की गणना निम्नलिखित प्रकार से की जायगी, अर्थात्—

(क) धनराशि में कमी किये जाने से पूर्व की अवधि सम्बद्ध विक्र-धन पर, मानों धनराशि में कोई कमी न की गई हो, और

(ख) शेष धनराशि पर, इस प्रकार से मानों कम की गई धनराशि सभी सारवान दिनांकों पर प्रवृत्त रही हो।

(५) जब कमीशन एजेन्ट द्वारा अपने निर्देष्टा की ओर से किसी विक्रय-धन पर कर देय हो और उसका भुगतान कर दिया गया हो, तो निर्देष्टा ऐसे विक्रय-धन के सम्बन्ध में कर का देनदार न होगा।

३—क(१)(क)—प्रथम अनुसूची के द्वितीय स्तम्भ में निर्दिष्ट माल के सम्बन्ध में विक्रय-धन पर, अनुसूची के स्तम्भ ३ में निर्दिष्ट स्थल पर, ऐसी दर पर, जो दस प्रतिशत से अधिक न हो, जिसे राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा घोषित करे, कर लगाया जायगा :

कर की दर

प्रतिबन्ध यह है कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन तथा वैधीकरण) अधिनियम, १९७१ के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व, धारा ३—क ख के कारण प्रचलित दरें प्रवृत्त बनी रहेंगी, जब तक कि उनमें किसी ऐसी विज्ञप्ति द्वारा परिवर्तन न कर दिया जाय।

(ख) राज्य सरकार, प्रथम अनुसूची से किसी माल से सम्बन्धित प्रविष्टि को निकाल सकती है और इस प्रकार निकाली गयी किसी प्रविष्टि को पूर्ववत् रख सकती है, और किसी प्रविष्टि को निकालने या पूर्ववत् रखने की कोई ऐसी विज्ञप्ति जारी किये जाने पर, उक्त अनुसूची, उपधारा (३) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, तदनुसार संशोधित समझी जायगी।

(२) ऐसे समस्त माल, जो तत्समय प्रथम अनुसूची में या धारा—३ क क अथवा ३—घ के अधीन किसी विज्ञप्ति में निर्दिष्ट न हो, के सम्बन्ध में विक्रय-धन पर तीन प्रतिशत की दर से कर लगाया जायेगा:

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार, गजट में विज्ञप्ति द्वारा, किसी माल के संबंध में विक्रय-धन पर कर की दर कम कर सकती है,

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि किसी ऐसे माल के संबंध में, जिसके विक्रय-धन पर कर की दर किसी समय तीन प्रतिशत से कम हो, राज्य सरकार, गजट में विज्ञप्ति द्वारा, कर की दर तीन प्रतिशत तक बढ़ा सकती है।

(३) इस धारा के अधीन जारी की गयी प्रत्येक विज्ञप्ति, जारी किये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, उसके एक सत्र या एकाधिक आनुक्रमिक सत्रों में, कम से कम कुल चौदह दिन की अवधि पर्यन्त रखे जायेंगे और जब तक कि कोई बाद का दिनांक निर्धारित न किया जाय, गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से, ऐसे परिष्कारों या अभिशून्यनों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे, जो विधान मण्डल के दोनों सदन उक्त अवधि में करने के लिये सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन सम्बद्ध विज्ञप्ति के अधीन पहले की गयी किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा, सिवाय इस बात के कि कर या शास्ति का आरोपण, निर्धारण, लगाया जाना अथवा वसूल किया जाना उक्त परिष्कार या अभिशून्यन के अधीन होगा ।

इस अधिनियम के भाग के रूपमें कतिपय विज्ञप्तियों का अंगीकरण और इन विज्ञप्तियों के अनुसरण में कृत्यों और कार्यवाहियों का वैधीकरण ।

३—कख (१) किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन तथा वैधीकरण) अधिनियम, १९७१ के प्रारम्भ के पूर्व, अनुसूची २ में निर्दिष्ट किन्हीं विज्ञप्तियों के अधीन आरोपित, निर्धारित, लगाया गया या वसूल किया गया अथवा आरोपित, निर्धारित, लगाये जाने या वसूल किये जाने के लिये तात्पर्यित कोई कर विधि के अनुसार वैध रूप से आरोपित, निर्धारित, लगाया गया या वसूल किया गया समझा जायगा, मानों उक्त विज्ञप्तियां इस धारा में सम्मिलित की गयी थीं और इसका भाग थीं और यह धारा उन सभी सारवान समयों पर प्रवृत्त थीं जब ऐसा कर आरोपित निर्धारित, लगाया गया या वसूल किया गया था ।

(२) उपधारा (१) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, विशेषतः, निम्नलिखित परिणाम होंगे, अर्थात्—

(क) उपधारा (१) में अभिदिष्ट किसी कर को लौटाने के लिये कोई वाद या अन्य कार्यवाही किसी न्यायालय द्वारा अथवा किसी प्राधिकारी के समक्ष न तो स्वीकार की जायगी और न जारी रखी जायगी; और

(ख) कोई न्यायालय किसी ऐसे कर को लौटाने के लिये कोई डिक्री या आदेश प्रवृत्त न करेगा ।"

धारा ३—कक का संशोधन

४—मूल अधिनियम की धारा ३—कक में, उपधारा (१) में, शब्द "धारा ३ या ३—क में किसी बात के रहते हुये भी" के स्थान पर शब्द "धारा ३—घ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए" रख दिये जांय ।

धारा ३—घ का संशोधन

५—मूल अधिनियम की धारा ३—घ में—

(१) उपधारा (५) में शब्द तथा अंक "धारा ३ के द्वितीय तथा तृतीय प्रतिबन्धात्मक खण्ड" के स्थान पर शब्द तथा अंक "धारा ३ की उपधारा (४), धारा ३—क की उपधारा (२) के प्रथम प्रतिबन्धात्मक खण्ड और द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खण्ड (इसमें शब्द 'तीन प्रतिशत' के स्थान पर 'दो प्रतिशत' रख कर)" रख दिये जायें ।

(२) उपधारा (७) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्—

"(८) इस धारा के अधीन जारी की गयी प्रत्येक विज्ञप्ति जारी किये जाने के पश्चात्, यथाशक्यशीघ्र, राज्य विधान मण्डल

के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, उसके एक सत्र या एकाधिक आनुक्रमिक सत्रों में, कम-से-कम कुल चौदह दिन की अवधि पर्यन्त रखे जायेंगे और , जब तक कि कोई बाद का दिनांक निर्धारित न किया जाय, गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से ऐसे परिष्कारों या अभिशून्यनों के अधीन रहते हुए, प्रभावी होंगे, जो विधान मण्डल के दोनों सदन उक्त अवधि में करने के लिये सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन सम्बद्ध विज्ञप्ति के अधीन पहले की गयी किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा, सिवाय इस बात के कि कर या शास्ति का आरोपण, निर्धारण, लगाया जाना अथवा वसूल किया जाना उक्त परिष्कार या अभिशून्यन के अधीन होगा।"

धारा ४ का संशोधन।

६---मूल अधिनियम की धारा ४ की उपधारा (१) में, खण्ड (ख) में, शब्द "किसी ऐसे माल की बिक्री" के स्थान पर शब्द "किसी ऐसे माल की बिक्री या खरीद", और शब्द "सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा निर्दिष्ट किये जाय" के स्थान पर शब्द "राज्य सरकार द्वारा सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा निर्दिष्ट किये जायं" रख दिये जायं और सदैव से रखे गये समझे जायेंगे।

धारा ७ का संशोधन।

७---मूल अधिनियम की धारा ७ में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जाय, अर्थात्---

"स्पष्टीकरण---इस धारा में और धारा ७-क, ७-ख, ७-ग, ७-घ ७-ङ, ८-क, १४, १५-क, १८, २१ और २४ में पद "विक्रय-धन" का तात्पर्य, यथास्थिति, विक्रयों अथवा क्रयों अथवा दोनों के विक्रय-धन से है"।

धारा ७-क का संशोधन

८---मूल अधिनिम की धारा ७-क--- की उपधारा (१) में शब्द तथा अंक "धारा ३ की उपधारा (१) के प्रथम प्रतिबन्धात्मक खण्ड" के स्थान पर शब्द तथा अंक "धारा ३ की उपधारा (२)" रख दिये जांय।

धारा ७-घ का संशोधन

९---मूल अधिनियम की धारा ७-घ की उपधारा (१) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड में खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय अर्थात्

"(ख) उत्तर प्रदेश के बाहर से ऐसे माल का, जिस पर किसी आयात कर्त्ता द्वारा विक्री के स्थल पर, धारा ३-क की उपधारा (१), धारा ३-कक, धारा ३---क ख या ड धारा ३-घ के अधीन कर, देय हो, आयात करने वाले व्यापारी;

धारा ७-क का संशोधन

१०---मूल अधिनियम की धारा ७-क में---

(१) उपधारा (१) के खण्ड १ (ग) और (घ) में जहां जहां भी शब्द तथा अंक "धारा ३ की उपधारा (१) के प्रथम प्रतिबन्धात्मक खण्ड" आये हों, उनके स्थान पर शब्द तथा अंक "धारा ३ उपधारा (२)" रख दिये जायं और

(२) उपधरा (४) और (५) निकाल दी जांय।

धारा १३ का संशोधन।

११---मूल अधिनियम की मारा १३ में---

(१) उपधारा (१) में शब्द "जिसका पद कर-निर्धारक अधिकारी से निम्न न हो और,, निकाल दिये जांय और सदैव से निकाले गये समझे जांय, और

(२) उपधारा (२) में शब्द "जो कर-निर्धारक अधिकारी से निम्न श्रेणी के न हो" निकाल दिये जांय और सदैव से निकाले गये समझे जायं।

१२—मूल अधिनियम की धारा १८ में— धारा १८ का संशोधन

(१) जहां-जहां भी शब्द तथा अंक "धारा ३ के प्रथम प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अधीन "आये हों उनके स्थान पर शब्द तथा अंक "धारा ३ की उपधारा (२) के अधीन रख दिये जायें ;

(२) जहां-जहां भी शब्द तथा अंक "धारा ३ की उपधारा (१) के प्रथम प्रतिबन्धात्मक खण्ड के खण्ड (क) या (ख) 'आये हों, उनके स्थान पर शब्द तथा अंक "धारा ३ की उपधारा (३)" रख दिये जाय; और (३) उपधारा (४) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड में शब्द तथा अंक "धारा ८—क की उपधारा (४) धारा (५) के अधीन, जैसी भी स्थिति हो," के स्थान पर शब्द तथा अंक "धारा २९—क की उपधारा (१) के अधीन" रख दिये जायं।

१३—मूल अधिनियम की धारा २१ की उपधारा (२) के द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खण्ड में शब्द तथा अंक "धारा ९, १० या ११ के अधीन दी गयी किसी आज्ञा में" के स्थान शब्द तथा अंक "धारा ९, धारा १० या धारा ११ के अधीन दिये गये किसी आदेश अथवा संविधान के अनुच्छेद ३२, अनुच्छेद १३२ अनुच्छेद १३३, अनुच्छेद १३६ या अनुच्छेद १३७ के अधीन उच्चतम न्यायालय द्वारा अथवा अनुच्छेद २२६ या अनुच्छेद २२७ अधीन उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये किसी आदेश में" रख दिये जायं और सदैव से रखे गये समझे जायं। धारा २१ का संशोधन।

१४—मूल अधिनियम की धारा २४ की उपधारा (२) के खण्ड (छ) में शब्द तथा अंक "धारा ८—क की उपधारा (४) के अधीन" के स्थान पर शब्द तथा अंक "धारा २९—क की उपधारा (१) के अधीन" रख दिये जायं। धारा २४ का संशोधन

१५—मूल अधिनियम की धारा २९—क के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात्— धारा २९—क का संशोधन

"२९—क (१) यदि किसी व्यापारी द्वारा भूल से कर के रूप में वसूल की गई धन वितरण की प्रक्रिया

व्यापारी द्वारा किसी व्यक्ति से कोई धनराशि वसूल की जाय जिसे वह उक्त व्यक्ति से किसी माल की बिक्री कर पर कर के रूप में वसूल करने के सम्बन्ध में ऐसा करने के लिये तात्पर्यित हो, तो ऐसा व्यापारी इस प्रकार वसूल की गयी सम्पूर्ण धनराशि सरकारी खजाने में, ऐसी अवधि के भीतर जो नियत की जाय, जमा करेगा, भले हो वह व्यापारी इस अधिनियम के अधीन कर के रूप में ऐसी धनराशि का देनदार न हो अथवा कर के रूप में वह केवल उसके एक भाग का देनदार हो।

(२) उपधारा (१) के अधीन किसी व्यापरी द्वारा जमा की गयी कोई धनराशि, उस मात्रा तक जहां तक वह कर के रूप में देय न हो, राज्य सरकार द्वारा उस व्यक्ति की जिससे व्यापारी ने उसे वसूल किया है, अथवा उस व्यक्ति के विधिक प्रतिनिधि की, धरोहर के रूप में रखी जायगी, और इस प्रकार जमा करने से ऐसा व्यापारी जमा धनराशि की मात्रा तक तत्सम्बन्धी दायित्व से उनमुक्त होगा।

(३) यदि उपधारा (१) के अधीन किसी व्यापारी द्वारा कोई धनराशि जमा की जाय, तो ऐसी धनराशि या उसके किसी भाग के लिये ऐसे प्रपत्र में, जो नियत किया जाय, तदर्थ दावा किये जाने पर उसे ऐसे व्यक्ति को, जिससे ऐसे व्यापारी ने धनराशि या उसके भाग की वास्तव में वसूल किया हो, अथवा उसके विधिक प्रतिनिधि को, और किसी अन्य व्यक्ति को नहीं, नियत रीति में, वापस कर दी जायगी:

प्रतिबन्ध यह है कि कर-निर्धारण आदेश के दिनांक से तीन वर्ष अथवा उसके सम्बन्ध में अपील पुनरीक्षण या समाधान में और कोई हो, अंतिम आदेश दिये जाने के दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात् जो भी पश्चात्वर्ती हो कोई ऐसा दावा ग्रहण नहीं किया जायगा।

स्पष्टीकरण---पद "अपील, पुनरीक्षण या समाधान में अन्तिम आदेश दिये जाने, के अन्तर्गत संविधान के अनुच्छेद ३२, अनुच्छेद १३२, अनुच्छेद १३३, अनुच्छेद १३६ या अनुच्छेद १३७ के अधीन उच्चतम न्यायालय द्वारा, अनुच्छेद २२६ या अनुच्छेद २२७ के अधीन उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश भी है"।

अनुसूचियों का बढ़ाया जाना

१६---मूल अधिनियम के अन्त में निम्नलिखित अनुसूचियां बढ़ा दी जायं, अर्थात्:---

प्रथम अनुसूची

(देखिये धारा ३--क)

"नि०" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश में निर्माता द्वारा बिक्री से है।

"आ०" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश में आयातकर्ता द्वारा बिक्री से है।

क्रम-संख्या	माल का विवरण	स्थल जिस पर कर लगेगा
१	२	३
१	मनुष्य अथवा पशु श्रम द्वारा चालित उपकरणों से भिन्न कृषि उपकरण, जिसमें उनके भाग और सम्बद्ध सामान, टायर और ट्यूब के अतिरिक्त, भी सम्मिलित है	नि० अथवा आ०
२	समस्त आयुध, जिसके अन्तर्गत राइफल, रिवाल्वर, पिस्तौल एवं उनके गोला-बारूद (एम्यूनिशन्स) भी है किन्तु खुखरी, भाला, छुरा और तलवार नहीं हैं	नि० अथवा आ०
३	सभी प्रकार की दीवाल घड़ियों (क्लाक्स), टाइम पीस घड़ियों और जेब या हाथ की घड़ियां और उनके पुर्जे तथा सहायक सामान, जिसमें जेब या हाथ की घड़ियों के फीते (स्ट्रैप) तथा चेन सम्मिलित नहीं हैं	नि० अथवा आ०
४	सभी प्रकार से ल्यूब्रिकेन्ट्स	नि० अथवा आ०
५	आटा, मैदा तथा सूजी	रोलर फ्लोअर मिलों, जिनमें चक्कियां भी हैं, द्वारा अथवा आयात कर्ता द्वारा बिक्री।

१	२	३
६	बाल प्वाइन्ट पेंसिलें तथा प्रापेलिंग पेंसिलें ..	नि० अथवा आ०
७	भांग, गांजा तथा अफीम	फुटकर बिक्रेता द्वारा बिक्री।
८	बाइसिकलें, ट्राइसिकलें, रिक्शा और पैराम्बुलेटर, तथा टायर और ट्यूब से भिन्न उनके भाग और सम्बद्ध सामान ..	नि० अथवा आ०
९	बाइनाक्यूलर्स, टेलिस्कोप तथा आपेरा ग्लास ..	नि० अथवा आ०
१०	बिटमूमैन और रोडटार तथा उनके ऐसे सम्मिश्रण और उत्पादन जिन्हें सामान्यतः डामर बिछाने और जल–सह बनाने के लिये प्रयुक्त किया जाता है ..	नि० अथवा आ०
११	हड्डियां	उपभोक्ता के हाथ बिक्री
१२	बूट पालिस तथा अन्य बैक्स पालिशें	नि० अथवा आ०
१३	ईंटें	नि० अथवा आ०
१४	(मुहर बन्द डिब्बों में बेंचे जाने वाले से भिन्न) मक्खन तथा क्रीम	नि० अथवा आ०
१५	बटन	नि० अथवा आ०
१६	दवती तथा गत्ता	नि० अथवा आ०
१७	कालीन	नि० अथवा आ०
१८	कास्टिक सोडा	नि० अथवा आ०
१९	सीमेन्ट—	
	(क) यदि उत्तर प्रदेश के बाहर से आयात किया गया हो	आयात किये गये सीमेन्ट को लेने के लिये स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इंडिया द्वारा नियुक्त स्टाकिस्ट द्वारा बिक्री।
	(ख) यदि उत्तर प्रदेश में निर्मित हुआ हो ..	गवर्नमेंट सीमेन्ट फैक्ट्री चुर्क अथवा गवर्नमेंट सीमेंट फैक्ट्री, डल्ला, मिर्जापुर द्वारा बिक्री।
२०	सीमेन्ट, जो उपरोक्त क्रम संख्या १९ के अन्तर्गत आने वाले सीमेन्ट से भिन्न है, तथा सीमेन्ट वाटर-प्रूफिंग कम्पाउन्ड ..	नि० अथवा आ०
२१	सभी प्रकार के रासायनिक द्रव, जिसमें ईंधन गैस, जैसे कि बरशेन तथा इन्डेन, सम्मिलित है किन्तु सोडा ऐश तथा कास्टिक सोडा नहीं है	नि० अथवा आ०

उत्तर प्रदेश विधान परिषद सचिवालय

१	२	३
२२	सिगरेट केस तथा लाइटर	नि० अथवा आ०
२३	सिनेमेटोग्राफी सम्बन्धी सामान, जिसमें कैमरा, प्रोजेक्टर, ध्वनि आलेखन और पुनरुत्पादन (Sound recording and reproducing) सम्बन्धी सामान, लैन्सेज, फिल्मे, तथा उनके साथ प्रयुक्त किये जाने वाले पुर्जे और सहायक सामान सम्मिलित हैं ।	नि० अथवा आ०
२४	काफी, कोको तथा चिकारी	नि० अथवा आ०
२५	कार्नफ्लेक्स, व्हीट फ्लेक तथा कस्टर्ड	नि० अथवा आ०
२६	सौन्दर्य वर्धक एवं प्रसाधन सामग्री जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित होंगे :—	नि० अथवा आ०
	(क) बालों के क्लिप, बालों के पिन, बालों के कलर, बालों में लगाने के फूल (हेयर फ्लावर) बालों की जाली (हेयर नेट) तथा चोटियां, सुगन्धित केश-तेल, बालों की क्रीम, बालों के फिक्सर्स, बालों के ब्रुश तथा सींग के बने कंघों से भिन्न कंघे, केश रंजक (हेयर डाई), बाल काले करने की वस्तुएं (हेयर डार्कनर), केश वल्य (हेयर टानिक), शेम्पू तथा बालों के लोशन, ब्रिलिएन्टाइन, पोमेड तथा वैसलीन;	
	(ख) टुथ पेस्ट, टुथ पाउडर तथा अन्य दन्त शोधन, टुथ-ब्रुश, जीभी, मुखशोधन (माउथ वाश) तथा दुर्गन्ध नाशक और मिस्सी;	
	(ग) आल्ता, लिपिस्टिक, नाखूनों की पालिश, सुरमा, मस्करा, शृंगारदान, नाखूनों के ब्रश, चेहरे और त्वचा के लिये टेल्कम तथा अन्य पाउडर, पाउडरपफ, स्नो तथा क्रीम (चेहरे के लिये), प्रसाधन सामग्री-सेट (सामान सहित या रहित), सेन्ट स्प्रे, केशनाशक (बाल सफा) दाग-धब्बे दूर करने की सामग्री, क्लीन्सिंग मिल्क, आई टैक्स, यू० डी० कोलोन, आईलैश ब्रश, टायलट स्पंज, सालिड कोलोन, लेवेन्डर वाटर, वाशिंग क्रीम, ब्यूटी मिल्क, बाथरूम के लिये दुर्गन्ध नाशक पैकेज, स्वरूप निखारने के लिये रूज (कम्प्लेक्शन रुज) नेल कटर, सैनेटरी टावेल्स;	
	(घ) शेविंग सेट (सामान सहित या रहित) सेफटी रेजर, शेविंग ब्लेड, शेविंग ब्रश और साबुन तथा क्रीम, शेविंग फिटकरी तथा शेव के बाद लगाने वाले लोशन और क्रीम ।	

१	२	३
२७	सिलाई के सूती धागे	उपभोक्ता के हाथ बिक्री।
२८	कपास क्षेप्य	नि० अथवा आ०
२९	क्राकरी, छुरी-कांटें (कटलरी) चीनी मिट्टी के बर्तन, स्टोन-ग्लेज्ड बर्तन तथा पोर्सलेन के बर्तन	नि० अथवा आ०
३०	डिक्टाफोन तथा इसी प्रकार के ध्वनि अभिलेखन करने वाले अन्य उपकरण, और उनके पुर्जे	नि० अथवा आ०
३१	रंजक और रंग तथा उनके मिश्रण, जिसमें ईगुर और सिन्दूर, असली तथा नकली दोनों, शामिल हैं	नि० अथवा आ०
३२	विद्युत् शक्ति के जनन, वितरण तथा पारेषण के लिए अपेक्षित सज्जा, संयंत्रों तथा उनके भागों एवं इलेक्ट्रिक मोटर और उनके भागों से भिन्न बिजली के सामान ..	नि० अथवा आ०
३३	विद्युत् शक्ति के जनन, वितरण तथा पारेषण के लिये अपेक्षित बिजली की सज्जा, संयंत्र और उनके भाग तथा इलेक्ट्रिक मोटर और उनके भाग	नि० अथवा आ०
३४	ईंधन की लकड़ी	वन विभाग अथवा वन के व्यक्तिगत स्वामी अथवा आयातकर्ता द्वारा बिक्री।
३५	फोम रबर की वस्तुएं	नि० अथवा आ०
३६	फाउन्टेनपेन	नि० अथवा आ०
३७	लोहे और इस्पात के फर्नीचर से भिन्न फर्नीचर ..	नि० अथवा आ०
३८	गैस लालटेन, पेट्रोमेक्स और स्टोव तथा उनके भाग और उससे सम्बद्ध सामान।	नि० अथवा आ०
३९	हरीकेन लालटेन की चिमनी, चश्मों के शीशों तथा बोतलों से भिन्न कांच के सामान।	नि० अथवा आ०
४०	ग्रामोफोन, उनके अवयवभूत पुर्जे तथा रिकार्ड ..	नि० अथवा आ०
४१	मूंगफली का तेल	नि० अथवा आ०
४२	हार्ड बोर्ड जिसमें फाइबर शीट सम्मिलित है, चर्म-पट, पर्ती लकड़ी और सजावट के पत्तर।	नि० अथवा आ०
४३	सब प्रकार के अभिनाल (होजेज)—रबर, प्लास्टिक तथा कैनवस के।	नि० अथवा आ०
४४	अस्पताल के सामान तथा यंत्र	नि० अथवा आ०
४५	लोहे और इस्पात की तिजोरियां तथा अलमारियां ..	नि० अथवा आ०
४६	लोहे की अलमारियों और तिजोरियां से भिन्न लोहा तथा इस्पात के फर्नीचर।	नि० अथवा आ०

१	२	३
४७	हाथी दांत के सामान	नि० अथवा आ०
४८	जूट तथा सन के सामान	नि० अथवा आ०
४९	मिट्टी का तेल	नि० अथवा आ०
५०	खांडसारी सीरा	नि० अथवा आ०
५१	खांडसारी शक्कर, जिस पर एडीशनल ड्यूटीज आफ एक्साइज (गुड्स आफ स्पेशल इम्पार्टेन्स) ऐक्ट, १९५७ के अधीन अतिरिक्त उत्पादन शुल्क न लग सकता हो अथवा यदि लग सकता हो तो वह इस प्रकार के कर से विशिष्ट रूप से मुक्त हो ।	
५२	मशीनें और मशीनों के ऐसे अतिरिक्त भाग जो ऐसी मशीन या अतिरिक्त भाग नहीं है जिन पर इस अनुसूची की किसी उनके अन्य मद के अन्तर्गत कर लगता हो ..	नि० अथवा आ०
५३	दियासलाई	नि० अथवा आ०
५४	प्लास्टिक अथवा उसके मिश्रण से बने हुए गद्दे और तकिये ।	नि० अथवा आ०
५५	औषधियां और भेषजीय पदार्थ (जिसमें कृमि नाशक एवं कीट नाशक वस्तुएं भी शामिल हैं)	नि० अथवा आ०
५६	सीलबन्द अथवा टिन के डिब्बों में बेंचे जाने वाले मिल्क पाउडर, कन्डेन्स्ड मिल्क, बेबी मिल्क, बेबी फूड तथा अन्य समस्त खाद्य पदार्थ या उनके उत्पाद, चाहे उनका उपयोग उसी रूप में अथवा किसी अन्य खाद्य पदार्थ या पेयवस्तु के साथ मिलाकर किया जाय।	नि० अथवा आ०
५७	मिल की बनी दरियां और तम्बू	नि० अथवा आ०
५८	मिल के स्टोर तथा लोहे से बनी वस्तुएं जिनमें इस्पात के तार सम्मिलित नहीं हैं	नि० अथवा आ०
५९	शीरा जिसके अन्तर्गत खांडसारी शीरा नहीं है ..	नि० अथवा आ०
६०	मोटर साइकिलें और मोटर साइकिल कम्बीनेशन, मोटर स्कूटर, मोटरेट और मोटर गाड़ियों के टायर, ट्यूब और अलग पुर्जे	नि० अथवा आ०
६१	मोटरों के टायर तथा ट्यूब, मोटर गाड़ियों के ऐसे अलग पुर्जे तथा संघटक पुर्जे जो उन पुर्जों से भिन्न हों जिनका प्रयोग मोटर गाड़ियों के पुर्जे के रूप में होने के अतिरिक्त अन्य प्रयोजनों के लिये भी साधारणतः होता है, तथा मोटर गाड़ियों, मोटर कारों, मोटर टक्सी कैबों, मोटर साइकिलों तथा मोटर साइकिल कम्बीनेशनों, मोटर स्कूटरों तथा मोटरेट्स, मोटर आमनीबसों, मोटर बैन तथा मोटर लारियों के सहायक सामान के रूप में प्रयोग की जाने वाली वस्तुयें ।	नि० अथवा आ०

१	२	३
६२	मोटर गाड़ियां, जिसके अन्तर्गत मोटर गाड़ियों के चैसिस एवं उन पर बनी हुई मोटर बाडीज भी शामिल है।	उपभोक्ता के हाथ अथवा उपभोक्ता द्वारा क्रय के लिये वित्त व्यवस्था करने वाली क्रय-विक्रय कम्पनी के हाथ बिक्री।
६३	न्यूजप्रिन्ट	नि० अथवा आ०
६४	(१) मनुष्य अथवा पशु शक्ति से घानियों पर निकाले गये खाने के तेल तथा (२) सुगन्धित केश तेल से भिन्न सभी प्रकार के तेल।	नि० अथवा आ०
६५	अलंकृत कांच की चूड़ियां (जिसमें कटावदार कांच की चूड़ियां भी हैं)।	नि० अथवा आ०
६६	किसी मिश्र धातु के साथ या उसके बिना सोने या चांदी से बने गहने तथा किसी अन्य मिश्र धातु के साथ या उसके बिना सोने और चांदी से बने गहने, तथा ज्वेलरी।	उपभोक्ता के हाथ बिक्री
६७	पेंट तथा वार्निश और पेंटरों द्वारा उपयोग में लाये जाने वाले सब सामान।	नि० अथवा आ०
६८	हाथ के बने कागज से भिन्न कागज ..	नि० अथवा आ०
६९	मोती जिसके अन्तर्गत कृत्रिम मोती भी हैं, असली और नकली दोनों प्रकार के बहुमूल्य एवं मध्यम बहुमूल्य जवाहिरात।	नि० अथवा आ०
७०	फोटोग्राफी के और अन्य कैमरे तथा एन्लार्जर, लेंसेज, फिल्में और प्लेटें कागज और कपड़ा और उनके साथ प्रयोग के लिये अपेक्षित अन्य पुर्जे तथा सहायक सामान।	नि० अथवा आ०
७१	पिकनिक सेट, अन्तर्वस्तुओं के साथ अथवा उनके बिना ..	नि० अथवा आ०
७२	सभी प्रकार के पाइप्स और उनकी फिटिंग्स ..	नि० अथवा आ०
७३	साबी कांच की चड़ियां	नि० अथवा आ०
७४	प्लास्टिक की बाल्टियां, प्लास्टिक की चिलम्चियां (बेसिन), प्लास्टिक की साबुनदानियां, प्लास्टिक की तश्तरियां और प्लास्टिक से बने अन्य वर्तन तथा डिब्बे (कन्टेनर्स)	नि० अथवा आ०
७५	ताश	नि० अथवा आ०
७६	विद्युत्-चालित प्रेशर कुकर से भिन्न प्रेशर कुकर ..	नि० अथवा आ०
७७	हाथ करघे पर निर्मित से भिन्न शुद्ध रेशम के कपड़े, जिसके अन्तर्गत रेशमी धोतियां साड़ियां और चद्दरें भी हैं।	नि० अथवा आ०
७८	रेफ्रीजरेटर और शीत-ताप-नियंत्रक यंत्र (एयर-कंडीशनिंग प्लांट) और उनके अवयवभूत पुर्जे।	नि० अथवा आ०

१	२	३
७९	रबर के गद्दे तथा रबर के तकिये	नि० अथवा आ०
८०	चन्दन का तेल	नि० अथवा आ०
८१	पाइप्स और उनकी फिटिंग्स से भिन्न सैनिटरी गुड्स और फिटिंग्स।	नि० अथवा आ०
८२	इत्र और सुगन्धियां	नि० अथवा आ०
८३	कैंचियां, सरौते, सादे किस्म के चाकू व छूरियां, उस्तरे, लोहे के बने रसोई के बर्तन तथा उपकरण, टीन या लोहा अथवा इस्पात के बने ट्रंक, डाकघर पत्र-पेटियां, डिब्बे (जिसके अन्तर्गत बाल्टियां, टब और ड्रम भी हैं) तथा बाल काटने की मशीनें।	नि० अथवा आ०
८४	सिलाई की मशीन तथा उनके पुर्जे	नि० अथवा आ०
८५	कपड़े धोने के साबुन से भिन्न साबुन	नि० अथवा आ०
८६	सोडा ऐश	नि० अथवा आ०
८७	सोडा वाटर, लेमनेड तथा अन्य मृदुपेय, जब वह सीलबन्द या टिन के डिब्बों में बेचे जायं।	नि० अथवा आ०
८८	ध्वनि-प्रसारण सामग्री जिसमें टेलीफोन, लाउड-स्पीकर और उनके अलग पुर्जे भी सम्मिलित हैं।	नि० अथवा आ०
८९	देशी शराब से भिन्न सभी प्रकार की शराब और स्प्रिट ..	नि० अथवा आ०
९०	जेब या हाथ की घड़ियों के स्ट्रैप तथा चेन ..	नि० अथवा आ०
९१	चीनी से बनी वस्तुयें जैसे—बताशा, मिश्री, गट्टा, चीनी के खिलौने तथा इलायचीदाना सम्मिलित नहीं है।	नि० अथवा आ०
९२	धूप के चश्मे, चश्मे, फ्रेम, धूप के शीशे, चश्मों के शीशे और अटैचमेंट्स।	नि० अथवा आ०
९३	सीलबन्द या टिन के डिब्बों में बेची जाने वाली मिठाइयों तथा कन्फेक्शनरी से भिन्न मिठाइयां तथा कन्फेक्शनरी।	नि० अथवा आ०
९४	चाय	नि० अथवा आ०
९५	थरमस फ्लास्क	नि० अथवा आ०
९६	सभी प्रकार की टाइल्स	नि० अथवा आ०
९७	इमारती लकड़ी (अर्थात् शीशम, सागौन, साल, साखू, हल्दू, तुन, आम, जामुन, नीम, गूलर, सीरस, देवदार, चीड़ और महुआ के वृक्षों की लकड़ी, चाहे वह उगायी जा रही या काट दी गई हो जिसमें कटी हुई इमारती लकड़ी भी सम्मिलित है किन्तु जिसमें उनसे बनी हुई वस्तुयें सम्मिलित नहीं हैं।	वन विभाग अथवा वनों के निजी स्वामियों द्वारा अथवा आबादकर्ता द्वारा बिक्री
९८	टाइपराइटर, टेबुलेटिंग मशीनें, कैल्कुलेटिंग मशीनें और डुप्लीकेटिंग मशीनें तथा उनके पुर्जे।	नि० अथवा आ०
९९	टायर और ट्यूब जिसके अन्तर्गत मोटर साईकिलों, मोटर स्कूटर्स, मोटरेट्स तथा मोटर गाड़ियों के टायर और ट्यूब नहीं हैं।	

१	२	३
१००	वनस्पति जिसके अन्तर्गत स्वच्छ किया गया गरी का तेल भी है।	नि० अथवा आ०
१०१	किसी अन्य मिश्रित धातु के साथ या उसके बिना सोने या चांदी के बर्तन तथा किसी अन्य मिश्रित धातु के साथ या उसके बिना सोने और चांदी से बने बर्तन।	नि० अथवा आ०
१०२	स्टेन्लेसस्टील के बर्तन	नि० अथवा आ०
१०३	कपड़ा धोने का साबुन तथा धोने के काममें इस्तेमाल होने वाला अन्य सामान।	नि० अथवा आ०
१०४	बेतारप्रसारण ग्रहण यंत्र तथा उपरकण, रेडियो और रेडियो-ग्रामोफोन, बिजली के बल्ब, ऐक्युलेटर, एम्प्लीफायर और लाउडस्पीकर तथा उनके अलग पुर्जे और सहायक सामान।	नि० अथवा आ०
१०५	ऊनी कालीनों के ऊन का सूत, रेयान सूत फाइलेचर रेशम का सूत, हाथ का कता रेशम का सूत, स्टेपिल फाइवर का सूत तथा नायालान सूत।	नि० अथवा आ०
१०६	ऊनी माल जिसके अन्तर्गत कालीनें और होजरी नहीं हैं लेकिन बुनने का ऊन तथा ऊनी कपड़े से बनाये गये सिले-सिलाये परिधान हैं।	नि० अथवा आ०
१०७	एक्स-रे मशीनें तथा उनके भाग और सम्बद्ध सामान ..	नि० अथवा आ०
१०८	हाथ के कते सूत से भिन्न सभी प्रकार का सूत जिसके अन्तर्गत बुनाई में प्रयुक्त होने वाला बिना कता धागा भी है, किन्तु जिसके अन्तर्गत रुई का सूत, ऊनी कालीनों के ऊन का सूत, रेयान सूत, फाइलेचर रेशम का सूत, स्टेपिल फाइवर का सूत तथा नायलान सूत नहीं है।	नि० अथवा आ०

द्वितीय अनुसूची

(देखिये धारा ३—क ख)

क्रम संख्या	विज्ञप्ति संख्या		दिनांक
१	२		३
१	एस० टी०—९०५/१० ..	.. ..	३१ मार्च, १९५६
२	एस० टी०—९०६/१० ..	.. ..	३१ मार्च, १९५६
३	एस० टी०—९०७/१० ..	.. ..	३१ मार्च, १९५६
४	एस० टी०—९०८/१० ..	.. ..	३१ मार्च, १९५६
५	एस० टी—९१२/१० ..	.. ..	३१ मार्च, १९५६
६	एस० टी०—३५०१/१०	.. ..	१० मई, १९५६

१	२		३
७	एस० टी०—३५०३/१०	.. ..	१० मई, १९५६
८	एस० टी०—३५०४/१०	.. ..	१० मई, १९५६
९	एस० टी०—३४७२/१०	.. ..	१६ जुलाई, १९५६
१०	एस० टी०—३४७३/१०	.. ..	१६ जुलाई, १९५६
११	एस० टी०—४०८१/१०	.. ..	३१ जुलाई, १९५६
१२	एस० टी०—६०६९/१०—१०९७/५६ ..	..	३० सितम्बर, १९५६
१३	एस ०टी०—६५१०/१०—९५३(१)/५४	..	३१ अक्तूबर, १९५६
१४	एस० टी०—४१७/१०—९०२(९)/५२ ..	..	३१ जनवरी, १९५७
१५	एस० टी०—४१८/१०—९०२(९)/५२..	..	३१ जनवरी, १९५८
१६	एस० टी०—१४१७/१०—९०२(२०-क)—५६	..	३१ जनवरी, १९५८
१७	एस० टी०—३६८७/१०—९६०(५)-५७	..	१ अक्तूबर, १९५८
१८	एस० टी०—९५५/१०—९५०(१)-५८	..	१ अप्रैल, १९५९
१९	एस० टी०—१९७३/१०—९०२(७-एम)-५७	..	३० जून, १९५९
२०	एस० टी०—८००/१०—९०२(८)-१९५८	..	१ सितम्बर, १९५९
२१	एस० टी०—३१५८/१०—९५०(१)-५८	..	८ सितम्बर, १९५९
२२	एस० टी०—४३३५/१०—९६०(१)-१९५८	..	१ दिसम्बर, १९५९
२३	एस० टी०—१३६५/१०—९९०-१९५६..	..	१ अप्रैल, १९६०
२४	एस० टी०—२३२७/१०—९५३(१)-५४	..	१ जून, १९६०
२५	एस० टी०—१३६३/१०—१०४५(१९)-१९६०	..	५ अप्रैल, १९६१
२६	एस० टी०—१३६४/१०—१०४५(१९)-१९६०	..	५ अप्रैल, १९६१
२७	एस० टी०—१३६५/१०—१०४५(१९)-६०	..	५ अप्रैल, १९६१
२८	एस० टी०—३२३७/१०—(८—सी-एफ)-५९	..	१ सितम्बर, १९६१
२९	एस० टी०—९२७/१०—९०२(२)-५८ ..	..	१ अक्तूबर, १९६१
३०	एस० टी०—१२८१क/१०—९६०(४)-१९५८	..	१ अक्तूबर, १९६१
३१	एस० टी०—४९२०/१०—१०३५(५२)-१९६०	..	१५ नवम्बर, १९६१
३२	एस० टी०—४९२१/१०—१०३५(५२)-६०	..	१५ नवम्बर, १९६१
३३	एस० टी०—४६८४/१०—९००(९)-६१	..	१८ नवम्बर, १९६१
३४	एस० टी०—५१४/१०—९००(६)-६१ ..	..	१३ फरवरी, १९६२
३५	एस० टी०—५९०७—१/१०—९००(४)-६१	..	१ मार्च, १९६२
३६	एस० टी०—४९०७—१/१०—९००(४)-६१	..	१ मार्च, १९६२
३७	एस० टी०—३३९१/१०—१०१२—१९६२	..	१ जुलाई, १९६२
३८	एस० टी०—३३९२/१०—१०१२-१९६२	..	१ जुलाई, १९६२
३९	एस० टी०—४५६२—१/१०—९०२(७-एम)-५७	..	१ अक्तूबर, १९६२
४०	एस० टी०—६४३८/१०—१०१२-१९६२	..	१ अक्तूबर, १९६२
४१	एस० टी०—५०१/१०—९५३(१)-५४ ..	..	३१ जनवरी, १९६३
४२	एस० टी०—४०५—१/१०—१०१२-६२ ..	..	६ मार्च, १९६३
४३	एस० टी०—१८७/१०—९००—(१५)-६१	..	१३ मई, १९६३
४४	एस० टी०—१७३८/१०—१०१२-१९६३	..	१ जून, १९६३
४५	एस० टी०—३८६७/१०—९००(४०)-६२	..	२८ जून, १९६३
४६	एस० टी०—३८३/१०—९०२(५६)-५६	..	२५ मार्च, १९६४
४७	एस० टी०—१८८१/१०—१००८(५८)-५९	..	१२ जून, १९६४

1	2	3
४८	एस० टी०–३९३०/१०–१०४५(१९)-६०	.. १८ जुलाई, १९६४
४९	एस० टी०–७५३६/१०–१०१२(१)-६४	.. १२ दिसम्बर, १९६४
५०	एस० टी०–७७६/१०–९००(१६)-६४	.. १६ फरवरी, १९६५
५१	एस० टी०–१४७०/१०–९०२(६३)-५०	.. १५ मार्च, १९६५
५२	एस० टी०–९२७१–१–१०–१०१२(१)-१९६४	.. ९ अप्रैल, १९६५
५३	एस० टी०–२२६३/१०–९५०(१)-६४	.. १८ जून, १९६५
५४	एस० टी०–४२५१/१०–९००(८)-६२	.. १७ अगस्त, १९६५
५५	एस० टी०–६५५२/१०–९००(३१)-६५	.. १ सितम्बर, १९६५
५६	एस० टी०–७०९०/१०–१०१२-१९६५	.. १ अक्तूबर, १९६५
५७	एस० टी०–७०९१/१०–१०१२-१९६५	.. १ अक्तूबर, १९६५
५८	एस० टी०–७०९४/१०–१०१२-१९६५	.. १ अक्तूबर, १९६५
५९	एस० टी०–७०९५/१०–१०१२-१९६५	.. १ अक्तूबर, १९६५
६०	एस० टी०—७०९६/१०—१०१२–१९६५	.. १ अक्तूबर, १९६५
६१	एस० टी०—७०९८/१०—१०१२-१९६५	.. १ अक्तूबर, १९६५
६२	एस० टी०—७०९९/१०—१०१२-१९६५	.. १ अक्तूबर, १९६५
६३	एस० टी०—७१००/१०—१०१२-१९६५	.. १ अक्तूबर, १९६५
६४	एस० टी०—६७८९/१०—९००(१८)-६३	.. १९ नवम्बर, १९६५
६५	एस० टी०—२०४/१०—१०१२-६५	.. १ दिसम्बर, १९६५
६६	एस० टी०—४७०/१०—९००(४५)-६५	.. १ फरवरी, १९६६
६७	एस० टी०—४७१/१०—९००(४५)-६५	.. १ फरवरी, १९६६
६८	एस० टी०—८३४१/१०—१०१२-६५	.. १४ फरवरी, १९६६
६९	एस० टी०—४९३/१०—१००८(७८)-१९६३	.. १ अप्रैल, १९६६
७०	एस० टी०—८३०१/१०—१००८(६४)-६४	.. १ अप्रैल, १९६६
७१	एस० टी०—८३०१–१/१०—१००८(६४)-६४	.. १ अप्रैल, १९६६
७२	एस० टी०—१६६१/१०—८९०२(१०)-५९	.. १ अप्रैल, १९६६
७३	एस० टी०—१४३५/१०—९००(४५)-१९६४	१ अप्रैल, १९६६
७४	एस० टी०—१६४५/१०—१०१२(२)-१९६५	.. १ अप्रैल, १९६६
७५	एस० टी०—१९४९/१०—१००८(७८)-१९६३	.. २० अप्रैल, १९६६
७६	एस० टी०—१७८८/१०—९०२(१२)-१९६४	.. ६ अप्रैल, १९६६
७७	एस० टी०—३१२०/१०—१०१२(४)-१९६५	.. १ जुलाई, १९६६
७८	एस० टी०—३१२१/१०—१०१२(४)-१९६५	.. १ जुलाई, १९६६
७९	एस० टी०—३१२२/१०—१०१२(४)-१९६५	.. १ जुलाई, १९६६
८०	एस० टी०—३१२३/१०—१०१२(४)-१९६५	.. १ जुलाई, १९६६
८१	एस० टी०—३१२४/१०—१०१२(४)-१९६५	.. १ जुलाई, १९६६
८२	एस० टी०—३१२५/१०—१०१२(४)-१९६५	.. १ जुलाई, १९६६
८३	एस० टी०—३२९८/१०—९०६(A—B—C)-१९६५	६ जुलाई, १९६६
८४	एस० टी०—३३०१/१०—९६०(४)-६६	.. ६ जुलाई, १९६६
८५	एस० टी०—३११९/१०—१०१२(४)-१९६५	.. १ सितम्बर, १९६६
८६	एस० टी०—३४६७/१०—१०१२(४)-१९६५	.. ३० सितम्बर, १९६६
८७	एस० टी०—५६२१/१०—९००(५४)-६५	.. १ नवम्बर, १९६६
८८	एस० टी०—५६२१क/१०—९००(५४)-६५	.. १ नवम्बर, १९६६

१	२		३
८९	एस० टी०—४६७५/१०—९००(५९)-६६	..	१ नवम्बर, १९६६
९०	एस० टी०—४१२४/१०—९५०(१२)-१९६७	..	३१ जुलाई, १९६७
९१	एस० टी०—४१२५/१०—९५०(१२)-१९६७	..	३१ जुलाई, १९६७
९२	एस० टी०—४१२७/१०—९५०(१२)-१९६७	..	३१ जुलाई, १९६७
९३	एस० टी०—४५६५-क/१०—९५०(१२)-१९६७	..	२० सितम्बर, १९६७
९४	एस० टी०—४५७५-क/१०—९५०(१२)-१९६७	..	२० सितम्बर, १९६७
९५	एस० टी०—७०३७/१०—९५३(१)-५४	..	३० दिसम्बर, १९६७
९६	एस० टी०—९८०ए/१०—९५२(९)-६१	..	१ फरवरी, १९६८
९७	एस० टी०—७४७/१०—९५०(२२)-६७	..	१ मार्च, १९६८
९८	एस० टी०—१३७७/१०—९०२(८)-६५	..	१ अप्रैल, १९६८
९९	एस० टी०—१०२२/१०—९०२(८)-६५	..	१ अप्रैल, १९६८
१००	एस० टी०—२४७/१०—९००(१२)-६८	..	१ अप्रैल, १९६८
१०१	एस० टी०—१९२०/१०— ५०(१)-६४	..	१ मई, १९६८
१०२	एस० टी०—१९२१/१०—९५०(१)-६४	..	१ मई, १९६८
१०३	एस० टी०—३१४/१०—९००(१७)-६८	..	८ मई, १९६८
१०४	एस० टी०—१६३०/१०—९०२(७-एस० एफ० वाई०)—५९	..	२८ जून, १९६८
१०५	एस० टी०—३६०१/१०—९०२(८)-६५	..	५ अगस्त, १९६८
१०६	एस० टी०—३४९४/१०—९५०(१)-६४	..	२४ अक्तूबर, १९६८
१०७	एस० टी०—३६८६/१०—१००८(५६)-६७	..	१५ नवम्बर, १९६८
१०८	एस० टी०—५९५१/१०—१००८(५६)-६७	..	४ जनवरी, १९६९
१०९	एस० टी०—१६०७/१०—९००(१२)-६७	..	२ अप्रैल, १९६९
११०	एस० टी०—१६०८/१०—९००(१२)-६७	..	४ अप्रैल, १९६९
१११	एस० टी०—३६०९/१०—९००(२१)-६९	..	१ जुलाई, १९६९
११२	एस० टी०—३६१०/१०—९००(२१)-६९	..	१ जुलाई, १९६९
११३	एस० टी०—३६११/१०—९००(२१)-६९	..	१ जुलाई, १९६९
११४	एस० टी०—३६१३/१०—९००(२१)-६९	..	१ जुलाई, १९६९
११५	एस० टी०—३६१५/१०—९००(२१)-६९	..	१ जुलाई, १९६९
११६	एस० टी०—३६५१/१०—९६०(४)-६६	..	१ जुलाई, १९६९
११७	एस० टी०—२८१७/१०—९००(८७)-६७	..	१४ जुलाई, १९६९
११८	एस० टी०—३५३४—११०—९००(२१)-१९६९	..	१९ जुलाई, १९६९
११९	एस० टी०—३५३४/१०—९००(२१)-६९	..	१९ जुलाई, १९६९
१२०	एस० टी०—५६७८/१०—९००(८७)-६७	..	२९ जुलाई, १९६९
१२१	एस० टी०—७०५९/१०—९००(२१)-६९	..	१ सितम्बर, १९६९
१२२	एस० टी०—५०३८/१०—९००(७१)-६९	..	१७ सितम्बर, १९६९
१२३	एस० टी०—२३९९/१०—९००(५३)-६९	..	३० सितम्बर, १९६९
१२४	एस० टी०—८३९३/१०—९५०(२२)-६७	..	३० सितम्बर, १९६९
१२५	एस० टी०—८४९०/१०—९००(७१)-६१	..	३० सितम्बर, १९६९
१२६	एस० टी०—८६९१/१०—९००(१)-६१	..	३० सितम्बर, १९६९
१२७	एस० टी०—८४९२/१०—९००(१)-६१	..	३० सितम्बर, १९६९
१२८	एस० टी०—९२७४/१०—९५०(२२)-६७	..	७ नवम्बर, १९६९

१	२		३
१२९	एस० टी०—९७०७/१०—९००(३७)-६९	..	१ दिसम्बर, १९६९
१३०	एस० टी०—१०२०६/१०—९००(२१)-६९	..	८ दिसम्बर, १९६९
१३१	एस० टी०—१०३६९/१०—९००(१०२)-६९	..	१ जनवरी, १९७०
१३२	एस० टी०—१८०४/१०—९००(७१)-६५	..	१० मार्च, १९७०
१३३	एस० टी०—९२२/१०—९००(२१)-६९	..	३१ मार्च, १९७०
१३४	एस० टी०—१५१५/१०—९००(१०८)-६९	..	२० अप्रैल, १९७०
१३५	एस० टी०—३०८५/१०—९००(१२)-६७	..	२ मई, १९७०
१३६	एस० टी०—३५१६/१०—९००(८९)-६९	..	३० जून, १९७०
१३७	एस० टी०—४६४३/१०—९००(८१)-६८	..	३० जून, १९७०
१३८	एस० टी०—४६४४/१०—९००(८१)-६८	..	३० जून, १९७०
१३९	एस० टी०—४७१९/१०—९००(२१)-६९	..	३० जून, १९७०
१४०	एस० टी०—४७२०/१०—९००(२४)-७०	..	३० जून, १९७०
१४१	एस० टी०—४७२१/१०—९००(२४)-७०	..	३० जून, १९७०
१४२	एस० टी०—२४३८/१०—९००(७५)-६८	..	१० दिसम्बर, १९७०
१४३	एस० टी०—८२०४/१०—९००(२१)-६९	..	२४ सितम्बर, १९७०
१४४	एस० टी०—८७१/१०—९००(१२)—१९६७	..	४ फरवरी, १७७१
१४५	एस० टी०—११०१२/१०—९००(६)-७०	..	२३ मार्च, १९७१
१४६	एस० टी०—३७५/१०—९००(२८)-७०	..	२३ अप्रैल, १९७१
१४७	एस० टी०—११९५३/१०—९००(११२)-६९	..	२१ अप्रैल, १९७१
१४८	एस० टी०—१७८१/१०—९००(४२)-६७	..	१८ मई, १९७१
१४९	एस० टी०—९५३/१०—९००(५५)-६७	..	१८ जून, १९७१
१५०	एस० टी०—३११५/१०—९००(५५)-६७	..	१८ जून, १९७१

समझे जाने तथा वैधीकरण के लिए संक्रमणकालीन उपबन्ध

१७—(१) किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, धारा ८—क की उपधारा (४) या उपधारा (५) के अधीन, जैसी कि वह इस अधिनियम द्वारा निकाल दिये जाने के पूर्व थी, किसी व्यापारी द्वारा किया गया प्रत्येक भुगतान अथवा जमा की गयी प्रत्येक धनराशि, इस अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित धारा २९-क की उपधारा (१) के अधीन जमा धनराशि समझी जायगी मानो पश्चात्वर्ती धारा ऐसा भुगतान अथवा धनराशि जमा किये जाने के समय प्रवृत्त थी, और तद्नुसार उक्त धारा के उपबन्धों द्वारा इस परिष्कार के साथ नियंत्रित होगा कि उसकी उपधारा (३) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड में शब्द "कर-निर्धारण आदेश के दिनांक से तीन वर्ष अथवा उसके सम्बन्ध में अपील, पुनरीक्षण या समाधान में, यदि कोई हो, अन्तिम आदेश दिये जाने के दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात्, जो भी पश्चात्वर्ती हो", के स्थान पर शब्द "कर-निर्धारण आदेश के दिनांक से तीन वर्ष अथवा उसके सम्बन्ध में अपील, पुनरीक्षण या समाधान में, यदि कोई हो, अन्तिम आदेश दिये जाने के दिनांक से एक वर्ष अथवा उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन तथा वैधीकरण) अधिनियम, १९७१ के प्रारम्भ में एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात् जो भी पश्चात्वर्ती हो," रखे गये समझे जायेंगे, और तदनुसार—

(क) इस उपधारा में अभिदिष्ट किसी धनराशि की वापसी के लिए किसी न्यायालय में अथवा किसी प्राधिकारी के समक्ष कोई वाद या अन्य कार्यवाही न तो ग्रहण की जायगी और न जारी रखी जायेगी ; और

(ख) कोई न्यायालय किसी ऐसी डिक्री या आदेश को, जिसमें किसी ऐसी धनराशि की वापसी का निदेश हो, प्रवर्तित न करेगा ।

(२) किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में किसी प्रतिकूल बात के होते हुये भी, किसी अधिकारी द्वारा किया गया कोई कार्य, या की गयी कोई कार्यवाही, जिसे धारा १३ के उपबन्धों के अधीन, जैसी कि वह इस अधिनियम द्वारा संशोधन के पूर्व थी, करना तात्पर्यित थी, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित उक्त धारा के उपबन्धों के अधीन किया गया कार्य या की गयी कार्यवाही समझी जायगी मानों सशोधित धारा ऐसे सभी सारवान समय पर, जब ऐसा कार्य किया गया अथवा ऐसी कार्यवाही की गयी, प्रवृत्त थी ।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या, १४, १९७१ का निरसन ।

१८—उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन तथा वैधीकरण) अध्यादेश, १९७१ एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है ।

विधान सभा

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ ई० में मूलतः दो प्रतिशत से अनधिक दर पर बहुसूत्रीय बिक्री-कर लगाने की व्यवस्था थी। बाद में, व्यापारियों को राहत पहुंचाने के लिए कतिपय वस्तुओं के सम्बन्ध में एक-सूत्रीय प्रणाली की व्यवस्था की गयी। तब से बिक्री-कर लगाने के ढांचे में पर्याप्त परिवर्तन हो गया है, और अद्यावधि स्थिति यह है कि बिक्री-कर की सत्तर प्रतिशत आय एक-सूत्रीय बिक्री-कर से प्राप्त होती है। अब एक सूत्रीय बिक्री-कर को किसी वर्ग विशेष के व्यापारियों के लिए राहत का कदम नहीं बताया जा सकता। इस समय एकसूत्रीय अथवा बहुसूत्रीय कर-रोपित वस्तुओं का वर्गीकरण सार्वजनिक राजस्व की अपेक्षाओं, शासकीय सुविधा, वस्तु विशेष के व्यापार पर कर-रोपण के प्रभाव तथा अन्य ऐसे सुसंगत तथ्यों पर आधारित है, जो परिवर्तनपरक है। यह अनुभव किया गया है कि राज्य सरकार को समय-समय पर एक सूत्रीय कर रोपणी श्रेणी की वस्तुओं को बहुसूत्रीय कर रोपणी श्रेणीमें अन्तरित करने तथा उन्हें अनुवर्ती श्रेणी से पूर्ववर्ती श्रेणी में पुनः अन्तरित करने का अधिकार होना चाहिये। अब प्रस्ताव यह है कि इस अधिनियम को एक अनुसूची में उन वस्तुओं को निर्दिष्ट कर दिया जाय जो प्रथमत. उच्चतर दर पर एक सूत्रीय कराधीन हों तथा उनका तत्सम्बन्धी अवस्था निश्चित कर दिया जाय तथा यह भी व्यवस्था कर दी जाय कि अन्य वस्तुयें न्यूनतर कर की दर पर कराधीन होंगी तथा विधान मण्डल के दोनों सदनों द्वारा उस विज्ञप्ति के, जिसे राज्य सरकार एतदर्थ जारी करे, परिष्करण अथवा अभिशून्य के अधिकार के अधीन रहते हुये, राज्य सरकार को यह अधिकार दिया जाय कि वह अनुसूची में समय-समय पर किसी मद को हटा दे तथा उसे पुनः स्थापित कर दे। इस बात की भी व्यवस्था की जा रही है कि दोनों सदनों द्वारा कृत ऐसा परिष्करण अथवा अभिशून्यन सरकार की किसी विज्ञप्ति के अनुसरण में आरोपित, निर्धारित, लगाये गये अथवा वसूल किये गये कर के सम्बन्ध में भूतलक्षी रूप से प्रभावी होगा (धारा ३–घ के अधीन विज्ञप्तियों के सम्बन्ध में भी समान व्यवस्था की गयी है)। एतदर्थ सरकार को प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन पर ऐसे उपबन्धों से विधान-मण्डल के दोनों सदनों का समुचित नियंत्रण सुनिश्चित रहेगा।

२—तदनुसार प्रस्ताव है कि वर्तमान धारा ३ तथा ३–क के स्थान पर नयी धारायें रख दी जायं जो भविष्य में बिक्री-कर लगाने के सम्बन्ध में क्रियाशील होंगी। तथा एक अन्य धारा ३–कख जोड़ दी जाय जिसके आधार पर धारा ३–क (जैसी कि वह इस समय है) के अधीन निर्गत पूर्ववर्ती विज्ञप्तियों को विधायित किया जा सके जिससे कि उन्हें अधिनियम के अंश के रूप में अंगीकृत किया जा सके।

३—इस विधेयक की अन्य व्यवस्थायें सक्षेपतः इस प्रकार हैं:—

(क) धारा २(झ) में व्यापारी के विक्रय-धन की परिभाषा के सम्बन्ध में उस मूल्य का अभिदेश, जिस पर माल खरीदा गया हो, निकाल दिया गया है। यह अभिदेश धारा ३ के अधीन न्यूनतम विक्रय-धन के आशय पर लागू होता है। अतः तत्स्थानी धारा ३ में इसे स्पष्ट कर दिया गया है।

(ख) धारा ८–क की उपधारा (४) तथा (५) को निकाला जा रहा है, क्योंकि इनकी वैधता संदेहास्पद है। फिर भी चूंकि उन व्यक्तियों की रक्षा करना आवश्यक है जिनसे कोई व्यापारी गलत ढंग से कर के रूप में राशि वसूल कर ले और साथ ही साथ व्यापारियों के अनुचित रूप से धनवान होने को भी रोकना है, इसलिए प्रस्ताव है कि एक नयी धारा २९-क रख दी जाय जिसमें यह व्यवस्था हो कि ऐसी धनराशियां सरकार के पास उन व्यक्तियों के निमित्त न्यास के रूप में रहेंगी जिनसे वे वसूल की गयी हों तथा व्यापारी उस सीमा तक जिस तक कि वह धनराशि सरकारी कोषागार में जमा कर दे ऐसे व्यक्तियों के प्रति देयता से उन्मुक्त रहेगा।

(ग) अन्य व्यवस्थायें औपचारिक तथा आनुषंगिक प्रकार की हैं।

४—तदनुसार यह विधेयक उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन तथा वैधीकरण) अध्यादेश, १९७१ को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

नारायण दत्त तिवारी,

वित्त मन्त्री।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—१३१ एल० ए०—१९७२—८४५।